VISIONIAS

www.visionias.in

समसामयिकी

मई - 2020

VISIONIAS

Copyright © by Vision IAS

All rights reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS

विषय-सूची

1. राजव्यवस्था एवं संविधान (Polity & Constitution) 7

1.1. एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड (One Nation, One Ration Card: ONORC) 7

1.2. सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर सरकारी विज्ञापन (Government Advertisements on Social Media Platforms) 9

2. अंतर्राष्ट्रीय संबंध (International Relations) 11

2.1. भारत-चीन सीमा विवाद (India-China Border Dispute) 11

2.2. भारत-ताइवान (India-Taiwan) 13

2.3. भारत-नेपाल क्षेत्रीय विवाद (Indo-Nepal Territorial Dispute) 15

2.4. गिलगित-बाल्टिस्तान मुद्दा (Gilgit Baltistan Issue) 17

2.5. गुटनिरपेक्ष आंदोलन (Non-Aligned Movement: NAM) 18

2.6. विश्व स्वास्थ्य सभा (World Health Assembly: WHA) 20

2.7. हांगकांग में नया सुरक्षा कानून (New Security Law in Hong Kong) 21

2.8. ओपन स्काई संधि (Open Skies Treaty: OST) 22

3. अर्थव्यवस्था (Economy) 23

3.1. आत्मनिर्भर भारत: क्या, क्यों और कैसे? (Atmanirbhar Bharat: What, Why And How?) 23

3.2. सरकारी ऋण पर स्थिति-पत्र (Status Paper on Government Debt) 25

3.3. वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम (Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act: SARFAESI Act) 28

3.4. ट्रिप्स संबंधी प्रावधान (TRIPS Flexibilities) 30

3.5. श्रम कानून सुधार (Labour Law Reforms) 32

3.6. वर्ष 2018-19 के लिए ऊर्जा दक्षता उपायों का प्रभाव रिपोर्ट (Impact of Energy Efficiency Measures for the Year 2018-19 Report) 34

3.7. ऊर्जा संक्रमण सूचकांक रिपोर्ट (Energy Transition Index Report) 36

3.8. भारत में चीनी उद्योग (Sugar Industry In India) 37

3.9. राष्ट्रीय मत्स्य पालन नीति 2020 का मसौदा (Draft National Fisheries Policy 2020) 41

3.10. चावल निर्यात संवर्धन फोरम (Rice Export Promotion Forum: REPF) 43

4. सुरक्षा (Security) 46

4.1. सीमा अवसंरचना एवं शेकटकर समिति की सिफारिशें (Border Infrastructure And Shekatkar Committee Recommendations) 46

4.2. भारतीय थल सेना द्वारा प्रस्तावित 'टूर ऑफ़ ड्यूटी' (Indian Army Proposes Tour of Duty) 48

4.3. एकीकृत युद्धक समूह (Integrated Battle Groups: IBGs) 49

VISION IAS

5. पर्यावरण (Environment) 51

5.1. टिड्डियों का हमला (Locust Attack) 51

5.2. जैव-विविधता का सुपर वर्ष (Super Year for Biodiversity) 53

5.3. पारितंत्र पुनर्स्थापन पर संयुक्त राष्ट्र दशक (UN Decade on Ecosystem Restoration) 56

5.4. विजाग गैस रिसाव (Gas Leak at VIZAG) 59

5.5. विश्व वन स्थिति रिपोर्ट 2020 {State of the World's Forests Report (SOFO) 2020} 63

5.6. भारत की प्रथम डॉल्फिन वेधशाला (India's First Dolphin Observatory) 65

5.7. भारत में चक्रवात प्रबंधन (Cyclone Management in India) 66

5.8. दक्षिण एशिया के लिए जलवायु अनुकूलन और प्रत्यास्थता परियोजना {Climate Adaptation and Resilience for South Asia (CARE) Project} 68

6. सामाजिक मुद्दे (Social Issues) 70

6.1. कोविड-19 एवं मानसिक स्वास्थ्य (COVID-19 and Mental Health) 70

6.2. ई-लर्निंग (E-Learning) 72

6.3. वैश्विक पोषण रिपोर्ट 2020 (Global Nutrition Report 2020: GNR) 75

7. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (Science and Technology) 78

7.1. ब्लॉकचेन बिल ऑफ राइट्स (Blockchain Bill of Rights) 78

7.2. आरोग्य सेतु ऐप से संबद्ध सुरक्षा मुद्दे (Security Issues with Aarogya Setu App) 79

7.3. अंतरिक्ष गतिविधियों में निजी क्षेत्र की भागीदारी (Private Sector in Space Activities) 81

8. संस्कृति (Culture) 83

8.1. द्वितीय विश्व युद्ध (World War 2) 83

8.2. पुरंदर दास (Purandara Dasa) 83

8.3. भौगोलिक संकेतक टैग {Geographical Indication (GI) Tag} 84

9. नीतिशास्त्र (Ethics) 86

9.1. सत्य के विवाचक के रूप में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (Social Media Platforms as Arbiters of Truth) 86

10. संक्षिप्त सुर्ख़ियाँ (News In Short) 88

10.1. दियामेर भाषा डैम (Diamer-Bhasha Dam) 88

10.2. संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी (United Nations Relief and Works Agency: UNRWA) 88

10.3. ऋणों की प्रोविजनिंग (Provisioning of Loans) 88

10.4. चैंपियंस पोर्टल (Champions Portal) 89

10.5. भारत में पहली बार शहरी इंटरनेट उपयोगकर्ता की तुलना में ग्रामीण इंटरनेट उपयोगकर्ता की संख्या अधिक (For The First Time, India has more Rural Net Users than Urban) 89

VISION IAS

10.6. यूनीफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू-ऐज गवर्नेंस (Unified Mobile Application for New-age Governance: UMANG) 89

10.7. खेल को उद्योग का दर्जा (Industry Status to Sports) 89

10.8. अमेरी आईस शेल्फ (Amery Ice Shelf: AIS) 89

10.9. नमूना पंजीकरण प्रणाली बुलेटिन जारी {Sample Registration System (SRS) Bulletin Released} 90

10.10. 5 वर्ष से कम आयु के शिशुओं की मृत्यु दर (U5MR) वर्ष 2000 की तुलना में वर्ष 2017 में घटकर आधी हो गयी है {Under-5 Mortality Rate (U5MR) Halved from 2000 to 2017} 90

10.11. संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ) द्वारा प्रकाशित "लॉस्ट एट होम" रिपोर्ट (Lost at Home" Report Published by UN Children's Fund) 91

10.12. भारत में 600 विश्वविद्यालयों और 25,000 कॉलेजों को मान्यता प्राप्त नहीं है (600 Universities, 25,000 Colleges are not Accredited in India) 91

10.13. राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली (National Migrant Information System: NMIS) 91

10.14. सुरक्षा स्टोर पहल (Suraksha Store Initiative) 92

10.15. गोल प्रोग्राम {GOAL (Going Online As Leaders) Programme} 92

10.16. मणिपुर में खुडोल (गिफ्ट) इनिशिएटिव {Khudol (Gift) Initiative In Manipur} 92

10.17. रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना (Defence Testing Infrastructure Scheme) 92

10.18. ऑपरेशन समुद्र सेतु {Operation Samudra Setu (Sea Bridge)} 93

10.19. वंदे भारत मिशन (Vande Bharat Mission) 93

10.20. अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के मध्य पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता में कमी (Earth's Magnetic Field Between Africa And South America Is Weakening) 93

10.21. पृथ्वी के चुम्बकीयमंडल क्षेत्र में स्थित विद्युत क्षेत्र संरचना के अध्ययन में सहायक नवीन सिमुलेशन कोड का विकास (New Simulation Code Helps Study Electric Field Structure In Earth's Magnetosphere) 93

10.22. शुक्र ग्रह का वायुमंडल स्वंय शुक्र ग्रह की तुलना में तीव्र गति से घूर्णन करता है (Venusian Atmosphere Rotates Faster than the Planet itself) 94

10.23. उत्तरदायी अंतरिक्ष अन्वेषण हेतु आर्टेमिस एकॉर्ड (Artemis Accords for Responsible Space Exploration) 94

10.24. राष्ट्रीय बायोमेडिकल संसाधन स्वदेशीकरण कंसोर्टियम (National Biomedical Resource Indigenization Consortium: NBRIC) 95

10.25. कार्ड परियोजना (Project Card) 95

10.26. गवर्नमेंट रिस्पॉन्स स्ट्रिंजेंसी इंडेक्स (Government Response Stringency Index) 95

10.27. COBAS 6800 टेस्टिंग मशीन (COBAS 6800 Testing Machine) 96

10.28. ऑपरेशन वार्प स्पीड (Operation Warp Speed) 96

10.29. अफ्रीकीन स्वाइन फीवर (African Swine Fever: ASF) 96

VISION IAS

10.30. भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) द्वारा पाई का शुभारंभ {National Payment Corporation of India (NPCI) Launches PAI}........ 96

10.31. नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल {National Artificial Intelligence Portal (WWW.AI.GOV.IN)}........ 96

10.32. EVENTBOT मोबाइल बैंकिंग ट्रोजन (Eventbot Mobile Banking Trojan)........ 97

10.33. गरुड़ पोर्टल (राहत कार्यों के लिए ड्रोन उपयोग हेतु सरकारी स्वीकृति) {GARUD (Government Authorisation For Relief Using Drones) Portal}........ 97

10.34. RHT14 और RHT18 (RHT14 and RHT18)........ 97

10.35. त्रिशूर पूरम (Thrissur Poorama)........ 97

10.36. फ्लोरेंस नाइटिंगेल (Florence Nightingale)........ 97

10.37. ईरान की नई करेंसी (Iran's New Currency)........ 98

11. सुर्ख़ियों में रही सरकारी योजनाएँ (Government Schemes in News) 99

11.1. अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana)........ 99

11.2. प्रधान मंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम (Prime Minister's Employment Generation Programme: PMEGP)........ 99

12. परिशिष्ट : आत्मनिर्भर भारत (Appendix: Atmanirbhar Bharat) 101

12.1. आवंटित योजनाओं के अंतर्गत स्वास्थ्य और शिक्षा हेतु अपनाए गए उपाय (Measures taken for Health and Education in the package)........ 101

12.2. प्रवासियों और शहरी निर्धनों हेतु किए गए उपाय (Measures announced for Migrants and Urban Poor)........ 102

12.3. ग्रामीण विकास, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए घोषित किए गए उपाय (Measures Announced for Rural Development, Agriculture and Allied Sectors)........ 104

12.3.1. अब तक उठाए गए कदम (Steps taken so far)........ 104

12.3.2. इस पैकेज में घोषित महत्वपूर्ण उपाय (Significant Measures Announced in the Package)........ 105

12.3.3. इस पैकेज में घोषित की गयी अन्य पहलें (Other Initiatives Announced in the Package)........ 108

12.4. पैकेज में घोषित औद्योगिक क्षेत्रक सुधार (Industrial Sectoral reforms announced in the package)........ 109

विवरण........ 109

12.4.1. घोषित किए गए महत्वपूर्ण उपाय (Significant Measures Announced)........ 109

12.4.2. अन्य क्षेत्रकों के लिए घोषित किए गए नीतिगत सुधार (Policy Reforms Announced for Other Sectors)........ 113

12.5. MSMES सहित सामान्य व्यवसायों हेतु घोषित उपाय (Measures Announced for Businesses in General Including MSMEs)........ 114

12.5.1. घोषित किए गए महत्वपूर्ण उपाय (Significant Measures Announced)........ 114

12.5.2. व्यवसायिक सुगमता हेतु घोषित किए सुधार एवं सहायक उपाय (Reforms and Enablers Announced for Ease of Doing Business)........ 115

12.6. विशिष्ट रूप से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) क्षेत्रक के लिए घोषित उपाय (Measures Announced Exclusively for MSME Sector)........ 116

12.6.1. घोषित किए गए महत्वपूर्ण उपाय (Significant Measures Announced)........ 116

VISION IAS

12.7. आर्थिक पैकेज के भाग के रूप में घोषित सामान्य नीतिगत सुधार (General Policy Reforms Announced as Part of the Economic Package) 119
12.7.1. घोषित महत्वपूर्ण उपाय (Significant Measures Announced) 119
12.7.2. अन्य नीतिगत उपाय (Other Policy Measures) 120

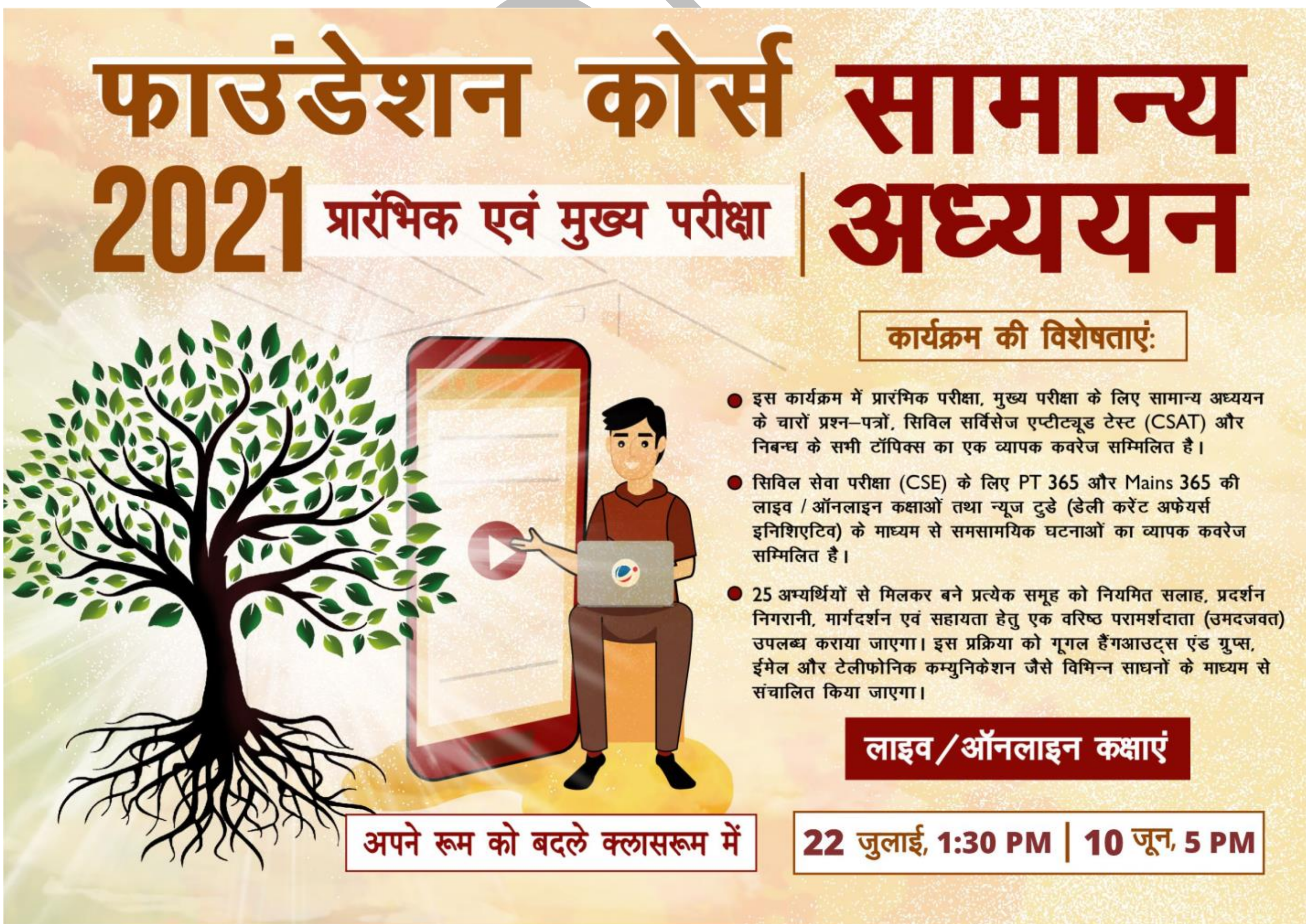

1. राजव्यवस्था एवं संविधान (Polity & Constitution)

1.1. एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड (One Nation, One Ration Card: ONORC)

सुर्ख़ियों में क्यों?

कोविड-19 के प्रकोप के मध्य **आर्थिक राहत पैकेज के हिस्से के रूप में,** केंद्र सरकार ने **मार्च 2021** से राष्ट्रीय स्तर पर सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में **'एक राष्ट्र एक राशन कार्ड' प्रणाली** को लागू करने की घोषणा की है।

राशन कार्ड के बारे में

- यह **राज्य सरकार** के एक आदेश या प्राधिकार के तहत जारी किया गया **एक दस्तावेज** होता है। **सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Public Distribution System: PDS)** के माध्यम से इसका प्रयोग कर, **सब्सिडी दरों** पर उचित मूल्य की दुकान (Fair Price Shop: FPS) से **आवश्यक वस्तुओं की खरीद** की जाती है।
- राज्य सरकारें निर्धनता रेखा से ऊपर (Above Poverty line: APL), निर्धनता रेखा से नीचे (Below Poverty line: BPL) और अंत्योदय परिवारों को **विशिष्ट राशन कार्ड** जारी करती हैं तथा राशन कार्डों की आवधिक समीक्षा एवं जाँच करती हैं।
- **पहचान हेतु प्रमाण-पत्र (Proof of identification):** यह अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज़ों, जैसे- निवास प्रमाण-पत्र, निर्वाचक सूची में नाम दर्ज करवाने आदि के लिए आवेदन करते समय, पहचान का एक महत्वपूर्ण साधन बन गया है।

एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के बारे में

- इस **'एक राष्ट्र एक राशन कार्ड' प्रणाली** के तहत, लाभार्थी आधार कार्ड से लिंक्ड अपने मौजूदा / समरूप राशन कार्ड का उपयोग कर देश में किसी भी FPS से सब्सिडी युक्त खाद्यान्न की खरीद कर सकेंगे।
- उल्लेखनीय है कि **वर्तमान PDS** के तहत, एक **राशन कार्डधारक** केवल उसी **FPS** से खाद्यान्न की खरीद कर सकता है जो उसके अधिवासित क्षेत्र में स्थित होती है।
- **पार्थ मुखोपाध्याय** की अध्यक्षता वाले **'वर्किंग ग्रुप ऑन माइग्रेशन'** ने वर्ष 2017 में PDS और इसके लाभों की पोर्टेबिलिटी की सिफारिश की थी।
- इसके पश्चात्, सरकार ने अप्रैल 2018 में **सार्वजनिक वितरण प्रणाली के एकीकृत प्रबंधन (IM-PDS)** की शुरुआत की थी। **(बॉक्स देखें)**

'सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एकीकृत प्रबंधन' (Integrated Management of Public Distribution System: IMPDS) योजना

- IMPDS **केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना** है, जिसे **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय** के तहत लागू किया गया है।
- **उद्देश्य:**
  - **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013** के तहत खाद्यान्न वितरण में **देशव्यापी पोर्टेबिलिटी** का कार्यान्वयन करना।
  - लाभार्थी डेटा (आधार आधारित) अर्थात् लाभार्थियों के दुहराव को रोकने (de-duplication) हेतु **राष्ट्रीय स्तर पर डेटा भंडार (national level data repository)** का सृजन करना।
  - निरंतर सुधार लाने हेतु **डेटा विश्लेषण संबंधी उन्नत तकनीकों** का उपयोग करना।

- यह नई प्रणाली FPS में स्थापित **इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल (electronic Point ofSale:ePoS)** उपकरणों पर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से लाभार्थी की पहचान करेगी।
- इसके तहत, एक प्रवासी व्यक्ति को उसके **परिवार के लिए निर्धारित कोटा के अधिकतम 50% तक खाद्यान्न खरीदने की अनुमति प्राप्त होगी।** इससे यह सुनिश्चित हो पाएगा कि व्यक्ति, किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित होने के पश्चात् एक बार में पूरे परिवार के लिए निर्धारित कोटे के बराबर खाद्यान्न न खरीद पाए।
- एक बार **आधार सीडिंग (सेवा प्रदाता के डाटाबेस में निवासी के आधार संख्या को जोड़ा जाना) के 100 प्रतिशत होने और ePoS उपकरणों की 100 प्रतिशत स्थापना के पश्चात्,** राशन कार्डों की राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी को लागू कर दिया जाएगा। वर्तमान में, यह 17 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में लागू है।

लाभ

- **ONORC योजना** राशन कार्डों की **अंतराराज्य (intra-state)** के साथ-साथ **अंतरराज्यिक (inter-state) पोर्टेबिलिटी** प्रदान करती है, जिससे **अंतर/अंतरा राज्य प्रवासी** सर्वाधिक लाभान्वित होंगे।
  - **IMPDS पोर्टल** पर अंतरराज्यिक पोर्टेबिलिटी उपलब्ध होगी; तथा
  - **अन्नवितरण पोर्टल** पर अंतरा-राज्य पोर्टेबिलिटी उपलब्ध होगी।

VISION IAS

- लाभार्थियों को सब्सिडी युक्त खाद्यान्न के वितरण हेतु ePoS उपकरणों के माध्यम से किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक लेन-देन को प्रदर्शित करने के लिए **"अन्नवितरण पोर्टल"** की शुरुआत की गयी है। यह पोर्टल जिला स्तर तक खाद्यान्नों के आवंटन और वितरित मात्रा के साथ-साथ लाभार्थियों के आधार प्रमाणीकरण के अखिल भारतीय स्थिति को भी प्रदर्शित करता है।

- यह एक एकीकृत ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से **फर्जी राशन कार्ड धारकों को सूची से हटाने** में सहायता करता है।
- यह रिसाव आदि को रोककर **बढ़ते खाद्य सब्सिडी बिल को नियंत्रित** कर सकता है।

ONORC के कार्यान्वयन में चुनौतियाँ

- **तकनीकी समस्याएं:**
  - **आधार प्रमाणीकरण:** अगस्त 2019 तक लगभग 85.41% राशन कार्डों को आधार से जोड़ा जा चुका था। हालांकि, अभी भी इनकी एक महत्वपूर्ण संख्या को जोड़ा जाना शेष है।
  - **ePoS मशीनें: अन्नवितरण पोर्टल** के आंकड़ों के अनुसार, जनवरी 2020 तक कुल 79,050 में से केवल 37,392 FPS में ही e-PoS मशीनें उपलब्ध थीं। बिहार तथा पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में ये और भी कम हैं, जहाँ से अन्य राज्यों में प्रवास करने वाले लोगों की संख्या उच्चतम है।
  - **इंटरनेट कनेक्टिविटी और विश्वसनीयता:** भारत में इंटरनेट की पहुंच बहुत कम है, विशेषकर ग्रामीण भारत में।
- **ग्रामीण विद्युतीकरण की निम्न गुणवत्ता:** नई योजना के तहत e-PoS मशीन चलाने हेतु निरंतर विद्युत आपूर्ति की आवश्यकता होती है। वर्ष 2017 में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण से संकेत मिलता है कि **सभी गांवों में से केवल आधे में 12 घंटे से अधिक विद्युत की आपूर्ति होती है।** इसके अतिरिक्त अधिकांश गांवों में विद्युत की आपूर्ति में निरंतर व्यवधान बना रहता है।
- **घरेलू प्रवास के पैटर्न पर आंकड़ों का अभाव:** इसके कारण राज्य सरकारों को जनता के लिए उचित मात्रा में राशन सामग्री उपलब्ध कराने की चुनौती उत्पन्न हो जाती है।
  - अनियोजित दबावग्रस्त प्रवास के कारण इस समस्या का समाधान करना और अधिक कठिन बन सकता है।
- **केंद्र-राज्य संबंध: खाद्य सुरक्षा पर राज्यों में कार्यान्वित विभिन्न नीतियों को संरेखित करने के प्रयासों** को राज्य के विषयों पर अतिक्रमण के रूप में देखा जा सकता है। इससे केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य अविश्वास की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अतः **सहकारी संघवाद** के सिद्धांतों के आधार पर संलग्नता को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।
- **स्थानीय खाद्य आदतों और जरूरतों के संबंध में प्रोत्साहन का अभाव:** वर्तमान प्रणाली में, केंद्र सरकार के आवंटन के अतिरिक्त, कुछ राज्य अपनी क्षमता और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार अन्य खाद्य पदार्थों, जैसे- आयोडीन युक्त नमक, मसाले और दालों का वितरण करते हैं। चूंकि पात्र लाभार्थियों की संख्या प्रत्येक राज्य में भिन्न-भिन्न हैं (इन / आउट प्रवासन के आधार पर), अत: यह नई प्रणाली राज्यों को स्थानीय लोगों के आहार में विविधता लाने हेतु निरुत्साहित कर सकती है।

निष्कर्ष

ONORC योजना को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए कई बाधाओं को दूर करना होगा। हालांकि, इसमें **जनसंख्या के सबसे सुभेद्य वर्गों** तक रियायती दरों पर खाद्यान उपलब्ध कराने की क्षमता है। यह वर्ष 2030 तक भारत के **शून्य भूखमरी** संबंधी **सतत विकास लक्ष्य-2** को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 {National Food Security Act, 2013 (NFSA)}

- यह खाद्य सुरक्षा के संबंध में **कल्याणकारी दृष्टिकोण** से **"अधिकार-आधारित दृष्टिकोण"** की ओर परिवर्तन का परिचायक है।
- यह अधिनियम विधिक रूप से **लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Targeted Public Distribution System: TPDS)** के तहत सब्सिडी युक्त खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए 75% तक ग्रामीण आबादी को और 50% तक शहरी आबादी को अधिकार प्रदान करता है।
- NFSA के तहत, लगभग 81 करोड़ लोगों को सब्सिडी युक्त अर्थात् रियायती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। ये लाभार्थी TDPS के अंतर्गत आने वाले अपने निकटवर्ती FPS से 3 रुपये / किलोग्राम की दर से चावल, 2 रुपये / किलोग्राम की दर से गेहूं, तथा 1 रुपया / किलोग्राम की दर से मोटा अनाज खरीदने के हकदार हैं।
- केंद्र और राज्य सरकारों की **संयुक्त जवाबदेही** के तहत इसका संचालन किया जाता है।
  - **केंद्र सरकार का उत्तरदायित्व:** राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को **खाद्यान्नों का आवंटन** करना, नामित डिपो तक खाद्यान्न का परिवहन करना और FCI (भारतीय खाद्य निगम) गोदामों से FPSs तक खाद्यान्न वितरण के लिए राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय सहायता प्रदान करना।
  - **राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व:** पात्र परिवारों की **पहचान** करना और राशन कार्ड जारी करना तथा FPSs के कामकाज की निगरानी के साथ-साथ **परिचालन संबंधी कार्य करना।**

VISION IAS

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS)

- इसे वर्ष 1997 में निर्धन जनसंख्या पर ध्यान केंद्रित करने हेतु प्रारंभ किया गया था। TPDS के तहत, लाभार्थियों को निम्नलिखित 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया है:
  - निर्धनता रेखा से नीचे- **BPL परिवार**; तथा
  - निर्धनता रेखा से ऊपर- **APL परिवार**।
- TPDS को और अधिक केंद्रित तथा लक्षित बनाने हेतु वर्ष 2000 में **अंत्योदय अन्न योजना** प्रारंभ की गई थी।
  - यह BPL लाभार्थियों के मध्य **सबसे निर्धन परिवारों (poorest of the poor families)** पर केंद्रित है।

1.2. सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर सरकारी विज्ञापन (Government Advertisements on Social Media Platforms)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय** ने केंद्र के पैसे से संचालित आउटरीच (पहुँच संबंधी) अभियानों हेतु **ब्यूरो ऑफ़ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन (BOC)** की सूची में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को सम्मिलित करने के लिए नीतिगत दिशा-निर्देशों का मसौदा जारी किया है।

सोशल मीडिया का उपयोग करने के लाभ

- **पहुँच में वृद्धि:** सोशल मीडिया राय निर्धारण के साथ-साथ जनमत तैयार करने के लिए एक सशक्त मंच के रूप में कार्य करता है।
  - भारत में, केवल फेसबुक के 210 मिलियन से अधिक उपयोगकर्ता हैं। भारत में लगभग 400 मिलियन स्मार्टफोन उपयोगकर्ता भी हैं जो अभूतपूर्व पहुँच प्रदान करते हैं।
- **वास्तविक समय में लोगों से संलग्नता (Real Time engagement):** सोशल मीडिया लोगों से संलग्न होने में लगने वाले समय और स्थान की कमी की समस्या का समाधान करता है। यह नीति निर्माताओं को वास्तविक समय के आधार पर हितधारकों से जुड़ने में सहायता कर सकता है। उदाहरण के लिए, लीबिया संकट के दौरान विदेश मंत्रालय ने लीबिया में फंसे भारतीय नागरिकों को खोजने और उन्हें वहां से निकालने में सहायता के लिए ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग किया था।
- **लक्षित दृष्टिकोण:** सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लक्षित दृष्टिकोण की भी सुविधा प्रदान करते हैं जो कुशल और लागत प्रभावी तरीके से लक्षित लोगों तक पहुंचने में सहायता करता है।
- **व्यक्तिगत अंतःक्रिया (Individual Interaction):** मीडिया के पारंपरिक रूपों के अंतर्गत व्यक्तिगत उपयोगकर्ता के साथ अंतःक्रिया या तो संभव नहीं है या बहुत सीमित है। जबकि, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स सभी और प्रत्येक व्यक्ति के साथ जुड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं। यह सेवाओं के संबंध में प्रतिक्रिया प्राप्त करने में भी उपयोगी है।
- **धारणाओं का प्रबंधन (Managing Perceptions):** सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती असत्यापित तथ्यों और सरकारी नीतियों के संबंध में तुच्छ व भ्रामक अफवाहों के प्रसार को रोकना है। इन प्लेटफॉर्म का लाभ उठाने से इस प्रकार की धारणाओं से निपटने और सूचित राय के निर्धारण में तथ्यों को प्रस्तुत करने में सहायता मिल सकती है।

इन नीतिगत दिशा-निर्देशों के मसौदे बारे में

- **सोशल मीडिया पर विज्ञापन की आवश्यकता:** वर्तमान में, सरकार की पहुंच केवल ऐसे लोगों तक सीमित है जो संबंधित मंत्रालय / विभाग के सोशल मीडिया हैंडल से जुड़े हुए हैं। इस प्रकार, ऐसे लोगों तक पहुंचने या उनसे जुड़ने की आवश्यकता है जो संबंधित मंत्रालय / विभाग के सोशल मीडिया हैंडल से नहीं जुड़े हैं।
- **परिभाषा:** इन दिशा-निर्देशों में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ऐसे वेब / मोबाइल आधारित इंटरनेट एप्लिकेशन के रूप में परिभाषित किया गया है जो उपयोगकर्ता-निर्मित सामग्री के निर्माण, पहुंच और विनिमय की अनुमति प्रदान करते हैं। यह सामग्री टेक्स्ट, दृश्य-श्रव्य (audio-visual), ग्राफिक्स, एनीमेशन आदि के रूप में हो सकती है।
- **अर्हता:** BOC की सूची में शामिल होने वाले सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म को विगत 6 माह से निरंतर संचालन में होना चाहिए और भारत के भीतर ऐसे प्लेटफ़ॉर्म पर प्रति माह न्यूनतम 25 मिलियन उपयोगकर्ता होने चाहिए।

निष्कर्ष

वर्ष 2012 में, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने, **"सरकारी संगठनों द्वारा सोशल मीडिया के उपयोग के लिए फ्रेमवर्क और दिशा-निर्देश"** जारी किए थे, जिनका उपयोग सरकारी एजेंसियों द्वारा सोशल मीडिया पर विज्ञापनों में मार्गदर्शक के रूप में किया जा सकता है। कुछ सुझाव निम्नलिखित हैं:

- **सुपरिभाषित उद्देश्य:** सोशल मीडिया के उपयोग का उद्देश्य केवल सूचना का प्रसार करना नहीं है, अपितु एक **सार्थक सार्वजनिक भागीदारी** के लिए **सार्वजनिक अंतःक्रिया** करना भी है। इस प्रकार, उचित व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि लोग अपनी भाषा में संवाद कर सकें और व्यक्त किए गए विचारों के आधार पर संज्ञान लिए जाने चाहिए।
- **प्लेटफ़ॉर्म का चयन:** चूंकि अनेक विकल्प विद्यमान हैं, इसलिए **एक या दो प्रमुख प्लेटफॉर्म्स की पहचान** करना आवश्यक है जहां से संबंधित विभाग संवाद स्थापित कर सकता है। उद्देश्य और प्रतिक्रिया के आधार पर, प्लेटफॉर्म्स के दायरे को बढ़ाया जा सकता है।

VISION IAS

- **शासन संरचना (Governance Structure):** यह संगठनों के लिए नियमों के अनुपालन का वर्णन करता है।
    - **प्रतिक्रिया और तत्परता:** प्रतिक्रिया के दायरे का विस्तार करना महत्वपूर्ण है ताकि अपेक्षाएँ सही ढंग से निर्धारित की जा सकें।
    - **कंटेंट गवर्नेंस:** भारतीय भाषाओं में सामग्री तक पहुँच से संबंधित चुनौतियों के समाधान के साथ-साथ दिव्यांग जनों की उक्त सामग्री तक पहुँच की समस्या को पर्याप्त रूप से समाधान किया जाना चाहिए।
    - **विधिक प्रावधान:** इन्हें सूचना का अधिकार अधिनियम, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम, 2008 आदि के प्रावधानों के अनुरूप होना चाहिए।
- **संस्थागतकरण (Institutionalization):** नियमों को पूर्णतः स्थापित किया जाना चाहिए ताकि सभी नीतिगत घोषणाएँ पारंपरिक के साथ-साथ सोशल मीडिया पर एक साथ की जा सकें।

ब्यूरो ऑफ़ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन (BOC)

- वर्ष 2017 में इसे मौजूदा **विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय (Directorate of Advertising and Visual Publicity: DAVP), फील्ड पब्लिसिटी निदेशालय (Directorate of Field Publicity: DFP)** और **सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन (S&DD)** का एकीकरण कर स्थापित किया गया था।
- **अधिदेश:** यह लोगों का सशक्तीकरण करने तथा प्रिंट, ऑडियो-विज़ुअल, आउटडोर और डिजिटल मीडिया के माध्यम से लोगों तक संदेश पहुंचाकर सरकार की ब्रांडिंग करने हेतु उत्तरदायी है।

सोशल मीडिया के उपयोग से संबंधित चुनौतियाँ

- **कौन-से प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग करना चाहिए:** विभिन्न प्लेटफॉर्म्स और यहां तक कि सोशल मीडिया के अनेक प्रकारों को देखते हुए, यह चयन करना अधिक कठिन है कि किस प्रकार के और कितने प्लेटफॉर्म्स से जुड़ा जाए तथा इन प्लेटफॉर्म्स के मध्य इंटर-लिंकेज कैसे स्थापित किया जाए।
- **कौन संलग्न होगा:** अधिकांश विभागों में पारंपरिक मीडिया से जुड़ने की क्षमता सीमित है। इसके अतिरिक्त **सोशल मीडिया पर गहन और निरंतर संपर्क की आवश्यकता** होती है, अतः इनके लिए ऐसे संसाधनों की उपलब्धता और भी सीमित हो जाती है।
- **कैसे संलग्न हुआ जाए:** नियमों के अनुपालन से जुड़े अनेक प्रश्न उभरते हैं, यथा- कैसे खाता बनाएं और प्रबंधित करें, प्रतिक्रिया समय (response time) क्या होना चाहिए, विधिक निहितार्थ क्या हैं आदि।

2. अंतर्राष्ट्रीय संबंध (International Relations)

2.1. भारत-चीन सीमा विवाद (India-China Border Dispute)

सुर्ख़ियों में क्यों?

उत्तरी सिक्किम और लद्दाख क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा (Line of Actual Control: LAC) पर भारत व चीन के मध्य जारी गतिरोध के कारण दोनों देशों के मध्य सीमा पर एक बार पुनः तनाव उत्पन्न हो गया है।

अन्य संबंधित तथ्य

* मई के प्रथम सप्ताह में, **पैंगोंग त्सो झील** क्षेत्र में भारतीय और चीनी सैनिकों के मध्य टकराव की कुछ घटनाएं घटित हुईं।
* विगत कुछ सप्ताहों में, चीनी सैनिकों द्वारा **गलवान नदी घाटी के आसपास LAC को पार करके भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ** भी की गई है। LAC पर **पूर्वी लद्दाख में कई स्थानों पर चीनी सैनिकों की भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ** की रिपोर्ट्स ने भारत और चीन के मध्य तनाव को उच्च स्तर तक पहुंचा दिया है। (मानचित्र देखिए)।

भारत- चीन सीमा विवाद

* भारत और चीन के मध्य की सीमा रेखा सर्वत्र स्पष्ट रूप से सीमांकित नहीं की गई है तथा LAC भी **पारस्परिक रूप से सहमत सीमा रेखा नहीं** है।
* LAC वह सीमांकन है, जो भारत-नियंत्रित क्षेत्र को चीनी-नियंत्रित क्षेत्र से पृथक करती है। भारत द्वारा LAC की लंबाई 3,488 कि.मी. मानी गई है, जबकि चीन इसे लगभग 2,000 कि.मी. ही स्वीकार करता है।
* LAC को **तीन भागों में विभाजित** किया गया है, यथा- पश्चिमी, मध्य और पूर्वी।
  * **पश्चिमी क्षेत्र (लद्दाख):** यहाँ पर सीमा विवाद 1860 के दशक में अंग्रेजों द्वारा प्रस्तावित **जॉनसन रेखा** से संबंधित है, जो कुनलुन पर्वत तक विस्तृत थी तथा अक्साई चिन को जम्मू और कश्मीर की तत्कालीन रियासत में शामिल करती थी।
    * भारत द्वारा जॉनसन रेखा को मान्यता प्रदान करते हुए अक्साई चिन पर अपना राज्यक्षेत्र होने का दावा किया गया। हालाँकि, चीन इस रेखा को स्वीकृति प्रदान नहीं करता है तथा इसकी बजाय वह **मैकडॉनल्ड रेखा** को स्वीकार करता है, जो अक्साई चिन को उसके नियंत्रण में दर्शाती है।
  * **मध्य क्षेत्र (हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड):** इस क्षेत्र में अत्यल्प विवाद है। इस अंचल में बाड़ाहोती (जिला चमोली, उत्तराखंड) मैदान के कुछ इलाकों को छोड़कर LAC पर कोई विशेष विवाद नहीं है। उल्लेखनीय है कि **भारत और चीन परस्पर आदान-प्रदान किए गए मानचित्रों पर व्यापक रूप से सहमत हैं।**
  * **पूर्वी क्षेत्र (अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम):** इस क्षेत्र में विवाद वर्ष 1914 में चीन, भारत एवं तिब्बत के प्रतिनिधियों की शिमला बैठक में निर्धारित **मैकमोहन रेखा** (अरुणाचल प्रदेश में) से संबंधित है।
    * हालांकि, इस बैठक में चीनी प्रतिनिधियों द्वारा समझौते हेतु प्रयास प्रारंभ किए गए थे, परन्तु बाद में उन्होंने इसे अस्वीकृत कर दिया। त्वांग मार्ग को भारत द्वारा वर्ष 1951 में अपने राज्यक्षेत्राधीन कर लिया गया था, जिस पर चीन द्वारा दावा किया जा रहा था।

वर्तमान गतिरोध के कारण

चीन की मंशा का स्पष्टीकरण सदैव चुनौतीपूर्ण रहा है। इसके लिए विभिन्न विशेषज्ञों द्वारा भिन्न-भिन्न कारणों को उद्धृत किया गया है, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं:

* **LAC से संलग्न क्षेत्र में अवसंरचना का विकास:** विगत एक दशक में, भारत ने सीमा और LAC से संलग्न क्षेत्र में अपनी उपस्थिति को सुदृढ़ करने के लिए अत्यधिक प्रयास किए हैं।
  * भारत द्वारा सीमावर्ती सड़कों के उन्नयन का अधिकांश कार्य लगभग पूर्ण कर लिया गया है, जिसमें एक सामरिक सैन्य-उपयोग में प्रयुक्त की जाने वाली सड़क भी शामिल है। यह सड़क पश्चिमी क्षेत्र के **उत्तरी सिरे में दौलत बेग ओल्डी में अवस्थित एक हवाई क्षेत्र** को **दक्षिण की ओर श्योक एवं दरबुक गांवों** से जोड़ती है। वर्ष 2019 में पूर्ण हुई यह **"DS-DBO (दरबुक व श्योक-दौलत बेग ओल्डी)**

VISION IAS

सड़क" पश्चिमी क्षेत्र में भारतीय सैन्य बलों की पार्श्व आवाजाही (lateral movement) को अत्यधिक सुविधाजनक बनाती है तथा यात्रा समय में लगभग 40 प्रतिशत की कमी करती है।
  - भारत द्वारा वर्ष 2022 तक LAC पर फीडर (सहायक) सड़कों के निर्माण का एक नेटवर्क पूर्ण किए जाने की अपेक्षा है। गलवान नदी के निकट LAC को DS-DBO सड़क के साथ जोड़ने वाली इस फीडर सड़क का निर्माण संभवतः प्रथम महत्वपूर्ण पहल (trigger) थी।
- **डोकलाम प्रकरण का प्रभाव:** एक व्यापक संदर्भ में, मौजूदा विवाद के लिए **वर्ष 2017 के डोकलाम में हुए चीन-भारत गतिरोध** को भी उत्तरदायी माना गया है। भारत के कड़े विरोध ने चीन को भारत-चीन-भूटान के त्रिसंगम (trijunction) पर एक सड़क का विस्तार करने से रोक दिया था।
- **जम्मू और कश्मीर का पुनर्गठन:** इससे पूर्व चीन ने लद्दाख को एक नए संघ राज्य क्षेत्र के रूप में गठित किए जाने का भी विरोध किया था तथा भारत पर LAC के संदर्भ में एकपक्षीय परिवर्तन का प्रयास करने का आरोप लगाया था।
- **कोविड-19 के कुप्रबंधन पर चीन के विरुद्ध वैश्विक प्रतिक्रिया:** हालांकि, अविश्वास के परिवेश की उपस्थिति के कारण, भारत चीन के प्रति अपने दृष्टिकोण का निर्धारण सतर्कतापूर्वक कर रहा है। हाल ही में, भारत ने भी विश्व स्वास्थ्य सभा में कोरोनोवायरस की उत्पत्ति की निष्पक्ष जांच की मांग हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन किया था।
  - वर्तमान चीनी आक्रामकता को **भारत द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण करने के साथ ही संगठन में नेतृत्वकारी भूमिका निभाने** की संभावना के साथ भी संबद्ध किया जा सकता है।
  - इसके 34 सदस्यीय कार्यकारी बोर्ड के प्रमुख के रूप में, भारतीय प्रत्याशी का WHO के प्रशासनिक निर्णयों और नीतियों पर व्यापक प्रभाव होगा। वर्तमान में WHO की चीन के प्रभाव में कोविड-19 के कुप्रबंधन के लिए पहले से ही आलोचना की जा रही है।
- **नई चीनी आक्रामकता के संकेत:** भारत-चीन सीमा पर चीन की आक्रामकता उसकी निम्नलिखित गतिविधियों से भी संबद्ध है:
  - हांगकांग को नियंत्रित करने हेतु बीजिंग ने नया सुरक्षा कानून लागू किया है,
  - दक्षिण चीन सागर में नव प्रशासनिक संरचना का निर्माण किया गया है,
  - मई 2020 में बीजिंग में नेशनल पीपुल्स कांग्रेस के पूर्ण अधिवेशन के दौरान गैर-शांतिपूर्ण रीति से ताइवानी एकीकरण का दृष्टिकोण अपनाए जाने के संकेत प्राप्त हुए।
- **भारत-अमेरिकी संबंधों में बढ़ती घनिष्ठता:** हाल के कुछ वर्षों में भारत-संयुक्त राज्य अमेरिका संबंधों में घनिष्ठता आई है। दूसरी ओर, चीन संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ व्यापार युद्ध (trade war) में संलग्न है तथा दक्षिण चीन सागर, हांगकांग और वर्तमान कोविड-19 के संदर्भ में अपनी भूमिका के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका के विरोध का सामना कर रहा है।

दोनों देशों के मध्य सीमा विवाद निपटान तंत्र (Border Dispute Settlement Mechanism)

भारत और चीन के मध्य LAC के संदर्भ में उत्पन्न होने वाले विवादों के निपटान हेतु निम्नलिखित पांच समझौतों की एक श्रृंखला पर हस्ताक्षर किए गए हैं:

- वर्ष 1993 में LAC पर **शांति एवं संयम बनाए रखने हेतु समझौता;**
- वर्ष 1996 में LAC पर **सैन्य क्षेत्र में विश्वास-बहाली उपायों पर समझौता;**
- वर्ष 2005 में LAC पर **सैन्य क्षेत्र में विश्वास-बहाली उपायों के कार्यान्वयन हेतु साधनों पर प्रोटोकॉल;**
- वर्ष 2012 में भारत-चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय हेतु एक **कार्यकारी तंत्र की स्थापना पर समझौता; तथा**
- वर्ष 2013 का **सीमा रक्षा सहयोग समझौता।**

ये समझौते सैन्य और राजनीतिक स्तरों पर राजनयिक संलग्नता हेतु कार्य प्रणाली उपलब्ध करवाते हैं तथा दोनों पक्षों को तनाव की स्थिति में "यथास्थिति" पर पुनः पहुंचने हेतु प्रतिबद्धताओं का एक समुच्चय प्रदान करते हैं।

एक पूर्ण-विकसित भारत-चीन युद्ध की संभावना क्यों नहीं है?

- **विवाद की प्रकृति और वैचारिक कट्टरता (ideological fundamentalism) का अभाव:** भारत और चीन द्वारा परस्पर एक-दूसरे के संदर्भ में वैचारिक दृष्टिकोण नहीं अपनाया जाता है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के एक-दूसरे के लिए अपनाए गए दृष्टिकोण के विपरीत है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के शासन को भारत के लोकतांत्रिक चरित्र का प्रतिपक्षी नहीं माना जाता है, तथा इसी प्रकार भारतीय शासन प्रणाली चीनी साम्यवादी शासन की विरोधी नहीं है। साथ ही, भारत की दीर्घकालिक रणनीति अपनी सामरिक स्वायत्तता को बनाए रखने से संबंधित है। दोनों देश **"विचारधारा के बजाए मुद्दों"** पर परस्पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
- **सैन्य और राजनीतिक स्तरों पर कूटनीतिक संबद्धता की इच्छाशक्ति:** विवाद के अधिक विस्तार की स्थिति में शिखर सम्मेलन कूटनीति का पुनर्प्रयोग करने की संभावना होती है, जैसा कि वर्ष 2015 में लद्दाख और वर्ष 2017 में डोकलाम विवाद के दौरान हुआ था। दोनों पक्षों ने **पहले से ही हस्ताक्षरित समझौतों** के आधार पर वर्तमान विवाद को कम करने के मंतव्य को दोहराया है।

VISION IAS

- **टकराव के विवरण में अस्पष्टता का तत्व:** दोनों सरकारों की राष्ट्रीय मीडिया को प्रबंधित करने और विवाद से संबंधित तथ्यों को गोपनीय बनाए रखने की क्षमता, घरेलू दर्शकों को प्रबंधित करने के प्रयासों में सहायक है। उदाहरण के लिए, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल के 15-20 कार्मियों को चीन द्वारा बंदी बनाए जाने की मीडिया रिपोर्टों को भारतीय पक्ष द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। इसका अर्थ यह था कि प्रतिशोध के लिए कोई घरेलू दबाव उत्पन्न नहीं हुआ और कोई गंभीर प्रतिष्ठित क्षति भी नहीं हुई।
- **दोनों पक्षों के लिए सीमित युद्ध की भौतिक लागत संभावित लाभ से कहीं अधिक है:**
    - **चीन के लिए,** भारत के साथ सीमा पर संघर्ष दक्षिण चीन सागर में सुरक्षा चुनौतियों से निपटने की उसकी क्षमता को कम कर देगा, जिससे यह संयुक्त राज्य अमेरिका (जिसे बीजिंग अपना प्राथमिक सुरक्षा प्रतिद्वंद्वी मानता है) के लिए सुभेद्य बन जाएगा। इसलिए, संभवतः बीजिंग दो-मोर्चों पर युद्ध का जोखिम उठाने का पक्षधर नहीं है। इसके अतिरिक्त, कोविड-19 के कारण हुई प्रतिष्ठा की क्षति और चीन के उत्थान के संदर्भ में पहले से मौजूद आशंकाओं के कारण बीजिंग द्वारा सैन्य बल का उपयोग उसके लिए क्षति में अधिक वृद्धि करेगा।
    - **भारत के लिए**, कश्मीर सीमा पर पाकिस्तान-समर्थित आतंकी घुसपैठ प्राथमिक सुरक्षा चुनौती बनी हुई है। इससे भी महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि यदि सामरिक स्थलों का सुरक्षा से भिन्न अवलोकन किया जाए तो LAC पर विवादित भूमि के विशाल खंडों में तेल अथवा बहुमूल्य खनिज भंडार जैसे किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण खनिज संसाधन निक्षेपित नहीं हैं। इसलिए प्रादेशिक आक्रामकता के लाभ, निवारक मूल्यों तक ही सीमित होते हैं और इस प्रकार के प्राकृतिक क्षेत्र आक्रामक बलों को अल्प लाभ प्रदान करते हैं।

निष्कर्ष

- LAC पर जारी वर्तमान विवाद विगत कुछ वर्षों में घटित प्रवृत्तियों की एक निरंतरता है। हालांकि, वर्तमान विवाद में **एक महत्वपूर्ण अंतर यह है कि** अतीत के असतत और भौगोलिक रूप से स्थानीयकृत टकरावों के विपरीत, नवीनतम टकराव LAC से संलग्न कई स्थानों पर उत्पन्न हुए हैं, जो चीनी सेना की पूर्व विचारित उच्च भागीदारी और उच्चतम नेतृत्व द्वारा इन सैन्य गतिविधियों को प्रदत्त स्वीकृति को प्रदर्शित करते हैं।
- भारत को किसी भी चीनी अतिक्रमण का विरोध करने के लिए अग्र-सक्रिय कदम उठाने होंगे और साथ ही उसे तनाव को कम करने हेतु अपने कूटनीतिक कौशल का उपयोग करना चाहिए। हाल ही में, भारत और चीन के मध्य एक उच्च स्तरीय सैन्य वार्ता संपन्न हुई है तथा दोनों देश, द्विपक्षियों संधियों और साथ ही साथ दोनों देशों के नेतृत्व के मध्य हुए समझौतों के अनुसार वर्तमान सीमा विवाद के शांतिपूर्ण समाधान पर सहमत हुए हैं।

2.2. भारत-ताइवान (India-Taiwan)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, दो भारतीय सांसदों ने प्रथम बार ताइवान के नव निर्वाचित राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में वर्चुअली (आभासी रूप में) भाग लिया।

भारत-ताइवान संबंध

- **पृष्ठभूमि:**
    - स्वतंत्रता के पश्चात, वर्ष 1950 में भारत द्वारा **पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (People's Republic of China: PRC)** को राजनीतिक मान्यता प्रदान करने के पश्चात् भारत और ताइवान के मध्य द्विपक्षीय संबंधों को समाप्त कर दिया गया था।
    - **इसके अतिरिक्त, शीत युद्ध के दौरान,** ताइवान के अमेरिकी गुट में और भारत के गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल होने के कारण नई दिल्ली व ताइवान के मध्य अनौपचारिक संबंध भी निम्न बने रहे।
    - **1990 के दशक** में इस स्थिति में परिवर्तन हुआ जब भारत सरकार द्वारा भारत के घरेलू आर्थिक संकट और विदेश नीति के समक्ष उत्पन्न चुनौतियों के कारण ताइवान के प्रति भारतीय विदेश नीति को पुन: निर्धारित किया गया।
    - **वर्ष 1995** में ताइपे (ताइवान की राजधानी) में **इंडिया ताइपे एसोसिएशन (India-Taipei Association: ITA)** की स्थापना के साथ भारत और ताइवान ने गैर-आधिकारिक संबंध स्थापित किए।
    - इसके अतिरिक्त, **वर्ष 1995** में **ताइपे इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर (Taipei Economic and Cultural Centre: TECC)** की स्थापना की गई, जो भारत में ताइवान सरकार का प्रतिनिधि कार्यालय भी है। यह अर्थव्यवस्था, व्यापार, निवेश, मीडिया, पर्यटन, संस्कृति आदि क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों का संवर्धन करने हेतु उत्तरदायी है।
    - हालांकि, भारत के ताइवान के साथ कोई **आधिकारिक राजनीतिक संबंध नहीं** हैं और न ही यह ताइवान को **स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता** प्रदान करता है।
- **सामरिक संभावनाएं:**
    - इस **क्षेत्र में चीन की हठधर्मिता (assertiveness) में हुई वृद्धि** भारत और ताइवान के सामरिक चिंतकों के मध्य अपने सुरक्षा हितों के लिए परस्पर सहयोग को बढ़ावा देने में सहायक सिद्ध हुई है।

- इसके माध्यम से, ताइवान **एक स्वतंत्र राज्य के रूप में** अपनी पहचान को अधिक सुदृढ़ कर सकता है। साथ ही, भारत भी **दक्षिण चीन सागर में नौवहन की स्वतंत्रता** सुनिश्चित कर सकता है और इस क्षेत्र में अपनी **तेल एवं गैस अन्वेषण गतिविधियों** का विस्तार कर सकता है।
- ताइवान स्वयं को **एशिया-प्रशांत क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण सदस्य** मानता है और इस **क्षेत्र की शांति, स्थिरता एवं समृद्धि** में योगदान करने हेतु अपने उत्तरदायित्व को स्वीकार करता है, जो क्षेत्र के लिए भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है।

- **आर्थिक संभावनाएं:**
  - वर्ष 2011 में दोनों देशों द्वारा **दोहरे कराधान परिवर्जन समझौते (Double Taxation Avoidance Agreement: DTAA)** और **सीमा शुल्क सहयोग समझौते (Customs Cooperation Agreement: CCA)** पर हस्ताक्षर किए गए।
  - वर्ष 1995 से वर्ष 2018 के मध्य, द्विपक्षीय व्यापार **934 मिलियन डॉलर से कई गुणा बढ़कर 7.5 बिलियन डॉलर** हो गया था (वर्ष 2019 में यह घटकर 5.8 बिलियन डॉलर हो गया था)। वर्ष 2020 तक इसे 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर करने का लक्ष्य है।
  - **ताइवान का विदेशी मुद्रा भंडार अत्यधिक विशाल** है और यह **हार्डवेयर विनिर्माण, निर्माण, खदान अन्वेषण, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं ऑटोमोबाइल्स आदि क्षेत्रों में** अपनी विशेषज्ञता के लिए विख्यात है।
    - इस प्रकार, यह सॉफ्टवेयर में भारत की विशेषज्ञता और हार्डवेयर में ताइवान की विशेषज्ञता के मध्य सहयोग के माध्यम से **मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया तथा स्किल इंडिया पहल की सफलता** में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकता है।
  - भारत में प्रचुर मात्रा में **प्राकृतिक बांस संसाधन उपलब्ध** हैं, जबकि ताइवान को विश्व स्तरीय **बांस चारकोल (काष्ठ कोयला) तकनीक** में विशेषज्ञता प्राप्त है। इससे भारत अपने बांस के संसाधनों का उपयोग कर उच्च मूल्य युक्त वस्तुओं का उत्पादन कर सकता है।
- **सांस्कृतिक कूटनीति और लोगों के मध्य पारस्परिक संबंध:**
  - विदेश नीति में **सॉफ्ट डिप्लोमेसी पर बल** देने के साथ, **धार्मिक पर्यटन** के क्षेत्र में व्यापक संभावनाएं विद्यमान हैं, क्योंकि ताइवान के **बहुसंख्यक लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं** और भारत इस धर्म का **उत्पत्ति स्थल** है।
  - भारत ने पर्यटन व अनौपचारिक व्यापार यात्राओं हेतु ताइवान से यात्रा करने वाले लोगों के लिए **ई-वीजा सुविधाओं** का विस्तार किया है, जबकि ताइवान अर्ह भारतीय आगंतुकों के लिए ऑनलाइन यात्रा अधिकार-पत्र और **30-दिवसीय वीज़ा मुक्त यात्रा** करने की अनुमति प्रदान करता है।
  - ताइवान में **मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों** की संख्या **160** है, जो प्रति वर्ष हजारों अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को अध्ययन हेतु प्रवेश देते हैं। ताइवान से प्राप्त डिग्री को विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त है।

चुनौतियां

- **चीन** ताइवान के साथ अन्य देशों के किसी भी **आधिकारिक संपर्क का विरोध** करता है तथा अतीत से ही भारत से **'वन-चाइना' नीति** का सख्ती से पालन करने की मांग भी करता रहा है। ताइवान के साथ निकट संबंध चीन के लिए चिंता का विषय बन सकते हैं, विशेषतः ऐसी स्थिति में जब द्विपक्षीय संबंध एक कठिन दौर से गुजर रहे हैं और सीमा पर सैन्य तनाव बढ़ रहा है।
- दोनों देशों के आर्थिक हितों के बावजूद, **आर्थिक विनिमय अभी भी न्यूनतम स्तर पर** है। दोनों देशों के लिए द्विपक्षीय व्यापार उनके कुल व्यापार का लगभग 1% है।
- ताइवानी उद्यमी भारत में पूँजी के निवेश हेतु **लंबी समीक्षा प्रक्रिया, विलंबकारी स्वीकृति प्रक्रिया** (जैसे- सिंगल विंडो क्लीयरेंस की अनुपलब्धता), **एकबारगी बैंकिंग स्वीकृति (one-time banking clearance)** का अभाव आदि की शिकायत करते हैं।

आगे की राह

- भारत द्वारा स्वीकृत **"वन-चाइना नीति"** के कारण इसके ताइवान के साथ **घनिष्ठ सुरक्षा और आर्थिक संबंधों** की स्थापना के मार्ग में बाधा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चीन पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (Pakistan-occupied Kashmir: PoK) में अपनी उपस्थिति से पाकिस्तान के साथ अपनी भागीदारी का विस्तार कर रहा है।
- भारत और ताइवान दोनों को **पारस्परिक उच्च-स्तरीय यात्राओं को सुविधाजनक बनाने के लिए एक तंत्र** स्थापित करना चाहिए, ताकि औपचारिक विशेषीकृत आर्थिक साझेदारी के माध्यम से **आर्थिक सहयोग को संस्थागत** बनाया जा सके।
- ताइवान का चीन के साथ भू-रणनीतिक, भाषाई और सांस्कृतिक निकट संबंध है। इसलिए **ताइवान के साथ घनिष्ठ संबंध चीन की रणनीतिक गहनता (strategic depth) को बेहतर रीति से समझने में सहायक सिद्ध** होंगे। इस प्रकार, क्षेत्रीय सुरक्षा रणनीति के एक भाग

के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका (USA), जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत के **त्रिकोणीय (triangular)** और **चतुष्पक्षीय (quadrilateral) गठबंधन** में ताइवान को शामिल करना अत्यधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है।

- इस प्रकार, भारत को **ताइवान के प्रति एक व्यावहारिक दृष्टिकोण** बनाए रखना चाहिए, जिससे भारत को चीन और ताइवान के मध्य संबंधों में संभावित अवनति से मुख्यभूमि चीन के साथ अपने संबंधों को स्वतंत्र रूप से संचालित करने के प्रयास में सहायता प्राप्त होगी।

ताइवान और "वन-चाइना नीति" से संबंधित तथ्य

- ताइवान को आधिकारिक तौर पर **रिपब्लिक ऑफ चाइना (ROC)** कहा जाता है। इसकी स्थापना वर्ष 1949 में हुई थी।
- वर्ष 1949 में **चीनी कम्युनिस्ट पार्टी** ने **राष्ट्रवादी शक्तियों (कुओमितांग पार्टी)** को पराजित किया और **पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (वर्तमान चीन)** की स्थापना की।
- वर्ष 1949 में **ताइवान के मुख्य भूमि चीन से अलग होने** और **ROC की स्थापना** के परिणामस्वरूप राष्ट्रवादी शक्तियां **ताइवान** पलायन कर गईं। दोनों पक्षों द्वारा संपूर्ण चीन का प्रतिनिधित्व करने का दावा किया गया।
- प्रारंभ में, USA सहित कई सरकारों ने **ताइवान को एक पृथक देश के रूप में मान्यता** प्रदान की थी। परंतु राजनयिक संबंधों में परिवर्तन के साथ ही USA ने वन चाइना नीति का समर्थन किया।
- **वन चाइना नीति के अनुसार,** चीन (PRC) के साथ **राजनयिक** संबंध स्थापित करने के इच्छुक किसी भी देश को केवल 'वन चाइना' अर्थात PRC को स्वीकार करना होगा और ताइवान के साथ सभी औपचारिक संबंधों को समाप्त करना होगा।
- ताइवान **संयुक्त राष्ट्र** और **विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)** का सदस्य नहीं है। परंतु, यह **चीनी ताइपे (Chinese Taipei) (ताइवान) नाम** से विश्व व्यापार संगठन (World trade organisation: WTO) का सदस्य है।
- संयुक्त राष्ट्र के **193 सदस्य देशों में से 179 सदस्य देशों** के ताइवान के साथ **रणनीतिक** संबंध नहीं हैं।

भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी (Act East Policy: AEP) और ताइवान की न्यू साउथबाउंड पॉलिसी (New Southbound Policy: NSP)

- ताइवान की निर्यातोन्मुखी अर्थव्यवस्था और निवेश के पारंपरिक लक्ष्यों में विविधता लाने में इसकी अभिरुचि इसे AEP के तहत भारत के लिए **एक स्वाभाविक सहयोगी** के रूप में स्थापित करती है।
- ताइवान ने वर्ष 1994 के **'गो साउथ पॉलिसी' (Go South Policy: GSP)** के तीसरे चरण को चिन्हित करने के लिए वर्ष 2016 में **न्यू साउथबाउंड पॉलिसी' (New Southbound Policy: NSP)** की शुरुआत की। इसका उद्देश्य दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया, ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड के साथ ताइवान के संबंधों को पुनर्जीवित करना व उनका विस्तार करना तथा चीन के साथ संबंधों में दूरी बनाए रखना है।
- भारत ताइवान की GSP के प्रथम दो चरणों के केंद्र में नहीं था, किंतु वर्तमान में **यह NSP का एक अभिन्न अंग** बन गया है।

हालिया घटनाक्रम

- **वर्ष 2017 में ताइवान के संसदीय प्रतिनिधिमंडल** ने भारत की यात्रा की थी, जिसकी चीन द्वारा आलोचना की गई। वर्ष 2016 में **इंडिया ताइवान पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप फोरम** को "मित्रता के औपचारिक मंच" के रूप में स्थापित किया गया था।
- हाल ही में, कोविड-19 **पर ताइवान-भारत वेबिनार** का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत कोविड-19 से निपटने में संलग्न भारतीय चिकित्सा कार्मिकों के साथ ताइवान ने अपनी सर्वोत्तम कार्यप्रणाली और ज्ञान को साझा किया।
- ताइवान द्वारा भारत को कोविड-19 के विरुद्ध संघर्ष में संलग्न अग्रपंक्ति के चिकित्सा कर्मियों (frontline medical personnel) की सुरक्षा में सहायता करने हेतु **एक मिलियन फेस मास्क** भी प्रदान किए गए हैं।

2.3. भारत-नेपाल क्षेत्रीय विवाद (Indo-Nepal Territorial Dispute)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **नेपाल द्वारा एक नव राजनीतिक मानचित्र जारी किया गया है,** जिसमें सामरिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों, जैसे- उत्तराखंड के कालापानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख को उसके संप्रभु क्षेत्र के अंतर्गत दर्शाया गया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- **यह मानचित्र** भारत द्वारा उत्तराखंड के धारचूला से लिपुलेख तक सड़क निर्माण पर नेपाल द्वारा आपत्ति प्रकट करने के पश्चात् **प्रतिकार के रूप में तैयार किया गया है।**

- यह सड़क **वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC)** के निकट है और लिपुलेख दर्रे से होकर कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए एक नया मार्ग प्रदान करती है।
- इससे **तीर्थयात्रियों को** सिक्किम और नेपाल के खतरनाक ऊंचाई वाले मार्गों का परिवर्जन करने में सहायता प्राप्त होगी।

- भारत द्वारा नेपाल की हालिया कार्रवाई को **'एकपक्षीय कार्यवाही'** के रूप में वर्णित किया गया है, जो ऐतिहासिक तथ्यों और साक्ष्यों पर आधारित नहीं है। साथ ही, भारत द्वारा यह भी दावा किया गया है कि ये क्षेत्र सदैव भारतीय राज्यक्षेत्र का हिस्सा रहे हैं।
- इसके अतिरिक्त, जम्मू और कश्मीर के पुनर्गठन के पश्चात्, भारत ने नवंबर 2019 में एक नया मानचित्र प्रकाशित किया था, जिसमें **कालापानी** क्षेत्र को भारतीय राज्यक्षेत्र के एक हिस्से के रूप में दर्शाया गया था।
- नया मानचित्र और इसके परिणामस्वरूप नेपाल की आपत्ति ने **दोनों देशों के मध्य अनसुलझे सीमा विवाद को प्रकट किया है।**

भारत-नेपाल क्षेत्रीय विवाद से संबंधित तथ्य

- भारत और नेपाल के मध्य सीमा विवाद **कालापानी, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा (तीनों उत्तराखंड में)** और **सुस्ता (बिहार)** क्षेत्रों के संदर्भ में विद्यमान हैं।
- **कालापानी क्षेत्र नेपाल और भारत के मध्य विवाद का सर्वप्रमुख विषय है।** उच्च हिमालय अंचल में इस क्षेत्र के अंतर्गत कम से कम 37,000 हेक्टेयर भू-भाग शामिल है।
  - यह उत्तराखंड के **पिथौरागढ़ जिले** के सुदूरतम पूर्वी छोर पर स्थित है।
  - **यह भारत, चीन और नेपाल के एक त्रिसंगम (tri-junction) पर स्थित है,** जो दक्षिण एशियाई कूटनीति में सामरिक महत्व का क्षेत्र है।

- बिहार में **सुस्ता** गंडक नदी के तट पर अवस्थित है। दोनों देशों के मध्य यह विवाद प्रायः गंडक नदी के परिवर्तित प्रवाह के कारण उत्पन्न हुआ है।
- **नेपाल वर्ष 1816 की सुगौली की संधि** (काठमांडू के गोरखा शासकों और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य हस्ताक्षरित) को सीमा परिसीमन पर एकमात्र प्रामाणिक दस्तावेज़ मानता है।
  - सुगौली की संधि के प्रावधानों के तहत, नेपाल द्वारा सिक्किम, कुमाऊँ, गढ़वाल और पश्चिमी तराई (समतल भूमि) क्षेत्र पर अपना अधिकार त्याग दिया गया था। **मेची नदी** को भारत के साथ **पूर्वी सीमा** के रूप में माना गया, जबकि **काली नदी** (नेपाल में महाकाली के नाम से जानी जाती है) को **उत्तर-पश्चिमी सीमा** के रूप में सीमांकित किया गया।
    - सुगौली की संधि में **गंडक को भारत और नेपाल के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा** के रूप में परिभाषित किया गया है।
  - नेपाल सीमा का प्रारंभ लिम्पियाधुरा के निकट काली नदी के उद्गम स्रोत से मानता है, जो नदी के शेष प्रवाह की तुलना में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। इस प्रकार, **लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और कालापानी तीनों क्षेत्रों को काली नदी के पूर्व में माना गया है।**
- दूसरी ओर **भारत** का मत है कि सीमा कालापानी से आरम्भ होती है। भारत के अनुसार यही नदी का उद्गम स्थल भी है।
  - काली नदी वसंत ऋतु में लिपुलेख दर्रे के निम्नवर्ती स्थल से उद्गमित होती है और सुगौली संधि इन धाराओं के उत्तरी क्षेत्रों का सीमांकन नहीं करती है।
  - उन्नीसवीं शताब्दी के प्रशासनिक और राजस्व रिकॉर्ड में उल्लिखित किया गया है कि कालापानी भारत के राज्यक्षेत्र में स्थित है और वर्तमान उत्तराखंड में पिथौरागढ़ जिले का भाग है।
  - **भारत द्वारा 1950 के दशक से ही इस क्षेत्र को नियंत्रित किया गया है** और इसके प्रशासन के संचालन तथा चीन से संलग्न सीमा तक सैन्य बलों को तैनात करने के अतिरिक्त पूर्व में भी यहां अन्य अवसंरचनाओं का निर्माण किया गया है।

- चीन द्वारा वर्ष 2015 में, लिपुलेख दर्रे के माध्यम से व्यापार का विस्तार करने की सहमति व्यक्त करके इस क्षेत्र पर भारत की संप्रभुता को मान्यता प्रदान की गई थी।

भारत नेपाल सीमा

- भारत और नेपाल लगभग 1,800 किलोमीटर लंबी खुली सीमा साझा करते हैं जो **भारतीय राज्यों यथा- पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार और सिक्किम से** संलग्न है।
- दोनों देशों द्वारा **वर्ष 1950 की शांति और मैत्री संधि** के पश्चात् एक बेहतर रूप से निर्धारित एवं औपचारिक रूप से स्वीकृत "खुली सीमा" को प्रोत्साहित किया गया।
    - एक "खुली सीमा" का तात्पर्य दोनों देशों के नागरिकों की स्वतंत्र और अप्रतिबंधित आवागमन से है।
    - खुली सीमा के कारण दोनों देशों के मध्य बेहतर सामाजिक और व्यापारिक संपर्क स्थापित हुआ, जिसे **'रोटी-बेटी का रिश्ता'** कहा जाता है।

सीमा विवाद निपटाने में समस्याएं:

- **चीन कारक:** नेपाल सरकार द्वारा जारी नवीनतम राजनीतिक मानचित्र को चीन के प्रभाव के रूप में संदर्भित किया जा रहा है, जिसका कारण दोनों देशों में साम्यवादी सरकारें तथा उनके मध्य उभरते घनिष्ठ संबंध हैं।
    - चीन द्वारा नेपाल को बंदरगाह की सुविधा प्रदान करने और ट्रांस हिमालयन रेलवे तक पहुंच प्रदान करने से भारत पर नेपाल की निर्भरता कम होगी तथा इससे इस विवाद के निपटान हेतु भारत को नेपाल से प्राप्त होने वाला लाभ भी अल्प हो जाएगा।
- **सीमा का निर्धारण:** विवाद मुख्य रूप से नदी की उत्पत्ति और पर्वतों से होकर गुजरने वाली उसकी विभिन्न सहायक नदियों के भिन्नतापूर्ण निर्धारण के कारण विद्यमान है।
- **बिग ब्रदर जैसा व्यवहार:** ऐसा आरोप लगाया जाता है कि नेपाल के प्रति भारत का रवैया बड़े भाई जैसा रहता है, जिससे वहां के नागरिकों के मध्य असुरक्षा की भावना उत्पन्न हुई है।
- **नेपाल की आंतरिक राजनीति के कारण भी विभिन्न समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, क्योंकि** राजनीतिक दलों द्वारा अपनी स्थिति को भारत-समर्थक से भारत-विरोधी में परिवर्तित किया गया है।

निष्कर्ष

दोनों पक्षों के मध्य परस्पर विश्वास के निर्माण हेतु कालापानी विवाद का शीघ्रता से और निष्ठापूर्वक समाधान किया जाना चाहिए। दोनों देशों द्वारा मानचित्रों का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करने और कूटनीतिक रूप से निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए एक **संयुक्त सीमा सीमांकन समिति** (Joint Boundary Demarcation Committee) की नियुक्ति की जानी चाहिए।

2.4. गिलगित-बाल्टिस्तान मुद्दा (Gilgit Baltistan Issue)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, गिलगित-बाल्टिस्तान क्षेत्र पर **पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विरूद्ध भारत ने सख्त विरोध दर्ज किया है।**

अन्य संबंधित तथ्य

- पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने **गिलगित-बाल्टिस्तान आदेश, 2018 में संशोधन करने हेतु संघीय सरकार की याचिका को स्वीकृति प्रदान कर दी है।**
- यह संघीय सरकार को गिलगित-बाल्टिस्तान क्षेत्र में **एक कार्यवाहक सरकार गठित करने** और **प्रांतीय विधानसभा चुनाव कराने** की अनुमति प्रदान करता है।
- भारत ने दावा किया है कि **गिलगित एवं बाल्टिस्तान के क्षेत्रों सहित संपूर्ण जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र, "भारत के अभिन्न अंग" हैं।**
- भारत के **वर्ष 1994 के संसदीय संकल्प द्वारा यह** पुनः अभिपुष्ट किया गया कि यह क्षेत्र "जम्मू और कश्मीर राज्य का एक हिस्सा है और वर्ष 1947 में भारत द्वारा इस राज्य के अधिग्रहण के आधार पर भारत का अभिन्न अंग है"।

गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र के बारे में

- यह क्षेत्र **जम्मू और कश्मीर की पूर्ववर्ती रियासत का एक हिस्सा था।**
- यह कबायली लड़ाकों और पाकिस्तान सेना द्वारा कश्मीर पर आक्रमण के पश्चात् **4 नवंबर, 1947** से पाकिस्तान के नियंत्रण में है।
- इसका नाम परिवर्तित कर **'पाकिस्तान का उत्तरी क्षेत्र'** कर दिया गया और वर्ष **1949 के कराची समझौते** के माध्यम से इस पर पाकिस्तान की संघीय सरकार का प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित हो गया।
- वर्ष 2009 में **गिलगित बाल्टिस्तान सशक्तीकरण और स्वशासन आदेश** के पश्चात्, 'उत्तरी क्षेत्रों' को **गिलगित-बाल्टिस्तान** के रूप में जाना जाने लगा। इसकी एक विधान सभा और एक परिषद भी है।

- वर्ष 2009 के आदेश को **गिलगित-बाल्टिस्तान आदेश, 2018** से प्रतिस्थापित कर दिया गया।
- **वर्ष 2018 के आदेश** का उद्देश्य **गिलगित बाल्टिस्तान** को पाकिस्तान के **पांचवें प्रांत** के रूप में शामिल करना और **गिलगित बाल्टिस्तान** को विधायी, न्यायिक तथा प्रशासनिक उपायों द्वारा पाकिस्तान के शेष संघीय ढांचे के साथ एकीकृत करना है।
  - बलूचिस्तान, खैबर-पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध पाकिस्तान के अन्य चार प्रांत हैं।
- हालांकि, वर्ष 2018 का आदेश **गिलगित बाल्टिस्तान** के लोगों को केवल सीमित मूल अधिकार प्रदान करता है और इसके द्वारा इस क्षेत्र को कोई संवैधानिक दर्जा भी प्रदत्त नहीं है।

गिलगित-बाल्टिस्तान क्षेत्र का महत्व

- **रणनीतिक अवस्थिति: गिलगित बाल्टिस्तान** भारतीय उपमहाद्वीप, मध्य एशिया और चीन के प्रतिच्छेदन बिंदु (intersection) पर स्थित है।
- **बृहत् क्षेत्र:** गिलगित बाल्टिस्तान का क्षेत्र पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से **पांच गुना से भी अधिक है।** इसमें नृजातीय-भौगोलिक रूप से दो भिन्न क्षेत्र शामिल हैं यथा: बाल्टिस्तान (जो लद्दाख का हिस्सा था) और गिलगित।
- **जल और ऊर्जा सुरक्षा:** गिलगित बाल्टिस्तान अपने जल और ऊर्जा संसाधनों के कारण भी महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान में प्रवेश करने से पूर्व, **सिंधु नदी गिलगित बाल्टिस्तान से ही होकर प्रवाहित होती है।**
  - **सियाचिन ग्लेशियर** जैसे सामरिक रूप से महत्वपूर्ण ग्लेशियर भी GB में ही स्थित हैं। सिंधु नदी की **जलविद्युत क्षमता** भी ऊर्जा सुरक्षा के लिए इसे महत्वपूर्ण सिद्ध करती है।
- **चीनी हस्तक्षेप: चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा** गिलगित बाल्टिस्तान से होकर गुजरता है, जो चीन द्वारा प्रायोजित बहुराष्ट्रीय परिवहन और बुनियादी अवसंरचना संबंधी गलियारा परियोजनाओं में शामिल होने के लिए भारत की अनिच्छा में वृद्धि करता है।

2.5. गुटनिरपेक्ष आंदोलन (Non-Aligned Movement: NAM)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारतीय प्रधानमंत्री ने कोविड-19 महामारी के दौरान एकजुटता में वृद्धि करने हेतु हाल ही में, आयोजित **गुटनिरपेक्ष आंदोलन संपर्क समूह 2020 (NAM Contact Group 2020) के ऑनलाइन शिखर सम्मेलन** में भाग लिया।

अन्य संबंधित तथ्य

- सम्मेलन की थीम **"कोविड-19 के विरुद्ध एकजुट"** ('United against COVID-19) थी। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य कोविड-19 महामारी के विरुद्ध संघर्ष में अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता को बढ़ावा देना था।
- **मेजबान- अज़रबैजान गणराज्य के राष्ट्रपति** (गुटनिरपेक्ष आंदोलन समूह के वर्तमान अध्यक्ष)।
- गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM) के नेताओं ने कोविड-19 के विरुद्ध संघर्ष में अपनी मूलभूत चिकित्सा, सामाजिक और मानवीय आवश्यकताओं को प्रदर्शित करने वाले एक 'कॉमन डेटाबेस' के माध्यम से सदस्य देशों की आवश्यकताओं की पहचान करने के लिए एक **'टास्क फोर्स'** के निर्माण की घोषणा की है।

गुटनिरपेक्ष आंदोलन से संबंधित तथ्य

- गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM) का गठन **शीत युद्ध के दौरान** औपचारिक रूप से स्वयं को संयुक्त राज्य अमेरिका गुट या सोवियत संघ (Soviet Union) गुट में सम्मिलित न करके स्वतंत्र या तटस्थ नीति का अनुसरण करने वाले देशों के एक संगठन के रूप में किया गया था।
- **उत्पत्ति: वर्ष 1955 में इंडोनेशिया के बांडुंग में आयोजित एशिया-अफ्रीका सम्मेलन से इसकी उत्पत्ति हुई।**
- **NAM का प्रथम सम्मेलन- भारत, यूगोस्लाविया, मिस्र, घाना और इंडोनेशिया** के नेतृत्व में, वर्ष 1961 में आयोजित **बेलग्रेड सम्मेलन।**
- वर्तमान में इसमें **120 सदस्य देश** शामिल हैं, जिनमें अफ्रीका के 53, एशिया के 39, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन के 26 एवं यूरोप (बेलारूस व अज़रबैजान) के 2 देश शामिल हैं।
  - इसके अतिरिक्त NAM में 17 देशों और 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को पर्यवेक्षक का दर्जा भी प्राप्त है।
- **NAM के मुख्य सिद्धांत:** गुटनिरपेक्षता की नीति **पंचशील के पांच सिद्धांतों** पर आधारित है। ये सिद्धांत हैं-
  - एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के प्रति **पारस्परिक सम्मान;**
  - एक-दूसरे के सैन्य और आंतरिक मामलों में **गैर-हस्तक्षेप;**
  - **पारस्परिक गैर-आक्रामकता;**
  - **समानता** और परस्पर लाभ तथा
  - **शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व** एवं आर्थिक सहयोग।

VISION IAS

भारत के लिए NAM की प्रासंगिकता

ज्ञातव्य है कि प्रधानमंत्री ने वर्ष 2016 में वेनेजुएला और वर्ष 2019 में अज़रबैजान में आयोजित विगत दो NAM शिखर सम्मेलनों में भाग नहीं लिया था। इस संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों का **NAM में संलग्नता को सुदृढ़ करने हेतु औचित्य के रूप में प्रेक्षण किया जा सकता है:**

- कोविड-19 के पश्चात विश्व में **एक नई वैश्विक व्यवस्था** के उभरने की संभावना है। वैश्विक मामलों में **एक स्वतंत्र ध्रुव (pole) बनने के इच्छुक देश के रूप में**, भारत NAM जैसे मंचों के साथ अपने हितों के पक्ष में अधिक संगठित समर्थन जुटा सकता है।
    - उदाहरणार्थ NAM के तहत सुदृढ़ समर्थन विश्व स्वास्थ्य सभा (World Health Assembly: WHA) में उत्पन्न विवादों (जैसे कोविड-19 संकट के दौरान WHO के प्रदर्शन की समीक्षा करने) के समाधान में सहायक हो सकता है।
- **NAM में नवीन अभिरूचि NAM को पश्चिमी विचारधारा के विरोध** के पुनरावर्तन के रूप में स्थापित नहीं करती है। यह इस शर्त पर आधारित है कि NAM भारत के अंतर्राष्ट्रीय हितों के अनुसरण में एक **महत्वपूर्ण कूटनीतिक मंच** बना हुआ है।
- वर्तमान में विश्व पूर्व से अधिक **अंतर्संबद्ध और परस्पर निर्भर** हो गया है। जलवायु परिवर्तन, पर्यावरणीय निम्नीकरण, आतंकवाद, कट्टरता, निर्धनता, सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थिति आदि जैसी वैश्विक चुनौतियों का सामना केवल एक साथ मिलकर किया जा सकता है, न कि विभाजित विश्व में। NAM उन चुनिंदा **भिन्न-भिन्न क्षेत्रीय चुनौतियों** की पहचान कर सकता है, जिन पर तत्काल ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।
- एक लोकतांत्रिक, प्रभावी, लोचशील, विश्वसनीय, पारदर्शी और प्रतिनिधिक (अर्थात् प्रतिनिधित्व पर आधारित) बहुपक्षीय संगठन जैसे कि NAM 21वीं सदी की विश्व व्यवस्था हेतु आवश्यक है।

प्रधानमंत्री द्वारा NAM के संबोधन के मुख्य अंश

- उन्होंने यह रेखांकित किया कि वैश्विक समुदाय **लोकतंत्र, अनुशासन और स्पष्टता (decisiveness)** के साथ कोविड-19 से संघर्ष हेतु एक विशुद्ध जनवादी आंदोलन के सृजन के लिए एक साथ आ सकते हैं।
- उन्होंने **अनुभवों, सर्वोत्तम प्रथाओं, संकट-प्रबंधन प्रोटोकॉल, अनुसंधान और संसाधनों को समूहबद्ध** करने हेतु सभी NAM देशों के लिए एक मंच विकसित करने का आह्वान किया।
- NAM को **विश्व की नैतिक आवाज के रूप में वर्णित** करते हुए, उन्होंने आंदोलन के संस्थापक सिद्धांतों के अनुरूप सभी NAM देशों से एक **समावेशी और सहकारी वैश्विक प्रतिक्रिया** का आह्वान किया।
- उन्होंने **आतंकवाद, फेक न्यूज़, विवादास्पद वीडियो** का समुदाय और देशों को विभाजित करने वाले **घातक विषाणु** के रूप में उल्लेख किया।
- **वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय प्रणालियों की सीमाओं की ओर संकेत करते हुए** उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की आवश्यकता पर बल दिया, जो अधिक प्रतिनिधि एवं समावेशी हैं।
- **उन्होंने मानव कल्याण** को बढ़ावा देने और मात्र **आर्थिक विकास** पर ही ध्यान केंद्रित न करने का सुझाव देते हुए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (International Solar Alliance: ISA) और आपदा प्रबंधन अवसंरचना पर अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन (Coalition for Disaster Resilient infrastructure: CDRI) जैसी **भारतीय पहलों को रेखांकित** किया।

2.6. विश्व स्वास्थ्य सभा (World Health Assembly: WHA)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, 73वीं विश्व स्वास्थ्य सभा (WHA) का आयोजन किया गया, जो कि आभासी (virtual) रूप में आयोजित प्रथम स्वास्थ्य सभा थी।

WHA के बारे में

- WHA विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organisation: WHO) का **निर्णय निर्माणकारी निकाय** है।
- इसमें सभी WHO सदस्य देशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं और यह **WHO कार्यकारी बोर्ड द्वारा निर्धारित एक विशिष्ट स्वास्थ्य एजेंडे पर केंद्रित** है।
- **WHA के मुख्य कार्य:**
    - WHO की नीतियों का निर्धारण,
    - महानिदेशक की नियुक्ति,
    - वित्तीय नीतियों की निगरानी और
    - प्रस्तावित कार्यक्रमों के बजट की समीक्षा एवं अनुमोदन।
- WHA का आयोजन **प्रतिवर्ष जिनेवा, स्विट्जरलैंड में किया जाता** है।

संबंधित तथ्य: WHO का कार्यकारी बोर्ड

- भारतीय स्वास्थ्य मंत्री ने **WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष** के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है।
- कार्यकारी बोर्ड स्वास्थ्य क्षेत्र के **34 तकनीकी रूप से अर्ह सदस्यों से मिलकर** गठित हुआ है, जो तीन वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं। इनकी वर्ष में कम से कम दो बार बैठक होती है।
- बोर्ड का **प्राथमिक कार्य WHA के निर्णयों को लागू करना**, परामर्श प्रदान करना और इसके कार्य को सुविधाजनक बनाना है।
- अध्यक्ष पद 6 क्षेत्रीय समूहों (अफ्रीका, अमेरिका, दक्षिण पूर्व एशिया, यूरोप, पूर्वी भूमध्य और पश्चिमी प्रशांत) के मध्य **एक वर्ष के कार्यकाल हेतु चक्रीय क्रम में** व्यवस्थित होता है।

WHA के प्रमुख परिणाम

- WHA द्वारा कोरोनावायरस के **"ज़ूनोटिक (पशुजन्य)" स्रोत की पहचान** के साथ-साथ इस **महामारी पर WHO की प्रतिक्रिया के निष्पक्ष, स्वतंत्र और व्यापक मूल्यांकन** हेतु एक संकल्प को अपनाया गया।
    - इसमें विशेष रूप से **WHO की कार्रवाइयों और कोविड-19 महामारी से संबंधित उनकी समयसीमाओं का मूल्यांकन** करने का उल्लेख किया गया।
- **कोविड-19** पर प्रतिक्रिया के क्रम में सभी गुणवत्तापूर्ण, सुरक्षित, प्रभावोत्पादक और वहनीय आवश्यक स्वास्थ्य तकनीकों एवं उत्पादों के **सार्वभौमिक, समयबद्ध व समान पहुंच तथा उचित वितरण** का आह्वान किया गया।
- **बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार-संबंधित पहलुओं (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights: TRIPS/ट्रिप्स समझौते)** और **ट्रिप्स समझौते व सार्वजनिक स्वास्थ्य पर दोहा घोषणापत्र से संबद्ध** नम्यताओं पर समझौते से संबंधित **अनुचित बाधाओं की समाप्ति का आह्वान किया गया।**

ट्रिप्स समझौता और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर दोहा घोषणापत्र

- इसे विश्व व्यापार संगठन (World Trade Organization:WTO) के सदस्यों द्वारा वर्ष 2001 में अपनाया गया था, ताकि **सार्वजनिक स्वास्थ्य के सिद्धांतों और TRIPS की शर्तों** को लागू करने के लिए सरकारों की आवश्यकता के मध्य मौजूद अस्पष्टताओं का निवारण किया जा सके।
- यह घोषणापत्र इस तथ्य की पुष्टि करता है कि **ट्रिप्स समझौता सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए सदस्यों को उपाय करने से नहीं रोकता** है और न ही उसे ऐसा करना चाहिए।

वन-हेल्थ दृष्टिकोण

- WHA ने वन-हेल्थ दृष्टिकोण के एक भाग के रूप में **कोरोनावायरस के ज़ूनोटिक स्रोत की पहचान** करने के लिए आग्रह किया है।
- ज़ूनोटिक रोग (जिसे ज़ूनोसिस भी कहा जाता है) **जानवरों और लोगों के मध्य प्रसारित होने वाले कीटाणुओं के कारण** होते हैं।
- वन-हेल्थ स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर कार्य करने वाला एक **सहयोगी, एवं बहुक्षेत्रीय तथा ट्रांसडिस्प्लीनरी दृष्टिकोण** है।

इसका उद्देश्य लोगों, पशुओं, पौधों और उनके साझा वातावरण के मध्य अंतरसंबंधों की पहचान करते हुए इष्टतम स्वास्थ्य परिणाम प्राप्त करना है।

2.7. हांगकांग में नया सुरक्षा कानून (New Security Law in Hong Kong)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में चीन की नेशनल पीपुल्स कांग्रेस (NPC) ने हांगकांग राष्ट्रीय सुरक्षा क़ानून को स्वीकृति प्रदान की है।

अन्य संबंधित तथ्य

- यह कानून हांगकांग में **अलगाव (Secession), सत्ताच्युति (subversion), आतंकवाद और विदेशी हस्तक्षेप** को गैर-कानूनी घोषित करता है।
- इसमें यह भी उपबंध किया गया है कि इस कानून के अनुसार राष्ट्रीय सुरक्षा रक्षोपायों हेतु इस शहर की कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ-साथ **हांगकांग में चीन की अपनी कानून प्रवर्तन एजेंसियां भी हो सकती हैं।**
- यह चिंता प्रकट की गई है कि इसके द्वारा **हांगकांग वासियों पर** उनके या मुख्य भूमि के नेतृत्व की आलोचना करने, विरोध प्रदर्शन में शामिल होने या स्थानीय क़ानूनों के तहत अपने वर्तमान अधिकारों का प्रयोग करने के लिए **अभियोग चलाने का मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है।**
- इसके अतिरिक्त, इससे **"एक देश, दो प्रणाली"** के कमजोर होने की आशंका है, जिसके तहत चीन हांगकांग की व्यापक स्वतंत्रता, स्वायत्तता और इसकी स्वतंत्र कानूनी प्रणाली की रक्षा करने के लिए सहमत हुआ था।

पूर्ववर्ती विरोध

- हांगकांग के मूल कानून के अनुच्छेद 23 में उपबंध किया गया है कि **देशद्रोह, पार्थक्य, राजद्रोह, सत्ताच्युति और राज्य की गोपनीय सूचना की चोरी के विरुद्ध हांगकांग को अपने स्वयं के कानून निर्मित करने चाहिए।**
  - हांगकांग सरकार ने **वर्ष 2003 में इस प्रकार के स्थानीय कानून का प्रस्ताव** प्रस्तुत किया था, परंतु कानून के रूप में पारित होने से पूर्व इसे व्यापक विरोध का सामना करना पड़ा।
- **वर्ष 2019 में प्रत्यर्पण विधेयक प्रस्तुत किया गया,** जिसने हांगकांग की सरकार को **आपराधिक संदिग्धों** को मुख्य भूमि चीन को प्रत्यर्पित करने की अनुमति प्रदान की थी। इस विधेयक के कारण हांगकांग में विरोध प्रदर्शन हुए जो बाद में अति हिंसक हो गए और यह विरोध एक व्यापक चीन-विरोधी एवं लोकतंत्र-समर्थक आंदोलन के रूप में विकसित हो गया। बाद में इस विधेयक को समाप्त कर दिया गया।

एक देश दो प्रणाली (One Country Two Systems: OCTS)

- एक देश दो प्रणाली नीति को मूल रूप से **चीन और ताइवान को एकजुट करने हेतु प्रस्तावित किया गया था,** जिसे ताइवान ने अस्वीकार कर दिया था।
- यह विचार पुनः प्रकट हुआ जब चीन ने ब्रिटेन और पुर्तगाल के साथ वार्ता प्रारंभ की, जिनका क्रमशः हांगकांग और मकाऊ पर औपनिवेशिक शासन था।
- OCTS मॉडल के तहत, चीन ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि, हांगकांग और मकाऊ में मुख्य भूमि चीन से **पृथक आर्थिक तथा राजनीतिक प्रणालियां हो सकती है,** जबकि वे चीन का हिस्सा ही रहेंगे।
- इसी प्रकार, **वर्ष 1997 में हांगकांग चीन के पुन: नियंत्राधीन आ गया** और वर्ष 1999 में मकाऊ की संप्रभुता हस्तांतरित की गयी।
- दोनों क्षेत्र **अपनी-अपनी मुद्राओं, आर्थिक और कानूनी प्रणालियों** के साथ चीन के **विशेष प्रशासनिक क्षेत्र (Special Administrative Regions: SAR)** घोषित किए गए, परन्तु रक्षा एवं विदेशी मामलों का निर्णय चीन द्वारा ही किया जाना था।
- साथ ही, हांगकांग के लोगों को **सभा करने और भाषण की स्वतंत्रता तथा कुछ लोकतांत्रिक अधिकार प्राप्त हैं,** जो मुख्य भूमि चीन में प्रदत्त नहीं हैं।
  - ये स्वतंत्रताएं **मूल क़ानून (Basic Law)** द्वारा संरक्षित हैं (एक उप-संविधान जो हांगकांग और चीन के मध्य संबंधों को निर्देशित करता है)।
- **मूल कानून 50 वर्षों के लिए वैध है यथा** हांगकांग के लिए वर्ष 2047 तक और मकाऊ के लिए वर्ष 2049 तक। परंतु यह स्पष्ट नहीं है कि इस अवधि के पश्चात क्या होगा।
- **मूल कानून में** हांगकांग की विधायिका (LegCo) में दो-तिहाई बहुमत के साथ **संशोधन** किया जा सकता है।

VISION IAS

2.8. ओपन स्काई संधि (Open Skies Treaty: OST)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, संयुक्त राज्य अमेरिका ने घोषणा की है कि वह **ओपन स्काई संधि** से पृथक हो जाएगा, क्योंकि रूस ने "निरंतर और प्रत्यक्षत:" इस संधि का उल्लंघन किया है।

ओपन स्काई संधि (OST) के बारे में

- OST एक समझौता है, जो प्रत्येक पक्षकार देश को सैन्य बलों और गतिविधियों पर डेटा एकत्र करने हेतु अन्य देशों के क्षेत्रों पर **अल्प सूचना (शॉर्ट-नोटिस) पर निःशस्त्र व आवीक्षण उड़ानों का संचालन करने की अनुमति प्रदान करता है।**
- इसका उद्देश्य पक्षकार देशों की ओवरफ्लाईट्स (विदेशी क्षेत्र पर उड़ान) में भागीदारी के माध्यम से उनके मध्य **विश्वास और मित्रता का निर्माण करना है।**
- वर्ष 1992 में OST पर हस्ताक्षर किए गए और यह वर्ष 2002 में लागू हुई।
- वर्तमान में **34 राष्ट्र इस संधि के पक्षकार हैं** जबकि 35वें, सदस्य देश किर्गिस्तान ने हस्ताक्षर तो किया है, परन्तु अभी तक इसकी अभिपुष्टि नहीं की है। अधिकांश सदस्यों में संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और तुर्की जैसे **उत्तरी अमेरिकी एवं यूरोपीय राष्ट्र** शामिल हैं।
    - भारत व चीन इस संधि के सदस्य नहीं हैं।
- हालांकि पक्षकारों को किसी सदस्य के सभी क्षेत्रों में ओवरफ्लाई की अनुमति प्रदान की जाती है, परन्तु यह संधि **प्रवेश और निकास तथा ईंधन भरने वाले हवाई क्षेत्र के विशिष्ट क्षेत्रों को निर्धारित करती है।**
- **ओपन स्काइज कंसल्टेटिव कमीशन (OSCC),** जिसमें सभी पक्षकारों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, OST के कार्यान्वयन हेतु उत्तरदायी है।

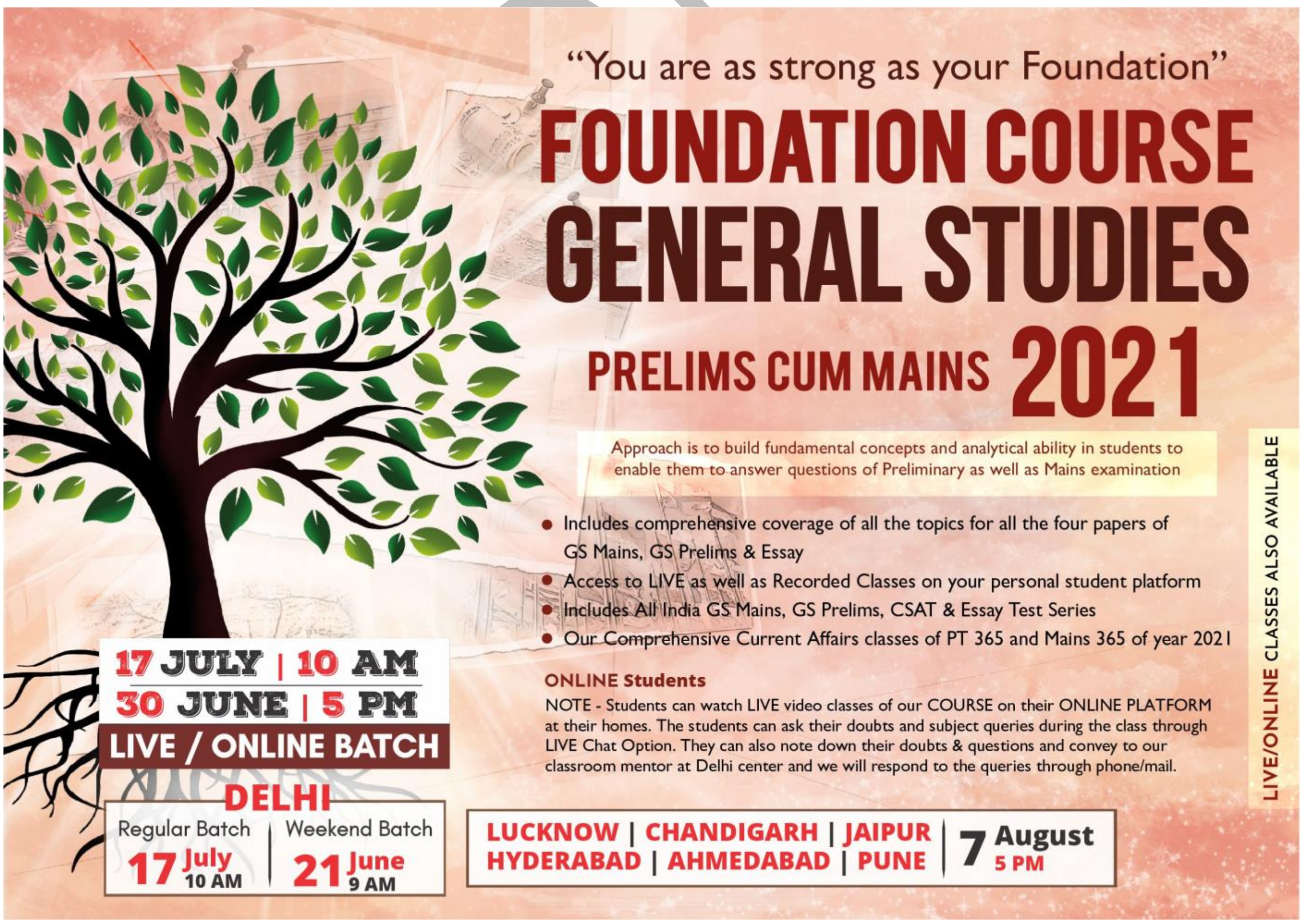

3. अर्थव्यवस्था (Economy)

3.1. आत्मनिर्भर भारत: क्या, क्यों और कैसे? (Atmanirbhar Bharat: What, Why And How?)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, प्रधानमंत्री ने 20 लाख करोड़ रुपये के **प्रोत्साहन पैकेज** के साथ बड़े पैमाने पर संरचनात्मक सुधारों (structural reforms) को रेखांकित किया है।

'आत्मनिर्भर भारत अभियान' क्या है?

- प्रधान मंत्री ने अपने संबोधन में कहा है कि भारत की आत्मनिर्भरता **स्वकेंद्रित व्यवस्था का समर्थन नहीं करती है**। बल्कि यह वैश्विक संपन्नता, सहयोग और शांति में अंतर्निहित है।
    - यह **'माताभूमिः पुत्रोअहम्पृथिव्यः'** के विचार पर आधारित है अर्थात् **एक ऐसी संस्कृति जो संपूर्ण पृथ्वी को अपनी मातृभूमि के रूप में स्वीकार करती है।**
- यह स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया गया है कि आत्मनिर्भरता के इस विचार का **अर्थ आयात प्रतिस्थापन अथवा अलगाववाद (isolationism) के युग की ओर लौटना नहीं है।**
- आत्मनिर्भर भारत की प्रस्तावित अवधारणा के लिए निम्नलिखित घटक महत्वपूर्ण हैं:
    - **कोविड-19 के उपरांत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में सक्रिय भागीदारी को बनाए रखना:** वर्तमान संदर्भ में आत्मनिर्भरता से आशय अपनी दक्षता में सुधार करने, वैश्विक प्रतिस्पर्धा का अनुपालन करने और साथ ही, वैश्विक जगत को सहयोग प्रदान करने से है।
    - **लोचशीलता (Resilience):** इस लोचशीलता से आशय आंतरिक बल/एकजुटता, व्यक्तिगत ज़िम्मेदारी और राष्ट्रीय मिशन की भावना (या स्वामी विवेकानंद द्वारा वर्णित "मानव-निर्माण") के निष्पादन से है। इस लोचशीलता को विकसित करने के लिए घरेलू उद्यमों को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान किए जाने की आवश्यकता है।
        - उदाहरण के तौर पर, विदेशी अभिकर्ताओं के लिए 200 करोड़ रुपये तक की वैश्विक निविदाओं (tenders) को निरस्त करने संबंधी उठाए गए कदम का उद्देश्य MSMEs (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम) को संरक्षित कर, तंत्र की लोचशीलता को बढ़ाना है।
    - **विकेंद्रीकृत स्थानीयता:** इससे आशय एक ऐसी प्रणाली के निर्माण से है जो स्थानीय ब्रांडों पर गर्व महसूस करती हो और स्थानीय क्षमता-निर्माण एवं स्वदेशीकरण को प्रोत्साहित करती हो।
        - उदाहरण के लिए, ECA-APMC (आवश्यक वस्तु अधिनियम - कृषि उपज विपणन समिति) प्रणाली को समाप्त किए जाने से किसान स्थानीय स्तर पर निर्णय-निर्माण में सक्षम हो सकेंगे, क्योंकि अब वे एक राष्ट्रीय साझा बाजार से जुड़ सकते हैं।
    - **सामाजिक न्यास प्रणाली:** एक ऐसी प्रणाली जिसमें आर्थिक संस्थाओं से आत्मनिर्भर होने की अपेक्षा की जाती है, जिसके लिए सामाजिक न्यास की एक सामान्यीकृत प्रणाली और अनुबंधों को लागू करने की क्षमता की आवश्यकता होती है, तथा जिसके परिणामस्वरूप कानूनी प्रणाली के सुधार की आवश्यकता होती है।

आत्मनिर्भर भारत बनाम आयात प्रतिस्थापन

- आयात प्रतिस्थापन के तहत **बड़े पैमाने पर उच्च आयात शुल्क लगाया जाता है** और विदेशी व्यापार को हतोत्साहित किया जाता है, जबकि **आत्मनिर्भर भारत,** सुधारों और देश में स्थित विदेशी फर्मों सहित **व्यापार करने की सुविधाओं को बेहतर बनाने पर केंद्रित है।**
- आयात प्रतिस्थापन मॉडल, **एक केंद्रीकृत, टॉप-डाउन मॉडल** का समर्थन करता है, जबकि आत्मनिर्भर भारत **भारतीय उद्यमिता और नवाचार** को नौकरशाही अवरोधों से **मुक्त करने पर** बल देता है।

'आत्मनिर्भर' बनना महत्वपूर्ण क्यों है?

- **तीव्र आर्थिक रिकवरी (Faster Economic Recovery):** कोविड-19 के प्रभावों और अपनी आर्थिक गिरावट से उभरने में भारत की समर्थता **घरेलू उद्योगों की लोचशीलता** पर निर्भर करती है।
    - इस संदर्भ में, इस मिशन का उद्देश्य, सुधार एवं सरकारी हस्तक्षेपों के माध्यम से प्रतिस्पर्धी बनाते हुए भारतीय उद्योगों को बढ़ावा देना है।
- **कमजोर आपूर्ति श्रृंखला:** विश्व भर के देश अब घरेलू क्षमताओं को बढ़ाने की ओर ध्यान दे रहे हैं ताकि **आपूर्ति श्रृंखला के कारण होने वाली भावी क्षतियों को बेहतर तरीके से प्रबंधित किया** जा सके।

VISION IAS

- **विकासात्मक अंतरालों का उद्भव:** दीर्घकालिक रूप में बाह्य क्षेत्रक पर निर्भरता अर्थव्यवस्था में एक विकासात्मक अंतराल उत्पन्न करता है। उदाहरण के तौर पर, तकनीकी सहायता के लिए आयातों पर बनी निर्भरता ने स्वदेशी नवाचार और अनुसंधान एवं विकास (R&D) के दर को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है।
- **स्वास्थ्य एवं आर्थिक सुरक्षा:** कोविड-19 के परिणाम यह दर्शाते हैं कि कैसे निर्भरता (कच्चे माल, श्रम इत्यादि के संदर्भ में), चाहे यह किसी भी रूप में हो, सुरक्षा संकट में परिवर्तित हो सकती है।
    - उदाहरण के लिए, संकटकाल के प्रारंभिक चरण के दौरान व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों (Personal Protective Equipment: PPE) की पर्याप्त उत्पादन क्षमता के अभाव के कारण भारत के समक्ष संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई थी।
- **भू-राजनीतिक महत्व:** संसाधनों के लिए अन्य देशों पर अत्यधिक निर्भरता, उस विशिष्ट क्षेत्र में स्थित देश की भू-राजनीतिक प्रतिष्ठा पर प्रभाव डालती है। जैसे कि, **सक्रिय औषधि सामग्री (Active Pharmaceutical Ingredients: APIs) के आयात के लिए भारत की चीन** पर अधिक निर्भरता।

हम 'आत्मनिर्भर' कैसे बनें? मिशन में घोषित की गई रणनीति

प्रधान मंत्री ने 20 लाख करोड़ रुपये के जिस प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है उससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रकों की समस्या को एक साथ दूर किया जा सके। इसके तहत **4L, यथा- भूमि (Land), श्रम (Labour), तरलता (Liquidity)** एवं **कानून (Laws)** को इस पैकेज में महत्व दिया गया है।

- आत्मनिर्भर भारत का विचार निम्नलिखित **5 स्तंभों** पर आधारित है:
    - प्रथम स्तंभ है- **अर्थव्यवस्था**, जिसमें वृद्धिशील परिवर्तन (incremental change) के स्थान पर क्वांटम जंप (बड़े संरचनात्मक परिवर्तन) पर बल दिया गया है।
    - दूसरा स्तंभ है - **अवसंरचना**।
    - तीसरा स्तंभ है - **हमारी प्रणाली**। प्रौद्योगिकी एवं समकालीन नीतियों को इस प्रणाली के एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में विशेष रूप से संदर्भित किया गया है।
    - चौथा स्तंभ है - **हमारी जनसांख्यिकी**।
    - पांचवां स्तंभ है - **हमारी माँग**।
- इस पैकेज के विभिन्न भागों द्वारा अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों को संबोधित करने का प्रयास किया गया है, जैसे कि:
    - भाग 1: MSMEs सहित व्यवसाय।
    - भाग 2: प्रवासियों व किसानों सहित निर्धन-वर्ग।
    - भाग 3: कृषि क्षेत्र।
    - भाग 4: विकास के नवीन आयाम।
    - भाग 5: सरकारी सुधार व समर्थक।
- इस पैकेज में स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देने के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया है। इस संदर्भ में, नागरिकों से अपने **स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता प्रदान करने** और इन **स्थानीय उत्पादों को वैश्विक बनाने में** सहयोग करने के लिए आग्रह किया गया है।

आगे की राह

आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए, उपर्युक्त उपायों के साथ-साथ कई व्यापक तथा दीर्घकालिक उपायों का भी संयोजन करना होगा, जैसे- निष्पादन के आधार पर आर्थिक सहायता प्रदान करना तथा सार्वजनिक विनियमन को सुदृढ़ बनाना। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि पैकेज में घोषित संरचनात्मक सुधारों को स्थापित/लागू करने के लिए **शिक्षा व कौशल विकास में किए जाने वाले निवेश में वृद्धि अनिवार्य** है।

इस पैकेज की आलोचना क्यों की जा रही है?

- पैकेज के संबंध में एक महत्वपूर्ण आलोचना यह की जा रही है कि सरकार द्वारा अपने कुल व्यय में अधिक वृद्धि नहीं की गई है। (पैकेज के कारण सरकारी व्यय में **कुल वृद्धि GDP के 1% के बराबर** है।)
- **तत्काल समर्थन का अभाव:** कई विशेषज्ञों और टिप्पणीकारों का मानना है कि इस आर्थिक पैकेज के कारण मौजूदा संकट से निपटने में तत्काल राहत नहीं मिलेगी।
- **कृषि क्षेत्र के कुछ संरचनात्मक सुधारों का अपवर्जन:** किसानों को वर्तमान संकट से सुरक्षा प्रदान करने के लिए कई संरचनात्मक सुधारों को अपनाए जाने की आवश्यकता है, जैसे- शीघ्र ख़राब होने वाले उत्पादों की विकेन्द्रीकृत खरीद, ग्रामीण रोजगार योजना का विस्तार तथा बीज, चारा, फिंगर्लिंग (fingerlings) व चूजे प्रदान करके किसानों की परिसंपत्ति आधार को सुरक्षित करने का प्रयास करना इत्यादि।

नोट: आत्मनिर्भर भारत अभियान के बारे में विस्तृत विवरण के लिए इस समसामयिकी के अंत में दिए गए परिशिष्ट को देखें।

VISION IAS

3.2. सरकारी ऋण पर स्थिति-पत्र (Status Paper on Government Debt)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्र सरकार द्वारा **सरकारी ऋण पर स्थिति-पत्र का नौवां संस्करण जारी किया गया है**, जो भारत सरकार की समग्र ऋण स्थिति का विस्तृत विश्लेषण प्रदान करता है।

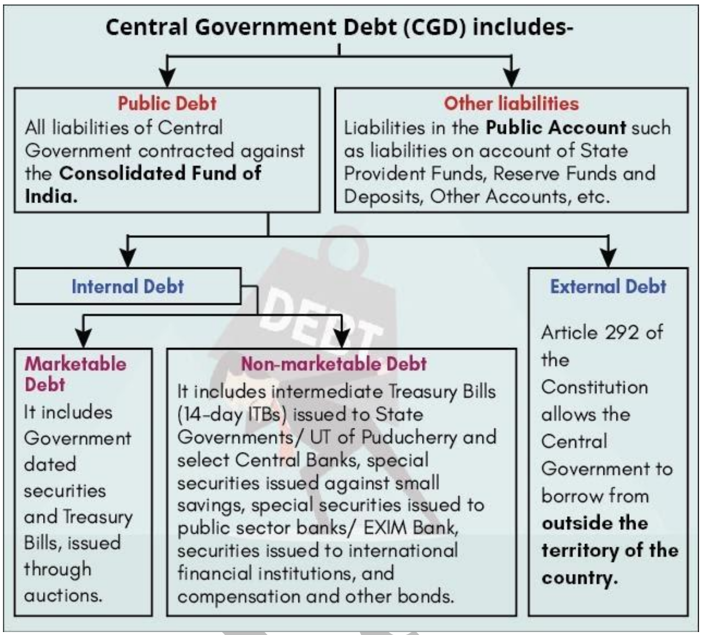

अन्य संबंधित तथ्य

- यह **स्थिति-पत्र या स्टेटस पेपर ऋण स्थिरता के पारंपरिक संकेतकों** का विश्लेषण करता है, जैसे- ऋण/GDP अनुपात, राजस्व प्राप्तियों से किया गया ब्याज भुगतान, कुल ऋण में शामिल अल्पकालिक ऋण / बाह्य ऋण / फ्लोटिंग रेट बॉण्ड्स (FRBs) आदि।
- इस पत्र में वर्ष 2019-20 से 2021-22 तक के वित्तीय वर्षों के लिए **केंद्र सरकार की ऋण प्रबंधन रणनीति (Debt Management Strategy: DMS) को शामिल किया गया है** जो सरकार की ऋण प्राप्ति से संबंधित योजनाओं के मार्गदर्शन में मदद करती है।
- DMS का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकार की वित्तपोषण आवश्यकताओं और भुगतान दायित्वों को वहनीय जोखिम स्तर के अनुरूप, न्यूनतम संभव लागत पर पूरा किया जा सके।

सरकारी ऋण के नवीनतम रुझान

मानदंड	2017-18 (GDP के प्रतिशत के रूप में)	2018-19 (GDP के प्रतिशत के रूप में)	टिप्पणी
सार्वजनिक ऋण	41%	40.0%	कमी
आंतरिक ऋण	37.4%	37.3%	कमी
विपणनयोग्य ऋण (Marketable debt)	32.8%	31.5%	कमी
गैर-विपणनयोग्य ऋण	5.3%	5.8%	वृद्धि
बाह्य ऋण (External debt)	2.8%	2.7%	कमी
अन्य देयताएं (Other Liabilities)	5.3%	5.2%	कमी
भारत सरकार की देयताएं	45.8%	45.7%	कमी
सामान्य सरकारी ऋण (General Government Debt: GGD)	68.7%	68.6%	**कमी-** इसके अंतर्गत केंद्र सरकार और राज्य सरकार के समेकित ऋण सम्मिलित होते हैं।

सरकारी ऋण प्रबंधन का महत्व

- **निवेशकों के विश्वास पर प्रभाव:** उच्च ऋण भार के कारण, चूक होने का जोख़िम बढ़ जाता है जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा प्रदान की गई उत्तम क्रेडिट रेटिंग के दर्ज़े को कम करता है। यह निवेशकों के विश्वास को प्रभावित करता है, भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश/विदेशी संस्थागत निवेश में कमी करता है और भावी ऋणों को महंगा (अत्यधिक ब्याज दर पर) बना देता है।
- **सरकार की राजकोषीय क्षमताओं पर प्रभाव:** जैसे-जैसे ऋण बढ़ता है, सरकार द्वारा बॉण्ड धारकों को अधिक ब्याज दर का भुगतान करना पड़ता है। जिसके फलस्वरूप कर राजस्व का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऋणों के ब्याज का भुगतान करने पर व्यय हो जाता है।
- **क्राउडिंग आउट प्रभाव:** जैसे-जैसे अधिक से अधिक धन बाज़ार में निवेश करने के स्थान पर सरकार को ऋण के रूप में दिया जाने लगता है, वैसे-वैसे कॉर्पोरेट क्षेत्र में क्राउडिंग आउट (धन की उपलब्धता में कमी) के कारण औद्योगिक व पूंजीगत संपत्ति की वृद्धि में कमी आती है और रोजगार हानि की संभावना बढ़ने लगती है।

VISION IAS

- **वाणिज्यिक बैंकों का राजकोषीय दबाव:** जब सरकार अधिक ऋण प्राप्त करती है, तो यह सार्वजनिक क्षेत्रक के बैंकों को बाध्य करती है कि वे सरकारी प्रतिभूतियों (G-Secs) का अधिक से अधिक क्रय करें जो निजी क्षेत्रक के लिए पूंजी की उपलब्धता को कम करता है और बैंकों की लाभप्रदता की स्थिति पर भी प्रभाव डालता है।
- **मुद्रास्फीति का दबाव:** उच्च ऋण सरकार को अधिक मुद्रा का मुद्रण करने के लिए विवश कर सकता है जिसके फलस्वरूप मुद्रास्फीति में वृद्धि और वास्तविक ब्याज दरों में कमी हो सकती है।
- **विनिमय दर संबंधी जोखिम:** विदेशी प्रतिभूतियों के सापेक्ष घरेलू प्रतिभूतियों की मांग में कमी (निम्न क्रेडिट रेटिंग के कारण) होने से विनिमय दर में कमी हो सकती है और यह स्थिति घरेलू मुद्रा को कमजोर बना सकती है।
- **भविष्य में उच्च कर की संभावना:** यदि GDP की तुलना में ऋण तेजी से बढ़ते हैं, तो सरकार को भविष्य में ऋण के स्तर को कम करने के लिए करों में वृद्धि और/या व्यय को सीमित करने की आवश्यकता होगी।
- **अस्थिर अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजारों के लिए सुभेद्यता:** बाह्य ऋणों की अत्यधिक मात्रा, अर्थव्यवस्था के लिए पूंजी पलायन का जोख़िम उत्पन्न कर सकता है।

संधारणीय ऋण प्रबंधन के प्रति केंद्र सरकार का दृष्टिकोण

- **ऋण प्रबंधन के लिए समर्पित एजेंसी:** संस्थागत रूप से, सरकार ने एक वैधानिक **सार्वजनिक ऋण प्रबंधन एजेंसी (Public Debt Management Agency: PDMA)** की स्थापना करने का निर्णय लिया है ताकि भारत के बाह्य व घरेलू, दोनों ऋणों को एक ही एजेंसी के अंतर्गत लाया जा सके।
  - इस दिशा में उठाया गया पहला कदम था, वर्ष 2016 में वित्त मंत्रालय के बजट प्रभाग के भीतर एक सलाहकार निकाय के रूप में एक **सार्वजनिक ऋण प्रबंधन प्रकोष्ठ (Public Debt Management Cell: PDMC)** की स्थापना करना।
- **मध्यम अवधि ऋण के लिए सरकार की प्रबंधन रणनीति (2019-2022):** सरकार द्वारा इसके तहत कई कदम उठाए जाएंगे जोकि निम्नलिखित तीन व्यापक स्तंभों पर आधारित होंगे:
  - **ऋण की निम्न लागत**
    - ऋण पोर्टफोलियो की **परिपक्वता अवधि को बढ़ाना।**
    - अर्थव्यवस्था में प्रचलित ब्याज दरों के अनुरूप **अल्प बचत योजनाओं** और PF, विशिष्ट प्रतिभूतियों, आदि जैसे अन्य उपकरणों पर **ब्याज दरों का युक्तिकरण करना।**
    - **आर्थिक मामलों के विभाग** के उन अन्य प्रभागों को सलाह देना जो बाह्य ऋणों के मामलों में संलग्न हैं, जैसे कि इन ऋणों की लागत, अवधि, मुद्रा इत्यादि जैसे विषयों पर, ताकि इन बाह्य ऋणों को सर्वोत्तम शर्तों पर प्राप्त किया जा सके।
  - **जोख़िम न्यूनीकरण**
    - **कुछ संकेतकों के लिए मानदंड निर्धारित करना** जैसे कि अल्पावधि ऋण, बाह्य ऋण व फ्लोटिंग रेट डेब्ट इत्यादि का अंश निर्धारित करना ताकि रोल-ओवर जोख़िम के साथ-साथ ब्याज दरों व विनिमय दरों में होने वाले परिवर्तन से जुड़े जोखिमों के संदर्भ में जोख़िम को कम किया जा सके। उदाहरण के लिए, कुल बकाया विपणन योग्य ऋणों में अल्पकालिक ऋण की मात्रा 3 प्रतिशत की छूट के साथ 10 प्रतिशत के भीतर रखी जानी चाहिए।
  - **बाज़ार का विकास**
    - बाज़ार ऋण कार्यक्रम में **पारदर्शिता बनाए** रखना, **नियमित रूप से निवेशकों के साथ संपर्क बनाए रखना** तथा अन्य हितधारकों के साथ परामर्श करना और **विभिन्न प्रकार के उपकरण जारी करना** ताकि निवेशक अपने पोर्टफोलियो को अधिक कुशलता से प्रबंधित कर सकें।
    - **बड़े पैमाने पर वांछित अवधि वाले मानदंडों का निर्माण करना** ताकि निवेशकों की भागीदारी और तरलता को बढ़ाया जा सके।
    - घरेलू निवेशक आधार के विकास का समर्थन करना और विदेशी निवेशकों के लिए सरकारी प्रतिभूति बाज़ार को खोलना।

ऋण संधारणीयता के संकेतकों पर भारत का प्रदर्शन

स्थिति-पत्र या स्टेटस पेपर के अनुसार वर्तमान में सरकार के ऋण पोर्टफोलियो, अनुकूल स्थिरता संकेतकों को दर्शाते हैं:

- वर्ष 2018-19 में केंद्र सरकार का **ऋण-GDP अनुपात** वर्ष 2011-12 के 47.5 प्रतिशत से घटकर 45.7 प्रतिशत हो गया है।
- GDP के प्रतिशत के रूप में **सकल राजकोषीय घाटे (Gross Fiscal Deficit: GFD)** में वर्ष 2012-13 के बाद से गिरावट दर्ज की गई है।
- **अल्पावधि ऋणों का अंश** सुरक्षित सीमा के भीतर है और वर्ष 2005 से 2012 के दौरान हुई कुछ वृद्धि के बाद से स्थिर बना हुआ है।

- **सरकार ने रोल-ओवर जोखिम को कम करने के लिए एक जागरूक रणनीति (परिपक्वता अवधि को बढ़ाने की) अपनाई है।**
  - वर्ष 2018-19 के दौरान जारी कुल प्रतिभूतियों में से 69.9 प्रतिशत प्रतिभूतियाँ 10 वर्ष या उससे अधिक अवधि वाली परिपक्वता के अंतर्गत शामिल थीं।
- **अधिकांश सरकारी ऋण स्थायी दरों पर जारी किए गए हैं** तथा वर्ष 2019 में अस्थायी आंतरिक ऋणों का अंश GDP में केवल 0.9 प्रतिशत है, जो कि बजट पर ब्याज दर की अस्थिरता के प्रभाव को कम करता है।
- **बाह्य ऋणों का निम्न अंश** यह दर्शाता है कि मुद्रा जोखिम और अस्थिर अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार के प्रति ऋण पोर्टफोलियो की संवेदनशीलता पर्याप्त नहीं है।
- केंद्र सरकार की **राजस्व प्राप्तियों की तुलना में ब्याज भुगतान का अनुपात** वर्ष 2012-13 के 35.6 प्रतिशत की तुलना में 2018-19 में 37.5 प्रतिशत था।

राज्य सरकार के ऋण

- **राज्यों का ऋण-GDP अनुपात** वर्ष 2018 के 25.0 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2019 में 24.8 प्रतिशत हो गया।
- राज्य सरकारों की बकाया देयताओं में वर्ष 2012-13 से **निरंतर दोहरे अंकों की वृद्धि दर्ज की गई** है, वर्ष **2014-15 और 2018-19 इसमें अपवाद** रहे हैं।
- राज्य सरकारों के **समग्र ऋण पोर्टफोलियो में सार्वजनिक ऋण की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है** और इसका हिस्सा उनके सकल घरेलू उत्पाद का **19.1** प्रतिशत रहा है।
- सार्वजनिक ऋणों में, **बाजार ऋणों की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है, जबकि राष्ट्रीय अल्प बचत कोष (National Small Savings Fund: NSSF) से प्राप्त ऋणों में अत्यधिक गिरावट दर्ज की गई**। यह वर्ष 2012 में 24.4 प्रतिशत के उच्च स्तर से गिरकर वर्ष 2019 में 9.4 प्रतिशत हो गई।
- विगत कुछ वर्षों में **केंद्र से प्राप्त होने वाले ऋणों में** कमी आई है और यह वर्ष 2019 में कुल देनदारियों का केवल 3.7 प्रतिशत रहा है।

महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ

- **ऋण-GDP अनुपात (Debt to GDP ratio):** ऋण-GDP अनुपात देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में सार्वजनिक ऋणों के अनुपात को दर्शाता है। यह किसी विशेष राष्ट्र की उस क्षमता को दर्शाता है कि वह अपने ऋणों का भुगतान करने में कितना सक्षम है।
- **रोल ओवर जोख़िम (Roll over risk):** यह **ऋणों के पुनर्वित्तीयन** (refinancing of debt) से संबद्ध एक जोख़िम है अर्थात् विशेष रूप से, नए ऋण पर लगाया जाने वाला ब्याज पुराने ऋणों से अधिक होगा। सामान्यतः, परिपक्वता अवधि जितनी कम होगी, रोल ओवर जोख़िम उतना ही अधिक होगा।
- **मुद्रा या विदेशी मुद्रा विनिमय जोख़िम:** यह ऋण पोर्टफोलियो की सुभेद्यता से संबंधित है। इसके साथ-साथ यह बाह्य ऋणों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा के मूल्य में हुए ह्रास तथा सरकार की ऋण सेवा लागत में संबद्ध वृद्धि से संबंधित है।
- **राजस्व प्राप्तियों से किया गया ब्याज भुगतान (Interest Payment to Revenue Receipts: IP-RR):** यह सरकार की राजस्व प्राप्तियों से संबंधित ऋण के बदले किए गए कुल ब्याज भुगतान का एक अनुपात है।
- **फ्लोटिंग रेट बॉण्ड (FRBs):** इन प्रतिभूतियों को वेरीअबल कूपन रेट पर जारी किया जाता है।
- **सकल राजकोषीय घाटा (Gross Fiscal Deficit: GFD)** से आशय राजस्व प्राप्तियों (बाह्य अनुदानों सहित) और गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों पर कुल व्यय (वसूली किए गए कुल ऋण सहित) की अधिकता से है।
- केंद्र सरकार के **अल्पावधि ऋणों** से आशय अगले 12 महीनों के भीतर परिपक्व होने वाले कुल ऋणों से है।
  - इसमें 14-दिवसीय मध्यवर्ती ट्रेज़री बिल, नियमित ट्रेज़री बिल, आगामी एक वर्ष में परिपक्व होने वाली प्रतिभूतियां और एक वर्ष से कम परिपक्वता अवधि वाले बाह्य ऋण सम्मिलित हैं।
- **ट्रेज़री बिल,** वे रियायती उपकरण हैं जो सरकार को अपने अल्पकालिक नकदी प्रवाह के असंतुलन का प्रबंध करने में सहायता करते हैं।
  - वर्तमान में, केंद्र सरकार 91, 182 और 364 दिनों की अवधि वाले ट्रेज़री बिल जारी करती है।
- **14-दिवसीय मध्यवर्ती ट्रेज़री बिल (ITBs)** से आशय गैर-विपणनयोग्य उपकरण से है जो राज्य सरकारों (और चयनित केंद्रीय बैंकों) को जारी किए जाते हैं, ताकि उन्हें एक निश्चित ब्याज दर पर अल्पकालिक अधिशेष नकदी को परिनियोजित करने में सक्षम बनाया जा सके।

VISION IAS

3.3. वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम (Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act: SARFAESI Act)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, उच्चतम न्यायालय (SC) की पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने यह निर्णय दिया था कि **सहकारी बैंक (cooperative banks)** अपने चूककर्ताओं (defaulters) से ऋण की वसूली के लिए **वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम (सरफेसी अधिनियम)** का उपयोग कर सकते हैं और बकाया राशि वसूलने के लिए उनकी संपत्ति जब्त कर सकते और बेच सकते हैं।

सहकारी बैंक

- ये नियमित बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करने वाली, सहकारी आधार पर स्थापित, **ग्राहक स्वामित्व वाली वित्तीय संस्थाएं** होती हैं।
- ये **राज्य सहकारी समिति अधिनियम** या **बहु राज्य सहकारी समितियां (Multi State Cooperative Societies: MSCS) अधिनियम, 2002** के अंतर्गत पंजीकृत होते हैं।
- ये भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के दो कानूनों **अर्थात् बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949** और **बैंकिंग कानून (सहकारी समितियां) अधिनियम, 1955** की नियामक परिधि के अंतर्गत शामिल हैं।

अन्य संबंधित तथ्य

- उच्च न्यायालयों द्वारा कई परस्पर विरोधी निर्णयों को ध्यान में रखते हुए उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय द्वारा सहकारी बैंकों (Cooperative Banks: CBs) से संबंधित निम्नलिखित मुद्दों का समाधान करने का प्रयास किया है:
  - **राज्य-विशिष्ट अधिनियमों** {(MSCS, 2002) के अंतर्गत पंजीकृत बहु-राज्यीय सहकारी बैंकों सहित)} के अंतर्गत पंजीकृत सहकारी बैंकों की ऋण वसूली प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए संसद की सक्षमता।
  - **क्या सरफैसी अधिनियम, 2002 इन सहकारी बैंकों पर लागू किया जा सकता है** और निम्नलिखित की वैधता पर प्रश्न उठाया गया है -
    - **वर्ष 2003 में केंद्र सरकार की अधिसूचना**, जिसके तहत सहकारी समितियों को सरफैसी अधिनियम की परिधि के तहत लाया गया था और
    - वर्ष 2013 में सरफैसी अधिनियम में संशोधन, जिसके अंतर्गत बैंक की परिभाषा के भीतर **'बहु-राज्यीय सहकारी बैंक'** (Multi State Cooperative Bank: MSCB) को सम्मिलित किया गया था।
  - याचिकाकर्ताओं ने यह भी प्रश्न किया कि क्या सहकारी बैंक **संघ सूची** (प्रविष्टि 45 -'बैंकिंग') या **राज्य सूची** (प्रविष्टि 32 - 'सहकारी समितियों') के अंतर्गत आते हैं।
    - इस संबंध में स्पष्टता की आवश्यकता है कि क्या **बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 में बैंकिंग कंपनी की परिभाषा में** सभी सहकारी बैंक सम्मिलित हैं अथवा नहीं।
- **संविधान पीठ ने माना कि:**
  - संसद को सरफैसी अधिनियम के अंतर्गत सभी सहकारी बैंकों की ऋण वसूली प्रक्रिया के संबंध में नियामक प्रावधान बनाने की विधायी क्षमता प्राप्त है।
    - ऋणों की वसूली को किसी भी बैंकिंग संस्थान के लिए अनिवार्य कार्य माना गया है।
  - राज्य कानूनों (MSCB सहित) के अंतर्गत पंजीकृत सहकारी बैंक, संघ **सूची की प्रविष्टि 45 की परिधि में आते हैं।**
  - बैंकिंग से संबंधित गतिविधियों में सम्मिलित सहकारी बैंकों को बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के प्रयोजनों के लिए 'बैंकिंग कंपनी' और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अंतर्गत बैंकों पर लागू किसी अन्य कानून के अंतर्गत कवर किया जाता है।
- यह निर्णय सहकारी बैंकों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे उन्हें **सरफैसी अधिनियम** के प्रावधानों का उपयोग करके अपने अशोध्य ऋणों की वसूली में तेजी लाने में सहायता मिलेगी।

सरफेसी अधिनियम, 2002 के विषय में

- विभिन्न तंत्रों के माध्यम से बैंकों/वित्तीय संस्थानों की **गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (Non-Performing Assets: NPAs) या अशोध्य परिसंपत्तियों** की समस्या का समाधान करने के उद्देश्य से इस अधिनियम को लागू किया गया था।
- यह **केवल सुरक्षित देनदारों** (ऐसे उधारदाता जिनके ऋण बंधक जैसी संपार्श्विक द्वारा समर्थित होते हैं) को, लेनदार द्वारा पुनर्भुगतान में चूक करने पर सम्पार्श्विक प्रतिभूति (collateral security) पर अधिकार प्राप्त करने में सक्षम बनता है।

VISION IAS

- यह अधिनियम **परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी (Asset Reconstruction Company: ARC)** के पंजीकरण और नियमन सम्बन्धी प्रक्रिया उपलब्ध कराने के साथ उन्हें निम्नलिखित व्यवसाय परिचालन की अनुमति प्रदान करता है-
  - **परिसंपत्ति पुनर्निर्माण (Asset reconstruction):** यह गैर-निष्पादनकारी या अशोध्य परिसंपत्तियों को निष्पादनकारी परिसंपत्तियों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। **परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी** बैंकों से वित्तीय परिसंपत्तियों (गैर-निष्पादनकारी परिसंपत्तियों) का अधिग्रहण कर सकती हैं और निम्नलिखित उपायों के माध्यम से बकाया वसूलने का प्रयास कर सकती हैं जैसे:
    - प्रबंधन को परिवर्तित कर या अधिग्रहित करके उधारकर्ता के व्यवसाय का उचित प्रबंधन,
    - व्यवसाय के किसी भाग या संपूर्ण व्यवसाय की बिक्री करके या पट्टे पर देकर।
    - देय ऋणों के भुगतान आदि का पुनर्निर्धारण करके।
  - **प्रतिभूतिकरण (Securitization):** यह प्रतिभूति प्राप्तियों के निर्गम के माध्यम से **परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी (Asset Reconstruction Company: ARCs)** द्वारा मौजूदा ऋणों को विपणन योग्य प्रतिभूतियों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है।
- **न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना उधारदाताओं द्वारा प्रतिभूति हितों को लागू किया जाना:** चूककर्ता उधारकर्ता को 60 दिनों की सूचना देने के बाद बैंक/वित्तीय संस्थान निम्नलिखित कदम उठा सकते हैं -
  - उधारकर्ता की गिरवी रखी गई परिसंपत्तियों को अपने अधिकार में लेना,
  - ऐसी परिसंपत्तियों के प्रबंधन पर अधिकार स्थापित कर सकते हैं,
  - उनका प्रबंधन करने के लिए किसी भी व्यक्ति को नियुक्त कर सकते हैं या
  - उधारकर्ताओं के देनदारों से, परिसंपत्ति के संबंध में अपने बकाया का भुगतान करने के लिए कह सकते हैं।
- **केंद्रीय रजिस्ट्री का निर्माण:** केंद्र सरकार द्वारा प्रतिभूतिकरण के लेनदेन के पंजीकरण और वित्तीय परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित के निर्माण के प्रयोजनों हेतु इसका निर्माण किया जा सकता है।
- **सुरक्षित ऋण (Secured Loans) की वसूली के उपायों के विरुद्ध आवेदन:** उधारकर्ताओं/उधारदाताओं द्वारा (ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील के साथ), बैंकों और वित्तीय संस्थानों के बकाया ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 के अंतर्गत स्थापित **ऋण वसूली न्यायाधिकरण** में दायर किए जा सकते हैं।
- **इस अधिनियम के प्रावधान निम्नलिखित पर लागू नहीं होते हैं:**
  - **कृषि भूमि** पर निर्मित किया गया कोई भी प्रतिभूति हित;
  - कोई भी मामला जिसमें बकाया राशि मूलधन और ब्याज के 20 प्रतिशत से कम होती है।
  - **एक लाख रुपये से कम** की किसी भी वित्तीय परिसंपत्ति के पुनर्भुगतान संबंधी प्रतिभूति हित।

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (Insolvency and Bankruptcy Code: IBC), 2016 और सरफैसी अधिनियम

- दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 को दिवाला, दिवालियापन और गैर-वित्तीय संस्थाओं के परिसमापन से संबंधित विभिन्न कानूनों, विनियमों और नियमों को व्यवस्थित और व्यापक रूप से सुदृढ़ करने के लिए तैयार किया गया था।
  - **दिवाला (Insolvency)**, बकाया और देय होने पर अपने बिलों का भुगतान करने में किसी इकाई की अक्षमता को संदर्भित करती है।
  - **शोधन अक्षमता (Bankruptcy)**, एक ऐसी स्थिति है जब किसी इकाई को अपने बकाया और देय बिलों का भुगतान करने में असमर्थ घोषित कर दिया जाता है।
- इसने विभिन्न कानूनों में निहित अतिव्यापी प्रावधानों को दूर किया, जैसे -
  - रुग्ण औद्योगिक कंपनियाँ (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985, बैंकों और वित्तीय संस्थानों को देय ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993, सरफेसी अधिनियम, 2002 और कंपनी अधिनियम, 2013।
- IBC ने एक नया संस्थागत ढांचा तैयार किया है, जिसमें एक नियामक, दिवाला मामलों से संबंधित पेशेवर, सूचना सुविधाप्रदाता और न्यायनिर्णयन तंत्र सम्मिलित हैं ताकि औपचारिक और समयबद्ध तरीके से दिवालिया समाधान प्रक्रिया और परिसमापन को सुगम बनाया जा सके।

IBC और सरफेसी (SARFAESI) अधिनियम के मध्य अंतर:

- सरफेसी (SARFAESI) अधिनियम, 2002 केवल सुरक्षित (secured) वित्तीय लेनदारों को सम्मिलित करता है, जबकि IBC सुरक्षित और असुरक्षित (unsecured) दोनों प्रकार के लेनदारों के अधिकारों और हितों की रक्षा करता है।
- IBC की धारा 14 (1)(c) यह प्रावधान करती है कि संहिता में परिभाषित दिवालिया समाधान प्रक्रिया के दौरान, इस संहिता को सरफेसी अधिनियम पर वरीयता प्राप्त होगी।

VISION IAS

- IBC में कंपनियों और सीमित देयता साझेदारियों (Limited Liability Partnerships: LLP) {जिनके विषय में राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (National Company Law Tribunal: NCLT) द्वारा निपटाए गए} तथा व्यक्तियों और असीमित साझेदारी फर्मों (ऋण वसूली न्यायाधिकरण (Debt Recovery Tribunal: DRT) के अधिकार क्षेत्र में) के लिए पृथक-पृथक न्यायनिर्णयन अधिकरणों का प्रावधान है।
    - जबकि सरफेसी (SARFAESI) अधिनियम से संबंधित मामलों के लिए ऋण वसूली न्यायाधिकरण को न्यायनिर्णयन प्राधिकरण के रूप में नियत करता है।

प्रतिभूति (Security): यह एक प्रतिमोच्य, परक्राम्य वित्तीय साधन है जो किसी प्रकार के मौद्रिक मूल्य को धारण करता है। इन्हें मुख्य तौर से दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है:

- **इक्विटी प्रतिभूति (Equity security):** यह शेयरधारकों द्वारा किसी इकाई (किसी कंपनी, साझेदारी या ट्रस्ट) में धारित स्वामित्व हित का प्रतिनिधित्व करती है, जिसे पूंजीगत स्टॉक के शेयरों के रूप में प्राप्त किया जाता है।
- **ऋण प्रतिभूति (Debt security):** यह उधार लिए गए धन का प्रतिनिधित्व करती है जिसे ऋण के आकार, ब्याज दर और परिपक्वता या नवीकरण की तिथि को निर्धारित करने वाली शर्तों के अनुसार चुकाया जाना अनिवार्य होता है।

प्रतिभूति हित (Security Interest)

- ऋण पर प्रतिभूति ब्याज (security interest), उधारकर्ता द्वारा प्रदत्त सम्पार्श्विक (collateral) पर कानूनी दावा होता है जो ऋणदाता को सम्पार्श्विक पर पुन: अधिकार करने और ऋण अशोध्य होने पर उसे बेचने की अनुमति प्रदान करता है।
- एक प्रतिभूति हित ऋणदाता के लिए जोखिम को कम करता है, जिससे उसके लिए ऋण पर कम ब्याज प्रभारित करना संभव होता है।

प्रतिभूति प्राप्ति (Security receipt)

- इससे आशय किसी ऐसी प्राप्ति या अन्य प्रतिभूति से है, जिसे पात्र संस्थागत खरीदार को प्रतिभूतिकरण में सम्मिलित वित्तीय परिसंपत्ति की खरीद या अधिग्रहण के प्रमाण के रूप में परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा जारी की जाती है।

टिप्पणी: सहकारी बैंकों के विषय में अधिक जानकारी के लिए, VisionIAS समसामयिकी-अक्टूबर 2019 संस्करण का संदर्भ लें।

3.4. ट्रिप्स संबंधी प्रावधान (TRIPS Flexibilities)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत ने **जी-20 के सदस्यों से कहा** है कि वे एक ऐसे समझौते पर कार्य करें जो देशों को ट्रिप्स (TRIPS) **संबंधी प्रावधानों का उपयोग करने में सक्षम बना सके।**

अन्य संबंधित तथ्य

- भारत ने **वहनीय कीमतों पर आवश्यक दवाओं, उपचारों और टीकों** की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए **व्यापार संबंधी बौद्धिक संपदा अधिकार (Trade Related Intellectual Property Rights: TRIPS)** के प्रावधानों के उपयोग को बढ़ावा/लागू करने के लिए एक समझौते का आह्वान किया है।
    - भारत द्वारा पेटेंट अधिनियम, 1970 के अंतर्गत इन प्रावधानों का उपयोग सार्वजनिक स्वास्थ्य और आपातकालीन उद्देश्यों के लिए किया जाता है।
- भारत जिस कारण से इस तरह के समझौते की मांग कर रहा है, वह राष्ट्रों के लिए अनिवार्य पेटेंट दवाओं की **जेनेरिक संस्करण के निर्माण हेतु** अनिवार्य लाइसेंस जारी करना संभव बनाएगा, जिन्हें पेटेंट संस्करणों की तुलना में न्यूनतम कीमतों पर लोगों को उपलब्ध कराया जा सकता है।

ट्रिप्स समझौते के विषय में

- **वर्ष 1995** में लागू ट्रिप्स समझौता, बौद्धिक संपदा पर सबसे व्यापक बहुपक्षीय समझौता है।
- इस पर वर्ष 1986 और 1994 के बीच **प्रशुल्कों और व्यापार पर सामान्य समझौते (General Agreement on Tariffs and Trade: GATT)** के **उरुग्वे दौर** के दौरान वार्ता हुई थी, जिसके कारण विश्व व्यापार संगठन (World Trade Organization: WTO) की स्थापना की गई थी।

- यह प्रत्येक सदस्य द्वारा प्रदान किए जाने वाले संरक्षण के न्यूनतम मानक निर्धारित करता है।
    - यह समझौता विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO) की मुख्य कन्वेंशनों, औद्योगिक संपत्ति के संरक्षण के लिए पेरिस कन्वेंशन **(पेरिस कन्वेंशन)** और साहित्य और कलात्मक कार्यों के संरक्षण के लिए बर्न कन्वेंशन **(बर्न कन्वेंशन)** के अनुरूप है।
- इसमें सिविल और प्रशासनिक प्रक्रियाओं और उपचारों, अनंतिम उपायों (provisional measures), सीमा उपायों और आपराधिक प्रक्रियाओं से संबंधित विशेष आवश्यकताओं संबंधी प्रावधान सम्मिलित हैं।
- यह समझौता, ट्रिप्स दायित्वों के अनुपालन किए जाने के विषय में विश्व व्यापार संगठन (WTO) के सदस्यों के मध्य उत्पन्न विवादों को विश्व व्यापार संगठन (WTO) की विवाद निपटान प्रक्रियाओं के अधीन करता है।
- इसके द्वारा कवर किए जाने वाले बौद्धिक संपदा के क्षेत्र हैं:
    - कॉपीराइट और संबंधित अधिकार,
    - ट्रेडमार्क
    - भौगोलिक संकेतक
    - औद्योगिक डिजाइन,
    - पौधों की नई प्रजातियाँ;
    - इंटीग्रेटेड सर्किट का लेआउट-डिजाइन,
    - व्यापार रहस्य और परीक्षण डेटा।
- विश्व व्यापार संगठन (WTO) की सदस्यता में ट्रिप्स (TRIPS) समझौते का अनुपालन करने की बाध्यता सम्मिलित है।

ट्रिप्स प्रावधानों के विषय में

- ट्रिप्स प्रावधान, **देशों के लिए पेटेंट के प्रभाव** (अर्थात्, प्रतिस्पर्धा की कमी के कारण पेटेंट दवाओं की अत्यधिक उच्च कीमत) **को कम करने हेतु 'नीतिगत व्यवस्था'** है।
- **ट्रिप्स समझौता और उसके बाद ट्रिप्स और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर 2001 की दोहा घोषणा** इस संबंध में कुछ प्रावधान प्रदान करते हैं।
- इन प्रावधानों का उद्देश्य **विकासशील और अल्प विकसित देशों के लिए ट्रिप्स-संगत मानदंडों** का अनुपालन करने में सक्षम बनाना है, ताकि-
    - वे अपनी सार्वजनिक नीतियों का निर्माण या तो दवा उत्पादों की उपलब्धता या उनकी जैव विविधता की सुरक्षा जैसे विशिष्ट क्षेत्रों के लिए कर सकें,
    - आर्थिक विकास का समर्थन करने वाली वृहद आर्थिक, संस्थागत स्थितियों की स्थापना कर सकें।
- **ट्रिप्स के अंतर्गत कुछ प्रमुख प्रावधान:**
    - **अनिवार्य लाइसेंसिंग (Compulsory Licensing):** अनिवार्य लाइसेंसिंग, सक्षम सरकारी प्राधिकरण को पेटेंट धारक की सहमति के बिना किसी तीसरे पक्ष या सरकारी एजेंसी को पेटेंट आविष्कार के उपयोग हेतु लाइसेंस प्रदान करने में सक्षम बनाती है।
    - **समानांतर आयात (Parallel importation):** यह पेटेंट धारक द्वारा या पेटेंट धारक की सहमति से किसी अन्य देश में विपणन किए जाने वाले पेटेंट उत्पाद का पेटेंट धारक की सहमति के बिना आयात करना है।
        - यह वहनीय दवाओं की उपलब्धता को संभव बनाता है क्योंकि भिन्न- भिन्न बाजारों में बेचे जाने वाले दवा उत्पादों के मूल्य में पर्याप्त अंतर होता है।
    - **पेटेंट से छूट (Exemptions from patentability):** इस समझौते के तहत फार्मास्यूटिकल्स सहित ज्ञात उत्पादों के नए उपयोग हेतु पेटेंट की आवश्यकता नहीं होती है और देशों को नवीनता, आविष्कारी कदम या औद्योगिक प्रयोज्यता के अभाव वाले ऐसे प्रयोगों को संरक्षण न प्रदान करने की अनुमति प्रदान करता है।
    - **डेटा संरक्षण पर सीमाएँ:** किसी दवा उत्पाद की बिक्री या विपणन की अनुमति के लिए शर्त के रूप में, दवा नियामक प्राधिकरणों की ओर से दवा कंपनियों द्वारा उत्पाद की सुरक्षा, गुणवत्ता और प्रभावकारिता का प्रदर्शन करने वाले डेटा प्रस्तुत करने की आवश्यकता नियत की जाती है।
        - ट्रिप्स समझौते यह नियत करता है कि विश्व व्यापार संगठन के सदस्य विपणन अनुमोदन प्राप्त करने के प्रयोजनों के लिए औषधि विनियामक प्राधिकरणों को प्रस्तुत अघोषित परीक्षण आंकड़ों की अनुचित वाणिज्यिक उपयोग के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करें।
        - हालांकि, सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए जेनेरिक दवाओं के उत्पादन हेतु कुछ सीमाओं तक डेटा का उपयोग करने की अनुमति है।
    - **अल्प विकसित देशों (Least-Developed Countries: LDCs) के लिए संक्रमण अवधि का विस्तार:** दोहा घोषणापत्र में संशोधन ने ट्रिप्स दायित्वों के कार्यान्वयन हेतु अल्प विकसित देशों (LDCs) के लिए संक्रमण अवधि को वर्ष 2021 तक बढ़ा दिया है।

3.5. श्रम कानून सुधार (Labour Law Reforms)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत में कुछ राज्य सरकारों ने **अपने राज्य में कुछ श्रम कानूनों के क्रियान्वयन को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है।**

भारत में श्रम कानून ढांचा

- श्रम, सातवीं अनुसूची की **समवर्ती सूची** का विषय है। इस प्रकार केंद्र और राज्य दोनों श्रम से संबंधित मुद्दों पर कानून बना सकते हैं।
    - वर्तमान में, 44 श्रम कानून केन्द्र सरकार के अधिकार क्षेत्र के तहत सम्मिलित हैं और राज्य सरकारों के अधीन 100 से अधिक श्रम कानून शामिल हैं, जो कई श्रम संबंधी मुद्दों से संबंधित हैं।
- **श्रम कानून मुख्य रूप से चार श्रेणियों में विभाजित हैं**
    - **कार्य संबंधी शर्तें (Conditions of Work):** कारखाना अधिनियम, 1948; संविदा श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 सहित।
    - **मजदूरी और पारिश्रमिक (Wages and Remuneration):** न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948; मजदूरी का भुगतान अधिनियम 1936 सहित।
    - **सामाजिक सुरक्षा:** कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952; कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 सहित।
    - **रोजगार सुरक्षा और औद्योगिक संबंध:** औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947; औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 सहित।
- श्रम कानूनों की बहुलता और उनके परिचालन संबंधी कठिनाई भारत में औद्योगिक विकास में बाधक है। कई कानून अप्रचलित हो गए हैं तथा वर्तमान आर्थिक स्थिति के साथ सामंजस्य स्थापित करने हेतु इनकी समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है।
- साथ ही, इन श्रम कानूनों द्वारा असंगठित क्षेत्र के 92-93% श्रमिकों की कीमत पर संगठित क्षेत्र में नियोजित केवल 7-8% श्रमिकों की रक्षा की जाती है।

हाल ही में, राज्यों में श्रम कानूनों में किए गए कुछ परिवर्तन-

- **मध्य प्रदेश-**
    - नियोक्ताओं को विभिन्न श्रम कानूनों जैसे कि **मध्य प्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, औद्योगिक विवाद अधिनियम, अनुबंध श्रम अधिनियम** आदि के अंतर्गत 1,000 दिनों तक कुछ दायित्वों से छूट दी गई है।
    - नव स्थापित कारखानों को वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है।
    - नियोक्ताओं को **अपनी सुविधानुसार श्रमिकों को नियुक्त करने और हटाने** की अनुमति होगी।
    - कारखानों में **काम के घंटे आठ से बढ़ाकर बारह करना।**
    - कारखानों को **सुरक्षा और स्वास्थ्य मानदंडों** का अनुपालन किए बिना परिचालन करने की अनुमति होगी। साथ ही, नए कारखानों को कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत **श्रम विभाग के निरीक्षण** से मुक्त रखा जाएगा और इच्छानुसार तृतीय पक्ष निरीक्षण में लचीलेपन की अनुमति दी जाएगी।
- **उत्तर प्रदेश-**
    - यह अगले तीन वर्षों तक कारखानों, व्यवसायों, प्रतिष्ठानों और उद्योगों को सभी प्रमुख श्रम कानूनों के दायरे से छूट देने के लिए **उत्तर प्रदेश में कतिपय श्रम कानूनों से अस्थायी छूट अध्यादेश, 2020** लाया गया है।
    - नियोजित श्रमिकों का समस्त **विवरण इलेक्ट्रॉनिक रूप से** रखा जाएगा।
    - श्रमिकों को राज्य सरकार की **न्यूनतम मजदूरी से अधिक** और अधिनियम के अनुसार समय सीमा के भीतर भुगतान किया जाएगा।

इन सुधारों की आवश्यकता

- **कोविड-19 महामारी के प्रभावों से निपटने हेतु:** कोविड-19 के कारण औद्योगिक और आर्थिक गतिविधियाँ गंभीर रूप से प्रभावित हुई हैं। इन कानूनों के **निलंबन की अस्थायी प्रकृति**, उद्यमों को अपनी वित्तीय व्यवहार्यता में सुधार लाने और समय के साथ संधारणीय बनने का अवसर प्रदान करेगी।
- **रोजगार अवसर:** यह देखते हुए कि बेरोजगारी की दर, हाल के सप्ताहों में कोविड-19 के चलते 27.1 प्रतिशत के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है, ऐसे में प्रवासी श्रमिकों को अपने लिए आजीविका कमाने में सक्षम बनाना है।
    - इसके अतिरिक्त, इससे कोविड-19 प्रवास के बीच अतिरिक्त कार्यबल के कारण देश के **भीतरी और ग्रामीण क्षेत्रों पर दबाव** कम होगा।

VISION IAS

- **विनिर्माण आधार विकसित करने हेतु:** भारत, भूमि का बड़ा पूल विकसित करके और अन्य प्रोत्साहनों पर विचार कर, चीन से स्थानांतरित होने की इच्छा रखने वाली कंपनियों को आकर्षित करने के लिए उत्सुक रहा है।
    - भारत को इसका बहुराष्ट्रीय कंपनियों और विनिर्माण क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिए एक अवसर के रूप में उपयोग करना चाहिए।
    - **इंडिया इंक** के अनुसार, इस कदम से राज्यों के बीच सुधारों के लिए प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा।
- **उत्पादन को पूरी क्षमता तक बढ़ाने हेतु:** वर्तमान में, कारखाना अधिनियम के अंतर्गत विद्युतशक्ति चलित इकाइयों जिनमें 10 श्रमिक कार्यरत, उन्हें **अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना** आवश्यक है। यह उन्हें अधिक श्रमिकों को नियोजित करने से रोकता है और इस प्रकार उनकी उत्पादन क्षमता सीमित करता है।
    - काम के घंटों में वृद्धि करने से श्रमशक्ति की कमी दूर करने में सहायता मिलेगी, जिससे सभी क्षेत्रक, विशेष रूप से विनिर्माण क्षेत्रक प्रभावित हो सकता है।

मुद्दे

- **श्रमिकों के अधिकार के विरूद्ध:** इस कदम से **श्रमिक अधिकार कमजोर** होंगे और पहले से ही तनावग्रस्त वातावरण में **श्रमिकों के शोषण** का मार्ग प्रशस्त होगा।
    - इस प्रकार के दृष्टिकोण से असंतोष उत्पन्न हो सकता है जिससे **श्रमिक आंदोलन और सक्रियतावाद** में वृद्धि हो सकती है।
- **अंतर्राष्ट्रीय कानून के विरुद्ध:** अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (International Labour Organisation: ILO) की रूपरेखा के अनुसार सरकारों के लिए श्रम कानूनों में परिवर्तन के संबंध में श्रम संघों से परामर्श करना अनिवार्य है।
    - **10 केंद्रीय श्रमिक संघों ने ILO में शिकायत दर्ज कराई** है क्योंकि वे इन कदमों को संघ की स्वतंत्रता के अधिकार (ILO कन्वेंशन 87), सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार (ILO कन्वेंशन 98) और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य आठ घंटे के कार्य दिवस के मानक का भी उल्लंघन मानते हैं।
    - इस पर ILO ने **श्रम कानून संशोधनों पर "गहरी चिंता"** व्यक्त की है और प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप करने और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं पर राज्यों को स्पष्ट संदेश देने की अपील की है।
    - **अनुच्छेद 253** संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को कार्यान्वित करने के लिए कानून बनाने और पारित करने की विशेष शक्ति प्रदान करता है।
- **श्रम कानून सुधारों का सीमित प्रभाव:** इस तथ्य के सीमित साक्ष्य मौजूद हैं कि केवल श्रम कानूनों में ढील देने से रोजगार में वृद्धि होगी। उदाहरण के लिए, विशेष आर्थिक क्षेत्रों में श्रम सुधारों के परिणामस्वरूप रोजगार में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है।
    - चार राज्यों अर्थात राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के **वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान** के एक अध्ययन में पाया गया है कि श्रम कानूनों में संशोधन न तो बड़ा निवेश आकर्षित करने और न ही औद्योगिकीकरण या रोजगार सृजन को बढ़ावा देने में सफल रहे हैं।
    - इसके अतिरिक्त, चीन **(62वें)** के विपरीत भारत, WEF के वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में **58वें** स्थान पर है। इस प्रकार, प्रतिस्पर्धी श्रम बाजारों की कमी भारत की खराब प्रतिस्पर्धा का मुख्य कारक नहीं है और इस बात के बहुत कम साक्ष्य मौजूद हैं कि केवल श्रम कानूनों में ढील देने से विदेशी निवेश आकर्षित होगा, विशेष रूप से उन कंपनियों से जो चीन से स्थानांतरित होना चाहती हैं।
- **सुधारों का सीमित दायरा:** ये सुधार मुख्यतः श्रम से संबंधित हैं न कि रोजगार से। उद्योग की वास्तविक समस्याएं मुख्य रूप से श्रमिकों को निकालना, छंटनी करना और तालाबंदी तथा श्रम कानूनों के प्रशासनिक कार्यान्वयन के प्रावधानों से संबंधित हैं। इस प्रकार, कई श्रम कानूनों को एक साथ समाप्त करना रोजगार संकट का समाधान करने का साधन नहीं हो सकता है।

आगे की राह

- **सक्षमकारी व्यवसायिक परिवेश को बढ़ावा देना:** मजदूरी, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, कार्य की परिस्थितियां, स्वास्थ्य और सुरक्षा आदि जैसे समग्र श्रमिक हितों को यथोचित रूप से संबोधित किया जाना चाहिए।
- **रोजगार में सुधार लाना:** सरकार को केवल श्रम कानून सुधारों को लागू करने के बजाय, MGNREGS के तहत प्रशिक्षुओं के पारिस्थितिकी तंत्र और ग्रामीण रोजगार पारिस्थितिकी तंत्र जैसे सुधारों पर विचार करना चाहिए।
- सरकार को श्रम के लिए **व्यापक एकीकृत कानूनी ढांचा तैयार करने** पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए (जैसा कि 4 श्रम संहिताओं के विचार में परिकल्पित है)।
    - 'उद्योग', 'श्रमिक', 'कर्मचारी' जैसे प्रमुख शब्दों की एक समान परिभाषाएं होनी चाहिए, क्योंकि वर्तमान में अधिकांश कानूनों में भिन्न-भिन्न परिभाषाएं मौजूद हैं, जिसके कारण दीर्घ स्थायी विवाद और भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है।

VISION IAS

3.6. वर्ष 2018-19 के लिए ऊर्जा दक्षता उपायों का प्रभाव रिपोर्ट (Impact of Energy Efficiency Measures for the Year 2018-19 Report)

सुर्ख़ियों में क्यों?

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने वर्ष 2018-19 के लिए "ऊर्जा दक्षता उपायों का प्रभाव" शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है।

रिपोर्ट के संबंध में अधिक जानकारी

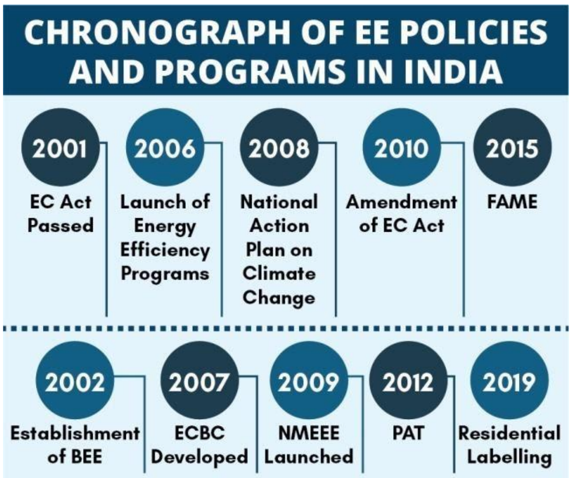

- **ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (Bureau of Energy Efficiency: BEE)** ने एक वार्षिक अध्ययन किया है, जिसमें अनुमानित ऊर्जा खपत के साथ (यदि वर्तमान ऊर्जा दक्षता उपाय नहीं किए गए होते तो) वर्ष 2018-19 में वास्तविक ऊर्जा खपत की तुलना की गई है। अर्थात प्रतितथ्यात्मक आंकलन हेतु।
- **इस अध्ययन का समग्र उद्देश्य** बचाई गई कुल ऊर्जा और वर्ष 2018-19 में कार्बन डाईऑक्साइड उत्सर्जन की मात्रा में कमी के संदर्भ में भारत में **सभी ऊर्जा दक्षता योजनाओं/कार्यक्रमों के प्रभाव का आकलन** करना था।

भारत के ऊर्जा दक्षता (Energy Efficiency: EE) उपाय- पृष्ठभूमि

- निम्न कार्बन रूपांतरण को बढ़ावा देने में ऊर्जा दक्षता के महत्व को देखते हुए भारत द्वारा वर्ष **2001 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम** लागू किया गया था।
- इसने **ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE)** की स्थापना और तत्पश्चात **राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन (National Mission for Enhanced Energy Efficiency: NMEEE)** आरंभ कर अपनी नीतियों के प्रभावी निष्पादन को बढ़ावा दिया गया था।
- BEE के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर पर अन्य संगठन भी मौजूद हैं जो अनेक योजनाओं को आरंभ करके ऊर्जा दक्षता में सहायता कर रहे हैं। ये योजनाएं ऊर्जा बचत की प्राप्ति के लिए क्रॉस कटिंग मेकनिज्म के साथ भारत में **ऊर्जा की खपत करने वाले प्रमुख क्षेत्रकों** जैसे कि उद्योग, वाणिज्यिक, आवासीय आदि क्षेत्रों से संबंधित हैं।
- वर्तमान में भारत में कई ऊर्जा दक्षता योजनाएं/कार्यक्रम संचालित हैं। इनमें शामिल हैं:

बड़ा उद्योग	प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार (PAT) योजना
उद्योग- MSME	BEE SME कार्यक्रम, GEF - विश्व बैंक - BEE कार्यक्रम
घरेलू-प्रकाश और उपकरण	मानक और लेबलिंग (S&L), UJALA
घरेलू-बिल्डिंग	इको निवास संहिता, आवासीय लेबलिंग
वाणिज्यिक बिल्डिंग	ECBC- वाणिज्यिक भवन, BEE - स्टार रेटिंग कार्यक्रम, भवन ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम (Building Energy Efficiency Programme: BEEP)
कृषि-उपकरण (स्टार रेटेड पंप)	कृषि मांग पक्ष प्रबंधन कार्यक्रम (Agriculture Demand Side Management Programme: AgDSM) - (स्टार रेटेड पंप)
परिवहन-सड़क परिवहन	कॉर्पोरेट औसत ईंधन दक्षता (Corporate Average Fuel Economy: CAFE), विद्युत वाहनों को तेजी से अपनाने और निर्माण की स्कीम (Faster Adoption & Manufacturing of Electric Vehicles: FAME)
नगर पालिका-प्रकाश और उपकरण	नगर पालिका मांग पक्ष प्रबंधन कार्यक्रम (Municipal Demand Side Management Programme: MUDSM) - (SLNP और MEEP)

भारत में ऊर्जा खपत परिदृश्य

- 2017-18 में 553.9 मिलियन टन तेल समतुल्य (Mtoe) की कुल ऊर्जा खपत के साथ, भारत संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद विश्व में **तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता** देश था।
- **भारत विश्व में ऊर्जा खपत की वृद्धि दर के संदर्भ में भी उच्चतम स्थान पर है।**
- भारत की ऊर्जा खपत वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ने का अनुमान है और वर्ष 2040 तक वैश्विक ऊर्जा मांग में 11% हिस्सेदारी होगी।

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE)

- ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के प्रावधानों के अंतर्गत स्थापित BEE ऊर्जा मंत्रालय के अधीन एक **सांविधिक निकाय** है।
- इसका **मिशन भारतीय अर्थव्यवस्था की ऊर्जा गहनता कम करने के प्राथमिक** उद्देश्य के साथ ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के समग्र ढांचे के भीतर स्व-नियमन और बाजार सिद्धांतों पर बल देते हुए नीतियों और रणनीतियों को विकसित करने में सहायता करना है।
- ऊर्जा गहनता का प्रति इकाई उत्पादन या गतिविधि (या सकल घरेलू उत्पाद) के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा से मापन किया जाता है।

ऊर्जा दक्षता पर ध्यान क्यों?

- **उच्च विकास और ऊर्जा मांग की संभावनाएं:** पिछले दो दशकों में निरंतर उच्च आर्थिक वृद्धि दर, बढ़ती आबादी और वृद्धिमान मध्यम वर्ग की बढ़ती आकांक्षाएं भारत में **ऊर्जा संसाधनों की मांग को बढ़ा रही हैं।** हालांकि भारत के ऊर्जा क्षेत्रक में अभी भी कोयला और तेल जैसे जीवाश्म ईंधन का वर्चस्व है। इसके अतिरिक्त भारत **अपनी कच्चे तेल की आवश्यकता का लगभग 80 प्रतिशत** आयात करता है। यह **दो प्रमुख कारणों से ऊर्जा की बचत करना आवश्यक बनाता है-**
  - आयात पर निर्भरता से व्यापार संतुलन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के अतिरिक्त देश की अर्थव्यवस्था की वैश्विक भू-राजनीतिक और आर्थिक जोखिमों के प्रति सुभेद्यता बढ़ सकती है।
- **पहुंच में असमानता:** संसाधनों तक पहुंचने की बढ़ती लागत, संकुचित होती भूवैज्ञानिक उपलब्धता, सामग्री समाप्त होने का खतरा, दीर्घकालिक बहुतायत के संबंध में अनिश्चितता और प्राकृतिक संसाधनों से संबद्ध असमान और अनुचित पहुंच के साथ वितरणात्मक चुनौतियां सभी बढ़ती ऊर्जा की मांग पूरी करने में बाधाएं पैदा करेंगी।
- **लागत लाभ:** उदाहरण के लिए, वर्ष 2026-27 के मध्य अवधि तक भारत की विद्युत आवश्यकता में वृद्धि (मांग धन पारेषण और वितरण हानि) से क्षमता वृद्धि में 304 बिलियन डॉलर से अधिक की निवेश की आवश्यकता होगी। **ऊर्जा दक्षता की लागत नए विद्युत संयंत्रों के साथ विद्युत की मांग को पूरा करने की लागत से भी कम है।**
- **भारत की जलवायु प्रतिबद्धताएं:** भारत का **राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान** (Nationally Determined Contribution: NDC) का लक्ष्य 2005 के स्तर से 2030 तक **सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन गहनता को 33-35 प्रतिशत तक कम करना** है।
- **भारत** जीवाश्म ईंधन से दूर और विकेंद्रीकृत ऊर्जा संसाधनों पर ध्यान केंद्रित करते हुए **ऊर्जा संक्रमण के मार्ग पर अग्रसर है। ऊर्जा दक्षता इस संक्रमण प्रक्रिया के मूल में होगी** क्योंकि यह संक्रमण को तेज और अधिक किफायती बनाने में सहायता करती है।
- उद्योग और परिवहन क्षेत्रक के कारण होने वाले **भारी प्रदूषण**-विशेष रूप से वायु प्रदूषण- **कम करने के लिए** भी ऊर्जा दक्षता पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। उदाहरण के लिए BS-4 वाहनों से सीधे BS-6 वाहनों में संक्रमण।
- ऊर्जा दक्षता **जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना** (National Action plan on Climate Change: NPCC) (8 मिशन), स्मार्ट सिटी परियोजनाओं, अमृत (AMRUT), दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (DDUJY), **प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना - "सौभाग्य"(SAUBHAGYA),** राष्ट्रीय स्मार्ट ग्रिड मिशन, प्रधान मंत्री मंत्री किसान उर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (PMKUSUM) आदि जैसी **विभिन्न सरकारी परियोजनाओं के लिए महत्वपूर्ण आधारशिलाओं** में से एक है जो प्रदूषण कम करना, संधारणीय और कुशल ढंग से कुल ऊर्जा खपत बढ़ाने का प्रयास करती हैं।

कुल मिलाकर, **ऊर्जा दक्षता सर्वाधिक लागत प्रभावी उपायों** में से एक बनी हुई है क्योंकि यह न केवल **अंतिम उपयोग पर ऊर्जा का संरक्षण करती है**, बल्कि **उत्पादित ऊर्जा की लागत पर भी बचत** करती है। ऊर्जा वहनीयता, पहुंच, उपलब्धता और सुरक्षा के साथ-साथ पर्यावरणीय विचारों के संबंध में चिंताओं ने केवल सभी क्षेत्रकों की ऊर्जा दक्षता क्षमता में रुचि को ही बढ़ाया है।

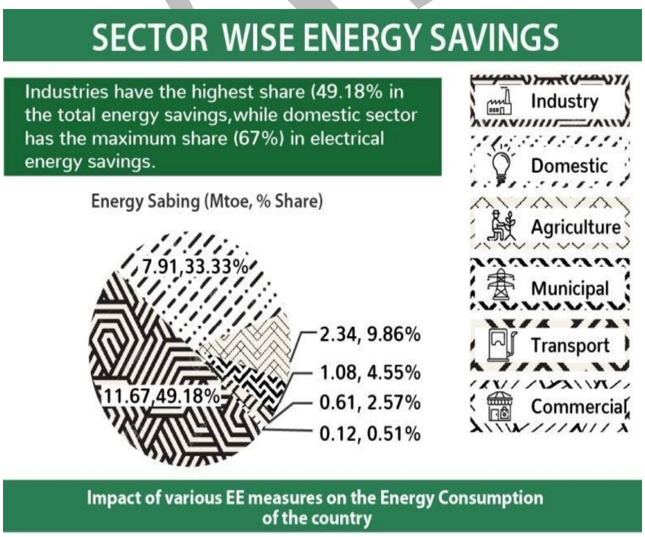

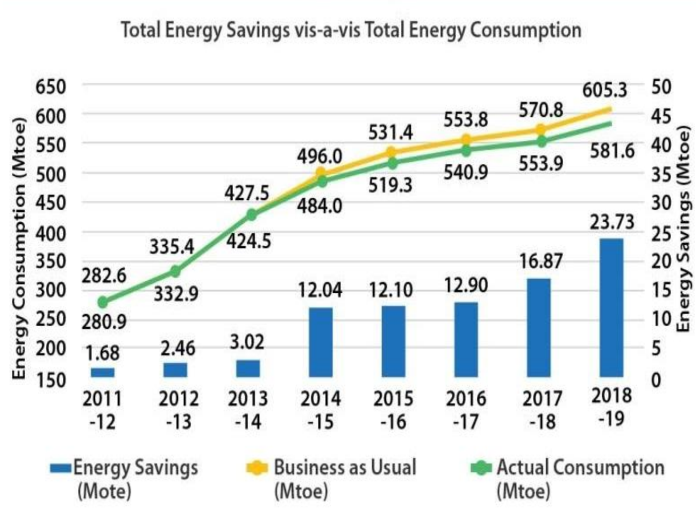

VISION IAS

भारत में विभिन्न ऊर्जा दक्षता हस्तक्षेपों का प्रभाव

- ऊर्जा दक्षता योजनाओं/कार्यक्रमों को अपनाने से कुल ऊर्जा खपत के **9.39% तक समग्र विद्युत की बचत** हुई है।
- PAT योजना ने कुल ऊर्जा बचत में 57.72% का योगदान दिया है, जबकि वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान किए गए सभी प्रमुख हस्तक्षेपों में से S&L और UJALA की कुल ऊर्जा बचत में हिस्सेदारी 36.26% रही थी।
- कुल मिलाकर, विभिन्न ऊर्जा दक्षता उपायों के परिणामस्वरूप **89,000 करोड़ रुपये (लगभग) की बचत** हुई है और **151.74 मिलियन टन CO2 उत्सर्जन कम करने** में योगदान दिया है।

निष्कर्ष

- वर्तमान योजनाएं/कार्यक्रम उद्योग, निर्माण (घरेलू और वाणिज्यिक), नगर पालिका, कृषि और परिवहन जैसे विभिन्न क्षेत्रकों में महत्वपूर्ण ऊर्जा बचत प्राप्त करने में काफी हद तक सफल रही हैं। हालांकि, **भविष्य का परिदृश्य विघटनकारी प्रौद्योगिकियों और स्मार्ट शहरों, ई-गतिशीलता आदि जैसे आर्थिक मेगा-रुझानों** से चालित होगा जो ऊर्जा क्षेत्र की गतिशीलता को बदल रहे हैं।
- BEE ने एक ऊर्जा दक्ष राष्ट्र के विकास हेतु (Unlocking National Energy Efficiency Potential: UNNATEE) नामक एक राष्ट्रीय रणनीति योजना विकसित की है। इसकी परिचालन संबंधी गतिविधियां न केवल सुधार करने के लिए उपलब्ध प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित करेंगी बल्कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रकों का डिकार्बनीकरण करने के लिए ई-गतिशीलता, फ्यूल सेल वाहन (Fuel Cell Vehicles: FCV), नवीकरणीय ऊर्जा और भंडारण का एकीकरण, शुद्ध शून्य भवन आदि जैसी अपेक्षाकृत नई प्रौद्योगिकियों को भी सम्मिलित करेंगी।

अनलॉकिंग नेशनल एनर्जी एफिशिएंसी पोटेंशिअल (UNNATEE)

- यह **भारत में ऊर्जा दक्षता में तेजी लाने के लिए** एक राष्ट्रीय रणनीति दस्तावेज है। यह ऊर्जा आपूर्ति-मांग परिदृश्यों और ऊर्जा दक्षता अवसरों के बीच स्पष्ट संबंध स्थापित करने के लिए एक सामान्य रूपरेखा और कार्यान्वयन रणनीति का वर्णन करता है। यह राज्य स्तर तक **संबंधित मांग क्षेत्रकों के लिए ऊर्जा दक्षता लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से चित्रित कर** ऐसा करता है।

UNNATEE कार्यान्वयन रणनीति

- **अनुकूल विनियम**-व्यापक ऊर्जा दक्षता नीति के माध्यम से, जिसमें लक्ष्य, प्रोत्साहन और अर्थदंड सम्मिलित हैं।
  - **कृषि**-राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा फंड के अंतर्गत कृषि परियोजनाओं का समावेश।
  - **भवन**-ऊर्जा कुशल घरों की खरीद के लिए प्रोत्साहनों का प्रचलनको बढ़ावा देना।
  - **उद्योग**- PAT कार्यक्रम का दायरा बढ़ाना।
  - **परिवहन**-प्रस्तावित FAME-2 योजना आरंभ करना।
- **संस्थागत ढांचा**-राज्य स्तर पर मजबूत प्रवर्तन तंत्र के माध्यम से, जो राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर के कार्यक्रम को आगे और अधिक सुदृढ़ता प्रदान करेगा।
  - **कृषि**-उत्पादों और सेवाओं के निर्यात के लिए एकल खिड़की प्रणाली से इस क्षेत्रक के अनुसंधान एवं विकास की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार होगा।
  - **भवन**-प्रतिवेदन रूपरेखा जिसके लिए जहां राज्यों को अपने राज्य में ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता के कार्यान्वयन में अपनी प्रगति को अद्यतन करने की आवश्यकता है।
  - **उद्योग**-ऊर्जा प्रबंधन प्रकोष्ठ का निर्माण।
- **वित्त की उपलब्धता** - परिक्रामी निधि, जोखिम गारंटी, ऑन-बिल वित्तपोषण, ऊर्जा बचत बीमा, ऊर्जा संरक्षण बंधपत्रों के रूप में।
- अन्य महत्वपूर्ण घटकों में प्रौद्योगिकी का उपयोग, हितधारक सहभागिता, नोडल एजेंसी की स्थापना के माध्यम से आंकड़ा संग्रह और राज्यवार लक्ष्य निर्धारित करना सम्मिलित है।

3.7. ऊर्जा संक्रमण सूचकांक रिपोर्ट (Energy Transition Index Report)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **विश्व आर्थिक मंच (World Economic Forum: WEF)** ने **ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020** जारी किया है।

ऊर्जा संक्रमण सूचकांक (Energy Transition Index: ETI) के संबंध में

- ETI एक तथ्य आधारित रैंकिंग प्रणाली है, जिसका उद्देश्य नीति निर्माताओं और व्यवसायों को सफल ऊर्जा संक्रमण का मार्ग तैयार करने में सक्षम बनाना है।
  - यह 40 संकेतकों पर आधारित एक मिश्रित स्कोर है, जो 115 देशों का उनके ऊर्जा संक्रमण की **गति, दिशा और सुधार** के अवसरों की पहचान करने के आधार पर स्थान निर्धारित करता है।

- **प्रभावी ऊर्जा संक्रमण** अधिक समावेशी, संधारणीय, वहनीय और सुरक्षित ऊर्जा प्रणाली की दिशा में समयबद्ध संक्रमण को बढ़ावा देती है, जो ऊर्जा त्रिकोण के संतुलन से समझौता किए बिना व्यवसाय और समाज के लिए मूल्य सृजन करते हुए वैश्विक ऊर्जा से संबंधित चुनौतियों का समाधान प्रदान करता है।

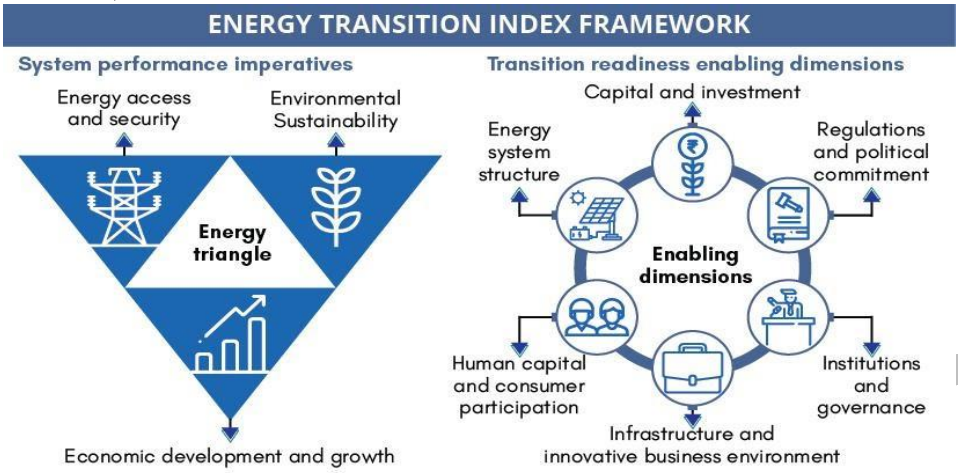

- **ETI विश्व आर्थिक मंच की प्रभावी ऊर्जा संक्रमण प्रोत्साहन पहल** का भाग है।
  - यह वार्षिक ऊर्जा प्रणाली बेंचमार्किंग श्रृंखला की ही विस्तार है, जिसे पहले वर्ष 2013 से 2017 तक **एनर्जी आर्किटेक्चर परफॉर्मेंस इंडेक्स (EAPI)** श्रृंखला के रूप में प्रकाशित किया जाता था।
- ETI ढांचे के दो भाग हैं अर्थात **वर्तमान ऊर्जा प्रणाली का प्रदर्शन** और **ऊर्जा संक्रमण के लिए सक्षमकारी वातावरण**। (इन्फोग्राफिक्स देखें)।

प्रभावी ऊर्जा संक्रमण प्रोत्साहन पहल (Fostering Effective Energy Transition Initiative)

- इसका उद्देश्य सुरक्षित, संधारणीय, वहनीय और समावेशी भविष्य की ऊर्जा प्रणाली में संक्रमण के लिए प्रभावी नीतियों, कॉर्पोरेट निर्णयों और सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा देकर वैश्विक ऊर्जा संक्रमण की गति को तीव्र करना है।
- यह ऊर्जा संक्रमण, आवश्यक अनिवार्यता, बाजार और नीति प्रवर्तकों और परिणामी मानव प्रभाव की अंतिम स्थिति के संबंध में सभी हितधारक समूहों के मध्य एक सामान्य समझ स्थापित करने के लिए एक मंच प्रदान करता है।

कोविड-19 के कारण चुनौतियाँ

- वैश्विक ऊर्जा की मांग में लगभग एक तिहाई की कमी।
- तेल के मूल्य में अत्यधिक अस्थिरता और इसके भू राजनीतिक निहितार्थ।
- निवेश और परियोजनाओं का विलंबित या अवरुद्ध होना।
- ऊर्जा क्षेत्र के लाखों श्रमिकों के रोजगार के संबंध में अनिश्चितता।

ETI 2020 के प्रमुख निष्कर्ष

- **ETI 2020 रैंकिंग:** स्वीडन (1), स्विट्ज़रलैंड (2), फिनलैंड (3), भारत (74), चीन (78)।
- अधिकांश देशों ने ऊर्जा त्रिकोण के तीन आयामों पर **भिन्न-भिन्न मात्रा में प्रगति** की है:
  - हालांकि, कई देशों में निरंतर प्रगति का अभाव, ऊर्जा संक्रमण की जटिलता से संबंधित मौजूदा चुनौतियों को रेखांकित करती है।
- शीर्ष प्रदर्शनकर्ता देशों एवं अन्य देशों के मध्य **अंतराल** निरंतर कम हो रहा है। इसका मुख्य कारण राजनीतिक प्रतिबद्धता का बढ़ता स्तर और उभरती अर्थव्यवस्थाओं में निवेश के लिए पूंजीगत पहुंच में सुधार;
  - विलंबित या अवरुद्ध निवेश और परियोजनाएं;
- यह उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के लिए पर्याप्त लाभ अर्जित करने को बढ़ावा देने के लिए परिवर्तनकारी और महत्वपूर्ण समाधानों की आवश्यकताओं को रेखांकित करता है।

3.8. भारत में चीनी उद्योग (Sugar Industry In India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, गन्ने एवं चीनी उद्योग पर **नीति आयोग कार्यबल** द्वारा सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

अन्य संबंधित तथ्य

- इस कार्यबल को चीनी उद्योग के समक्ष आने वाली समस्याओं के दीर्घकालिक समाधान खोजने के लिए गठित किया गया था, ताकि **राज्य सहायता पर उनकी निर्भरता को युक्तिसंगत बनाया जा सके।**
- इसके अधिदेश में **भूमिगत जल पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभाव में कमी करने के लिए फसल विविधिकरण** को बढ़ावा देने तथा **चीनी उद्योग को वैश्विक बाजार के अनुकूल** बनाने की अनुशंसा भी शामिल है।

भारत में चीनी उद्योग का महत्व

- **यह महत्वपूर्ण कृषि-आधारित उद्योग है,** जो लगभग **50 मिलियन गन्ना किसानों** और चीनी मिलों में प्रत्यक्ष रूप से कार्यरत लगभग **5 लाख मजदूरों** की ग्रामीण आजीविका को प्रभावित करता है।
    - परिवहन, मशीनरी की व्यापार सेवाओं एवं कृषि इनपुट की आपूर्ति से संबंधित विभिन्न सहायक गतिविधियाँ भी रोजगार सृजित करती हैं।
- **वैश्विक चीनी क्षेत्रक:** भारत, ब्राजील के बाद विश्व में **दूसरा** सबसे बड़ा उत्पादक है। वैश्विक रूप से चीनी एवं गन्ने के उत्पादन में इसकी हिस्सेदारी क्रमशः लगभग 15 प्रतिशत और 25 प्रतिशत है।
- **अन्य उद्योगों के साथ संबंध:** चीनी उद्योग का विकास चीनी के उप-उत्पादों, जैव-विद्युत, जैव-खाद्य और रसायन के निर्माण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

भारत में चीनी उद्योग का विकास

- चीनी क्षेत्रक को नियंत्रण मुक्त करने की दिशा में बड़ा कदम वर्ष 1998 में नई चीनी मिलों के लिए **लाइसेंसिंग की आवश्यकता को समाप्त करके** उठाया गया था।
    - लाइसेंस प्रणाली की समाप्ति से चीनी क्षेत्रक की क्षमता में **वर्ष 1990-91 से 1997-98 के मध्य 3.3 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि** की तुलना में **वर्ष 1998-99 से 2011-12 के मध्य लगभग 7 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि** हुई थी।
- लाइसेंस समाप्ति का चीनी उद्योग के **संरचनात्मक परिवर्तन** में भी उल्लेखनीय योगदान रहा है। वर्ष 1997-98 तक, चीनी उद्योग में चीनी सहकारी निगमों का वर्चस्व था, जबकि वर्ष 2011-12 में इसमें उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ और कुल स्थापित क्षमता में निजी क्षेत्रक की हिस्सेदारी सर्वाधिक हो गई है।
- यद्यपि लाइसेंस समाप्ति से चीनी क्षेत्रक में कुछ कानून समाप्त हो गए, तथापि अन्य कानून (अर्थात् मूल्य निर्धारण नीति, अनिवार्य जूट पैकेजिंग आदि) यथावत ही बने रहे। इन कानूनों के प्रेरक तत्व निम्नलिखित थे:
    - गन्ने के खराब होने की अत्यधिक संभावना;
    - गन्ना उत्पादक किसानों के भूस्वामित्व में कमी; और
    - चीनी का मूल्य कम रखने की आवश्यकता, क्योंकि इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Public Distribution System: PDS) द्वारा वितरित किए जाने की अनिवार्यता होती है।

भारत में चीनी उद्योग से संबंधित समस्याएँ

विनियमन संबंधी समस्याएँ

- **गन्ना आरक्षित क्षेत्र और बाध्यता:** प्रत्येक निर्दिष्ट मिल गन्ना आरक्षित क्षेत्र के गन्ना किसानों से खरीद के लिए बाध्य है, इसके विपरीत, किसान भी निर्दिष्ट मिलों को ही गन्ना बेचने के लिए बाध्य हैं। इससे मिल को गन्ने की न्यूनतम आपूर्ति सुनिश्चित होती है, जबकि मिल को एक निश्चित न्यूनतम मूल्य पर खरीदने के लिए प्रतिबद्ध होना पड़ता है।
    - यह व्यवस्था **किसानों की सौदेबाजी की क्षमता को घटाती** है। किसान **विगत वर्ष के गन्ने का मूल्य बकाया** (जब चीनी मिल मालिक किसानों को गन्ना आपूर्ति का भुगतान देने में विलंब करता है) होने पर भी मिल को गन्ना बेचने के लिए बाध्य होते हैं।
    - दूसरी ओर, चीनी मिलें गन्ना आपूर्ति बढ़ाने में असमर्थ होती हैं, विशेषकर जब किसी गन्ना आरक्षित क्षेत्र में गन्ने का उत्पादन कम हुआ हो। साथ ही, मिल को उस क्षेत्र के किसानों द्वारा आपूर्ति किए गए गन्ने की गुणवत्ता से समझौता करना पड़ता है।
- **न्यूनतम दूरी संबंधी मापदंड:** गन्ना नियंत्रण आदेश के अंतर्गत, केंद्र सरकार ने **चीनी मिलों के मध्य कम से कम 15 किमी की दूरी** रखने का सुझाव दिया था। इस प्रावधान से यह संभावना व्यक्त की गई थी कि सभी मिलों के लिए गन्ने की न्यूनतम उपलब्धता सुनिश्चित होगी।
    - यह मापदंड प्रायः बाजार में विसंगति उत्पन्न करता है। यह मीलों को बड़े क्षेत्र में किसानों पर अप्रत्यक्ष रूप से एकाधिकार प्रदान करता है, विशेषकर जहाँ छोटी जोतें विद्यमान हैं। इसके अंतर्गत विनियमन की व्यवस्था उद्यमियों के प्रवेश और निवेश को बाधित करती है।

VISION IAS

- **गन्ना के मूल्य-निर्धारण की नीति {उचित और लाभकारी मूल्य (Fair and Remunerative Price: FRP) और राज्य परामर्शित मूल्य (State Advised Price: SAP)}:** गन्ने के दोहरे मूल्य निर्धारण की प्रणाली गन्ने की अर्थव्यवस्था को विकृत करती है तथा गन्ने के बकाया मूल्यों को बढ़ावा देती हैं।
    - चीनी मिलों को गन्ना किसानों को FRP/SAP का भुगतान करना होता है, भले ही बाजार मूल्य कुछ भी हो।
    - चीनी मिलों का दावा है कि गन्ने के FRP का भुगतान करना उनके लिए कठिन हो रहा है, क्योंकि चीनी की औसत उत्पादन लागत चीनी के न्यूनतम विक्रय मूल्य से अधिक है और इसका प्रचलन उनके लिए हानिकारक सिद्ध हो रहा है।
- **चीनी के लिए विक्रय नीति:** निर्यात और आयात, दोनों सरकार द्वारा नियंत्रित किए गये थे। ये नियंत्रण गन्ने की घरेलू उपलब्धता, माँग और मूल्य पर विचार करने के बाद लागू किए गए हैं।
    - इसके परिणामस्वरूप, चीनी के विश्व व्यापार में भारत का हिस्सा कम है। वैश्विक चीनी उत्पादन में भारत 17 प्रतिशत का योगदान करता है (विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है), इसके बावजूद निर्यात में इसकी हिस्सेदारी मात्र 4 प्रतिशत है।
    - इसके लिए उत्तरदायी कारण गन्ना उद्योग एवं उसके उत्पादन में व्यापक अस्थिरता का विद्यमान होना है।
- **उपोत्पाद से संबंधित कानून:** गन्ने के उपोत्पादों, जैसे गुड़ और खोई पर कई प्रकार के प्रतिबंध आरोपित किए गए हैं।
    - राज्य सरकारें गुड़ के अंतिम उपभोक्ताओं के लिए भिन्न-भिन्न मात्रा निर्धारित करती हैं तथा उनका राज्य की सीमाओं के बाहर स्थानांतरण प्रतिबंधित करती हैं।
    - चीनी मिलों द्वारा खोई से उत्पन्न विद्युत को दूसरे राज्यों में बेचने पर प्रतिबंध हैं। इस प्रकार के प्रतिबंध राजस्व की प्राप्ति को बाधित करते हैं और आर्थिक दक्षता को घटाते हैं।
- **चीनी की जूट में पैकिंग की अनिवार्यता: जूट पैकेजिंग सामग्री (Jute Packaging Material: JPM) अधिनियम, 1987** के अंतर्गत 20 प्रतिशत चीनी को अनिवार्य रूप से अलग-अलग जूट के बोरों में पैक करना अनिवार्य है। चीनी उद्योग का अनुमान है कि इससे चीनी की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के अतिरिक्त, लागत में लगभग 40 पैसे प्रति किग्रा की वृद्धि होती है।

अन्य समस्याएँ

- **चीनी की उच्च उत्पादन लागत:** चीनी की उत्पादन लागत वर्ष 2017-18 में 2080 रूपए प्रति क्विंटल के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य की तुलना में 3,580 रूपए प्रति क्विंटल थी। उत्पादन की यह बढ़ी हुई लागत आगे FRP को बढ़ाती है।
    - **इसके लिए उत्तरदायी कारणों** में गन्ने की उच्च लागत, गैर-किफायती उत्पादन प्रक्रिया, अप्रभावी प्रौद्योगिकी और राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा आरोपित अत्यधिक कर शामिल हैं।
    - भारत में गन्ने की खेती के अंतर्गत विश्व की सर्वाधिक भूमि शामिल है, लेकिन प्रति हेक्टेयर उपज बहुत कम होती है। गन्ना उत्पादन दक्षिण भारत की तुलना में उत्तर भारत में कम होता है। इससे उत्पादन लागत और इसके फलस्वरूप FRP में वृद्धि हो जाती है।
    - **गन्ने से चीनी प्राप्ति की औसत दर** 10 प्रतिशत से कम है, जो जावा, हवाई और आस्ट्रेलिया जैसे चीनी उत्पादक क्षेत्रों के 14 प्रतिशत की तुलना में बहुत कम है।
- **उद्योग की मौसमी प्रकृति:** चीनी उद्योग की प्रकृति मौसमी है तथा गन्ना पेराई का मौसम वर्ष के 4 से 7 महीने तक ही रहता है, जिससे चीनी मिल और उसके कर्मचारी वर्ष के आधे समय तक बेरोजगार बने रहते हैं।
- **चीनी मिलों की अप्रभाविता:** निजी क्षेत्र की अधिकांश मिलें पाँच से दस दशक पहले स्थापित की गई थी। ऐसी इकाइयों की निम्न दक्षता के कारण उत्पादन लागत अत्यधिक है।
- **माँग-आपूर्ति के मध्य असंतुलन:** चीनी के स्थान पर उपयोग में आ सकने वाले वैकल्पिक स्वीटनर के प्रचलन के कारण चीनी की माँग में गिरावट हुई है, जबकि कुल उत्पादन में लगातार वृद्धि होने के कारण माँग-आपूर्ति के मध्य असंतुलन उत्पन्न हो गया है।

सरकार द्वारा उठाए गए कुछ हालिया कदम

- **प्रभार शुल्क में परिवर्तन:** आयात शुल्क में 50 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है, जबकि निर्यात शुल्क में 20 प्रतिशत की कटौती की गई है।
- **शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार (Duty Free Import Authorisation: DFIA) योजना:** इसके अंतर्गत निर्यातकों को तीन वर्ष तक शून्य शूल्क पर चीनी आयात करने की अनुमति दी गई है।
- **निर्यात की अनुमति:** सरकार ने 2017-18 के विपणन वर्ष के अंत तक दो मिलियन टन चीनी के निर्यात की अनुमति दी थी, ताकि अधिशेष स्टॉक को कम किया जा सके और गन्ना किसानों को भुगतान करने के लिए मिल मालिकों की नकदी प्रवाह में सुधार किया जा सके।

VISION IAS

- **चीनी मिलों की भंडारण सीमा**: जून 2018 से केंद्र सरकार द्वारा प्रत्येक महीने में घरेलू बिक्री/प्रेषण के लिए सफेद/रिफाइंड चीनी की प्रत्येक मिल हेतु मात्रा निर्धारित करने का विचार व्यक्त किया गया था।
    - इसके अंतर्गत, सरकार ने **अधिकतम मासिक चीनी बिक्री कोटा** और **न्यूनतम एक्स-मिल चीनी बिक्री मूल्य** निर्धारित किया है।
- **30 लाख टन क्षमता के चीनी भंडार के बफ़र का निर्माण:** इससे चीनी मिलों की बड़ी इन्वेंटरी में कटौती के साथ-साथ स्वीटनर के मूल्यों में थोड़ी कमी आएगी और मिल मालिकों के मार्जिन में वृद्धि करने में सहायता प्राप्त होगी।
- **अन्य सब्सिडी:** सरकार ने उत्पादन सब्सिडी, परिवहन सब्सिडी और 50 लाख टन निर्यात कोटा भी प्रदान किया है।
- **इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम:** केंद्र सरकार ने देश भर में पेट्रोल में 10 प्रतिशत इथेनॉल के मिश्रण को अनिवार्य कर दिया है।
- **नई जैव-ईंधन नीति 2018,** चीनी मिल/डिस्टिलरी को गन्ने के रस, गुड़, अनाज, आलू आदि से इथेनॉल बनाने की अनुमति प्रदान करती है। यह वर्ष 2030 तक पेट्रोल में 20 प्रतिशत इथेनॉल और डीजल में 5 प्रतिशत बायो-डीजल के मिश्रण के सांकेतिक लक्ष्य की भी परिकल्पना करती है।

नीति आयोग कार्यबल के सुझाव

- **वर्धित न्यूनतम बिक्री मूल्य:** सरकार गैर-दबावग्रस्त मिलों के लिए चीनी के न्यूनतम बिक्री मूल्य (Minimum Selling Price: MSP) में एकमुश्त वृद्धि कर इसे 33 रूपए/किग्रा (31 रूपए से बढ़ाकर) करने पर विचार कर रही है।
    - इससे ब्याज, रखरखाव लागत आदि सहित उत्पादन लागत की क्षतिपूर्ति करने में चीनी मिलों को सहायता मिलेगी।
    - इसके अतिरिक्त, चीनी के लिए MSP में वृद्धि की अधिसूचना के छः महीने बाद इसकी समीक्षा की जानी चाहिए।
- **चीनी पर उपकर लगाना:** तीन वर्ष के लिए 50 रूपए/क्विंटल (निर्यात को छोड़कर)।
    - इससे लगभग 4,500 करोड़ रूपये तक की राशि एकत्रित हो सकती है, जिससे मिलों को प्रौद्योगिकी में सुधार या किसानों को भुगतान करने के लिए ब्रिज फंडिंग प्रदान करने में या आसान ऋण प्रदान करने में बैंकों को सुविधा प्राप्त होगी।
- **किसानों पर गन्ने की खेती छोड़ने का दबाव:** सरकार द्वारा गन्ने की खेती के लिए कुल भू स्वामित्व के 85 प्रतिशत तक पर ही गन्ने की खेती करने जैसी ऊपरी सीमा निर्धारित की जा सकती हैं।
    - इसके अतिरिक्त, गन्ने के इतर वैकल्पिक फसलों की खेती को अपनाने वाले किसानों को 6000 रूपये प्रति हेक्टेयर का **नकद प्रोत्साहन** भी दिया जा सकता है।
- **किसानों को सहायता:** किसानों को **उचित और पारिश्रमिक मूल्य (FRP)** से कम मूल्य प्राप्त होने से बचाने के लिए मूल्य स्थिरीकरण निधि के साथ **राजस्व साझाकरण सूत्र (Revenue Sharing Formula: RSF)** आरंभ करना।
    - इसके पूर्व, **सी रंगराजन समिति** ने अनुशंसा की थी कि गन्ने की मूल्य श्रृंखला में उत्पन्न राजस्व/मूल्य का किसान और मिल मालिकों के बीच समान तरीके से साझाकरण होना चाहिए।

भारत में गन्ने का मूल्य-निर्धारण

भारत में गन्ने का मूल्य-निर्धारण **आवश्यक वस्तु अधिनियम (ECA), 1995** के अंतर्गत निर्गत **गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966** के वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप किया जाता है।

उचित और पारिश्रमिक मूल्य (Fair and Remunerative Price: FRP)

- यह **कृषि लागत और मूल्य आयोग (Commission for Agricultural Costs and Prices: CACP) की अनुशंसाओं** के आधार पर, राज्य सरकारों और चीनी उद्योग संघों से परामर्श करने के बाद केंद्र सरकार द्वारा घोषित गन्ने का मूल्य है।
- FRP, **मिल द्वारा किसानों को भुगतान** किया जाने वाला न्यूनतम मूल्य होता है।
- इसके द्वारा पूर्व के **वैधानिक न्यूनतम मूल्य (Statutory Minimum Price: SMP)** प्रणाली को प्रतिस्थापित कर दिया गया है।
    - FRP प्रणाली के अधीन, किसानों को मौसम समाप्त होने तक या चीनी मिलों अथवा सरकार द्वारा लाभों से संबंधित किसी घोषणा तक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं होती है।
- यह लाभ और जोखिम के दृष्टिकोण से **मुनाफे का आश्वासन** देता है, चाहे चीनी मिल को लाभ हो या नहीं, साथ ही, यह किसी विशेष चीनी मिल के प्रदर्शन पर निर्भर नहीं करता हैं।
- यह निम्नलिखित **मापदंडों** पर आधारित है -
    - गन्ने के उत्पादन की लागत;
    - वैकल्पिक फसलों से उत्पादकों को लाभ तथा कृषि जिंसों के मूल्यों की सामान्य प्रवृत्ति;

VISION IAS

- उपभोक्ताओं को उचित दर पर चीनी की उपलब्धता;
  - उत्पादनकर्ताओं द्वारा गन्ने से उत्पादित चीनी जिस मूल्य पर बेची जाती है;
  - गन्ने से चीनी की रिकवरी;
  - सह-उत्पादों अर्थात शीरा, खोई तथा प्रैस मड (शीरा के प्रसंस्करण के बाद प्राप्त अपशिष्ट) के विक्रय से प्राप्त राशि या उनके अभ्यारोपित मूल्य;
  - जोखिम और लाभ के कारण गन्ना उत्पादकों के लिए उचित मार्जिन।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि अपेक्षाकृत अधिक चीनी रिकवरियों का पर्याप्त रूप से प्रतिफल प्राप्त हो सके और चीनी मिलों के मध्य विभिन्नताओं पर विचार करते हुए, गन्ने से चीनी की अधिक रिकवरी के लिए किसानों को देय प्रीमियम के साथ उचित और लाभकारी मूल्य (FRP) को चीनी की मूल रिकवरी दर से सम्बद्ध किया गया है।

राज्य परामर्शित मूल्य (State Advised Price: SAP): उत्पादन लागत में अंतर, उत्पादकता स्तरों और कृषक समूहों के दबाव के परिणामस्वरूप, कुछ राज्य सरकारों द्वारा राज्य विशिष्ट गन्ना मूल्य की घोषणा की जाती हैं, जिसे **राज्य परामर्शित मूल्य (SAP)** कहा जाता है, जो प्रायः FRP से अधिक होता है।

चीनी के मूल्य-निर्धारण की नीति

- चीनी का मूल्य बाजार द्वारा परिचालित होता है तथा चीनी की माँग एवं आपूर्ति पर निर्भर करता है। फिर भी, किसानों के हितों की रक्षा के दृष्टिकोण से, **न्यूनतम विक्रय मूल्य (MSP)** की अवधारणा की शुरुआत की गई हैं, ताकि उद्योगों को कम से कम चीनी के उत्पादन की न्यूनतम लागत प्राप्त हो सके और वे किसानों को गन्ने के बकाया मूल्य का भुगतान करने में सक्षम हो सकें।
- **उचित और पारिश्रमिक मूल्य (FRP) के घटकों** और सर्वाधिक दक्ष मिलों की **न्यूनतम रुपांतरण लागत** को ध्यान में रखते हुए चीनी का MSP निर्धारित किया गया है।

3.9. राष्ट्रीय मत्स्य पालन नीति 2020 का मसौदा (Draft National Fisheries Policy 2020)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, मत्स्य पालन विभाग ने **"राष्ट्रीय मत्स्य पालन नीति (National Fisheries Policy: NFP) 2020" का मसौदा** जारी किया है।

भारत में मत्स्य पालन क्षेत्र

- मत्स्य पालन भारत में **भोजन, पोषण, रोजगार** और आय का महत्वपूर्ण स्रोत है।
  - यह क्षेत्रक प्राथमिक स्तर पर लगभग 16 मिलियन मछुआरों और मत्स्य पालकों को रोजगार प्रदान करता है और लगभग दोगुना लोगों को मूल्य श्रृंखला में रोजगार प्रदान करता है।
  - कृषि GDP में इस क्षेत्रक की लगभग **6.58 प्रतिशत** की हिस्सेदारी है।
- **समुद्री मत्स्यन निर्यात** भारत के कुल निर्यात का लगभग 5 प्रतिशत और कृषि निर्यात (2017-18) का 19.23 प्रतिशत है।
- हाल के वर्षों में, भारत में मत्स्यन उत्पादन में **7 प्रतिशत से अधिक की वार्षिक वृद्धि दर हुई है।**
- भारत मत्स्य उत्पादन के मामले में **दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक** देश है।
- भारत में मत्स्य पालन के दो क्षेत्र हैं - **अंतर्देशी जल मत्स्य पालन और समुद्री मत्स्य पालन**। कुल मत्स्य उत्पादन में **अंतर्देशी क्षेत्र का हिस्सा लगभग 65 प्रतिशत** है और शेष हिस्सा समुद्री मत्स्य पालन का है।
- **मत्स्य पालन एक राज्य सूची का विषय है,** इसलिए राज्य द्वारा मत्स्य पालन अभिशासन में निर्णायक भूमिका निभाई जाती हैं।
  - जहाँ अंतर्देशी मत्स्य पालन का संपूर्ण प्रबंधन राज्य सरकारों के द्वारा किया जाता है, वहीं समुद्री मत्स्य पालन का प्रबंधन केंद्र और तटीय राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों का साझा उत्तरदायित्व है।
  - तटीय राज्य/संघ राज्य क्षेत्र समुद्री जल में 12 नॉटिकल मील (22 कि.मी.) समुद्री सीमा के भीतर मत्स्य पालन के विकास, प्रबंधन और विनियमन के लिए उत्तरदायी हैं।
  - केंद्र सरकार, EEZ जलीय क्षेत्र में 12 नॉटिकल मील से 200 नॉटिकल मील तक विकास, प्रबंधन और विनियमन के लिए उत्तरदायी है।

VISION IAS

नीति की आवश्यकता

- **मत्स्य पालन क्षेत्र को निम्नलिखित बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है, जिससे इस क्षेत्र की वृद्धि स्थिर बनी हुई है:**
    - प्रादेशिक जल क्षेत्र में अति मत्स्यन, कमजोर विनियमन, अकुशल प्रबंधन और मछली संग्रहण की पारंपरिक पद्धतियों के प्रचलन के कारण इस क्षेत्र में विस्तार की सीमित संभावनाएं विद्यमान हैं।
    - विशेष रूप से फिशिंग हार्बर, लैंडिंग सेंटर, कोल्ड चेन और वितरण प्रणालियाँ, निम्नस्तरीय प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन, बर्बादी, जाँच एवं प्रमाणन आदि से संबंधित **अपर्याप्त अवसंरचना** तथा कुशल श्रमशक्ति की अनुपलब्धता है।
    - **अंतर्देशी जल मत्स्यन में** मत्स्य पालन गतिविधियों की मौसमी प्रकृति, प्राकृतिक जल स्रोतों में कमी, कार्य अवधि और पट्टा अधिकारों से संबंधित समस्याएँ, मछली संग्रहण के लिए पुरानी तकनीक का उपयोग करना और कम पूँजी निवेश जैसी कुछ उल्लेखनीय समस्याओं का विद्यमान होना।
        - रोग, प्रजातीय विविधता का अभाव एवं आनुवांशिक सुधार, निम्नस्तरीय अंडे एवं संतति आदि प्रजाति विशिष्ट बाधाओं का विद्यमान होना।
    - **अन्य समस्याओं में शामिल है:** अधिक इनपुट लागत, संस्थागत ऋण तक पहुँच का अभाव, ऋण गारंटी और बीमा, पर्यावरणीय संधारणीयता आदि।
- इसलिए, राष्ट्रीय मत्स्य पालन नीति, मत्स्य पालन क्षेत्र के विकास को सक्षम बनाने एवं त्वरित करने के लिए नीतिगत समर्थन से क्षेत्रीय लाभ समेकित करने और संधारणीय विकास सुनिश्चित करने जैसे उद्देश्यों को शामिल किए हुए हैं।
    - यह अति महत्वपूर्ण नीतिगत ढाँचे के रूप में कार्य करेगी, जो राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को राज्य विशिष्ट नीतियों और विधियों के निर्माण में दिशा-निर्देश प्रदान करेगी। इसके विनियामक तथा विकासात्मक विशेषताओं के माध्यम से नीतियों और विधियों का अल्पकालिक, मध्यकालिक और दीर्घकालिक योजनाओं के द्वारा कार्यान्वयन किया जाएगा।

मसौदा नीति का उद्देश्य

- मत्स्यन एवं मत्स्य पालन की क्षमता का इष्टतम दोहन करना।
- सुदृढ़ प्रबंधन एवं नियामक ढांचा।
- मानकीकृत संचालन प्रक्रियाओं (SoPs) के माध्यम से अंतर्देशीय मत्स्य पालन और जलीय कृषि को बढ़ावा देना।
- मूल्य श्रृंखला को सुदृढ़ और आधुनिक बनाना।
- वैश्विक मानकों के अनुरूप मानकीकृत मत्स्यन का विश्व स्तरीय प्रतिस्पर्धी विपणन, व्यापार और निर्यात करना।
- संस्थागत ऋण की उपलब्धता।
- भोजन एवं पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना।

प्रारूप नीति की मुख्य विशेषताएँ:

- **मत्स्य प्रबंधन योजना (Fisheries Management Plan: FMPs):** केंद्र सरकार द्वारा मत्स्यन हेतु पारिस्थितिक तंत्र दृष्टिकोण (Ecosystem Approach to Fisheries: EAF) अपनाकर संबंधित राज्य के परामर्श से देश के समुद्री मत्स्य संसाधनों के वैज्ञानिक प्रबंधन और विनियमन के लिए **मत्स्य प्रबंधन योजना (FMPs)** निर्मित की जाएगी।
- **एकीकृत मत्स्य विकास योजना (Integrated Fisheries Development Plan: IFDP):** सरकार अपनी अर्थव्यवस्था में भागीदारी बढ़ाने के लिए द्वीपों हेतु एकीकृत मत्स्य विकास योजना (IFDP) को निर्मित और कार्यान्वित करेगी।
- **मत्स्य स्थानिक योजनाएं (Fisheries Spatial Plans: FSP):** राज्य सरकारें तटीय विनियमन क्षेत्र (Coastal Regulation Zone: CRZ) नियमों का संज्ञान लेने के पश्चात्, केंद्र सरकार द्वारा डेटा प्रबंधन, विश्लेषण, मॉडलिंग और निर्णय लेने के लिए तैयार दिशानिर्देशों के आधार पर मत्स्य स्थानिक योजनाएं (FSP) विकसित करेंगी।
- **विधिक उपाय:** केंद्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) में समग्र संसाधन उपयोग के लिए एक व्यापक कानून (**"राष्ट्रीय समुद्री मत्स्य विनियमन और प्रबंधन विधेयक 2019") भी अधिनियमित करेगा।**
- **डेटाबेस:** सरकार, विभिन्न मत्स्य संसाधनों के विषय में फील्ड डेटा एकत्र करने और रिपोर्ट करने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों को सम्मिलित करते हुए एक **'राष्ट्रीय मत्स्य पालन डेटा अधिग्रहण योजना (National Fisheries Data Acquisition Plan: NFDAP)'** को कार्यान्वित करेगी।
- **राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास परिषद (National Fisheries Development Council: NFDC):** इसकी स्थापना नीति के कार्यान्वयन, इसके उद्देश्यों और प्रगति की समीक्षा करने के लिए समग्र मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु की जाएगी।

VISION IAS

- **राष्ट्रीय समुद्री मात्स्यिकी प्राधिकरण (National Marine Fisheries Authority: NMFA):** इसे संधारणीय **मत्स्यन, मत्स्यन प्रबंधन योजना,** क्षमता निर्माण आदि को सुनिश्चित करने की शक्तियां प्राप्त होंगी।
- **निजी निवेश:** सार्वजनिक निजी भागीदारी की एक सुदृढ़ प्रणाली विकसित की जाएगी, जिसमे निजी क्षेत्रक, उद्योग, किसान, समुदाय, सरकार, अनुसंधान संस्थान और नागरिक समाज इसके भागीदार होंगे।
- **एक्वाकल्चर के विकास हेतु क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण:** इसमें बाजार एवं निर्यात उन्मुख उच्च मूल्य प्रजातियों और समन्वित विकास को सक्षम करने हेतु विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों की उत्पादन क्षमता पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
- **कल्याण एवं लैंगिक समानता:** महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक कल्याण के लिए लैंगिक समानता के साथ-साथ महिलाओं को मुख्यधारा में लाए जाने की प्रक्रिया को मत्स्यन और जल कृषि मूल्य श्रृंखला का अभिन्न अंग बनाया जाएगा।
- **अनुबंध कृषि:** यदि संभव हो तो राज्य, मत्स्यन क्षेत्र में प्रसंस्करणकर्ताओं और मछुआरों/मत्स्य पालकों द्वारा उनके पारस्परिक लाभ हेतु सहमत शर्तों पर आधारित अनुबंध कृषि और सहयोगात्मक कृषि को प्रोत्साहित और सुदृढ़ करेंगे।
- **विभिन्न क्षेत्रों में किए जाने वाले हस्तक्षेपों में सम्मिलित हैं:**
    - **मत्स्य प्रबंधन:**
        - **'राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे के क्षेत्रों' (Areas Beyond National Jurisdiction: ABNJ)** में जहां गहरे समुद्रों में मत्स्य संसाधनों के दोहन की पर्याप्त संभावना है, वहाँ सरकार मत्स्य संसाधनों के दोहन को बढ़ावा देगी।
        - भारत के संप्रभु जल क्षेत्रों में मछली पकड़ने से संबंधित गतिविधियों के लिए मत्स्यन करने **वाले विदेशी जहाजों को अनुमति नहीं होगी।**
    - **जलकृषि (Mariculture):**
        - आनुवंशिक रूप से संशोधित (GM) प्रजातियों के लिए **जलकृषि** की अनुमति नहीं होगी।
        - चिन्हित जलकृषि क्षेत्र के भीतर, सरकार कुछ क्षेत्रों को **जलकृषि प्रौद्योगिकी पार्कों के** रूप में निर्दिष्ट करेगी।
    - **अंतर्देशीय मत्स्यन:**
        - निकटवर्ती क्षेत्रों में **समर्पित बीज उत्पादन इकाइयाँ विकसित करके** देशी प्रजातियों के सीड रैन्चन (seed ranching) के माध्यम से देशी प्रजातियों की आबादी को बढ़ाया जाएगा।
        - राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, उपयुक्त आर्द्रभूमि में महत्वपूर्ण मछली प्रजातियों के संरक्षण के लिए कुछ जल निकायों को **"मछलियों के लिए आरक्षित"** घोषित कर सकते हैं।
        - ठंडे जल क्षेत्रों में मत्स्यन को बढ़ावा देने के लिए उन्नत देशों के सहयोग से साल्मन, स्टर्जन, ब्राउन ट्राउट आदि जैसी **उपयुक्त उच्च मूल्यवान प्रजातियों** को शामिल किया जाएगा।
    - **अलवणीय जलकृषि:** छोटे तालाब धारकों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए, राज्यों द्वारा प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग और **किसान उत्पादक संगठनों** (Farmers Producer Organizations: FPOs) के गठन के माध्यम से मत्स्य उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रयास किए जाएंगे।
    - **लवणीय जलकृषि:** यह सुनिश्चित करने के लिए कि **अपशिष्ट जल** में उत्पादित मछलियों का उपभोग करना सुरक्षित है, संबंधित एजेंसियों के मध्य समन्वय के साथ उपयुक्त नियामक, प्रबंधन और निवारक उपाय किए जाएंगे।

3.10. चावल निर्यात संवर्धन फोरम (Rice Export Promotion Forum: REPF)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सरकार द्वारा **"कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ निर्यात संवर्धन विकास प्राधिकरण (Agricultural and Processed Foods Export Promotion Development Authority: APEDA)"** के तत्वावधान में **चावल निर्यात संवर्धन फोरम (REPF)** की स्थापना की गई है।

चावल निर्यात संवर्धन फोरम (REPF) के विषय में

- इसका उद्देश्य वैश्विक बाजार में इन निर्यातों को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाने के लिए **चावल के निर्यात की संपूर्ण उत्पादन/आपूर्ति श्रृंखला में** हितधारकों की पहचान करना, विवरणों का दस्तावेज़ीकरण करना और उन तक पहुंचना है।
    - यह चावल के उत्पादन और निर्यात से संबंधित घटनाक्रमों की निगरानी, पहचान और पूर्वानुमान करेगी और **आवश्यक नीतिगत उपायों की अनुशंसा करेगी।**

VISIONIAS

    ○ यह **चावल उत्पादकों, निर्यातकों और अन्य संबंधित हितधारकों से** संपर्क स्थापित करेगी तथा उनकी समस्याओं की पहचान और उनका समाधान करने हेतु समर्थन एवं सहायता प्रदान करेगी।
- इसमें चावल उद्योग, निर्यातकों, APEDA, वाणिज्य मंत्रालय, कृषि मंत्रालय के अधिकारियों एवं पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा आदि जैसे प्रमुख चावल उत्पादक राज्यों के कृषि निदेशकों के प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे।

APEDA के विषय में

- **APEDA को कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1985 के** अंतर्गत स्थापित किया गया था।
- यह **वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के** अधीन है।
- इसे फलों, सब्जियों, मांस, पोल्ट्री, डेयरी उत्पादों, पुष्पकृषि, अल्कोहलिक और गैर-अल्कोहलिक पेय पदार्थ जैसे **उत्पादों के निर्यात संवर्धन एवं विकास की ज़िम्मेदारी का अधिदेश प्राप्त है।**
- **APEDA, कृषि निर्यात संवर्धन योजना** के तहत इसके उप-घटकों - बाजार विकास, अवसंरचना विकास, गुणवत्ता विकास और परिवहन सहायता के अंतर्गत पंजीकृत निर्यातकों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
- APEDA को **चीनी के आयात निगरानी** का भी उत्तरदायित्व सौंपा गया है।

भारत में चावल का उत्पादन

- भारत, **विश्व में चावल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है** तथा वर्ष 2011 में गैर-बासमती चावल के निर्यात की अनुमति मिलने के बाद से चावल का **सबसे बड़ा निर्यातक रहा** है।
- चावल की अत्यधिक कृषि **खरीफ ऋतु** में ही की जाती है, जबकि कुछ कृषि सिंचाई की सुविधा वाले क्षेत्रों में रबी /ग्रीष्मऋतु में भी की जाती है।
- **भारत में चावल उत्पादन** वर्ष 2010-11 में लगभग 96 मिलियन टन था, जो वर्ष 2019-20 में बढ़कर 117.47 मिलियन टन (22 प्रतिशत की वृद्धि) हो गया है।

डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस (Direct Seeding of Rice: DSR)

- आगामी खरीफ ऋतु में धान की रोपाई के लिए **पंजाब और हरियाणा में मजदूरों की कमी हो सकती है।**
    ○ इस स्थिति ने, अब इन राज्यों को पारंपरिक रोपाई के स्थान पर **DSR पद्धति अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया है।**

DSR पद्धति के बारे में

- **DSR पद्धति,** नर्सरी में विकसित की गई चावल की पौध की रोपाई के स्थान पर खेत में बोए गए बीजों से चावल की फसल लगाने की प्रक्रिया को संदर्भित करती है।
    ○ रोपाई की प्रक्रिया में, किसान नर्सरी तैयार करते हैं, जहाँ धान के बीजों को पहले बोया जाता है और उन्हें छोटे पौधों के रूप में उगाया जाता है। इन पौधों को तब 25-35 दिनों के बाद जड़ सहित उखाड़ लिया जाता है और स्थिर जल वाले मुख्य खेत में रोपा जाता है।
        ▪ इससे पौधों की एक समान ऊँचाई सुनिश्चित होती है और चावल की फसल को वृद्धि करने वाले खरपतवारों की तुलना में अच्छी आरंभिक बढ़त मिलती है।
- **DSR पद्धति** में, जल को वास्तविक रासायनिक शाकनाशियों से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है।
    ○ रोपाई में, **स्थिर जल शाकनाशी के रूप में कार्य करता है** और जलमग्न अवस्था में खरपतवारों को ऑक्सीजन की उपलब्धता से वंचित कर उनकी वृद्धि को बाधित करता है।
- **DSR पद्धति के लाभ:** सिंचाई जल, श्रम, ऊर्जा, समय की बचत के साथ-साथ, ग्रीनहाउस-गैसों के उत्सर्जन को कम करता है, आदि।
- **DSR पद्धति से हानि:** उच्च खरपतवार संक्रमण, खरपतवार युक्त चावल का विकास, मृदा जनित रोगजनकों (सूत्रकृमियों) में वृद्धि, पोषक तत्व विकार, पक्षियों और चूहों, चावल का झुलसा रोग (rice blast), भूरी चित्ती रोग (Brown Spot) रोग आदि का जोखिम।

समर्पित फोरम की आवश्यकता

- **भारत के कृषि-निर्यात मदों में चावल सबसे बड़ी वस्तु है:** वर्ष 2018-19 में चावल का निर्यात 7.77 बिलियन डॉलर का था, जिसमें बासमती का निर्यात 4.72 बिलियन डॉलर और गैर-बासमती का 3.05 बिलियन डॉलर था।

* **चावल निर्यातकों के समक्ष मौजूद चुनौतियों का समाधान करना:** इस क्षेत्रक की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रभावित करने वाली और उनके प्रभावी समाधान के लिए विभिन्न हितधारकों की भागीदारी की आवश्यकता है-
    * अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों पर विचार किये बिना **न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि** करना।
    * कीटनाशक अवशेषों आदि के विषय में अंतर्राष्ट्रीय मानकों का अनुपालन करना।
    * घरेलू मूल्य वृद्धि के मामले में निर्यात पर प्रतिबंध लगाना।
    * अनुचित गोदाम प्रबंधन और परिवहन सुविधाओं आदि जैसे लॉजिस्टिक संबंधी मुद्दे।
* **भारतीय चावल की किस्मों की वैश्विक मांग का लाभ उठाना:** इसे विपणन, चावल के उत्पादन में तकनीकी विकास आदि जैसे क्षेत्रों में, हितधारकों को सभी स्तरों पर शिक्षित करने के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।
* **नए बाजारों की खोज और भारतीय ब्रांड की स्थापना:** चावल का उपभोग करने वाले विश्व के प्रमुख क्षेत्रों में भारतीय चावल की क्षमता का दोहन करने के लिए, दीर्घकालिक प्रचार योजनाओं को निर्मित और निष्पादित करने की आवश्यकता है।
* **जागरूकता का अभाव:** निर्यात प्रक्रियाओं/प्रमाणन के संदर्भ में नवीनतम जानकारी और सूचनाओं पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।

4. सुरक्षा (Security)

4.1. सीमा अवसंरचना एवं शेकटकर समिति की सिफारिशें (Border Infrastructure And Shekatkar Committee Recommendations)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सरकार द्वारा **सीमा अवसंरचना** (border Infrastructure) से संबंधित शेकटकर समिति की तीन महत्वपूर्ण सिफारिशों को स्वीकार कर उन्हें कार्यान्वित किया गया।

इन सिफारिशों के बारे में

इस समिति द्वारा की गई तीन सिफ़ारिशें **सड़क निर्माण प्रक्रिया को तीव्र करने** से संबंधित हैं, जिससे सीमावर्ती क्षेत्रों में **सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा** मिलेगा। ये सिफारिशें निम्नलिखित हैं::

- सीमा सड़क संगठन (Border Roads Organisation: BRO) की अधिकतम क्षमता के अतिरिक्त **सड़क निर्माण कार्य को आउटसोर्स (अर्थात् इस कार्य को किसी अन्य इकाई द्वारा कराया जाना) करना। 100 करोड़ रुपये से अधिक** लागत वाले सभी निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु **इंजीनियरिंग खरीद अनुबंध (Engineering Procurement Contract: EPC) मोड को अनिवार्य कर दिया** गया है।
  - EPC मोड के अंतर्गत, निजी अभिकर्ताओं को केवल सड़क निर्माण कार्य हेतु भुगतान किया जाता है तथा इसके अतिरिक्त सड़क के स्वामित्व, टोल या कर संग्रह या रखरखाव आदि में इनकी कोई भूमिका नहीं होती है (ये सभी कार्य सरकार द्वारा किए जाते हैं)।
- **आधुनिक निर्माण संयंत्रों, उपकरणों और मशीनरी** के **घरेलू व विदेशी खरीद** हेतु **BRO की खरीद क्षमता** को 7.5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 100 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
  - सड़कों के त्वरित निर्माण हेतु BRO द्वारा हाल ही में **उन्नत उपकरणों** (जैसे- हॉट-मिक्स प्लांट, रिमोट संचालित हाइड्रोलिक रॉक ड्रिल्स आदि) और **नई तकनीकों** (जैसे- जियो-टेक्सटाइल्स आदि) को शामिल कर लिया गया है।
  - त्वरित वित्तीय निस्तारण हेतु फील्ड अधिकारियों को **अधिक वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार** सौंपे गए हैं।
- **भूमि अधिग्रहण** और वन एवं पर्यावरण मंजूरी जैसी सभी **वैधानिक स्वीकृतियों** को **विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (Detailed Project Report) के अनुमोदन के अधीन** लाया गया है। EPC मोड को अपनाने तथा कम से कम 90% वैधानिक मंजूरी प्राप्त होने के बाद ही कार्य प्रारंभ करने का आदेश दिया जाता है।

सीमा पर अवसंरचनात्मक विकास की आवश्यकता

- **राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु अनिवार्य:** राजनीतिक अस्थिरता, सांस्कृतिक कट्टरता और पड़ोसी देशों द्वारा आतंकवाद को संरक्षण प्रदान किए जाने आदि जैसी स्थितियां भारतीय सीमा को संवेदनशील बनाती हैं।
- चीन जैसे **पड़ोसी देशों के अवसंरचनात्मक निर्माण के समान** ही भारतीय सीमाओं पर ढांचागत संरचना का निर्माण आवश्यक है। उल्लेखनीय है कि चीन द्वारा सीमाओं के किनारे सड़कें, रेलवे लाइन और फाइबर ऑप्टिक्स सहित संचार नेटवर्क कार्य को पूर्ण कर लिया गया है।
- **सीमावर्ती क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों की विकासात्मक आवश्यकताओं एवं उनके कल्याण हेतु भी यह आवश्यक है।** साथ ही उन्हें भीतरी प्रदेशों (hinterland) के साथ एकीकृत करने तथा उनके देखभाल संबंधी सकारात्मक धारणा को स्थापित और लोगों को सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु ढांचागत संरचना का निर्माण आवश्यक है, जिससे सीमाओं के बेहतर उपयोग एवं संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा।
- ढांचागत संरचना की कमी से **सामरिक और रणनीतिक गतिशीलता बाधित** हुई है, जो सैन्य संचालन को चुनौतीपूर्ण बना देता है। साथ ही, भारी युद्धक सामग्रियों और लंबी दूरी तक मार करने वाले उपकरणों को सीमाओं पर ले जाने हेतु **सभी मौसम में कार्य करने वाली एक बेहतर ढांचागत संरचना** को स्थापित किये जाने की आवश्यकता है।
- **वैध व्यापार और यात्राओं को सुविधाजनक बनाकर** तस्करी, मानव दुर्व्यापार, अपराध, आतंकवाद और अवैध प्रवास की रोकथाम एवं निगरानी प्रकिया को बेहतर तरीके से संचालित किया जा सकता है।

सीमा सड़क संगठन (BRO) के बारे में

- वर्ष 1960 में सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क **कनेक्टिविटी प्रदान करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ** BRO को स्थापित किया गया था। यह **रक्षा मंत्रालय के अधीन** कार्यरत एक प्रमुख सड़क निर्माण एजेंसी है।
- इसके द्वारा **उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं पर** सड़क निर्माण तथा रखरखाव कार्यों को संचालित किया जाता है।
- BRO द्वारा **मित्र देशों,** जैसे- भूटान, म्यांमार, अफ़ग़ानिस्तान आदि में भी **सड़कों का निर्माण** किया गया है।

VISION IAS

सीमा पर अवसंरचनात्मक विकास के समक्ष समस्याएं

- **निम्नस्तरीय कार्यान्वयन:** वर्ष 2017 में, CAG (भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक) द्वारा निर्दिष्ट किया गया था कि सीमावर्ती क्षेत्रों में **आवंटित 73 सड़क मार्गों** में से मार्च 2016 तक केवल 22 सड़क मार्गों के निर्माण कार्य को पूरा किया गया था। इसी प्रकार 14 रणनीतिक रेलवे लाइनों के निर्माण का कार्य भी विलम्बित था।
- **निगरानी के अभाव** के परिणामस्वरूप **सड़कों के अनुपयुक्त निर्माण** (दोषपूर्ण डिजाइन, आवागमन संबंधी निम्नस्तरीय स्थिति, अपर्याप्त जल निकासी सुविधाएँ आदि सहित) को बढ़ावा मिला है।
- **सीमाओं के प्रबंधन में अनेक सुरक्षा एजेंसियों की संलग्नता:** भारत में सीमा प्रबंधन के लिए भारतीय थल सेना, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस, सीमा सुरक्षा बल और असम राइफल्स जैसी सुरक्षा एजेंसियां मौजूद हैं, जबकि चीन में सीमा सुरक्षा दायित्व के संचालन हेतु सुरक्षा बलों की एकल कमान को तैनात किया गया है, जो बेहतर सैन्य सयोंजन को दर्शाते हैं।
- **सैन्य कमानों के मध्य समन्वय का अभाव:** कुछ स्थितियों में गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs: MHA) और अन्य स्थितियों में रक्षा मंत्रालय (Ministry of Defence: MoD) के उत्तरदायी होने से प्रबंधन आंशिक रूप से बाधित हो जाता है।
- **कर्मचारियों और आधुनिक उपकरणों का अभाव:** BRO कर्मचारियों की अनुपलब्धता जैसी चुनौतियों से जूझ रहा है। साथ ही, कुशल कर्मचारियों का अभाव, स्थानीय ठेकेदारों पर अत्यधिक निर्भरता आदि समस्याएं बनी हुई हैं।
- सीमा पर ढांचागत संरचना निर्माण के लिए **पर्याप्त धन का अभाव है**। यहां तक कि भारतीय थल सेना द्वारा भी इस मुद्दे को उठाया गया है।

उठाए गए कदम

- **सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (Border Area Development Programme: BADP):** BADP का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट स्थित क्षेत्रों में अधिवासित लोगों की विशेष विकासात्मक आवश्यकताओं को पूरा करना और उनके बेहतर जीवन हेतु मानक व्यवस्था को स्थापित करना है।
- **सीमा अवसंरचना और प्रबंधन (Border Infrastructure and Management: BIM)** इसके अंतर्गत सड़क, स्कूल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, हेलीपैड, सीमा क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने जैसी 60 परियोजनाएं शामिल हैं।
- **भारत-चीन सीमा सड़क मार्गों को पूर्ण करना:** प्रथम चरण में लक्षित 61 सड़क मार्गों के निर्माण में से 36 सड़क मार्गों का निर्माण किया जा चुका है।
- **तीव्र वन मंजूरी प्रक्रिया:** सीमा अवसंरचना संबंधी कार्यों को पूर्ण करने हेतु, सरकार द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत सामान्य अनुमोदन प्रक्रिया को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।
- **राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (National Highways & Infrastructure Development Corporation Limited: NHIDCL) का सृजन:** NHIDCL ने निर्माण कार्य के निष्पादन में होने वाले विलम्ब को कम करने के लिए BRO की कई परियोजनाओं को संचालित किया है।
- **सैन्य तैनाती और आयुध आपूर्ति श्रृंखला** (उपकरण, हथियार सहित) तथा **निगरानी एवं संचार** के लिए **प्रौद्योगिकी क्षमता का उपयोग किया जा रहा है**, जैसे- व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली (Comprehensive Integrated Border Management System: CIBMS) आदि।

आगे की राह

- **सार्वजनिक निजी भागीदारी (Public Private Partnership: PPP):** यह सरकारी संसाधनों के संरक्षण में मदद करेगा तथा साथ ही देश की सुरक्षा और संप्रभुता को खतरे में डाले बिना सर्वोत्तम प्रथाओं, नवाचार, ज्ञान आदि के उपयोग को बढ़ावा देगा।
- **सेवाओं के मध्य बेहतर समन्वय** स्थापित कर और सीमा अवसंरचना सेवाएं प्रदान करने के लिए इन सेवाओं जुड़े सशस्त्र बलों, मंत्रालयों और अन्य हितधारकों को उत्तरदायी बनाया जाना चाहिए।
- **देश के भीतर सहभागिता को बढ़ावा देना:** इससे सभी हितधारकों की भागीदारी को सुनिश्चित किया जा सकेगा, जिसमें जिला सीमाओं पर तैनात सुरक्षा बल, सामुदायिक पुलिसिंग, सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले नागरिक आदि शामिल होंगे।
- संगठनात्मक संरचनाओं एवं निर्माण गतिविधियों में परिवर्तन कर **BRO की कार्य शैली को बेहतर** किया जा सकता है।
- सुरक्षा को बनाए रखने, देयता भार को कम करने तथा राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन को पूर्ण करने के लिए रक्षा बलों की **क्षमता निर्माण पर** बल दिया जाना चाहिए।

VISION IAS

शेकटकर समिति के बारे में

- इसका गठन सशस्त्र बलों की **युद्धक क्षमता और रक्षा व्यय प्रक्रिया को बेहतर बनाने से संबंधित उपायों की सिफारिश करने के लिए** किया गया था। इस समिति द्वारा वर्ष 2016 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी।

प्रमुख सिफारिशें:

- भविष्य में उत्पन्न होने वाले जोखिमों को ध्यान में रखते हुए **रक्षा बजट पर सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 2.5 से 3% व्यय** किया जाना चाहिए। (हालांकि, वर्ष 2019 में 2% से कम व्यय किया गया था।)
- एडवांस बेस वर्कशॉप्स और फील्ड आर्मी में स्टेटिक/स्टेशन वर्कशॉप्स को शामिल करने के लिए सेना में उच्च पदों को पुनर्गठित किया जाना चाहिए।
- शांतिपूर्ण स्थानों से सैन्य तैनाती और सेना के पोस्टल प्रतिष्ठानों को बंद कर देना चाहिए।
- **सिविलियन वर्कफोर्स का पुनर्गठन** इस तरह से किया जाना चाहिए कि **सैन्य इंजीनियरिंग सेवा (Military Engineering Services: MES)** के कार्यों का निष्पादन आंशिक रूप से विभागीय कर्मचारियों द्वारा किया जाए और अन्य कार्यों को आउटसोर्स कर दिया जाना चाहिए।
    - हाल ही में, रक्षा मंत्री ने MES में 9,304 पदों को समाप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

4.2. भारतीय थल सेना द्वारा प्रस्तावित 'टूर ऑफ़ ड्यूटी' (Indian Army Proposes Tour of Duty)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारतीय थल सेना ने अधिकारियों और सैनिकों के रूप में आम नागरिकों द्वारा तीन वर्षीय सेवा प्रदान किए जाने हेतु 'टूर ऑफ ड्यूटी' का प्रस्ताव रखा है।

इस प्रस्ताव के बारे में

- 'टूर ऑफ ड्यूटी' (ToD) युवाओं के लिए तीन वर्षों का एक **स्वैच्छिक इंटर्नशिप कार्यक्रम** है।
- यह उन युवाओं के लिए है जो **"रक्षा सेवाओं को अपने स्थायी पेशे के रूप में चयन नहीं करना चाहते हैं, लेकिन सैन्य विशेषज्ञता के रोमांच और जोश का अनुभव करना चाहते हैं।"**
- प्रस्ताव में इस योजना के प्रोत्साहन हेतु कई उपाय सुझाए गए हैं, जैसे- **तीन वर्ष के लिए कर-मुक्त आय** और **तीसरे वर्ष के अंत में एकमुश्त राशि,** स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम और सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों में वरीयता प्रदान करना आदि।
- हालांकि, ToD अधिकारियों को कोई भी **सेवानिवृत्ति पैकेज** (सेवा निवृत्ति के उपरांत प्राप्त होने वाले लाभ) प्रदान नहीं किए जाएंगे, जैसे- पेंशन, ग्रेच्युटी, सवैतनिक अवकाश आदि।

ToD प्रस्ताव के लाभ

- ToD, **युवाओं की ऊर्जा को उनकी क्षमता के अनुसार** सकारात्मक उपयोग हेतु प्रेरित करेगा। इसके अतिरिक्त, कठोर सैन्य प्रशिक्षण और व्यवहार का अनुपालन, **नागरिक स्वास्थ्य की भावना को बढ़ावा** देगा।
    - यह प्रस्ताव देश में **राष्ट्रवाद और देशभक्ति के पुनरुत्थान** को भी बढ़ावा देता है।
- **प्रति अधिकारी तीन वर्ष की सेवाओं की लागत** को शॉर्ट सर्विस कमीशन (Short Service Commission: SSC) के अधिकारियों पर किए जाने वाले व्यय के एक हिस्से के रूप में वहां किया जाएगा। वेतन और पेंशन में **अपेक्षित कटौती, सेना के आधुनिकीकरण में निधियों के उपयोग** को बढ़ावा देगी।
- इसे युवाओं को प्रदान किये जाने वाले 3-वर्षीय इंटर्नशिप के माध्यम से **बेरोजगारी को कम करने** के एक तरीके के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। जैसा कि **व्यक्ति की आय को तीन वर्ष की अवधि हेतु कर-मुक्त** कर दिया गया है। यह डिस्पोजेबल आय को बढ़ाने में मदद करता है।
- प्रस्ताव में कहा गया है कि राष्ट्र और कॉरपोरेट्स संभवतः **प्रशिक्षित, अनुशासित आत्मविश्वासी, मेहनती एवं प्रतिबद्ध पुरुषों और महिलाओं द्वारा उत्पादित मानवीय क्षमता** का लाभ प्राप्त करने में सक्षम होंगे, जिन्होंने ToD के तहत कार्य अनुभव प्राप्त किया है। एक प्रारंभिक सर्वेक्षण के अनुसार प्रस्ताव में यह निर्दिष्ट किया गया गया है कि, **कुछ कॉरपोरेट्स (जैसे- महिंद्रा समूह)** उन व्यक्तियों को वरीयता प्रदान करेंगे, जिन्हें ToD के तहत 26 या 27 वर्ष की आयु में सेना द्वारा प्रशिक्षित किया गया है।

VISION IAS

ToD प्रस्ताव से संबंधित चिंताएं

- युद्ध में इस प्रक्रिया द्वारा की जाने वाली नियुक्तियों से संबंधित **कौशल क्षमता, अनुभव और तैयारियों** को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं। इसलिए अधिक संभावना यह है कि ToD द्वारा नियुक्त कर्मियों को गैर-परिचालन कार्यों में तैनात किया जाएगा।
- लघु अवधि वाले सैन्य सेवाओं के लिए **शॉर्ट सर्विस कमीशन** और सैन्य अनुभवों हेतु **राष्ट्रीय कैडेट कोर (National Cadet Corps: NCC)** पहले से ही मौजूद हैं। अतः यह **प्रयासों के दोहराव** को दर्शाता है।
- ToD अधिकारी को सेवा की अंतिम तिथि की जानकारी नियुक्ति के समय ही होगी, ऐसे में भविष्य की अनिश्चितता को लेकर चिंता उनकी **उत्पादकता को बाधित** कर सकती है।
- प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए **सेना एक प्रशिक्षण संस्थान में परिवर्तित हो** जाएगी तथा जिसका उपयोग सेना द्वारा नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि जब तक उन्हें पूरी क्षमता के साथ तैनाती करने हेतु तैयार किया जायेगा, तब तक तीन वर्ष की अवधि पूर्ण हो जाएगी।
- ToD अधिकारी अनुभवी, अनुशासित, बेहतर तरीके से संगठित और नेतृत्व क्षमता से युक्त होंगे, लेकिन उनमें से **अधिकांश व्यक्तियों के पास खुले बाजार के रोजगारों हेतु आवश्यक कौशल का अभाव होगा।** कॉर्पोरेट सेक्टर द्वारा **आवश्यक कौशल समुच्चय वाले व्यक्तियों को ही नियुक्ति हेतु वरीयता प्रदान** की जाती है, इसलिए, 3 वर्ष बाद रोजगार में वृद्धि होने की संभावनाएं कम ही हैं।

आगे की राह

- यह एक **आकर्षक अल्पकालिक योजना** है, जो सशस्त्र बलों के प्रशिक्षण और परिचालन संबंधी आवश्यकताओं और व्यक्तियों की आवश्यकताओं के मध्य संतुलन स्थापित करती है। साथ ही, यह **सैन्य बजटों के प्रबंधन का सर्वाधिक लागत प्रभावी तरीका** है।
- इसे सशस्त्र बलों के **लोकाचार, नैतिकता और मूल्य प्रणाली को प्रभावित किए बिना** निष्पादित किया जाना चाहिए। जैसा कि प्रस्तावित है कि इसे परीक्षण के आधार पर सीमित रिक्तियों हेतु निष्पादित किया जाना चाहिए, यदि परीक्षण सफल रहता है, तो ही इसे विस्तारित किया जाना चाहिए।

पूर्व में संचालित ऐसी योजनाएं

- द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, **ब्रिटिश भारतीय सेना द्वारा** रंग आधारित सेवाओं (7-10 वर्ष) और आरक्षित सेवाओं (8-15 वर्ष) से संबंधित योजनाएँ संचालित की गई थीं।
- सैन्य सेवा के लिए युवाओं की कम उपलब्धता के कारण **इजरायल में इस मॉडल को पूर्व** में ही लागू किया जा चुका है।
- सिंगापुर में प्रत्येक पुरुष के लिए 2 वर्ष की **अनिवार्य राष्ट्रीय सेवा** को अपनाया गया है।

4.3. एकीकृत युद्धक समूह (Integrated Battle Groups: IBGs)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, कोविड-19 महामारी के कारण भारतीय सेना ने अपने नए **'एकीकृत युद्धक समूह (IBGs)'** के आधिकारिक लॉन्च को स्थगित कर दिया है।

एकीकृत युद्धक समूह के बारे में

- IBGs वस्तुतः ब्रिगेड-आकार के दक्ष व आत्मनिर्भर युद्धक विन्यास होते हैं, जो प्रतिकूल परिस्थितियों में दुश्मन के विरुद्ध तेजी से हमले आरंभ कर सकते हैं।
    - इन्हें **स्थान के आधार पर 12-48 घंटों के भीतर** तैनात किया जा सकता है।
    - सीमाओं की सुरक्षा हेतु ये एकीकृत इकाइयों के रूप में कार्य करते हैं जिसके तहत **तोपखाने, बख्तरबंद, युद्धक इंजीनियर और सिग्नल यूनिट्स सभी शामिल** होते हैं।
    - वर्तमान में, संकटपूर्ण स्थिति के दौरान एक ब्रिगेड को सैन्य सहयोग हेतु विभिन्न प्रकार की इकाइयों का इंतजार करना पड़ता है जिससे सैन्य तैनाती में अत्यधिक समय लगता है।
- IBGs को **युद्धक भूमिकाओं** (सीमा पार ऑपरेशन) और **रक्षात्मक भूमिकाओं** (किसी दुश्मन के हमले का सामना करना) दोनों का निर्वहन करना पड़ता है।

- प्रत्येक IBG को **थ्रेट, टेरेन और टास्क (3T)** के आधार पर **किसी विशेष उद्देश्य हेतु नियोजित** किया जा सकता है और इसके लिए संसाधनों को 3T के आधार पर आवंटित किया जाएगा। इनकी सैन्य बल संख्या को कम रखा जाता है जिससे कि इन पर लॉजिस्टिक लागत कम हो।
    - प्रत्येक IBG की संरचना उनके तैनाती स्थल के आधार पर भिन्न होती है अर्थात् किसी मरुस्थल में संचालित होने वाले IBG को पहाड़ी क्षेत्र में संचालित IBG से भिन्न रूप से गठित किया जाता है।
- प्रत्येक IBG की **अध्यक्षता मेजर जनरल** द्वारा की जाती है और इसमें लगभग 5,000 सैनिक शामिल होते हैं।
- IBG, **"कोल्ड स्टार्ट सिद्धांत (Cold Start doctrine)"** को प्रभावी ढंग से लागू करने में मदद करेगा।
    - भारतीय सशस्त्र बलों का कोल्ड स्टार्ट सिद्धांत, युद्ध की स्थिति उत्पन्न होने पर **पश्चिमी सीमा पर सैनिकों की त्वरित तैनाती की परिकल्पना** पर आधारित है।
    - इस सिद्धांत का उद्देश्य **पाकिस्तान के परमाणु हमले को रोकने हेतु भारतीय सेनाओं को सतत कार्यवाही** करने की अनुमति प्रदान करना है।

5. पर्यावरण (Environment)

5.1. टिड्डियों का हमला (Locust Attack)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत से भारत में प्रवेश करने वाली मरूस्थली टिड्डियों के झुंड ने भारत के विभिन्न राज्यों में विशाल भूमि पर हमला किया।

अन्य संबंधित तथ्य

- केंद्र सरकार ने **राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र** सहित 12 राज्यों को टिड्डियों के हमले के संबंध में चेतावनी जारी की थी।
- वर्तमान हमले को विगत **26 वर्षों में सर्वाधिक हानि पहुंचाने वाला मरूस्थली टिड्डियों का हमला** माना गया है।
- **संयुक्त राष्ट्र** ने यह भी चेतावनी दी है कि महाद्वीपों में झुंड में गमन कर रहे टिड्डियों के समूह इस वर्ष भारत की कृषि के लिए "गंभीर संकट" उत्पन्न कर सकते हैं।

मरूस्थली टिड्डियां

- मरूस्थली टिड्डियां **ग्रासहॉपर (grasshoppers)** परिवार से संबंधित हैं और इनकी जीवन अवधि 90 दिनों की होती है।
- **भारत में टिड्डियों की चार प्रजातियाँ पाई जाती हैं: मरूस्थलीय टिड्डियां** (Schistocerca gregaria), **प्रवासी टिड्डियां** (Locusta migratoria), **बॉम्बे टिड्डियां** (Nomadacris succincta) और **वृक्ष टिड्डियां** (Anacridium प्रजाति)।
  - मरूस्थली टिड्डियां सामान्य तौर पर अफ्रीका, पूर्वी व दक्षिण-पश्चिम एशिया के अर्ध-शुष्क और शुष्क मरूस्थल तक सीमित हैं जहां प्रतिवर्ष 200 मि.मी. से कम वर्षा होती है।
- ये टिड्डियां अनावृत्त भूमि पर **नम मृदा में अंडे** देती हैं। यह स्थिति सघन वनस्पति वाले क्षेत्रों में कदाचित ही पाई जाती है।
- मरूस्थली टिड्डियां **"द्विप्रावस्थिक" (biphasic) जंतु हैं**, जिसका तात्पर्य यह है कि वे पूर्णतः दो भिन्न रूपों को ग्रहण कर सकती हैं।
  - अपने **"एकाकी" रूप** में, ये बादामी भूरे रंग की होती हैं और फसलों के लिए अपेक्षाकृत हानिरहित होती हैं।
  - कुछ विशेष परिस्थितियों (जैसे- इष्टतम नमी और वनस्पति) में**, ये कीट "झुंड" (gregarious form)** में परिवर्तित हो सकते हैं। इनका रंग चटकदार व पीला हो जाता है और ये झुंड में एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करना प्रारंभ कर देती हैं।
- **एक झुंड में एक वर्ग किलोमीटर के दायरे में इनकी आबादी 40 से 80 मिलियन हो सकती है**, और ये वायु प्रवाह की प्रकृति के अनुसार 16-19 कि.मी. प्रति घंटा की गति से उड़ सकते हैं**,** तथा साथ ही, एक दिन में **150** कि.मी. तक की दूरी तय कर सकते हैं।
- ये टिड्डियां **सर्वाहारी** होती हैं और एक वयस्क मरूस्थली टिड्डी प्रति दिन लगभग अपने वजन के बराबर या लगभग **2** ग्राम ताजा भोजन का उपभोग करने में सक्षम होती है।

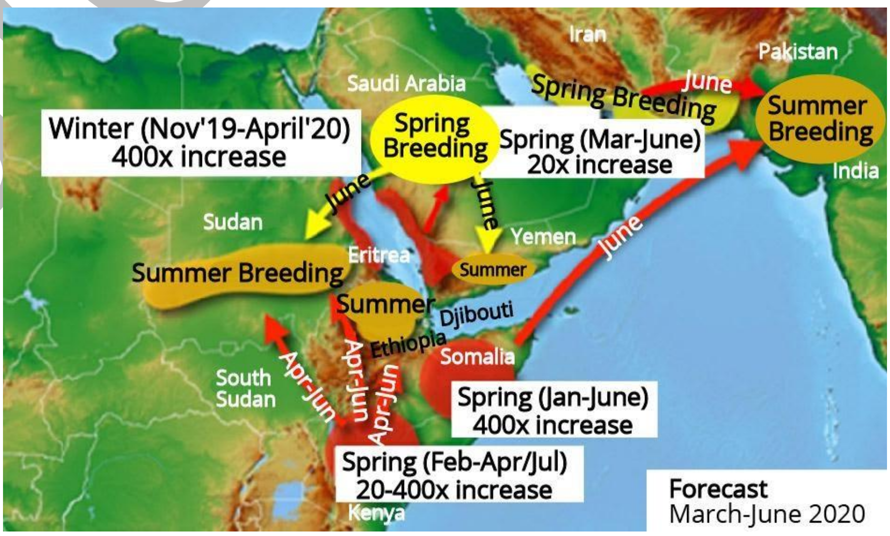

- सभी टिड्डियों के लिए तीन प्रजनन ऋतुएँ होती हैं, यथा- शीतकालीन प्रजनन (नवंबर से दिसंबर), वसंतकालीन प्रजनन (जनवरी से जून) और ग्रीष्मकालीन प्रजनन (जुलाई से अक्टूबर)। **भारत में** केवल एक टिड्डी प्रजनन ऋतु है और वह **ग्रीष्मकालीन प्रजनन** है।

हाल ही में टिड्डियों के हमलों के कारण:

- **अनुकूल मौसमी परिस्थितियां:** वर्ष 1993 तक भारत में टिड्डियों के अधिकांश हमले राजस्थान तक सीमित थे।
  - लेकिन इस बार अनुकूल मौसमी परिस्थितियों के कारण राजस्थान से गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और यहां तक कि महाराष्ट्र तक टिड्डियों द्वारा हमला किया गया।
- **हिंद महासागर द्विध्रुवीयता (Indian Ocean Dipole):** ये मरूस्थली टिड्डियां प्रायः हॉर्न ऑफ अफ्रीका के रूप में जाने जाने वाले क्षेत्र में अफ्रीका के पूर्वी तट से संलग्न देशों में प्रजनन करती हैं।
  - वैश्विक तापन के कारण बढ़ते तापमान ने हिंद महासागर द्विध्रुवीयता को बढ़ा दिया है और पश्चिमी हिंद महासागर को विशेष रूप से उष्ण कर दिया है।

VISION IAS

- शुष्क क्षेत्रों में भारी वर्षा वनस्पति वृद्धि का कारण बनती है, जहां मरूस्थली टिड्डियों में वृद्धि होने के साथ-साथ ये प्रजनन कर सकती हैं।

- **चक्रवात:** क्रमश: ओमान और यमन में आए चक्रवाती तूफान **मेकुनू (Mekunu)** और **लुबान (Luban)** ने रिक्त मरूस्थली क्षेत्रों को बड़ी झीलों में परिवर्तित कर दिया। इससे इस क्षेत्र में नमी वाली मृदा प्राप्त हुई जहां टिड्डियां प्रजनन करती हैं।
- **वायु की दिशा:** टिड्डियां सामान्य तौर पर वायु की दिशा का अनुसरण करती हैं, और वायु के साथ-साथ निष्क्रिय रूप से गमन करती रहती हैं।
  - बंगाल की खाड़ी में **चक्रवात अम्फान** द्वारा निर्मित निम्न दाब वाले क्षेत्र ने पश्चिमी पवनों को सुदृढ़ बना दिया जिससे दक्षिण एशिया में टिड्डियों के आगमन में सहायता मिली है।
- **पछुवा पवनें:** पछुवा पवनों के द्वारा भी उत्तर और पश्चिमी भारत में वर्षा की बारम्बारता में वृद्धि हुई है, जिसके कारण भी इन कीटों को प्रजनन करने में सहायता मिली।

भारत द्वारा उठाए गए कदम

- **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय** के अधीन **टिड्डी चेतावनी संगठन (Locust Warning Organisation: LWO)** मुख्य रूप से राजस्थान और गुजरात राज्यों में अनुसूचित मरूस्थली क्षेत्रों में मरूस्थली टिड्डियों की निगरानी, सर्वेक्षण और नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है।
- भारत सरकार ने इन हमलों पर नियंत्रण रखने और उनकी निगरानी करने के लिए कई **टिड्डी मंडल कार्यालय (Locust Circle Offices) तथा अस्थायी शिविरों** की स्थापना की है।
- प्रभावित राज्यों के जिला प्रशासन और कृषि क्षेत्र तंत्र के साथ समन्वय स्थापित करते हुए सर्वेक्षण तथा नियंत्रण कार्य करने के लिए **200 टिड्डी मंडल कार्यालय स्थापित किए गए हैं।**
- भारत यूनाइटेड किंगडम से कीटनाशक स्प्रेयर (छिड़कने वाला यंत्र) खरीद रहा है और कीटनाशकों के छिड़काव के लिए फायर ब्रिगेड, ट्रैक्टर और अन्य वाहनों को तैनात किया गया है।
- केंद्र द्वारा **राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल (National Disaster Response Force: NDRF) कोष** से किसानों को क्षतिपूर्ति प्रदान की गई है।
- **हिंदुस्तान कीटनाशक लिमिटेड** द्वारा अब ईरान को टिड्डी नियंत्रण कार्यक्रम हेतु 25 मीट्रिक टन **मैलाथियान** का उत्पादन और आपूर्ति की जाएगी।
- टिड्डियों के प्रभावी नियंत्रण हेतु ऊंचे वृक्षों और दुर्गम स्थानों पर कीटनाशकों का छिड़काव करने के लिए **ड्रोन का उपयोग** किया जा रहा है।
- अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान जैसे **दक्षिण-पश्चिम एशियाई देशों के साथ,** जहां टिड्डियों के हमले होते रहते हैं, उनके साथ **नियमित समन्वय** स्थापित करना।

टिड्डी हमलों के प्रभाव

- **फसल क्षति:** मरूस्थली टिड्डियों के हमले ने राजस्थान में **5,00,000** हेक्टेयर में विस्तृत फसलों को पूर्णतया नष्ट कर दिया है। यह निकट भविष्य में भारत की खाद्य सुरक्षा हेतु गंभीर खतरा उत्पन्न करता है।
  - एक वर्ग किलोमीटर में फैला झुंड एक दिन में **35,000** लोगों के भोजन के बराबर फसल नष्ट कर सकता है।
- **एलर्जी:** टिड्डी झुंड प्राय: एलर्जी बढ़ाने वाले एलर्जेन उत्पन्न करते हैं।
- **हानिकारक कीटनाशक:** टिड्डी चेतावनी संगठन (LWO) ने राज्यों में टिड्डियों के झुंडों को नियंत्रित करने हेतु **मैलाथायन 96** और **क्लोरपाइरिफोस,** (दोनों ऑर्गेनोफॉस्फेट कीटनाशक) का छिड़काव किया।
  - ये दोनों कीटनाशक अत्यधिक विषाक्त होते हैं और इनके साथ लंबी अवधि तक संपर्क के कारण मतली (Nausea), चक्कर आना और यहां तक कि मृत्यु भी हो सकती है। ये पारिस्थितिकी संतुलन में परिवर्तन करके मृदा की उर्वरता को भी प्रभावित कर सकते हैं।
- **हवाई यात्रा:** सामान्य तौर पर टिड्डियां निचले स्तरों पर पाई जाती हैं और इसलिए विशेष रूप से उड़ान के महत्वपूर्ण लैंडिंग एवं टेकऑफ चरण में विमान के लिए खतरा उत्पन्न करती हैं।
- **वृक्षों पर प्रभाव:** पर्याप्त मात्रा में भोजन उपलब्ध न होने के कारण टिड्डियां जंगलों और शहरी वनस्पति क्षेत्रों को भी नष्ट कर देती हैं।

आगे की राह

- **जैव कीटनाशकों का उपयोग:** जैव कीटनाशक मनुष्यों के स्वास्थ्य और मृदा की गुणवत्ता को प्रभावित किए बिना उन्हें नियंत्रित करने का सुरक्षित उपाय है।
  - उर्वरकों और कीटनाशकों का **हवाई छिड़काव** टिड्डियों के नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावकारी उपाय है तथा इन्हें नियंत्रित करने हेतु बड़े क्षेत्र को कवर करने के लिए हेलीकॉप्टरों का उपयोग किया जाना चाहिए।

VISION IAS

- इस तथ्य के भी कुछ प्रमाण उपलब्ध हैं कि **तीव्र शोर प्रभावी ढंग से टिड्डियों का पंथातर (divert) कर सकता है।** इसका उपयोग टिड्डियों को भगाने हेतु खाद्य फसलों वाले क्षेत्रों में किया जा सकता है।

- टिड्डियों के विकास और प्रसार को व्यापक रूप से नियंत्रित करने हेतु **पूर्वी अफ्रीकी देशों से दक्षिण एशिया का सहयोग जिसमें** भारत सहित मध्य-पूर्व और पाकिस्तान शामिल हों।
- **संगठनों की सक्रिय भूमिका:**
    - **संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम** की भूमिका, क्रॉस-सेक्टोरल नीतियों को सूचित करने और संबंधित क्षेत्रों में लोचशीलता सुनिश्चित करने हेतु उभरते जलवायु रुझानों पर नवीनतम विज्ञान का प्रसार करना है।
    - **विश्व मौसम विज्ञान संगठन** द्वारा टिड्डियों के हमलों को बढ़ावा देने वाले अधिक तात्कालिक मौसमी परिवर्तनों का पूर्वानुमान लगाया जाना चाहिए।
    - **विश्व स्वास्थ्य संगठन** द्वारा विभिन्न रासायनिक एजेंटों के संभावित जोखिमों को वर्गीकृत करना चाहिए, ताकि सरकारें सर्वाधिक सुरक्षित एजेंट में निवेश करने में सक्षम हो सकें।
- **खाद्य और कृषि संगठन** ने टिड्डियों के खतरे से निपटने हेतु मानक परिचालन प्रक्रिया भी निर्धारित की है:
    - हरित वनस्पति वाले रेतीले क्षेत्रों की यह देखने हेतु निरंतर निगरानी की जानी चाहिए कि क्या टिड्डियां विद्यमान हैं।
    - वर्षा वाले मरूस्थली क्षेत्रों की जीवित टिड्डियों या उनके अंडों के लिए सर्वेक्षण किया जाना चाहिए।
    - उनके प्रजनन को रोकने हेतु अनुशंसित कीटनाशकों का उपयोग किया जाना चाहिए।
    - जिन क्षेत्रों में दिन का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 38 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहता है, उन पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

5.2. जैव-विविधता का सुपर वर्ष (Super Year for Biodiversity)

सुर्ख़ियों में क्यों?

वर्ष 2010 में अपनाए गए **20 वैश्विक आइची लक्ष्यों** (20 global Aichi targets) के साथ **"जैव-विविधता हेतु रणनीतिक योजना"** (Strategic Plan for Biodiversity) की वर्ष 2020 में समाप्ति के कारण वर्ष 2020 को **"जैव विविधता का सुपर वर्ष"** घोषित किया गया है।

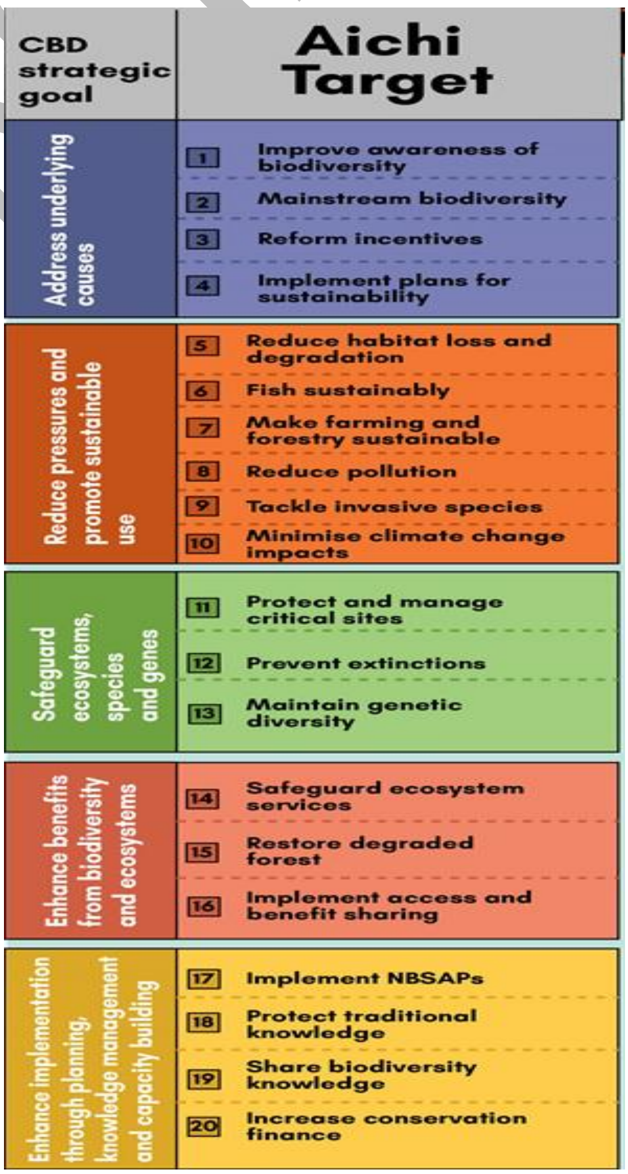

जैव-विविधता हेतु रणनीतिक योजना 2011-2020 {Strategic Plan for Biodiversity: SPB) 2011-2020) के बारे में

- SPB 2011-2020 को जापान के नगोया में **वर्ष 2010 में पक्षकारों के सम्मेलन (Conference of the Parties: COP) की 10वीं बैठक** के दौरान CBD (जैव विविधता पर सम्मेलन) के पक्षकारों द्वारा अपनाया गया था। इसका उद्देश्य जैव विविधता के समर्थन में व्यापक आधार वाली कार्रवाई हेतु सभी देशों और हितधारकों को प्रेरित करना था।
- इस रणनीतिक योजना में एक साझा दृष्टि, एक मिशन और **5 रणनीतिक लक्ष्यों के अंतर्गत संगठित 20 लक्ष्य** सम्मिलित हैं। इसे सामूहिक रूप से **आइची जैव विविधता लक्ष्य (Aichi Biodiversity Targets: ABT)** के रूप में जाना जाता है।
    - **विजन:** प्रकृति के साथ इस प्रकार से सामंजस्य स्थापित करना, जिससे वर्ष 2050 तक जैव-विविधता के मूल्यों को महत्व प्रदान करते हुए तथा उसे संरक्षित एवं पुनर्बहाल करते हुए संधारणीय रूप से उसका उपयोग किया जा सके। साथ ही, इसके अंतर्गत पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं एवं पृथ्वी के स्वास्थ्य को संधारणीय बनाए रखते हुए इससे प्राप्त लाभों को सभी व्यक्तियों तक समान रूप से साझा करने की परिकल्पना की गयी है।
    - **मिशन:** वर्ष 2020 तक पारिस्थितिकी तंत्र को सुनम्य (resilient) बनाए रखने और आवश्यक सेवाओं की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित

VISION IAS

करने के लिए जैव विविधता की क्षति को रोकने हेतु प्रभावी और तत्काल कार्रवाई करना, जिससे ग्रह की जीवन विविधता को सुरक्षित किया जा सके तथा मानव कल्याण और गरीबी उन्मूलन में योगदान दिया जा सके।

- SPB 2011-2020 का कार्यान्वयन करने के लिए, CBD के पक्षकारों ने निम्नलिखित को बनाए रखने पर सहमति व्यक्त की है:
    - SPB 2011-2020 के अनुरूप अपनी **राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीतियों और कार्य योजनाओं (National Biodiversity Strategies and Action Plans: NBSAP)** को अपडेट करना।
    - एक लचीले ढांचे के रूप में रणनीतिक योजना और ABT का उपयोग करते हुए **राष्ट्रीय लक्ष्यों** (राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए) का विकास करना और **इन राष्ट्रीय लक्ष्यों को अपडेटेड NBSAP में एकीकृत करना।**
    - राष्ट्रीय विकास, लेखांकन और नियोजन प्रक्रियाओं में जैव विविधता के एकीकरण के लिए **नीतिगत साधन** के रूप में अद्यतन NBSAP को अपनाना।
    - **राष्ट्रीय रिपोर्टों** के माध्यम से रणनीतिक योजना और आइची जैव विविधता लक्ष्यों के कार्यान्वयन की दिशा में प्राप्त **प्रगति की सूचना प्रदान करना**।
- वर्तमान में, 2020 के पश्चात वैश्विक जैव विविधता ढांचा को विकसित करने के लिए वार्ता की जा रही है।

जैव विविधता पर सम्मेलन (Convention on Biological Diversity: CBD)

- CBD एक **अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय संधि** है। इसे **वर्ष 1992** में आयोजित **'पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन'** (United Nations Conference on Environment and Development) (इसे **रियो "पृथ्वी शिखर सम्मेलन"** भी कहा जाता है) के दौरान हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत किया गया था।
- इसके 3 मुख्य **उद्देश्य** हैं:
    - जैव विविधता का संरक्षण।
    - जैव विविधता के घटकों का संधारणीय उपयोग।
    - आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों का उचित और न्यायसंगत वितरण।
- CBD में **196 पक्षकार** हैं और **भारत उनमें से एक** है।
- CBD के अंतर्गत निम्नलिखित अनुपूरक समझौते भी शामिल हैं:
    - **पहुंच एवं लाभ साझाकरण पर नगोया प्रोटोकॉल (The Nagoya Protocol on Access and Benefit-sharing):** इसका उद्देश्य निष्पक्ष और न्यायसंगत रीति से आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से होने वाले लाभों को साझा करना है।
    - **जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना प्रोटोकॉल (The Cartagena Protocol on Biosafety):** इसका उद्देश्य आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले जीवित संशोधित जीवों (Living Modified Organisms:LMO) की सुरक्षित हैंडलिंग, परिवहन और उपयोग सुनिश्चित करना है जिनका जैविक विविधता और मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
    - **दायित्व और जैवसुरक्षा पर कार्टाजेना प्रोटोकॉल के सुधार पर नगोया-कुआलालंपुर अनुपूरक प्रोटोकॉल (The Nagoya – Kuala Lumpur Supplementary Protocol on Liability and Redress to the Cartagena Protocol on Biosafety):** इसका उद्देश्य LMO से संबंधित दायित्व और सुधार के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय नियमों और प्रक्रियाओं का प्रावधान करके जैव विविधता के संरक्षण और संधारणीय उपयोग में योगदान देना है।
- **भारत ने इन सभी 3 प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया है** और उनकी अभिपुष्टि (ratify) की है।

संबंधित तथ्य

अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2020 के आभासी उत्सव में, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जैव विविधता के संरक्षण की दिशा में **पांच प्रमुख पहलें आरंभ की** हैं:

- राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की परियोजनाओं की सहायता करने के लिए स्नातकोत्तर छात्रों को सम्मिलित करने के लिए **जैव विविधता संरक्षण प्रशिक्षुता कार्यक्रम**।
- **वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो** द्वारा आरंभ किया गया **लुप्तप्राय प्रजातियों की अवैध तस्करी पर UNEP अभियान** जिसमें UNEP अवैध तस्करी से संबंधित पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटता है।
- **जैव विविधता संरक्षण और जैव विविधता अधिनियम, 2002 पर वेबिनार श्रृंखला।**

VISION IAS

- जैव विविधता पर मानवता के फुटप्रिंट के प्रभाव और संरक्षण में युवा पीढ़ी को शामिल करने वाला **WWF मॉडल कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ (MCoP)**।
- **WWF द्वारा समर्थित जागरूकता अभियान।**

SPB 2011-2020 की दिशा में भारत के प्रयास

- भारत ने वर्ष **1999 में "जैव विविधता पर राष्ट्रीय नीति और समष्टि स्तरीय कार्रवाई रणनीति" नामक अपनी पहली राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य योजना (NBAP)** तैयार की जिसे राष्ट्रीय पर्यावरण नीति (NEP), 2006 के साथ जैव विविधता एजेंडा में संरेखण हेतु **NBAP, 2008** में संशोधित और अद्यतन किया गया था।
- NBAP, 2008 को SPB 2011-20 के साथ एकीकृत करने के लिए **NBAP, 2008 में परिशिष्ट 2014** के साथ अद्यतन किया गया था।
    - तदनुसार, भारत ने **12 राष्ट्रीय जैव विविधता लक्ष्यों (NBT)** का विकास किया जिसमें सभी 20 ABT सम्मिलित हैं।
    - इन लक्ष्यों के कार्यान्वयन की देखरेख और निगरानी करने के लिए एजेंसियों की उनके अधिदेश, कार्य क्षेत्र और देश में भौगोलिक कवरेज के आधार पर पहचान की गई।
    - प्रत्येक NBT के लिए संकेतक और निगरानी ढांचा भी विकसित किया गया।
- भारत की **छठी राष्ट्रीय रिपोर्ट** के अनुसार, भारत अपने 12 NBT में से 9 को प्राप्त करने और उनमें से 1 (NBT 6) को लक्ष्य से अधिक प्राप्त करने की राह पर है, लेकिन 2 लक्ष्यों (NBT 4 और 12) की दिशा में अपर्याप्त दर से बढ़ रहा है।
- **अब तक की प्रगति:**
    - **जैव विविधता संरक्षण के अंतर्गत संवर्धित क्षेत्र:** देश में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत संरक्षित क्षेत्रों की संख्या 2018 में कुल 771 से बढ़कर 2019 में 870 हो गई।
    - **पहुंच और लाभ सहभाजन (Access and Benefit Sharing: ABS) पर नगोया प्रोटोकॉल का संचालन आरंभ करना:** नगोया प्रोटोकॉल के अंतर्गत पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अनुपालन प्रमाण-पत्र (Internationally Recognized Certificate of Compliance: IRCC) प्रकाशित करने के बाद से, भारत ने ABS क्लियरिंग हाउस पर **997 IIRC** (सभी पक्षकारों में सर्वाधिक) प्रकाशित किया है।
    - **व्यापक नीति और विधायी ढांचे का विकास:** अपना NBT प्राप्त करने के लिए।
        - **प्रमुख नीतियां** - राष्ट्रीय वन नीति, 1988; राष्ट्रीय पर्यावरण नीति, 2006; राष्ट्रीय समुद्री मत्स्य पालन नीति (National Policy on Marine Fisheries: NPMF), 2017, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति, 2016 आदि।
        - **प्रमुख अधिनियम** - जैविक विविधता अधिनियम**, 2002,** भारतीय वन अधिनियम**, 1927,** पर्यावरण संरक्षण अधिनियम**, 1986,** आर्द्र भूमि (संरक्षण एवं प्रबंधन) नियम**, 2017,** वन्यजीव संरक्षण अधिनियम**, 1972** आदि।

The 12 National Biodiversity targets of India are:

1. By 2020, a significant proportion of the country's population, especially the youth, is aware of the values of biodiversity and the steps they can take to conserve and use it sustainably (Aichi Target 1).
2. By 2020, values of biodiversity are integrated into national and state planning processes, development programmes and poverty alleviation strategies (Aichi Target 2).
3. Strategies for reducing the rate of degradation, fragmentation and loss of all natural habitats are finalized and actions put in place by 2020 for environmental amelioration and human well-being (Aichi Target 5 &15).
4. By 2020, invasive alien species and pathways are identified and strategies to manage them developed so that populations of prioritized invasive alien species are managed (Aichi Target 9).
5. By 2020, measures are adopted for sustainable management of agriculture, forestry and fisheries (Aichi Target 6, 7, 8).
6. Ecologically representative areas under terrestrial and inland water, and also coastal and marine zones, especially those of particular importance for species, biodiversity and ecosystem services, are conserved effectively and equitably, based on protected area designation and management and other area-based conservation measures and are integrated into the wider landscapes and seascapes, covering over 20% of the geographic area of the country, by 2020 (Aichi Target 10,11, 12).
7. By 2020, genetic diversity of cultivated plants, farm livestock, and their wild relatives, including other socio-economically as well as culturally valuable species, is maintained, and strategies have been developed and implemented for minimizing genetic erosion and safeguarding their genetic diversity (Aichi Target 13).
8. By 2020, ecosystem services, especially those relating to water, human health, livelihoods and well-being, are enumerated and measures to safeguard them are identified, taking into account the needs of women and local communities, particularly the poor and vulnerable sections (Aichi Target 14,).
9. By 2015, Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from their Utilization as per the Nagoya Protocol are operational, consistent with national legislation (Aichi Target 16).
10. By 2020, an effective, participatory and updated national biodiversity action plan is made operational at different levels of governance (Aichi Target 3, 4,17).
11. By 2020, national initiatives using communities' traditional knowledge relating to biodiversity are strengthened, with the view to protecting this knowledge in accordance with national legislation and international obligations (Aichi Target 18).
12. By 2020, opportunities to increase the availability of financial, human and technical resources to facilitate effective implementation of the **Strategic Plan for Biodiversity 2011-2020** and the national targets are identified and the Strategy for Resource Mobilization is adopted (Aichi Target 19, 20).

- **जैव विविधता अधिनियम, 2002 का कार्यान्वयन**: **2019** तक स्थानीय स्तर पर लगभग **2** लाख जैव विविधता प्रबंधन समितियों (Biodiversity Management Committees: **BMC**) का गठन किया जा चुका था और **2019** तक **7567** लोक जैव विविधता रजिस्टर (Peoples Biodiversity Registers: PBR) तैयार किए जा चुके थे।
    - PBR स्थानीय जैविक संसाधनों और संबद्ध पारंपरिक ज्ञान (Traditional Knowledge: **TK**) का प्रलेखन करता है।

पहुंच एवं लाभ सहभाजन क्लियरिंग-हाउस (ABS क्लियरिंग-हाउस)

- यह नगोया प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 14 द्वारा स्थापित **ABS पर जानकारी का आदान-प्रदान करने का एक मंच** है।
- यह पहुंच एवं लाभ सहभाजन की प्रक्रियाओं पर **कानूनी निश्चितता और पारदर्शिता बढ़ाकर** प्रोटोकॉल का कार्यान्वयन सुगम बनाने, और **अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अनुपालन प्रमाण पत्र** के माध्यम से मूल्य श्रृंखला सहित आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग की निगरानी करने का एक महत्वपूर्ण साधन है।

अपने प्रयासों में भारत द्वारा सामना की जा रही चुनौतियां

- **सरकारी कार्यक्रमों के संबंध में जागरूकता का अभाव:** भाषा से संबंधित बाधा के कारण विशेष रूप से आदिवासी समुदायों के बीच सरकारी कार्यक्रमों के संबंध में जागरूकता का अभाव है।
- **वनाग्नि:** भारतीय वन सर्वेक्षण (Forest Survey of India: FSI) की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग **21.40%** वनावरण वनाग्नि प्रवण क्षेत्र हैं। इनके द्वारा जैव विविधता का ह्रास, ओजोन परत का क्षरण, वन्यजीवों के लिए पर्यावास की हानि और मृदा अपरदन आदि के माध्यम से दीर्घकालिक क्षति पहुंचायी जाती है।
- **आक्रामक विदेशज प्रजातियों का खतरा:** इनके द्वारा देशज पारिस्थितिकी प्रणालियों की सामुदायिक संरचना और प्रजाति संरचना को परिवर्तित किया जा सकता है। प्रत्यक्ष रूप से यह परिवर्तन स्वदेशी प्रजातियों को प्रतिस्थापित (out-competing) कर तथा अप्रत्यक्ष रूप से पोषक तत्व चक्रीकरण, पारिस्थितिकी तंत्र के कार्य और देशी प्रजातियों के बीच पारिस्थितिक संबंधों में परिवर्तन के माध्यम से किया जा सकता है।
- **स्थानीय स्तर पर निम्नस्तरीय क्षमता निर्माण:** जैव विविधता अधिनियम, 2002 के अंतर्गत गठित जैव विविधता समितियों (BMC) जैसी स्थानीय शासन की संस्थाएं प्रायः जैव विविधता से संबंधित मुद्दों के संबंध में सूचित निर्णय लेने के लिए संसाधन रहित (ill equipped) होती हैं।
- **आंकड़ा संग्रह:** भारत के पास NBSAP के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए आंकड़ा संकलन और विश्लेषण के लिए आवश्यक मानव और तकनीकी संसाधनों का अभाव है।

आगे की राह

- **स्थानीय बोलियों में टूलकिट का निर्माण:** इसका प्रयोग इस प्रकार से लाभकारी होगा:
    - पारंपरिक ज्ञान तक पहुंच की तलाश करने वाले उपयोगकर्ताओं के साथ बातचीत करने के लिए।
    - पारंपरिक समुदायों की क्षमताओं का निर्माण करने के लिए।
    - उन्हें कौशल से सुसज्जित करने और उन्हें संरक्षण के संबंध में सर्वोत्तम पद्धतियों का दायित्व लेने में सक्षम बनाने के लिए।
- **अतिरिक्त वित्तपोषण, संसाधन और तकनीकी सहायता:** राज्यों को वनाग्नि से निपटने के लिए सहायता प्रदान करने वाली **MoEF&CC** की योजना "वन अग्नि निवारण और प्रबंधन" जैसी पहलों के लिए।
- **गहन व सतत प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण:** नगर पालिका और पंचायत निकायों और **BMC** जैसी स्थानीय शासन की संस्थाओं का।
- **आक्रामक विदेशज प्रजातियों के प्रबंधन की राष्ट्रीय रूप से समन्वित प्रणाली विकसित करना** जो क्षेत्र और प्रजाति-विशिष्ट रणनीतियां बनाने के लिए वनस्पति विज्ञानियों, वन रक्षकों, वन्य जीवविज्ञानियों, शोधकर्ताओं, इंजीनियरों, पारिस्थितिकीविदों, जल वैज्ञानिकों और संचार विशेषज्ञों जैसे विषयक्षेत्र विशेषज्ञों को एक साथ लाती हैं।
- **NBT की निगरानी हेतु केंद्रीय डाटाबेस सृजित करना:** अतिरिक्त वित्तीय, तकनीकी और मानव संसाधनों के माध्यम से।

5.3. पारितंत्र पुनर्स्थापन पर संयुक्त राष्ट्र दशक (UN Decade on Ecosystem Restoration)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **संयुक्त राष्ट्र महासभा (United Nations General Assembly: UNGA)** द्वारा **वर्ष 2021-2030** को **संयुक्त राष्ट्र पारितंत्र पुनर्स्थापन दशक** (United Nations Decade of Ecosystem Restoration) के रूप में घोषित किया गया है।

पारितंत्र पुनर्स्थापन पर दशक के संबंध में

- संयुक्त राष्ट्र के पारितंत्र पुनर्स्थापन पर दशक का उद्देश्य **निम्नीकृत एवं विनष्ट पारिस्थितिक तंत्र के पुनर्स्थापन कार्यों को व्यापक पैमाने पर विस्तृत करना है,** जो कि जलवायु संकट का सामना करने तथा खाद्य सुरक्षा, जल आपूर्ति व जैव विविधता को बढ़ाने के एक कारगर उपाय के रूप में महत्त्वपूर्ण है।

VISION IAS

- इसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं:
    - पारिस्थितिक तंत्र के निम्नीकरण को रोकने तथा निम्नीकृत पारिस्थितिक तंत्र का पुनर्स्थापन करने वाली **सरकारी-नेतृत्व वाली एवं निजी सफल पहलों का प्रदर्शन करना।**
    - बड़े पैमाने पर पुनर्स्थापन को लागू करने के लिए **ज्ञान के आदान-प्रदान को बढ़ाना।**
    - दक्षता एवं प्रभाव में वृद्धि के लिए समान परिदृश्य, क्षेत्र या प्रकरण में संलग्न **पहलों का संयोजन करना।**
    - संधारणीय उत्पादन व प्रभावी निवेश में रुचि रखने वाले **पारिस्थितिक तंत्र पुनर्स्थापन (Ecosystem Restoration) तथा व्यवसायों के मध्य संपर्क स्थापित करना।**
    - पारिस्थितिक तंत्र नवीकरण के पर्यावरणीय एवं सामाजिक-आर्थिक लाभों के महत्व को प्रदर्शित करते हुए व्यापक कार्यानुभव रखने वाले विशेषज्ञों को (विशेष रूप से गैर-पारंपरिक क्षेत्रों से) एक-साथ एक मंच पर लाना।
- **पुनर्स्थापन हेतु पारिस्थितिक तंत्रों** में वन, घास के मैदान, फसली क्षेत्र, आर्द्रभूमि, सवाना वन, अंतर्देशीय जलीय क्षेत्र, तटीय एवं समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र और शहरी पर्यावरण भी सम्मिलित हैं।
- भूमि पर, **वर्ष 2030 तक कम से कम 350 मिलियन हेक्टेयर निम्नीकृत भूमि के पुनर्स्थापन** का लक्ष्य रखा गया है।
    - तटों व महासागरों के लिए लक्ष्य निर्धारित किया जाना अभी शेष है।
- यह प्रयास क्षेत्रीय प्रयासों पर आधारित है, जैसे:
    - **लैटिन अमेरिका में 20x20 पहल:** इसका उद्देश्य वर्ष 2020 तक 20 मिलियन हेक्टेयर निम्नीकृत भूमि का पुनर्स्थापन करना है।
    - **AFR100 अफ्रीकी वन्य भूमि पुनर्स्थापन पहल:** इसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक 100 मिलियन हेक्टेयर निम्नीकृत भूमि का पुनर्स्थापन करना है।
- **संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण (UN Environment)** तथा **खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO)** इसके कार्यान्वयन का नेतृत्व करेंगे।

अंतर्राष्ट्रीय दशक

- संयुक्त राष्ट्र संगठन (UN) विशेष घटनाओं अथवा विषयों को चिन्हित करने के लिए **विशिष्ट दिनों, सप्ताहों, वर्षों व दशकों को निर्दिष्ट करता** है ताकि जागरूकता और कार्रवाई के माध्यम से **संगठन के उद्देश्यों को प्रोत्साहित किया जा सके।**
- **वर्ष 2020 में समाप्त होने वाले कुछ दशक हैं-**
    - जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र दशक
    - सड़क सुरक्षा पर कार्रवाई का दशक
    - मरुस्थल तथा मरुस्थलीकरण के विरुद्ध संघर्ष के लिए संयुक्त राष्ट्र दशक

पारिस्थितिक तंत्र पुनर्स्थापन (Ecosystem Restoration: ER) से क्या अभिप्राय है?

- यह निम्नीकृत, क्षतिग्रस्त या नष्ट हो चुके पारिस्थितिक तंत्र का पुनर्स्थापन करने में सहायक प्रक्रिया को संदर्भित करता है।
    - पारिस्थितिक तंत्र प्रकृति की एक कार्यात्मक इकाई है, जिसमें जीवित जीव एक-दूसरे से और आसपास के भौतिक वातावरण के साथ परस्पर क्रिया करते हैं।
- **पुनर्स्थापन गतिविधियों** को इस प्रकार विकसित किया जा सकता है, जिससे या तो किसी भी प्रकार की क्षति होने से पूर्व के पारिस्थितिक तंत्र को बहाल किया जा सके अथवा क्षति होने से पूर्व के नए पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण किया जाए।
    - इसके अंतर्गत कई उपायों को सम्मिलित किया जाता है जैसे, वनस्पतियों को पुनर्स्थापित करना, देशज वृक्षों को लगाना, आक्रामक प्रजातियों को हटाना, पुनर्योजी (बारहमासी) कृषि, कृषि वानिकी इत्यादि।
- प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन के कारण **वैश्विक परिदृश्यों एवं पारितंत्रों** में होने वाले **अभूतपूर्व निम्नीकरण** के कारण इस अवधारणा को अधिक महत्व प्राप्त हुआ है।
- **पारिस्थितिक तंत्र पुनर्स्थापन से संबंधित लाभ इस प्रकार हैं:**
    - **सामाजिक-आर्थिक लाभ**
        - **निर्धनता उन्मूलन:** वर्ष 2030 तक 350 मिलियन हेक्टेयर निम्नीकृत परिदृश्यों का पुनर्स्थापन करने से ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं को पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं में **9 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर** के मूल्य का प्रोत्साहन प्राप्त हो सकता है।
        - **खाद्य सुरक्षा:** स्वस्थ मृदा अधिक पोषक तत्वों का संग्रहण कर सकती है और उच्च गुणवत्ता वाले पौधों का उत्पादन कर सकती है।
        - **उन्नत पर्यटन:** प्राकृतिक परिदृश्यों के पुनरुद्धार के माध्यम से।
        - यह पर्यावरणीय निम्नीकरण से उत्पन्न **संघर्ष और पलायन** को रोक सकता है।
    - **पारिस्थितिकीय लाभ**
        - **जलवायु परिवर्तन शमन:** वन, मैंग्रोव व पीट-भूमि जैसी स्वस्थ पारिस्थितिकी प्रणालियों के माध्यम से पुनर्स्थापन करके पर्यावरण से **13 से 26 गीगाटन ग्रीनहाउस गैसों** को भी हटाया जा सकता है।

VISION IAS

- **जैव विविधता संरक्षण:** पारिस्थितिक तंत्र का संरक्षण व पुनर्वनीकरण एक मिलियन जंतुओं और पौधों की प्रजातियों के संरक्षण में सहायता कर सकता है जोकि वर्तमान में विलुप्त होने की कगार पर हैं।
- **पृथ्वी पर तटीय व समुद्री जैव विविधता वाले हॉट स्पॉट का पुनर्स्थापन:** ये पारिस्थितिक तंत्र तूफानों से संरक्षण प्रदान करते हैं तथा मत्स्य-पालन व कार्बन भंडारण के भी स्रोत हैं।

○ **अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को पूर्ण करना:** पारिस्थितिक पुनर्स्थापन कुछ समझौतों के तहत निर्धारित किए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता कर सकता है, जैसे कि वर्ष 2030 तक संधारणीय विकास का एजेंडा, पेरिस जलवायु समझौता, आइची जैव विविधता लक्ष्य इत्यादि।

पारिस्थितिक तंत्र पुनर्स्थापन की आवश्यकता क्यों है?

- **स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र:**
  - **वनावरण में निरंतर गिरावट:** विश्व का वनीय क्षेत्र निरंतर घटता जा रहा है, वर्ष 1990 में वनावरण वैश्विक भूमि क्षेत्र का 31.6 प्रतिशत था, जो वर्ष 2015 में घटकर 30.6 प्रतिशत रह गया तथा **वर्ष 2000 के बाद से लगभग 70 मिलियन हेक्टेयर वन भूमि नष्ट हो चुकी** है। इसके कारण कार्बन सिंक में कमी आई है तथा विविध प्रजातियों के पर्यावास को क्षति पहुंची है।
  - **भूमि की उर्वरता में गिरावट: पृथ्वी के कुल भूमि क्षेत्र के लगभग 20 प्रतिशत भू-भाग की उत्पादकता में गिरावट देखी गई** है, यह गिरावट क्षरण, मृदा ह्रास व प्रदूषण से संबंधित उर्वरता ह्रास से संबंधित है। यह वनों, फसली भूमि घास के मैदानों और प्रक्षेत्र-चरागाहों के वानस्पतिक आवरण को प्रभावित करता है।
  - **भूमि क्षरण का आर्थिक प्रभाव:** विश्व भर में भूमि क्षरण के कारण जैव विविधता तथा पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित सेवाओं की हानि होती है, जिसकी लागत **वार्षिक वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के 10 प्रतिशत से अधिक** है।
- **जलीय पारिस्थितिक-तंत्र:**
  - **आर्द्रभूमि क्षेत्रों में कमी:** पिछली शताब्दी के दौरान लगभग 70 प्रतिशत आर्द्रभूमि क्षेत्र का ह्रास हुआ है, जिससे स्थानीय जैव विविधता को क्षति और जल की उपलब्धता में तीव्र कमी आई है।
  - **महासागरों एवं तटों पर प्रभाव:** जलवायु परिवर्तन और मानव गतिविधियों जैसे कि अत्यधिक मत्स्यपालन, प्रदूषण, तटीय निर्माणों की क्षति, समुद्री नितल का निम्नीकरण इत्यादि ने समुद्री पारिस्थितिकी प्रणालियों को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। इसके कारण-
    - **समुद्री घासों में गिरावट आई** है जिस पर ड्यूगोंग व अन्य समुद्री जीव निर्भर होते हैं।
    - प्रमुख नदी डेल्टाओं के आसपास **मृत क्षेत्रों (Dead zones) में वृद्धि** हुई है, जिससे मत्स्य-उद्योग प्रभावित होता है।
    - तापमान में 1.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि से **प्रवाल भित्तियों में** 70 से 90 प्रतिशत तक की **गिरावट होने का अनुमान** है, तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस वृद्धि पर यह क्षति और अधिक बढ़ सकती है।
  - **उच्च कार्बन उत्सर्जन:** वैश्विक **ब्लू कार्बन पारिस्थितिक तंत्र** (ब्लू कार्बन विश्व के महासागरीय व तटीय पारिस्थितिक तंत्र द्वारा अवशोषित किया गया कार्बन है) के 20 से 50 प्रतिशत तक क्षेत्र या तो पहले से ही परिवर्तित हो गए है या इनका निम्नीकरण हो चुका है।
    - चूंकि **इनके द्वारा अवशोषित प्रति हेक्टेयर कार्बन स्टॉक उच्च होते** हैं, इस कारण इन पारिस्थितिक तंत्रों में हुआ ह्रास व निम्नीकरण, स्थलीय वनोन्मूलन की तुलना में अधिक कार्बनडाईऑक्साइड उत्सर्जन का कारण बनता है।

पारिस्थितिक-तंत्र के पुनर्स्थापन से संबंधित चुनौतियाँ

- **उच्च प्रारंभिक वित्तीय निवेश:** 350 मिलियन हेक्टेयर भूमि के पुनर्स्थापन के लिए लगभग 800 बिलियन डॉलर की आवश्यकता है।
- **दीर्घकालिक प्रक्रिया:** पारिस्थितिक तंत्र पुनर्स्थापन में वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए निरंतर व दीर्घकालिक प्रयासों की आवश्यकता होती है।
- **समन्वय का अभाव:** आमतौर पर पारिस्थितिक तंत्र भौगोलिक सीमाओं के भीतर तक ही सीमित नहीं है, इसलिए पुनर्स्थापन प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय समन्वय अनिवार्य हो जाता है।
- **पारिस्थितिक तंत्र विशेषताओं का अल्प ज्ञान:** समुचित अनुसंधान तथा विशिष्ट पारिस्थितिकी प्रणालियों का अध्ययन किए बिना पारिस्थितिक तंत्र पुनर्स्थापन के प्रयास अवांछनीय परिणाम प्रदान कर सकते हैं और निम्नीकरण को और अधिक बढ़ा सकते है।
- **आर्थिक गतिविधियों पर प्रभाव:** पारिस्थितिक तंत्र पुनर्स्थापन के लिए प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन पर आधारित आर्थिक गतिविधियों को सीमित करने के लिए जागरूकता सृजन संबंधी प्रयास आवश्यक है।

आगे की राह

- **वनीकरण के माध्यम से स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र को पुनर्स्थापित करना:** इसके लिए कुछ सिद्धांतों का पालन करना चाहिए जैसे:
  - घास के मैदान, पीट-भूमि अथवा आर्द्रभूमि जैसी अन्य प्राकृतिक पारिस्थितिक प्रणालियों को वनों में परिवर्तित करने के बजाय पूर्व वन्य भूमि पर ही वृक्षारोपण करना।
  - वृक्षों की स्थानीय प्रजातियाँ लगाना, जो स्थानीय जलवायु एवं मृदा के अनुकूल हों।

VISION IAS

○ पारिस्थितिक तंत्र पुनर्स्थापन के प्रयासों में स्थानीय समुदाय और परामर्श विशेषज्ञों को सम्मिलित करना।

- **राजनीतिक इच्छाशक्ति को बढ़ावा देना:** ताकि पारिस्थितिक तंत्र पुनर्स्थापन को वैश्विक, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय व स्थानीय स्तरों पर गति प्रदान की जा सके।
- **वैश्विक वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रोत्साहित करना:** विशेषकर पारिस्थितिक तंत्र पुनर्स्थापन के लिए बेहतर पद्धतियों को विकसित करने और बढ़ावा देने के लिए।
- **पारिस्थितिक-तंत्र पुनर्स्थापन की नीतियों एवं योजनाओं को मुख्यधारा में लाना:** ताकि समुद्री व स्थलीय पारिस्थितिक तंत्रों के निम्नीकरण, जैव विविधता के ह्रास एवं जलवायु परिवर्तन की सुभेद्यता के कारण होने वाली चुनौतियों और वर्तमान राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं को संबोधित किया जा सके।
- **वित्तीय संसाधनों में वृद्धि:** अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के मौजूदा निधीयन तंत्र के माध्यम से अथवा पृथक कोष को स्थापित करके पारिस्थितिक तंत्र पुनर्स्थापन के लिए धन का वितरण करना।
- **पारिस्थितिक-तंत्र के और अधिक क्षरण को रोकने के लिए परिरक्षण व संरक्षण को प्राथमिकता देना:** पारिस्थितिक तंत्र पुनर्स्थापन को इन प्रयासों के पूरक के रूप में देखा जाना चाहिए।

5.4. विजाग गैस रिसाव (Gas Leak at VIZAG)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, विशाखापत्तनम स्थित एलजी पॉलिमर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कारखाने से **स्टायरीन गैस** का रिसाव होने से कई लोगों की मृत्यु हुई है। इससे देश में औद्योगिक आपदाओं का मुद्दा पुन: चर्चा का विषय बन गया है।

औद्योगिक आपदाएं- एक पृष्ठभूमि

- औद्योगिक आपदाओं को वृहद पैमाने की औद्योगिक दुर्घटनाओं, व्यापक पर्यावरण प्रदूषण और होने वाले उत्पादों की क्षति के रूप में संदर्भित किया जाता है। इसमें बड़ी संख्या में लोगों को हताहत करने व प्राकृतिक पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने या किसी अन्य रूप से प्रभावित करने की क्षमता होती है।
- लगातार बढ़ते मशीनीकरण, विद्युतीकरण, रासायनिकीकरण और कृत्रिमता ने औद्योगिक कार्यों को अत्यधिक जटिल बना दिया है, जिससे दुर्घटनाओं व चोटों के माध्यम से उद्योगों में मानव जीवन के समक्ष उत्पन्न खतरों में वृद्धि हुई है।
- भारत में भोपाल गैस त्रासदी के उपरांत (विशेष रूप से विगत साढ़े तीन दशकों में) औद्योगिक आपदाओं की निरंतरता में वृद्धि दर्ज हुई है। **(इन्फोग्राफिक देखें)**
- श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय के अनुसार, वर्ष 2014-2016 तक इन तीन वर्षों में कारख़ानों में हुई दुर्घटनाओं में 3,562 श्रमिकों की मृत्यु हुई, जबकि 51,124 श्रमिक घायल हुए।

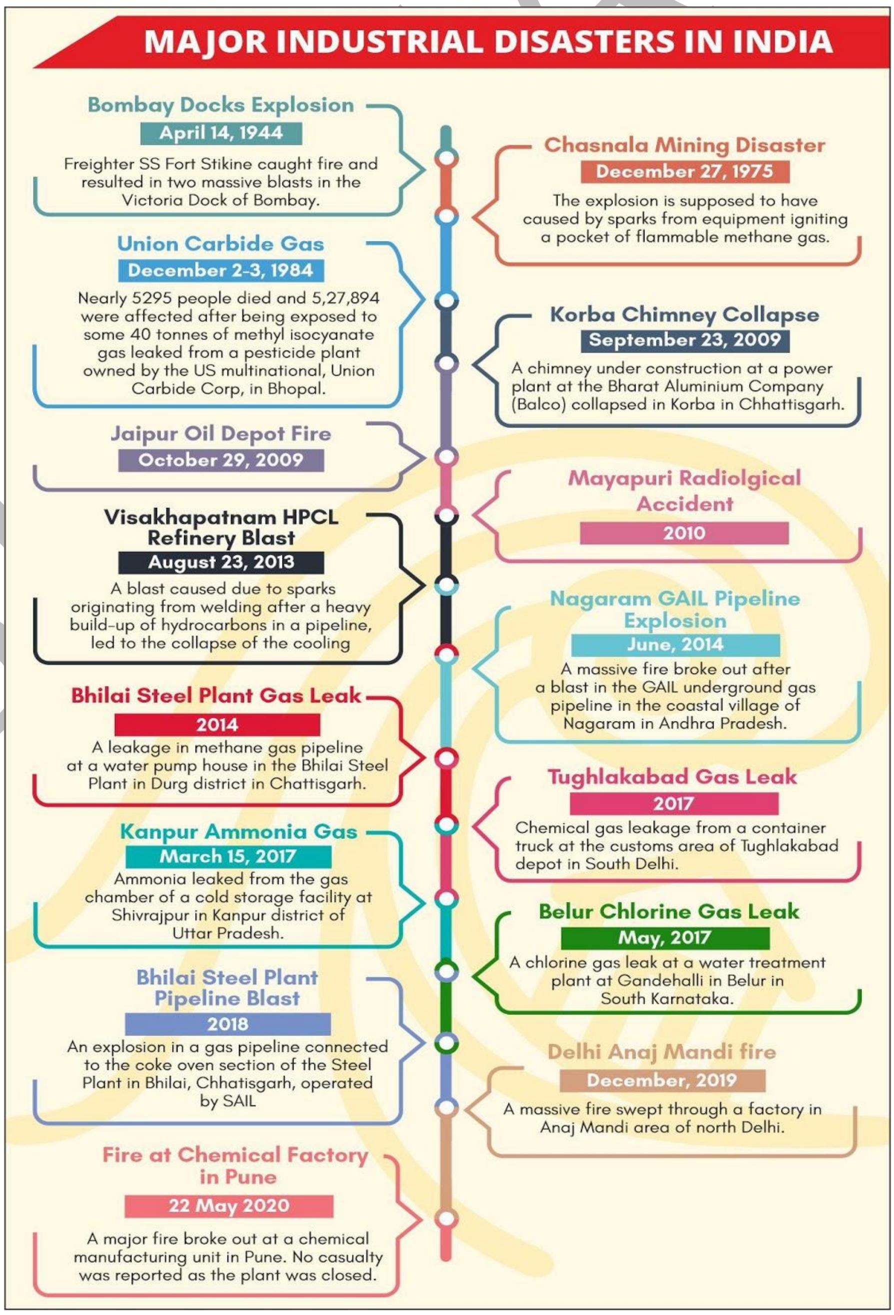

औद्योगिक आपदाओं से संबंधित विधिक प्रावधान

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986	• **उत्सर्जन या निस्सारण (discharge) और उत्पाद मानक** निर्धारित करना- प्रदूषण को प्रतिबंधित करने के लिए स्रोत मानक; विनिर्मित वस्तुओं के लिए उत्पाद मानक तथा जीवन की गुणवत्ता एवं पर्यावरण संरक्षण को विनियमित करने हेतु परिवेशी वायु और जल मानक।
परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन, हथालन और सीमापारीय संचलन) नियम, 1989	• उद्योग को दुर्घटना के **बड़े परिसंकटों/जोखिमों (hazard) की पहचान** करने, निवारक उपाय करने और नामित प्राधिकारियों के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है।
परिसंकटमय रसायनों का विनिर्माण, भंडारण और आयात नियम, 1989	• आयातक **को सक्षम प्राधिकरण के समक्ष पूर्ण उत्पाद सुरक्षा सूचना प्रस्तुत करना** और आयातित रसायनों का नियमों के अनुसार परिवहन करना आवश्यक है।
रासायनिक दुर्घटनाएं (आपातकालीन योजना, तैयारी एवं प्रतिक्रिया) नियम, 1996	• केंद्र द्वारा रासायनिक दुर्घटनाओं के प्रबंधन के लिए **केंद्रीय संकट प्रबंधन समूह** का गठन किया जाना आवश्यक है; साथ ही त्वरित प्रतिक्रिया तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए, जिसे **संकट चेतावनी प्रणाली** के रूप में चिन्हित किया जाना चाहिए। प्रत्येक राज्य द्वारा एक संकट प्रबंधन समूह स्थापित करना और उसके कार्य की रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होता है।
कारखाना संशोधन अधिनियम, 1987	• **विस्तारित जोखिम सीमा:** वर्ष 1987 का संशोधन अधिनियम जोखिम सीमा को परिसंकटमय उद्योगों से परे विस्तारित करता है। केवल कारखाने के श्रमिकों और परिसरों को शामिल करने वाली संकीर्ण परिभाषा के स्थान पर इसमें कारखाने के आसपास के क्षेत्र में अधिवासित सामान्य-जनों को भी समाविष्ट किया गया है।
लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991	• **संकटमय पदार्थ के स्वामी पर 'कोई दोष न होने पर भी दायित्व' आरोपित करता है** और कोई भी उपेक्षा या चूक होने पर उसकी ओर से पीड़ितों को **क्षतिपूर्ति प्रदान करना अनिवार्य बनाता है।** इसके लिए, स्वामी को किसी भी दुर्घटना से संभावित देयता को समाविष्ट करने वाली एक बीमा पॉलिसी लेनी होती है।
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT)	• राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना वर्ष 2010 में संसद के एक अधिनियम द्वारा की गई थी। अधिनियम में **'कोई दोष न होने पर भी दायित्व के सिद्धांत"** का प्रावधान किया गया है, जिसका अर्थ है कि भले ही कंपनी ने दुर्घटना को रोकने के लिए अपने सामर्थ्य के अनुसार सब कुछ किया हो तब भी उसे उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।

औद्योगिक आपदाओं के मामले में देयताएं नियत करने के संबंध में न्यायिक घोषणाएं

- **पूर्ण दायित्व का सिद्धांत (Doctrine of Absolute Liability): भारत में यह अवधारणा एम.सी.मेहता बनाम भारत संघ वाद (1986)** के उपरांत विकसित हुई, जिसे प्रसिद्ध रूप से **ओलियम (Oleum) गैस रिसाव वाद** के रूप में जाना जाता है।
- उच्चतम न्यायालय द्वारा परिभाषित इस सिद्धांत के अनुसार **उद्यम का, समुदाय के प्रति निरपेक्ष और गैर-प्रत्यायोजनीय कर्तव्य** होता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उसके द्वारा संपन्न गतिविधि के परिसंकटमय अथवा अंतर्निहित रूप से खतरनाक प्रकृति के होने के कारण किसी को कोई भी क्षति नहीं होनी चाहिए।
- **कठोर दायित्व का नियम (The rule of strict liability):** एम. सी. मेहता वाद तक, भारत में भी 'कठोर दायित्व' की अवधारणा का पालन किया जाता था। "कठोर दायित्व सिद्धांत" के अंतर्गत, यदि दुर्घटना या दैवीय घटना आदि जैसी किसी परिस्थिति से किसी संकटमय पदार्थ का किसी उद्यम के परिसर से रिसाव हो जाता है, तो उस उद्यम के स्वामी को क्षतिपूर्ति देने की आवश्यकता नहीं है।

संबंधित तथ्य

- ज्ञातव्य है कि, राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने विजाग गैस रिसाव के लिए एलजी पॉलिमर्स इंडिया पर अर्थदंड आरोपित करने हेतु **कठोर**

VISION IAS

दायित्व के सिद्धांत को लागू किया है, जिसे **पूर्ण दायित्व** के सिद्धांत का उल्लंघन होना घोषित किया जा रहा है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने बाद में यह निर्णय दिया कि एलजी पॉलिमर्स इंडिया विशाखापत्तनम में अपने कारखाने से हुए गैस के रिसाव से हुई जीवन क्षति हेतु पूर्ण जिम्मेदार है।

स्टायरीन क्या है? यह कितना विषाक्त है?

- स्टायरीन एक **कार्बनिक यौगिक** है, जिसका उपयोग पॉलीमर/प्लास्टिक/रेजिन के विनिर्माण में किया जाता है। इसका विनिर्माण पेट्रोरसायन परिष्करणशालाओं में होता है तथा यह एक **संभावित कैंसरजनक पदार्थ है।**
- यह वास्तव में एक **रंगहीन तरल है, न कि गैस**। यह **वायु में ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर स्टाइरीन डाइऑक्साइड में रूपांतरित हो सकता है**, जो अधिक प्राणघातक होता है।
- स्टायरीन एकल अणु के रूप में विद्यमान होता है, परन्तु अस्थिर होता है और इसमें **ऑटोपॉलिमराइजेशन की उच्च प्रवृत्ति** होती है, जिसका अर्थ है कि यह विशेष रूप से 65 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर, लंबी श्रृंखलाएं निर्मित करने हेतु स्वयं के साथ आबद्ध होने का प्रयास करता है। यह प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है और अनियंत्रित हो सकती है। इन कारणों से, स्टायरीन को सदैव अपेक्षाकृत **निम्न तापमान (15 डिग्री सेल्सियस और 20 डिग्री सेल्सियस के मध्य) पर संग्रहीत किया जाता है।**
- भारत में परिसंकटमय रसायनों का विनिर्माण, भंडारण और आयात नियम, 1989 के अनुसार, **स्टायरीन को परिसंकटमय एवं विषाक्त रसायन' के रूप में वर्गीकृत किया गया है।**
- मनुष्यों में स्टायरीन के प्रति **एक्यूट (अल्पकालिक) जोखिम** के परिणामस्वरूप श्लेष्मिक झिल्ली और आंखों में जलन तथा जठरांत्रिय प्रभाव उत्पन्न होते हैं।
- **क्रोनिक (दीर्घकालिक) संपर्क** के परिणामस्वरूप केंद्रीय तंत्रिका तंत्र (CNS) प्रभावित होता है, जिससे सिरदर्द व थकान होती है। यदि स्टायरीन की मात्रा 800 पीपीएम से अधिक हो जाती है, तो इसके संपर्क में आने वाला व्यक्ति कोमा (coma) में जा सकता है।

औद्योगिक आपदाओं के कारण

भारत में कुछ विशिष्ट समस्याएं हैं और विधिक प्रावधानों के होने के उपरांत भी औद्योगिक परिसरों में आपदाओं एवं दुर्घटनाओं का होना निरंतर जारी है। भूकंप या चक्रवात जैसे प्राकृतिक कारकों के अतिरिक्त, इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित हो सकते हैं यथा-

औद्योगिक कारण

- अनेक रासायनिक विनिर्माण इकाइयां **लघु और मध्यम क्षेत्रकों** से संबद्ध हैं, जिनकी औद्योगिक व पर्यावरणीय सुरक्षा के साथ-साथ व्यावसायिक स्वास्थ्य में निवेश करने की क्षमता सीमित है। कई **विनिर्माण संयंत्रों का कालिक क्षरण हो रहा है** तथा उनमें सुधार करने या बंद करने/पुनर्निर्माण करने हेतु निवेश करने की अनिच्छा प्रदर्शित की जा रही है।
- परिचालन क्षेत्र में अनौपचारिक श्रम का आश्रय लेकर **दीर्घकालिक प्रशिक्षण और कौशल विकास** की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति भी बढ़ रही है। अधिकतर **गैर कुशल अनुबंध श्रमिकों** को जोखिम भरे क्षेत्रों में कार्य करने हेतु नियोजित किया जाता है।
- इन अनुबंध कर्मियों **को पर्याप्त व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण** (PPE) और स्वास्थ्य एवं सुरक्षा सहायता प्रदान नहीं की जाती है।
- **सुरक्षित मशीनों के बारे में जागरूकता का निम्न** स्तर, कोयला खदानों में छत ढहने की समस्या उत्पन्न करने वाली खनन जैसी **असुरक्षित प्रथाएं** और विषाक्त गैस रिसाव प्रवण क्षेत्रों में मास्क के बिना कार्य करना जीवन क्षति का कारण बनते हैं।
- **निम्नस्तरीय प्रबंधन प्रणालियां** और यहां तक कि निकृष्ट रिपोर्टिंग प्रणाली समस्या में और अधिक वृद्धि करती हैं। कई दुर्घटनाओं और मृत्युओं को दर्ज नहीं किया जाता है।

सरकारी कारण

- **श्रम समवर्ती सूची का विषय** है, इसलिए केंद्र क़ानूनों का निर्माण करता है**,** जबकि उन्हें लागू करने का उत्तरदायित्व राज्यों का होता है। परन्तु **क़ानूनों की बहुलता** और एक राज्य से दूसरे राज्य में परिवर्तित विनियम प्रक्रिया प्राय: अनुपालन की समस्याएं उत्पन्न करते हैं।
- **औद्योगिक विनियमों में शिथिलता:** औद्योगिक विनियमों को भारत में व्यवसाय करने की सुगमता के समक्ष एक बाधा के रूप में संदर्भित किया जाता है। इसका अर्थ यह है कि कई बार औद्योगिक सुरक्षा से संबद्ध प्रावधानों को उच्च प्राथमिकता प्रदान नहीं की जाती है।
- **राज्यों की अपने श्रम ब्यूरो और पर्यावरण संरक्षण इकाइयों को सुदृढ़ करने की असमर्थता ने औद्योगिकीकरण की** बढ़ती मांग को पूर्ण करने हेतु असुरक्षित कारख़ानों में तीव्रता से वृद्धि की है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, देश में परिसंकटमय उद्योगों की संख्या 1990 के दशक के पूर्वार्ध की तुलना में तीन गुना बढ़कर वर्ष 2010 में लगभग 36,000 हो गई थी।
- **अतिक्रमण रोकने में विफलता: शहरी आबादी ने उन स्थानों का अतिक्रमण** किया है, जो मूल रूप से बफर (और हरित) क्षेत्रों सहित उद्योगों के लिए सीमांकित किए गए थे।

रासायनिक आपदाओं (औद्योगिक) पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (National Disaster Management Authority: NDMA) के दिशा-निर्देश 2007

- इन दिशा-निर्देशों के माध्यम से रासायनिक आपदा तत्परताओं और प्रतिक्रिया के लिए विभिन्न स्तरों पर अग्र-सक्रिय, भागीदारीपूर्ण, बहु-विषयक तथा बहु-क्षेत्रीय दृष्टिकोण का आह्वान किया गया है।
- ये दिशा-निर्देश मंत्रालयों, विभागों और राज्य प्राधिकरणों को उनकी विस्तृत आपदा प्रबंधन योजनाओं को तैयार करने हेतु निर्देश उपलब्ध कराने के लिए निर्मित किए गए हैं।
- इन दिशा-निर्देश में सात अध्यायों के माध्यम से रासायनिक दुर्घटनाओं के प्रबंधन में मौजूदा अंतरालों, नियामक ढांचे, तत्परताओं, परिसंकटमय रसायनों के परिवहन आदि सहित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई है।

आगे की राह

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना-2019 में रासायनिक (औद्योगिक) आपदा को रोकने के लिए निम्नलिखित उपायों का सुझाव प्रदान किया गया है:

- **जोखिम को समझना:** इसमें सूचना प्रणालियों, निगरानी व अनुसंधान को सुदृढ़ करना सम्मिलित है, जिसमें समाहित हैं-
  - अति निकृष्ट परिस्थितियों हेतु खतरे की क्षमता और प्रभावी आपदा प्रबंधन के आधार पर **औद्योगिक क्षेत्रों की जोनिंग/मैपिंग।**
  - सामाजिक, भौतिक, आर्थिक, पारिस्थितिकीय, लैंगिक, सामाजिक समावेशन और समता संबंधी पहलुओं को समाविष्ट करने वाली **सुभेद्यताओं एवं क्षमताओं का अध्ययन।**
  - व्यापक **परिसंकट, जोखिम, सुभेद्यता और क्षमता मूल्यांकन** (Hazard Risk Vulnerability and Capacity Assessment: HRVCA) के लिए तकनीकी सहायता एवं मार्गदर्शन प्रदान करना।
- **अंतर-अभिकरण समन्वय**
  - **आपदा प्रबंधन** (Disaster Management: DM) **योजनाओं का निर्माण और क्रियान्वयन** तथा **आपदा प्रबंधन** कार्यों के साथ अभिकरणों की कार्यप्रणाली को सुनिश्चित करना।
  - **चेतावनी, सूचना व डेटा का प्रसार:** चेतावनियों, सूचना और डेटा के त्वरित, स्पष्ट एवं प्रभावी प्रसार को सुनिश्चित करने हेतु केंद्रीय तथा राज्य अभिकरणों के मध्य प्रभावी समन्वय और निर्बाध संचार।
- **आपदा जोखिम न्यूनीकरण (Disaster Risk Reduction: DRR) में निवेश- संरचनात्मक उपाय**
  - आश्रय, निष्क्रमण और समर्थन सुविधाएं।
  - विश्वसनीय पहुंच और बचाव हेतु विभिन्न मार्ग।
  - विसंदूषण सुविधाएं।
- **आपदा जोखिम न्यूनीकरण में निवेश– गैर-संरचनात्मक उपाय**
  - जोखिमपूर्ण उद्योगों में अधिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और आपदाओं की संभावना को कम करने वाले नियमों आदि के साथ सुसंगत कारख़ानों के नियमों जैसे विनियमों, मानदंडों एवं क़ानूनों का निर्माण/सुदृढ़ीकरण करना।
  - अधिक सुरक्षा और जोखिमपूर्ण उद्योगों के अतिनिकट मानव बस्ती विहीन क्षेत्रों में बफर जोन सुनिश्चित करने हेतु जोखिमपूर्ण उद्योगों की स्थापना के लिए **भूमि उपयोग मानदंडों की समीक्षा करना।**
  - **कारखाना निरीक्षकों** को जोखिमपूर्ण रसायनों के विनिर्माण, भंडारण और आयात (Manufacture Storage and Import of Hazardous Chemicals: MSIHC) नियमों के गैर-अनुपालन के लिए कानूनी कार्रवाई करने हेतु सशक्त बनाना।
  - रासायनिक दुर्घटना पीड़ितों **को क्षतिपूर्ति प्रदान करने हेतु नियमों की समीक्षा करना** ताकि पीड़ितों के पक्ष में उनमें सुधार किया जा सके।

इसके अतिरिक्त, हाल ही में विजाग गैस रिसाव जैसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति की रोकथाम हेतु, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) ने कोविड-19 लॉकडाउन के पश्चात् विनिर्माण उद्योगों को पुनः आरंभ करने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। ये दिशा-निर्देश कच्चे माल के भंडारण, विनिर्माण प्रक्रियाओं, भंडारण और कामगारों के लिए दिशा-निर्देशों से संबंधित हैं। इसमें सुरक्षा प्रोटोकॉल के अनुसार सभी उपकरणों का निरीक्षण करने के भी निर्देश दिए गए हैं। ऐसे निर्देशों का प्रत्येक समय कठोरतापूर्वक पालन होना चाहिए और इसमें चूक करने वालों पर सरकार को कठोर कार्रवाई करनी चाहिए।

VISION IAS

5.5. विश्व वन स्थिति रिपोर्ट 2020 {State of the World's Forests Report (SOFO) 2020}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (United Nations Environment Programme: UNEP) तथा खाद्य एवं कृषि संगठन (Food and Agriculture Organization: FAO)** द्वारा संयुक्त रूप से विश्व वन स्थिति रिपोर्ट, 2020 का प्रकाशन किया गया है।

रिपोर्ट के बारे में यह जैव-विविधता के संरक्षण और संधारणीय उपयोग हेतु, **वनों तथा उनका उपयोग एवं प्रबंधन करने वाले लोगों के योगदान का मूल्यांकन** करती है।

- यह वन जैव-विविधता से संबंधित **वैश्विक लक्ष्यों तथा उद्देश्यों को पूरा करने हेतु** अभी तक हुई प्रगति का आकलन करती है।
- यह **संरक्षण एवं संधारणीय विकास दोनों के लिए नीतियों, कार्यों तथा दृष्टिकोणों की प्रगति** का आकलन करती है, जिन्हें नवाचारी प्रथाओं एवं लाभप्रद समाधानों की केस स्टडी से स्पष्ट किया जाता है।
- SOFO के निष्कर्ष **FAO** के **वैश्विक वन संसाधन आकलन 2020 {Forest Resources Assessment (FRA) 2020}** के परिणामों पर आधारित हैं।
- **FRA 2020** के अंतर्गत वर्ष 1990–2020 की समयावधि के दौरान 236 देशों और क्षेत्रों में वनों की सीमा, विशेषताओं, स्थिति, प्रबंधन तथा उपयोग से संबंधित 60 से अधिक चरों (variables) की स्थिति एवं प्रवृत्तियों की जाँच की गई हैं।

खाद्य और कृषि संगठन (Food and Agriculture Organization: FAO)

- यह **संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषीकृत एजेंसी** है, जो खाद्य सुरक्षा की समस्या का समाधान करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का नेतृत्व करती है।
- इसका लक्ष्य सभी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा लोगों को सक्रिय, स्वस्थ जीवन यापन हेतु पर्याप्त उच्च गुणवत्ता वाले भोजन की नियमित रूप से उपलब्धता सुनिश्चित करना है।
- इसकी स्थापना वर्ष 1945 में हुई थी और इसके सदस्य देशों की संख्या लगभग 194 है।
- इसका मुख्यालय **रोम, इटली में अवस्थित है।**

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (United Nations Environment Programme: UNEP)

- यह एक **अग्रणी वैश्विक पर्यावरण प्राधिकरण है,** जो वैश्विक पर्यावरणीय एजेंडा निर्धारित करता है तथा संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के अंतर्गत संधारणीय विकास के पर्यावरणीय आयामों के सुसंगत कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करता है।
- मुख्यालय: **नैरोबी (केन्या)।**

FRA 2020 के कुछ निष्कर्ष

- **वन पुनरुद्धार (Forest regeneration):** वर्ष 1990 के बाद से प्राकृतिक रूप से पुनः उत्पन्न होने वाले वनों के क्षेत्र में गिरावट आई हैं, लेकिन रोपित किए गए वनों के क्षेत्र में वृद्धि हुई है।
  - एशिया को **वन क्षेत्र का सर्वाधिक शुद्ध लाभ** प्राप्त हुआ हैं, जबकि अफ्रीका में शुद्ध वन हानि की वार्षिक दर सर्वाधिक थी।
- **संरक्षित क्षेत्र:** विश्व भर में 18 प्रतिशत वन **संरक्षित क्षेत्रों में स्थित** हैं।
  - विश्व भर में 25 प्रतिशत वन **प्राथमिक वन** हैं अर्थात ऐसे वन जिनमें मानव गतिविधियाँ सीमित होती है।
  - संरक्षित क्षेत्रों में वनों का सर्वाधिक हिस्सा दक्षिण अमेरिका में (31 प्रतिशत) है।
  - विश्व के वनों का लगभग 10 प्रतिशत भाग जैव-विविधता संरक्षण हेतु आवंटित है।
- **वनाग्नि:** वनाग्नि की घटनाओं सर्वाधिक रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में घटित हुई हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में वनाग्नि से कुल वन क्षेत्र का लगभग 4 प्रतिशत हिस्सा नष्ट हो गया हैं।
- **कार्बन भंडार में कमी:** वनों में कुल कार्बन भंडार वर्ष 1990 में 668 गीगाटन था, जो वर्ष 2020 में घटकर 662 गीगाटन रह गया हैं।

रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष

- **वनों का योगदान:** वन 80 प्रतिशत उभयचर प्रजातियों, 75 प्रतिशत पक्षियों की प्रजातियों और 68 प्रतिशत स्तनपायी प्रजातियों को पर्यावास प्रदान करते हैं। सभी संवहनी पादपों में से लगभग 60 प्रतिशत उष्णकटिबंधीय वनों में पाए जाते हैं।
  - वन **86 मिलियन से अधिक हरित रोजगार** प्रदान करते हैं तथा विश्व भर में अनुमानित रूप से 880 मिलियन लोगों **को आजीविका प्रदान करते** हैं, जिनमें से अधिकांश महिलाएं हैं।
  - वन **जल की आपूर्ति करते हैं, जलवायु परिवर्तन का शमन करते हैं और कई परागणकारियों के लिए पर्यावास प्रदान करते हैं**, जो कि **संधारणीय** स्थायी खाद्य उत्पादन हेतु आवश्यक होते हैं।

VISION IAS

- **वनों द्वारा आच्छादित क्षेत्र: वैश्विक भू-भाग का 31 प्रतिशत भाग वनों से आच्छादित है।**

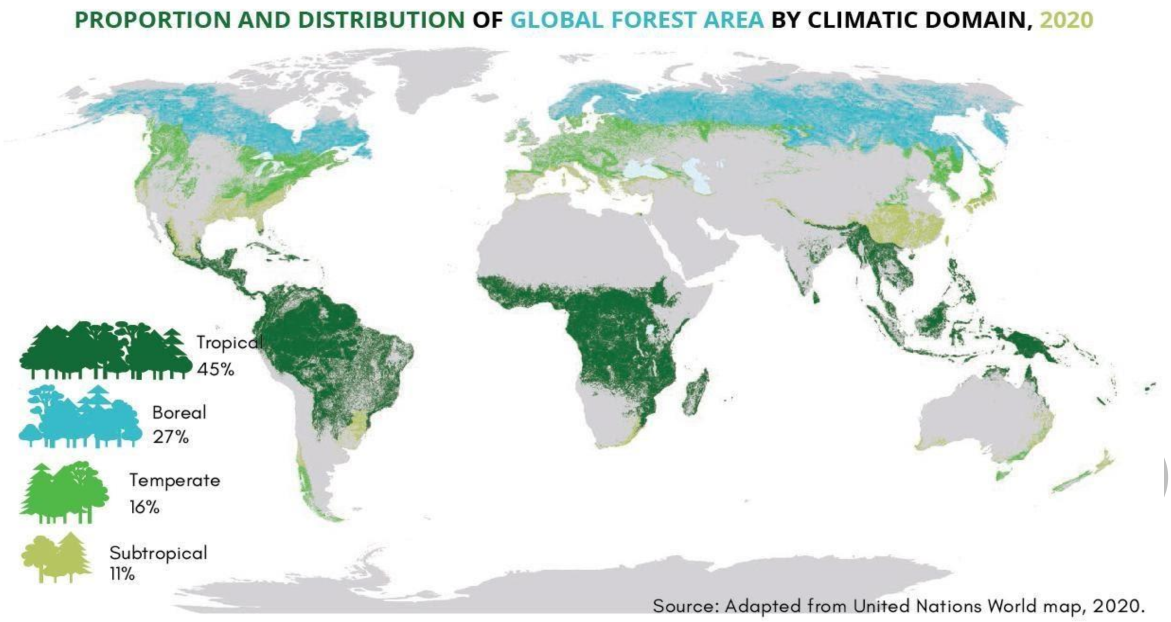

  - विश्व के आधे से अधिक वन केवल 5 देशों यथा - **ब्राजील, कनाडा, चीन, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका** में पाए जाते हैं।
- **निर्वनीकरण और वन निम्नीकरण:** यह प्रवृति खतरनाक गति से जारी है, जो जैव विविधता की निरंतर हो रही क्षति के लिए उत्तरदायी है।
  - वर्ष 1990 के दशक की तुलना में वर्ष 2015 से वर्ष 2020 के मध्य **वनों के कटाई की दर में कमी आई है।**
    - **वन क्षेत्र की शुद्ध हानि** वर्ष 1990 के दशक में 7.8 मिलियन हेक्टेयर प्रति वर्ष थी, जो वर्ष 2010–2020 के दौरान घटकर 4.7 मिलियन हेक्टेयर प्रति वर्ष रह गई है।
  - 100 मिलियन हेक्टेयर से अधिक वनों पर **वनाग्नि, कीटों, रोगों, आक्रामक प्रजातियों, सूखे और प्रतिकूल मौसम की घटनाओं** के कारण प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।
  - कृषि विस्तार, निर्वनीकरण और वनों के विखंडन तथा जैव विविधता से संबंधित क्षति का मुख्य प्रेरक तत्व बना हुआ है।
  - भारत जैसे सघन आबादी तथा गहन कृषि भूमि उपयोग वाले क्षेत्रों में **जैव विविधता, सुभेद्यपूर्ण स्थिति में बनी हुई है।**
- **वन पुनरुद्धार से संबद्ध प्रमुख लक्ष्य, प्रयोजन और संकेतक:** जैव विविधता और पारिस्थितिक तंत्र में वर्तमान नकारात्मक प्रवृत्तियों की उपस्थिति सतत विकास लक्ष्यों (Sustainable Development Goals: SDGs) की दिशा में प्रगति को क्षीण कर देगी।
  - **वनों हेतु संयुक्त राष्ट्र रणनीतिक योजना:** वर्ष 2030 तक वन क्षेत्र में 3 प्रतिशत की वृद्धि के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विश्व द्वारा उचित दिशा में प्रयास नहीं किये जा रहे हैं।
- **प्रजातियों का संरक्षण:** ज्ञात संकटापन्न प्रजातियों को विलुप्त होने से रोकने और उनके संरक्षण की स्थिति में सुधार की गति धीमी रही है।
  - **वन-विशेषज्ञ सूचकांक (Forest-Specialist index)** में वर्ष 1970 से 2014 के मध्य 53 प्रतिशत की गिरावट आई है, जो प्रजातियों के सुभेद्य से विलुप्त होने के बढ़ते हुए जोखिम को रेखांकित करती है।
    - यह सूचकांक **विश्व वन्यजीव कोष (World Wildlife Fund: WWF)** द्वारा विकसित किया गया है जो विश्व भर से हजारों कशेरुकी प्राणियों की संख्या की प्रचुरता में औसत परिवर्तन का मापन करता है।
- **स्वास्थ्य जोखिम:** वन से संबंधित रोगों जैसे कि - **मलेरिया, चगास (Chagas) रोग, काला अजार (लीशमैनियासिस), लाइम रोग, HIV और इबोला** आदि के कारण भी वन स्वास्थ्य जोखिम उत्पन्न करते हैं।
  - वर्तमान कोविड-19 महामारी के कारक SARS-CoV2 विषाणु सहित मनुष्यों को प्रभावित करने वाले अधिकांश नए संक्रामक रोग पशुजन्य हैं। वन क्षेत्र परिवर्तन और वन क्षेत्रों में मानव जनसंख्या के विस्तार के कारण उनके पर्यावास को क्षति हुई है। ये दोनों कारण वन्यजीवों के प्रति मानव संपर्क में वृद्धि करते हैं।

रिपोर्ट में सम्मिलित सुझाव

- वनों की कटाई और जैव विविधता की हानि को रोकने हेतु हमे **भोजन प्रणालियों को परिवर्तित करने की आवश्यकता है।**
  - **स्वास्थ्यवर्धक आहारों को अपनाना और भोजन के अपव्यय को कम करना,** ये सभी ऐसी कार्रवाइयां हैं, जिन्हें शीघ्र ही प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है।

- **प्रभावी शासन, परस्पर संबंधित मुद्दों हेतु एकीकृत नीतियाँ, भू स्वामित्व (पट्देदारी) की सुरक्षा, अधिकारों के प्रति सम्मान और स्थानीय समुदायों के ज्ञान** और जैव विविधता परिणामों की निगरानी करने हेतु क्षमता में वृद्धि करने की आवश्यकता है।
- जैव विविधता और लोगों दोनों हेतु सकारात्मक परिणाम सुनिश्चित करने के लिए **संरक्षण लक्ष्यों तथा आजीविका का समर्थन करने वाले संसाधनों की मांगों के मध्य यथार्थवादी संतुलन** स्थापित करने की आवश्यकता है।
    - देशों को वर्तमान स्थिति से आगे बढ़ना चाहिए, जहां खाद्य की मांग के कारण ऐसी अनुचित कृषि पद्धतियाँ अपनाई जाने लगी हैं, जो वृहत स्तर पर वनों को कृषि-संबंधी उत्पादन में परिवर्तित करने और वनों से संबंधित जैव विविधता की हानि को उत्प्रेरित करती हैं।

5.6. भारत की प्रथम डॉल्फिन वेधशाला (India's First Dolphin Observatory)

सुर्ख़ियों में क्यों?

बिहार सरकार द्वारा भागलपुर जिले में **गंगा नदी डॉल्फिन** के लिए भारत की प्रथम वेधशाला स्थापित की जा रही है।

अन्य संबंधित तथ्य

- यह **वेधशाला विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य (Vikramshila Gangetic Dolphin Sanctuary: VGDS) में स्थापित की गई है।**
    - इसका उद्देश्य **पारिस्थितिक-पर्यटन (इको-टूरिज्म) को बढ़ावा देना है।**
    - इस वेधशाला का निर्माण गंगा नदी पर **सुल्तानगंज-अगुवानी घाट पुल** के ऊपर किये जाने के कारण नदी की पारिस्थितिकी पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- **गंगा नदी डॉल्फिन के बारे में**
    - IUCN स्थिति: **इन्डैन्जर्ड (EN)**
    - ये नदियों के मुहाने एवं इसके आसपास के गहरे जलीय क्षेत्रो में रहना पसंद करती हैं। ये **केवल अलवणीय जल में** रहती हैं और **नेत्रहीन** होती हैं।
    - ये संपूर्ण **नदी पारिस्थितिकी प्रणाली के स्वास्थ्य की विश्वसनीय संकेतक** होती हैं।
    - यह **भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव भी है।**
    - यह नेपाल, भारत और बांग्लादेश की **गंगा-ब्रह्मपुत्र-मेघना** और **कर्णफुली-सांगु नदी** प्रणालियों में पाई जाती है।
        - भारत में, यह सात राज्यों अर्थात् **असम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल** में पाई जाती है।
    - **भारत में डॉल्फिन को** इनके पर्यावासों स्थलों में अति मत्स्यन, प्रदूषण, अवसंरचना आदि के कारण **प्रमुख खतरा उत्पन्न हुआ** है।
    - गंगा नदी डॉल्फिन, केंद्र प्रायोजित योजना **"वन्यजीव पर्यावास का विकास"** (Development of Wildlife Habitat) के अंतर्गत निर्धारित 21 प्रजातियों में से एक हैं।
        - **गंगा डॉल्फिन के लिए संरक्षण कार्य योजना (2010-2020):** जिसके अंतर्गत गंगा की डॉल्फ़िन के खतरों और नदी यातायात, सिंचाई नहरों के प्रभाव और डॉल्फ़िन आबादी के शिकार-आधार के घटने की पहचान की गई है।

भारत में पाई जाने वाली अन्य डॉल्फिन

- **सिंधु नदी डॉल्फिन**
    - IUCN स्थिति: **इंडेंजर्ड (EN)**
    - ये केवल **पाकिस्तान में सिंधु नदी के निचले भागों और** भारत के पंजाब राज्य में सिंधु नदी की एक सहायक **ब्यास नदी में** पाई जाती हैं।
    - ये कीचड़ युक्त नदी में रहने हेतु अनुकूलित हैं और कार्यात्मक रूप से नेत्रहीन होती हैं।
    - डॉल्फिन **पंजाब का राज्य जलीय जीव है।**
- **इरावदी डॉल्फिन (स्नबफिन डॉल्फिन)**
    - IUCN स्थिति: **इंडेंजर्ड (EN)**
    - इरावदी नदी के अतिरिक्त, यह भारत की **गंगा नदी, चिल्का झील और दक्षिण पूर्व एशिया की मेकांग नदी में भी पाई जाती है।**
    - ये मुख्यतः नदियों के तटों या मुहाने के निकट और लवणीय जल (brackish water) में निवास करती हैं।
- **इंडियन ओशन हम्पबैक डॉल्फिन**
    - IUCN स्थिति: **इंडेंजर्ड (EN)**
    - ये मुख्यतः हिंद महासागर के देशों के आदर्श रूप से अलवणीय जल के उथले, तट के निकटवर्ती जल क्षेत्रों में निवास करती हैं।
    - ये **दक्षिण अफ्रीका के तट से दक्षिण, पूर्वी अफ्रीका के तट के समीप उत्तर की ओर, संपूर्ण मध्य पूर्व और भारत के पश्चिमी तट के निकटवर्ती** जल क्षेत्रों में ही पाई जाती है।

5.7. भारत में चक्रवात प्रबंधन (Cyclone Management in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, चक्रवात 'अम्फान' के कारण भारत के पूर्वी तटीय राज्यों (पश्चिम बंगाल और उड़ीसा) में भारी क्षति हुई है।

अन्य संबंधित तथ्य

- यह तूफान वर्ष 1999 के बाद से **बंगाल की खाड़ी में निर्मित होने वाला केवल दूसरा सुपर साइक्लोन (super cyclone)** है।
  - भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, **222 किलोमीटर/घंटा से अधिक की वायु गति** वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात एक सुपर साइक्लोन (वर्गीकरण में उच्चतम के आधार पर) होता है।
- अम्फन की तीव्रता बंगाल की खाड़ी के उष्मन (वॉर्मिंग) का संकेत है, जिसकी सतह का अधिकतम तापमान 32-34 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। यह **मानवजनित वैश्विक तापन (उष्मन) का परिणाम** है।

भारत में चक्रवात प्रबंधन की आवश्यकता

- **चक्रवातों के प्रति प्रवणता:** भारत की तटरेखा 7,516 किलोमीटर लंबी है, जिसमें से 5,700 किलोमीटर की तटरेखा विभिन्न प्रकार के चक्रवातों के प्रति प्रवण है।
  - देश का लगभग 8% क्षेत्रफल और इसकी एक तिहाई आबादी 13 तटीय राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में निवास करती है, जो इस प्रकार के चक्रवात से संबंधित आपदाओं के प्रति सुभेद्य है।
- **चक्रवातों के कारण होने वाली क्षति:** इसके परिणामी प्रभावों में जीवन, आजीविका के अवसरों की हानि, सार्वजनिक और निजी संपत्ति का नुकसान और अवसंरचना की गंभीर क्षति शामिल हैं, जिनसे विकास की प्रक्रिया बाधित हो सकती है।
- **जलवायु परिवर्तन:** जलवायु परिवर्तन और इसके परिणामस्वरूप समुद्री जलस्तर में वृद्धि से आगामी दशकों में इस समस्या की गंभीरता के और अधिक बढ़ने की संभावना है।

उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या हैं?

- उष्णकटिबंधीय चक्रवात एक प्रचंड तूफ़ान होता है जिनकी उत्पत्ति **उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के महासागरों पर** होती है। ये चक्रवात तीव्र पवनों, भारी वर्षा और तूफान महोर्मि के कारण व्यापक पैमाने पर विनाश का कारण बनते हैं।
  - उष्णकटिबंधीय चक्रवात निम्न दाब वाली मौसम प्रणालियां हैं जिनमें पवनों की गति 62 कि.मी. प्रति घंटा या उससे अधिक होती है।
  - उष्णकटिबंधीय चक्रवात में पवनें उत्तरी गोलार्द्ध में वामावर्त दिशा में और दक्षिणी गोलार्द्ध में दक्षिणावर्त दिशा में परिसंचरण करती हैं।
- भारत पहुंचने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात **सामान्य तौर पर भारत के पूर्वी भाग में उत्पन्न होते हैं।**
  - समुद्र की सतह का उच्च तापमान, निम्न ऊर्ध्वाधर अपरूपण पवनों और वायुमंडलीय मध्य परतों में पर्याप्त आर्द्रता के कारण अरब सागर की तुलना में बंगाल की खाड़ी चक्रवात के प्रति अधिक प्रवण होती है।
  - इस क्षेत्र में चक्रवातों की आवृत्ति **बाई-मोडल** है अर्थात चक्रवात **मई-जून** और **अक्टूबर-नवंबर** माह में ही उत्पन्न होते हैं।

चक्रवात निर्माण (चक्रवातजनन) के लिए अनुकूल दशाएं

- **उष्ण समुद्री सतह (26°-27°C से अधिक तापमान)** और प्रचुर मात्रा में जल वाष्प के साथ 60 मीटर की गहराई तक विस्तृत संबद्ध ऊष्मन।
- लगभग 5,000 मीटर की ऊंचाई तक वायुमंडल में विद्यमान **उच्च सापेक्षिक आर्द्रता**।
- **वायुमंडलीय अस्थिरता** जो कपासी मेघों के निर्माण को प्रोत्साहित करती है।
- **वायुमंडल की निचली और ऊपरी परतों के मध्य निम्न ऊर्ध्वाधर पवन संचरण,** जो बादलों द्वारा उत्पन्न और उत्सर्जित ऊष्मा को उस क्षेत्र से प्रवाहित नहीं होने देती हैं।
- **चक्रवाती भ्रमिलता** (वायु के घूर्णन की दर) की उपस्थिति, वायु के चक्रीय घूर्णन आरंभ करती है और उसे समर्थन प्रदान करती है।
- **समुद्र पर अवस्थिति**, भूमध्य रेखा से कम से कम 4-5° अक्षांश की दूरी पर।

भारत में चक्रवात प्रबंधन

- **भारत में संस्थागत ढांचा**
  - **राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA):** यह प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाला आपदा प्रबंधन हेतु शीर्ष निकाय है। यह चक्रवातों के प्रबंधन के लिए **राष्ट्रीय दिशा-निर्देश** तैयार करने हेतु उत्तरदायी है।

VISION IAS

- ○ **भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD):** यह **चक्रवात चेतावनी सेवाएं प्रदान करने** और प्रभावित क्षेत्रों में समुदायों और महत्वपूर्ण अधिकारियों को IMD से चक्रवात **की चेतावनी प्रेषित करने हेतु** एक नोडल एजेंसी है।

- **चक्रवातों के प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय दिशा-निर्देश:** इन दिशा-निर्देशों को पूर्व तैयारी पर बल देते हुए राहत केंद्रित दृष्टिकोण से समग्र दृष्टिकोण में आमूल-चूल परिवर्तन के कारण विकसित किया गया है। इनके द्वारा चक्रवात प्रबंधन के लिए संरचनात्मक और गैर-संरचनात्मक उपायों का सीमांकन किया जाता है।
    - ○ **गैर - संरचनात्मक उपाय**
        - ▪ **पूर्व चेतावनी प्रणालियां:** इसमें स्वचालित मौसम स्टेशन, डॉप्लर रडार, हाई विंड स्पीड रिकार्ड, महासागर उत्प्लावन, मानवरहित हवाई वाहन आदि सम्मिलित हैं। इनके द्वारा चक्रवातों की तीव्रता की निगरानी और पूर्वानुमान लगाने के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की जाती है।
        - ▪ **संचार और प्रसार प्रणालियां:** संचार और प्रसार प्रणालियां चक्रवात चेतावनी की उचित निष्पादन हेतु अनिवार्य आधार होती हैं। इसमें **सेलुलर टेलीफोन नेटवर्क, आपदा चेतावनी प्रणाली (Disaster Warning System: DWS) टर्मिनल** आदि सम्मिलित हैं।
        - ▪ **तटीय क्षेत्रों का प्रबंधन:** तटीय क्षेत्र प्रबंधन (Coastal Zone Management: CZM) के प्रति सुरक्षित क्षेत्रों में समुदायों और अवसंरचना का स्थापन करने हेतु तटीय क्षेत्रों के उचित नियोजन, प्राकृतिक जैव-ढाल की रक्षा और पुनर्स्थापन आदि जैसे समग्र दृष्टिकोण से काफी हद तक जीवनहानि तथा संपत्ति की हानि को कम किया जा सकता है।
    - ○ तटीय क्षेत्रों में **मैंग्रोव वन और शेल्टरबेल्ट** जैवढाल का निर्माण करते हैं और पारिस्थितिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। **तटीय विनियमन क्षेत्र (Coastal Regulation Zone: CRZ)** नियमों के प्रभावी कार्यान्वयन द्वारा इनका संरक्षण किया जाना चाहिए।
        - ▪ **जागरूकता सृजन:** जागरूकता में स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक समुदायों, मोहल्लों और विभिन्न सार्वजनिक अधिकारियों को संवेदनशील बनाने की कई विधियां सम्मिलित हैं।
    - ○ **संरचनात्मक उपाय**
        - ▪ चक्रवात के जोखिम में कमी का एक महत्वपूर्ण पहलू **पर्याप्त संख्या में आश्रयों, सामुदायिक केन्द्रों/स्कूल भवनों, पूजा स्थलों** आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करना है, जिनका उपयोग लोगों को संवेदनशील क्षेत्रों से सुरक्षित क्षेत्रों में स्थानांतरित करने के लिए किया जा सकता है।
        - ▪ प्रत्येक गांव के लिए चक्रवात या बाढ़ की अवधि के दौरान सभी प्रकार के मौसम में संचालित सड़क उपलब्ध कराने की आवश्यकता है
        - ▪ तट के समानांतर अधिवासों, कृषि फसलों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की रक्षा करने के लिए **'सैलाइन तटबंधों' का निर्माण** किया जाता है।
    - ○ **राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम शमन परियोजना (National Cyclone Risk Mitigation Project: NCRMP):** सरकार ने विश्व बैंक की 300 मिलियन डॉलर की सहायता से कार्यान्वित की जाने वाली **राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम शमन परियोजना (NCRMP)** तैयार की है।
        - ▪ इसका उद्देश्य संरचनात्मक और गैर-संरचनात्मक चक्रवात शमन प्रयासों को सुदृढ़ करना तथा चक्रवात प्रवण तटीय जिलों की सुभेद्यता एवं जोखिम को कम करना है।
        - ▪ NCRMP में निम्नलिखित **चार घटक** शामिल हैं:
            - ✓ **घटक A:** चक्रवात चेतावनी की पूर्व चेतावनी प्रसार प्रणाली में सुधार।
            - ✓ **घटक B:** चक्रवात जोखिम शमन हेतु निवेश जैसे कि- चक्रवात आश्रय स्थलों का निर्माण।
            - ✓ **घटक C:** आपदाजोखिम प्रबंधन और क्षमता निर्माण हेतु तकनीकी सहायता।
            - ✓ **घटक D:** परियोजना प्रबंधन और संस्थागत सहायता।
    - ○ **आपदा जोखिम प्रबंधन और क्षमता विकास**
        - ▪ राज्यों को ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करने के लिए आपदा प्रबंधन के सभी चरणों को सम्मिलित करने वाली **व्यापक चक्रवात आपदा प्रबंधन सूचना प्रणाली** की स्थापना अति आवश्यक है।
        - ▪ **समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन (Community Based Disaster Management: CBDM)** जो मानव प्रेरित और प्राकृतिक खतरों दोनों के प्रति अपनी सुभेद्यता का आकलन करने तथा प्रभाव को रोकने और/या कम करने हेतु आवश्यक रणनीतियों एवं संसाधनों का विकास करने के लिए समुदायों की क्षमता का निर्माण करने का एक दृष्टिकोण है।

5.8. दक्षिण एशिया के लिए जलवायु अनुकूलन और प्रत्यास्थता परियोजना {Climate Adaptation and Resilience for South Asia (CARE) Project}

सुर्ख़ियों में क्यों?

विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक मंडल ने **दक्षिण एशिया में जलवायु कार्रवाई** को सुदृढ़ करने के लिए 39.5 मिलियन डॉलर की **CARE परियोजना** को स्वीकृति प्रदान कर दी है।

दक्षिण एशिया के लिए इस परियोजना की आवश्यकता

- दक्षिण एशिया **जलवायु से संबंधित खतरों के सामाजिक-आर्थिक प्रभावों** के प्रति अत्यधिक सुभेद्य है।
- वर्ष 1990 से वर्ष 2019 के मध्य, दक्षिण एशिया में लगभग 1,000 से अधिक जलवायु-प्रेरित आपदाओं ने **1.7 बिलियन लोगों को प्रभावित किया है तथा 127 बिलियन डॉलर से अधिक का नुकसान पहुंचाया है।**
    - विश्व बैंक का अनुमान है कि जलवायु परिवर्तन के कारण दक्षिण एशिया में 62 मिलियन लोग अत्यधिक निर्धनता से ग्रसित हैं।

दक्षिण एशिया के लिए जलवायु अनुकूलन एवं प्रत्यास्थता (Climate Adaptation and Resilience for South Asia: CARE) परियोजना के बारे में

- यह परियोजना क्षेत्रीय आंकड़े और ज्ञान साझा करके **जलवायु खतरों एवं आपदाओं के प्रति प्रत्यास्थता का निर्माण** करेगी।
    - इससे अवसंरचना के लिए **क्षेत्रीय मानक एवं दिशा-निर्देश विकसित करने** तथा जलवायु-प्रत्यास्थता नीतियों और निवेश को बढ़ावा देने में सहायता प्राप्त होगी।
- इस परियोजना से **जलवायु नियोजन एवं निवेशों को आकर्षित करने के लिए सार्वजनिक मंच विकसित करने** तथा **दक्षिण एशिया में प्रत्यास्थता का समर्थन करने के लिए प्रौद्योगिकियों का वित्तपोषण करने** में सहायता मिलेगी।
    - यह सार्वजनिक क्षेत्र के एक मंच के रूप में **रीजनल रेसिलिएंस डेटा एंड एनालिटिक्स सर्विस (Regional Resilience Data and Analytics Service)** का वित्तपोषण करेगी, जो कि नीति निर्माताओं को जलवायु जोखिमों का आकलन करने में सहायता करने के लिए मौसम सम्बन्धी खतरों, जलवायु परिवर्तनशीलता और क्षेत्रक विशिष्ट आंकड़ों के संबंध में जानकारी प्रदान करेगा।
- यह बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान के जिलों में **जलवायु प्रभावों का भी आकलन करेगी,** ताकि कृषि, पशुधन, जल और परिवहन क्षेत्रों की सहायता की जा सके।
- 39.5 मिलियन डॉलर की CARE परियोजना में **अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (International Development Association)** से 36 मिलियन डॉलर और **एशिया में जलवायु परिवर्तन के प्रति प्रत्यास्थता के लिए कार्यक्रम (Program for Asia Resilience to Climate Change)** से 3.5 मिलियन डॉलर का अनुदान सम्मिलित है।
- CARE परियोजना, दो क्षेत्रीय संगठनों, **अफ्रीका तथा एशिया के लिए क्षेत्रीय एकीकृत बहु-खतरा पूर्व चेतावनी प्रणाली (RIMES) तथा एशियाई आपदा तैयारी केंद्र (ADPC)** के साथ मिलकर कार्य करेगी।

अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (International Development Association: IDA)

- IDA, **विश्व बैंक समूह का भाग** है। यह विश्व के सर्वाधिक निर्धन देशों की सहायता करता है।
- इसका उद्देश्य आर्थिक संवृद्धि, विषमता में कमी करना और लोगों के जीवन स्तर में सुधार करने वाले कार्यक्रमों के लिए **ऋण ("क्रेडिट") और अनुदान प्रदान करके निर्धनता का उन्मूलन करना** है।
- **IDA भारी ऋणग्रस्त निर्धन देशों (Heavily Indebted Poor Countries: HIPC) पहल** और **बहुपक्षीय ऋण राहत पहल (Multilateral Debt Relief Initiative: MDRI)** के माध्यम से ऋण राहत प्रदान करने में अत्यधिक योगदान करता है।

एशिया में जलवायु परिवर्तन के प्रति प्रत्यास्थता के लिए कार्यक्रम (Program for Asia Resilience to Climate Change: PARCC)

- यह **यूनाइटेड किंगडम के अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग द्वारा समर्थित** और **विश्व बैंक द्वारा प्रशासित** ट्रस्ट फंड है।
- इसे **अफ़ग़ानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका** में आपदा और जलवायु प्रत्यास्थता को सुदृढ़ करने के लिए वर्ष 2018 में आरंभ किया गया था।

अफ्रीका तथा एशिया के लिए क्षेत्रीय एकीकृत बहु-खतरा पूर्व चेतावनी प्रणाली (Regional Integrated Multi-Hazard Early Warning System for Africa and Asia: RIMES)

- यह **पूर्व चेतावनी सूचनाओं के सृजन एवं अनुप्रयोग के लिए** एक अंतर-सरकारी संस्था है।
- RIMES का विकास वर्ष **2004 में हिंद महासागर में आई सुनामी के बाद** अफ्रीका और एशिया के देशों के प्रयासों से हुआ हैं।

VISION IAS

- RIMES सुनामी और जलीय मौसम सम्बन्धी आपदाओं (hydro-meteorological hazards) की आद्योपांत पूर्व चेतावनी प्रक्रिया में दक्षता प्रदान करने हेतु अपने सदस्य देशों का क्षमता निर्माण करता है।
- इसका संचालन **थाईलैंड में एशियाई प्रौद्योगिकी संस्थान** के परिसर में स्थित **क्षेत्रीय पूर्व चेतावनी केंद्र** से किया जाता है।
- **भारत इसका संस्थापक सदस्य है और वर्तमान में RIMES परिषद की अध्यक्षता कर रहा है।**

एशियाई आपदा तैयारी केंद्र (Asian Disaster Preparedness Center: ADPC)

- यह एशिया और प्रशांत क्षेत्र में आपदाओं और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति **लोगों एवं संस्थानों की प्रत्यास्थता का निर्माण करने के लिए कार्यरत एक अंतर-सरकारी संगठन** है।
- **स्थापित:** वर्ष 1986 में, मुख्यालय: बैंकॉक (थाईलैंड)।
- यह जोखिम न्यूनीकरण एवं जलवायु प्रत्यास्थता के लिए संधारणीय समाधानों का समर्थन करने के लिए इस क्षेत्र के देशों को व्यापक तकनीकी सेवाएं प्रदान करता है।
- ADPC अपने नौ संस्थापक सदस्य देशों यथा - **बांग्लादेश, कंबोडिया, चीन, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, फिलीपींस, श्रीलंका, और थाईलैंड** द्वारा शासित है।

VISION IAS

6. सामाजिक मुद्दे (Social Issues)

6.1. कोविड-19 एवं मानसिक स्वास्थ्य (COVID-19 and Mental Health)

सुर्ख़ियों में क्यों?

कोविड-19 से पीड़ित विभिन्न देशों में व्यापक मनोवैज्ञानिक संकट से संबद्ध मामले दर्ज किए गए हैं, जिसने लोगों के संपूर्ण मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित किया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- इंडियन साइकाइट्री सोसाइटी द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार, देश में लॉकडाउन लगने के शुरुआती एक सप्ताह के दौरान, **भारत में मानसिक रोगों से संबंधित मामलों की संख्या में 20% की वृद्धि हुई है।**
- इसके अतिरिक्त, यह संभावना भी व्यक्त की गई है कि आगामी सप्ताहों और महीनों में, भारत में मानसिक स्वास्थ्य संकट संबंधी मामलों में अत्यधिक बढ़ोत्तरी हो सकती है।

मानसिक स्वास्थ्य

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization: WHO) मानसिक स्वास्थ्य को **'स्वस्थ मानसिक स्थिति'** के रूप में परिभाषित करता है, जो जीवन के विविध तनावों से निपटने में लोगों की सक्षमता को संदर्भित करती है, जिसके अंतर्गत लोग अपनी क्षमता को अनुभव कर सकते हैं, उत्पादक व लाभकारी रूप से कार्य कर सकते हैं तथा अपने समुदाय के हित में योगदान करने में समर्थ होते हैं।
- WHO के एक अनुमान के अनुसार, **मानसिक रोग विश्व भर में कुल रोगों का लगभग 15% है।**
- भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (Indian Council of Medical Research: ICMR) की एक रिपोर्ट के अनुसार **भारत में प्रत्येक सात में से एक व्यक्ति** मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं, अवसाद तथा तनाव से लेकर स्किज़ोफ्रेनिया जैसी गंभीर मानसिक रोगों से ग्रसित है। जिसके कारण, WHO ने भारत को विश्व के **'सबसे अवसादग्रस्त देश'** के रूप में चिन्हित किया है।

कोविड-19 से किस प्रकार मानसिक रोगों से संबद्ध समस्याओं में वृद्धि हुई है?

अनुमानतः 150 मिलियन लोगों के मानसिक रोग से पीड़ित होने की संभावना है, जिसमें प्रथम अनुक्रियाकर्ता और अग्रपंक्ति के स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ता, कोविड रोगी एवं इससे उपचारित लोग, बच्चे व किशोर, महिलाएं, वृद्धजन, मानसिक रोगों से ग्रसित लोग, असंगठित क्षेत्र के श्रमिक, प्रवासी तथा दिव्यांगजन शामिल हैं। लोगों के मध्य उत्पन्न हो रहे इस मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक संकट हेतु निम्नलिखित कारण उत्तरदायी हैं:

- **सरकारी नीतियां:** सोशल डिस्टैन्सिंग, क्वारंटाइन, यात्रा प्रतिबंध और विद्यालयों एवं वृहद समारोहों को रद्द करने की नीतियों ने प्रत्यक्षत भय, घबराहट, चिंता, भ्रम, क्रोध तथा अवसाद को प्रोत्साहित किया है। लोगों के मध्य संक्रमण, मृत्यु और परिवार के सदस्यों की क्षति को लेकर भी भय बना हुआ है।
- **आर्थिक कारक:** महामारी ने व्यापार और अर्थव्यवस्था को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र के लोग अपने व्यवसाय, नौकरी, या बचत क्षति को लेकर अधिक चिंतित हैं, जिससे उनके मध्य निराशा, चिंता व संकट के स्तर में वृद्धि हुई है।
- **सामाजिक कारक:**
    - स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों, संक्रमित लोगों, बुजुर्गों और पूर्ववर्ती किसी रोग से ग्रसित लोगों के **साथ अनुचित व्यवहार करना।**
    - **बच्चे एवं किशोर,** पारिवारिक तनाव व सामाजिक अलगाव से अत्यधिक गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं, जिनमें से कुछ के द्वारा दुर्व्यवहारों का भी सामना किया गया है। इसके अतिरिक्त बच्चों की शिक्षा का बाधित होना और उनके भविष्य को लेकर अनिश्चितता भी बनी हुई है।
    - **महिलाएं:** संयुक्त राष्ट्र द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार, 66% भारतीय महिलाओं द्वारा अत्यधिक मानसिक दबाव का सामना किया जा रहा है। इसके पीछे कई कारण जिम्मेदार हैं, जैसे- घर पर ही शिक्षण (home-schooling) कार्य, वृद्ध परिवारजनों की देखभाल करने जैसे अतिरिक्त देखभाल दायित्व तथा हिंसात्मक मामलों में वृद्धि।
    - **वृद्धजन और पूर्ववर्ती किसी रोग से ग्रसित लोग** वर्तमान में वायरस से संक्रमित होने और उचित देखभाल तक पहुंच प्राप्त न होने से अधिक चिंतित हैं।
- **मीडिया की भूमिका:** मीडिया द्वारा गंभीर रूप से ग्रसित लोगों, मृतकों और शव पेटिकाओं को निरंतर दिखाया जाना, वायरस के बारे में लगातार भ्रामक सूचनाओं व अफ़वाहों का प्रचार करना, लोगों के मध्य उनके संक्रमित प्रियजनों से न मिल पाने एवं उनके अंतिम संस्कार में शामिल न होने की असमर्थता के भय आदि को बढ़ावा दिया गया है।

- **मानसिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक सीमित पहुंच:**
    - भारत की औपचारिक मानसिक स्वास्थ्य प्रणाली में संलग्न विशेषज्ञों की संख्या बहुत कम है: लगभग 1.3 बिलियन लोगों की मानसिक देखभाल हेतु केवल 9,000 मनोचिकित्सक उपलब्ध हैं। कोविड-19 के कारण मानसिक देखभाल में अत्यधिक कमी हुई है, क्योंकि इसके कारण देश भर में मानसिक स्वास्थ्य प्रणाली बाधित हुई है तथा मौजूदा मानसिक रोग से पीड़ित लोग प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए हैं।
    - **सामाजिक स्तर पर प्रदत्त मानसिक स्वास्थ्य देखभाल और मनोवैज्ञानिक समर्थन भी गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं।** उदाहरण के लिए, समूह, संघ और समुदाय आधारित पहलें, (उदाहरणार्थ, वरिष्ठ नागरिक क्लब, युवा समूह आदि) जिनका लोगों को नियमित रूप से एकजुट करने हेतु उपयोग किया जाता है तथा जो सामाजिक समर्थन, एकीकरण और सामूहिक भावना को बढ़ावा देते हैं, इनकी कई महीनों से बैठक नहीं हुई है।
- **अग्रपंक्ति के कार्यकर्ताओं का अभाव:** पुलिस और स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ताओं द्वारा अत्यधिक कार्यभार, कठिन निर्णयों, संक्रमित होने के जोखिम और परिवारों एवं समुदायों में संक्रमण प्रसार तथा रोगियों की मृत्यु आदि जैसी कठिन परिस्थितियों का सामना किया गया है।

निहितार्थ

- **मनोवैज्ञानिक-सामाजिक प्रभाव:**
    - तनावपूर्ण स्थितियों से मुक्ति हेतु, **लोग विभिन्न नकारात्मक तरीकों का आश्रय ले सकते** हैं, जिनमें मद्य, मादक द्रव्य व तंबाकू का उपयोग या ऑनलाइन गेमिंग जैसे संभावित रूप से व्यसनी व्यवहार पर समय व्यतीत करना शामिल हैं।
    - लैंगिक, बच्चों एवं जाति से संबंधित भेदभाव और **हिंसा प्रेरित जोखिम में वृद्धि** हो सकती है, जिससे बेरोजगारी, कुपोषण तथा निर्धनता को बढ़ावा मिलेगा।
    - चिरकालिक तनाव, अवसाद, मद्यपान पर निर्भरता और स्वयं को क्षति पंहुचाने जैसे प्रकरणों में बढ़ोत्तरी हो सकती है, जो **रुग्णता, आत्महत्या एवं मानसिक स्वास्थ्य से संबद्ध दिव्यांगता-समायोजित जीवन अवधि में समग्र वृद्धि को प्रेरित** कर सकती है।
        - उदाहरण के लिए, वर्ष 2008 के वित्तीय संकट के कारण अमेरिका, कनाडा और यूरोप में अतिरिक्त 10,000 आत्महत्या के मामले दर्ज किए गए थे, जो मंदी के उपरांत उत्पन्न हुए आर्थिक संकट द्वारा प्रेरित थे।
- **आर्थिक प्रभाव:** अल्पकालिक लागतों में अस्पताल का व्यय शामिल है, जबकि दीर्घावधिक लागतों के अंतर्गत वह विलोपित आय, जो किसी व्यक्ति द्वारा अर्जित की जाती है, कर, जिसे सरकार उस आय से प्राप्त करती है आदि शामिल होते हैं।
- **मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव:** सामाजिक अलगाव, निम्न शारीरिक गतिविधि और कम बौद्धिक क्षमता के कारण **बच्चों एवं किशोरों का मानसिक विकास बाधित** हो सकता है तथा **वृद्धजनों में संज्ञानात्मक पतन (cognitive decline) व मनोभ्रम (dementia) हो सकता है।**

कोविड-19 के दौरान मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आरंभ की गई पहल:

- **WHO के डिपार्टमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड सब्सटेंस यूज़** द्वारा संदेशों की एक श्रृंखला के रूप में दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, जिनका उपयोग महामारी के दौरान विभिन्न लक्ष्य समूहों में मानसिक और मनोसामाजिक कल्याण को सुनिश्चित करने हेतु संचार में किया जा सकता है।
- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) ने मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों से निपटने के लिए **"कोविड-19 के दौरान हमारे मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखना"** संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
    - मानसिक स्थिति को प्रभावित करने वाले **संवेदनशील समाचारों या सोशल मीडिया पोस्ट का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।** किसी भी असत्यापित समाचार या सूचना का प्रसार नहीं करना चाहिए और न ही उसे साझा किया जाना चाहिए।
    - **इन स्थितियों में अकेलापन या उदासीनता जैसी भावनाएं उत्पन्न हो सकती हैं।** इसलिए दूसरों के साथ जुड़े रहना चाहिए। संचार, परिवार और मित्रों के साथ परस्पर जुड़ने में सहायता कर सकता है।
    - **संगीत सुनना, अच्छी पुस्तकें पढ़ना व टेलीविजन पर मनोरंजक कार्यक्रम देखने से नकारात्मक भावनाओं से स्वयं को दूर रखा** जा सकता है।
    - **तंबाकू, मद्यपान और अन्य मादक द्रव्यों का सेवन नहीं करना चाहिए।** नकारात्मक भावनाओं या बोरियत से निपटने के लिए तंबाकू अथवा मद्यपान या अन्य द्रव्यों का उपयोग शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को क्षति पहुंचा सकता है और प्रतिरक्षा तंत्र को भी प्रभावित कर सकता है।
- **आत्मनिर्भर भारत अभियान के एक भाग के रूप में, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा विकसित "मनोदर्पण" पहल,** मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक कल्याण के लिए छात्रों, शिक्षकों एवं परिवारों को मनोवैज्ञानिक सहायता तथा परामर्श प्रदान करने हेतु उपयुक्त है।

VISION IAS

आगे की राह

- वर्तमान और भावी मानसिक स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को पूर्ण करने और भविष्य में मानसिक रोगों में वृद्धि को रोकने में सहायता करने हेतु **मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं और कार्यक्रमों की संधारणीयता व सुदृढ़ता को प्राथमिकता** प्रदान की जानी चाहिए। स्थिति को ध्यान में रखते हुए, देश में वर्तमान स्थिति के कारण मानसिक तनाव का सामना कर रहे लोगों के लिए भारत सरकार द्वारा एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है।
- **सामाजिक कलंक से मुक्त करना:** कोविड-19 संक्रमण से स्वस्थ हुए लोगों ने अन्य लोगों में स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति विश्वास बनाए रखने हेतु सोशल मीडिया के माध्यम से अपने अनुभवों को साझा किया है। जो भारतीय नागरिक स्वस्थ हो गए हैं उन्हें प्रशिक्षित करने और उन्हें कोविड-19 चैंपियंस घोषित करने हेतु एक अवसर उत्पन्न हुआ है। इन चैंपियंस को उन लोगों के उपचार हेतु तैयार किया जा सकता है, जो संक्रमित होने के भय से ग्रसित हैं अथवा आशंकित हैं।
- **जागरूकता सृजन:** राज्य सरकारों के समर्थन तथा प्रभावशाली व्यक्तियों के सहयोग से व्यापक जन भागीदारी अभियान प्रारम्भ किया जा सकता है। पारंपरिक मीडिया (Mainstream media: समाचार-पत्र, समाचार चैनल आदि) और सोशल मीडिया को जागरूकता सृजन एवं प्रसार के लिए उपयोग किया जा सकता है।
- प्राथमिक और माध्यमिक मानसिक स्वास्थ्य कर्मियों पर कार्यभार को कम करने के लिए समुदाय आधारित हस्तक्षेप को बढ़ावा दिया जा सकता है। महाराष्ट्र और गुजरात में कार्यरत **आत्मीयता संगठनों (समुदाय-आधारित स्वयंसेवकों)**, तमिलनाडु में **स्कार्फ़ (SCARF) समर्थित मानसिक स्वास्थ्य मोबाइल वैन** और विदर्भ में **विश्राम (VISHRAM)**, जिनमें प्राथमिक उपचार हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मियों का उपयोग किया गया था (जिससे अवसाद में 22% तक कमी आई थी तथा साथ ही आत्महत्या की घटनाओं में 51% तक की कमी हुई थी) जैसे सामुदायिक हस्तक्षेपों को अपनाया जा सकता है।
- **नीतिगत हस्तक्षेप:**
  - **मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम (Mental Healthcare Act: MHCA), 2017** को लागू किया जाना चाहिए, जो सभी के लिए मानसिक स्वास्थ्य देखभाल का उपबंध करता है तथा **आत्महत्या रोकथाम नीति का प्रवर्तन किया जाना चाहिए।** चीन सहित कई देश आत्महत्या रोकथाम नीति लागू कर आत्महत्याओं को काफी कम करने में सफल हुए हैं।
  - भारत, **मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को सुनिश्चित करने हेतु एक कैबिनेट रैंक स्तर के किसी मंत्री को नियुक्त कर सकता है** और साक्ष्य-आधारित हस्तक्षेपों के सृजन एवं निष्पादन हेतु **सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों के एक आपातकालीन कार्य बल** का सृजन किया जा सकता है।
- **मानसिक स्वास्थ्य में निवेश:** अनुमानों के अनुसार, MHCA, 2017 को लागू करने के लिए 93,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। इसे पीएम केयर फंड, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पहल, निजी इक्विटी और संभवत: एक नवीन राष्ट्रीय लॉटरी व्यवस्था के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।
- **डिजिटल माध्यमों से चिकित्सा और टेलीमनश्चिकित्सा** को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए- कर्नाटक में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु विज्ञान संस्थान (National Institute of Mental Health and Neurosciences: NIMHANS) के माध्यम से एक सफल टेलीमनश्चिकित्सा हस्तक्षेप को संचालित किया गया है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग व चैटबॉट जैसी प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने वाले मानसिक स्वास्थ्य स्टार्टअप्स और नवाचारों की बढ़ती जागरूकता एवं सेवाओं की पहुंच के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- **किशोरों और बच्चों को सशक्त बनाना:** मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में जागरूकता हेतु एक व्यवस्थित दृष्टिकोण की आवश्यकता है, ठीक वैसे ही जैसे वर्ष 1990 के दशक के अंत में विद्यालयों में खेल अभ्यास आरम्भ किए गए थे। इसके लिए, परामर्शदाता, सुविधा-आधारित परामर्श, सामाजिक और व्यवहार-जन्य परिवर्तन द्वारा प्रसार को शामिल करने के लिए राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य (National Adolescent Health) कार्यक्रम को पुनः तैयार किया गया है।

6.2. ई-लर्निंग (E-Learning)

सुर्ख़ियो में क्यों?

व्यापक कोविड प्रकोप के कारण लगाये गए लॉकडाउन से पारंपरिक शिक्षण-अधिगम तंत्र के स्थान पर ई-लर्निंग को अत्यधिक बढ़ावा मिला है। इस शिक्षण पद्धति को दूरस्थ स्थानों से और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से संचालित किया जाता है।

अन्य संबंधित तथ्य

- यूनेस्को (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation: UNESCO) के अनुसार मार्च 2020 के अंत तक 180 से अधिक देशों में विद्यालयों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया था, जिसके कारण 1.26 बिलियन से अधिक शिक्षार्थी प्रभावित हुए थे। **भारत में इन प्रभावित शिक्षार्थियों की संख्या 320 मिलियन से अधिक रही है।**

VISION IAS

- भारत में शिक्षण संस्थानों द्वारा, शिक्षकों के वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करने के लिए डिजिटल तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है, जिसके तहत ईमेल, व्हाट्सएप आदि के माध्यम से छात्रों को पाठ्यक्रम से संबंधित नोट्स और सामग्री प्रदान की जाती हैं। इसके अतिरिक्त ज़ूम (Zoom), वेबएक्स (WebEx) आदि जैसे प्लेटफार्मों के माध्यम से शिक्षक-छात्र संवाद की सुविधा भी प्रदान की जा रही है।

ई-लर्निंग के लाभ

- **समय प्रबंधन में लोचशीलता।**
- **सुगम उपलब्धता।**
- पारंपरिक शिक्षण पद्धति की तुलना में ऑनलाइन शिक्षण प्रक्रिया **अधिक वहनीय** है।
- **शिक्षक की अनुपलब्धता में सुधार।**
- **पर्यावरण अनुकूल** क्योंकि, पारंपरिक विश्वविद्यालय शिक्षण प्रक्रिया की तुलना में ऊर्जा की कम खपत होती है तथा CO_2 का भी अल्प उत्सर्जन होता है। इसके अतिरिक्त, ई-लर्निंग एक कागजरहित अधिगम विधि है।

ई-लर्निंग में निहित दोष

- **सीमित फीडबैक:** पारंपरिक कक्षाओं में, शिक्षक छात्रों को तत्काल फीडबैक दे सकते हैं। जबकि, ई-लर्निंग प्रक्रिया में अभी भी छात्रों को फीडबैक देना और प्राप्त करना कठिन है।
- **सामाजिक अलगाव:** कई छात्रों और शिक्षकों को अनिवार्यत: अधिकांश समय ऑनलाइन व्यतीत करना पड़ता है, इस कारण, वे मानवीय संवाद की कमी के कारण सामाजिक अलगाव का अनुभव करने लगते हैं।
- **सशक्त स्व-प्रेरणा की आवश्यकता।**
- **संचार कौशल संबंधी विकास बाधित हो सकता है:** एक ऑनलाइन तंत्र में साथियों, छात्रों और शिक्षकों के मध्य प्रत्यक्ष संचार के अभाव के कारण, छात्र सामूहिक व्यवस्था के अंतर्गत प्रभावी रूप से कार्य करने में असमर्थता प्रकट कर सकते हैं।
- **नक़ल/चीटिंग के संबंध में:** ऑनलाइन मूल्यांकन के दौरान नकल को नियंत्रित करना जटिल है।

ई-लर्निंग से संबद्ध चुनौतियाँ

- **डिजिटल डिवाइड:** भारत में शिक्षा का घरेलू सामाजिक उपभोग के संकेतकों के अनुसार, **15% से कम ग्रामीण परिवारों के पास इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध है,** जबकि शहरी परिवारों में यह संख्या 42% है। जिन लोगों की इंटरनेट तक पहुंच नहीं है, उन्हें अभी भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लाभ प्राप्त नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त, **कनेक्टिविटी की समस्या के कारण भी कई बार कक्षाएं बाधित हो जाती हैं।**
  - राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (National Sample Survey Office: NSSO) के आंकड़ों के अनुसार, **केवल 4.4% ग्रामीण परिवारों तथा 23.4% शहरी परिवारों के पास कंप्यूटर/लैपटॉप उपलब्ध है।** इस प्रकार, 75% छात्रों द्वारा ऑनलाइन कक्षाएं देखने के लिए स्मार्टफोन का उपयोग किया जाता है। व्यवधानकारी ऐप के कारण स्मार्टफोन का उपयोग करने वाले छात्रों के बारे में भी शिक्षक आशंकित हैं।
- अभिभावक ऑनलाइन प्रणाली के साथ **समायोजन में स्वयं को असमर्थ अनुभव करते हैं।** अभिभावकों द्वारा बच्चों की स्क्रीन टाइम (मोबाइल, लैपटॉप उपकरणों के उपयोग) में वृद्धि को लेकर चिंताएं प्रकट की गई हैं तथा वे स्वयं भी प्रौद्योगिकी के उपयोग को लेकर असहज बने हुए हैं, साथ ही घरेलू सहायकों की अनुपस्थिति के कारण उनके अतिरिक्त घरेलू कार्यों से संबंधित दायित्वों में भी वृद्धि हुई है।
- **लैंगिक भेदभाव:** विशेष रूप से लड़कियों के समक्ष घरेलू कार्यों में वृद्धि के कारण उनकी अधिगम (लर्निंग) प्रक्रिया बाधित हुई है। संयुक्त राष्ट्र की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, **सभी इंटरनेट उपयोगकर्ताओं में से केवल 29% ही महिलाएं हैं,** जो यह इंगित करता है कि डिजिटल लर्निंग आधारित शिक्षण पद्धति, शिक्षा में लैंगिक अंतराल को बढ़ा सकता है।
  - **विश्व आर्थिक मंच** (World Economic Forum: WEF) के **"जेंडर गैप इंडेक्स"** के शैक्षिक उपलब्धि घटक में पहले से ही भारत **112वें** स्थान पर है।
- **स्थानीय भाषाओं में शिक्षण सामग्रियों की अनुपलब्धता:** इंटरनेट पर अधिकांश सामग्री और मौजूदा लेक्चर अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के आंकड़े दर्शाते हैं कि **देश में केवल 17% स्कूल ही अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा उपलब्ध करवाते हैं।**
- **नई प्रकार की असमानताओं का बढ़ना:** केवल कुछ ही निजी स्कूल, विश्वविद्यालय और IIT ऑनलाइन शिक्षण विधियों के अंगीकरण में समर्थ हैं। वहीं दूसरी ओर, निम्न आय वाले छात्रों की निजी और सरकारी शिक्षण संस्थानों की ई-लर्निंग सुविधाओं तक सुगम पहुंच नहीं है।
- **शिक्षकों के समक्ष चुनौतियाँ:**
  - पर्याप्त प्रशिक्षण उपलब्ध न होने के कारण, **कई शिक्षक प्रौद्योगिकी का उपयोग करने में असहज बने हुए हैं।**

- इसके अतिरिक्त, परस्पर संचार के अभाव के कारण, प्रभावी शिक्षण की दिशा में शिक्षक, छात्रों के साथ समन्वय विकसित करने में कठिनाई का अनुभव कर रहे हैं।
    - अति-उत्साही/सक्रिय अभिभावकों के हस्तक्षेप के कारण शिक्षकों के दायित्व भार में वृद्धि हुई है।
- **संस्थानों की स्वायत्तता में कमी:** मौजूदा नियमों से भारतीय शिक्षण संस्थानों को लाभ प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न हो रही है। अब तक, **यूजीसी ने ऑनलाइन पाठ्यक्रमों की शुरुआत करने के लिए केवल सात विश्वविद्यालयों को ही लाइसेंस प्रदान किया है।**
- महत्वपूर्ण परीक्षाओं को व्यापक पैमाने पर आयोजित करना अधिक कठिन होगा। अधिकांश बोर्ड और प्रवेश परीक्षाएं या तो स्थगित हैं या निलंबित कर दी गई हैं, जिसके कारण शैक्षणिक कैलेंडर भी बाधित हुआ है।

आगे की राह

अल्पावधि में संकट के प्रबंधन और दीर्घकालिक सुनम्य भारतीय शिक्षा प्रणाली का निर्माण करने के लिए एक **बहुआयामी रणनीति आवश्यक है।**

तत्काल/अल्पकालिक उपाय

- सरकारी स्कूलों और विश्वविद्यालयों में **सतत अधिगम (learning) प्रक्रिया** को सुनिश्चित करना। ओपन-सोर्स डिजिटल शिक्षण समाधान और लर्निंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को अपनाया जाना चाहिए। इससे शिक्षक ऑनलाइन शिक्षण का संचालन करने में सक्षम हो सकेंगे। भारत के सभी राज्यों में **दिक्षा (DIKSHA) प्लेटफॉर्म** के उपयोग के साथ इस प्लेटफॉर्म को छात्रों की अधिगम पहुंच सुनिश्चित करने के लिए और अधिक सुदृढ़ किया जा सकता है।
- निम्न इंटरनेट बैंडविड्थ और निम्नस्तरीय कनेक्शन/कनेक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए **एड-टेक अनुप्रयोगों का उपयोग** किया जाना चाहिए। एप्लीकेशन के माध्यम से ऑफ़लाइन सामग्री को बढ़ावा दिया जा सकता है, जिन्हें देश के दूरस्थ क्षेत्रों में सतत इंटरनेट कनेक्शन अनुपलब्धता की स्थिति में भी छात्रों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है।
- **क्षेत्रीय भाषा में शिक्षण सामग्री की उपलब्धता।** प्रमुख मॉड्यूल्स के क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद हेतु मौजूदा एडटेक सॉल्यूशंस को प्राथमिकता दी जा सकती है और ज़मीनी स्तर के संगठनों की सहायता से शैक्षिक सामग्री को वितरित किया जा सकता है।
- शिक्षा के लिए **समुदाय के स्वामित्व वाले टैबलेट्स और स्मार्ट उपकरणों के उपयोग** से भी छात्रों को सहायता प्राप्त हो सकती है। इसके अतिरिक्त, दूरस्थ गाँवों में छात्रों द्वारा शैक्षिक मॉड्यूल तक पहुंच स्थापित करने हेतु **भारतनेट** और **वाई-फाई चौपाल** (वाईफाई हॉटस्पॉट) जैसी सेवाओं का उपयोग किया जा सकता है।
- ऑनलाइन लर्निंग के साथ-साथ ई-लर्निंग मंचों के लिए **गुणवत्ता आश्वासन तंत्र और गुणवत्ता मानदंड को स्थापित किया जाना चाहिए।** विभिन्न ई-लर्निंग अभिकर्ता प्रमाण-पत्र, कार्यप्रणाली और मूल्यांकन मापदंडों के विभिन्न स्तरों के आधार पर एक ही विषय पर अनेक पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं। इसलिए, विविध ई-लर्निंग मंचों पर पाठ्यक्रमों की गुणवत्ता भिन्न-भिन्न हो सकती है।

सरकारी पहलें

- सरकार ने देश में ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु **मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHRD), राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद (NCERT) और तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा समर्थित प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराए हैं,** उदाहरणार्थ **ई-पीजी पाठशाला** (ई-सामग्री), **स्वयं** (SWAYAM) (शिक्षकों के लिए ऑनलाइन पाठ्यक्रम) तथा **प्रौद्योगिकी आधारित राष्ट्रीय शैक्षिक गठबंधन** (उच्चतर शिक्षा में बेहतर अधिगम परिणामों हेतु प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना)।
- संस्थानों के साथ संपर्क और सामग्री तक पहुंच स्थापित करने हेतु राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी वर्धित शिक्षण कार्यक्रम (National Project on Technology Enhanced Learning: NPTEL), राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क (National Knowledge Network: NKN) तथा राष्ट्रीय शैक्षणिक निक्षेपागार (National Academic Depository: NAD)।
- डिजिटल शिक्षा हेतु **प्रधान मंत्री ई-विद्या (e-VIDYA) पहल,** जिसके तहत देश के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों को 30 मई तक यूजीसी लाइसेंस के बिना ऑनलाइन पाठ्यक्रम आरंभ करने की अनुमति प्रदान की जाएगी।
- **एक राष्ट्र-एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पहल के तहत,** ई-सामग्री और क्यूआर कोड युक्त पाठ्यपुस्तकों को सभी ग्रेड के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा।
- विशेषकर उन छात्रों के लिए जिनके पास इंटरनेट तक पहुंच उपलब्ध नहीं है, पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक की प्रत्येक कक्षा के लिए एक **निर्धारित टीवी चैनल।** रेडियो, सामुदायिक रेडियो और पॉडकास्ट का भी वृहद पैमाने पर समान प्रयोजन हेतु उपयोग किया जाएगा।
- नेत्रहीन और श्रवण बाधित लोगों के लिए **विशेष ई-सामग्री** विकसित की जाएगी।

VISION IAS

अन्य पहलें:

- एक सामाजिक-शैक्षणिक उद्यम '**अवंति**' द्वारा हिंदी माध्यम के सरकारी विद्यालयों की कक्षा नौवीं से बारहवीं के सभी छात्रों के लिए एक नि:शुल्क लर्निंग ऐप '**संकल्प**' विकसित किया गया है।
- **थिंकज़ोन (ओडिशा का एक स्टार्टअप) ने** 3-10 वर्ष की आयु के छात्रों के लिए क्रियाकलाप-आधारित शिक्षण मॉड्यूल्स के प्रसार हेतु एक **स्थानीय रेडियो चैनल के साथ भागीदारी** की है।

दीर्घकालिक उपाय

- **समावेशी शिक्षण समाधान** विकसित किए जाने की आवश्यकता है। भारत में मोबाइल इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है, जिसके **वर्ष 2024 तक 85%** तक पहुंचने की संभावना है। साथ ही, प्रौद्योगिकी भी देशव्यापी पहुंच और यहां तक कि देश के दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षा के निजीकरण को सक्षम बना रही है। इससे स्कूली शिक्षा प्रणाली परिवर्तित हो सकती है और अधिगम एवं शिक्षण की प्रभावशीलता में भी वृद्धि हो सकती है।
- विद्यालयी शिक्षा की इच्छुक बालिकाओं के नामांकन हेतु डिजिटल समाधान का उपयोग **जेंडर डिवाइड या लैंगिक अंतराल** को कम कर सकता है। लक्षित सूचना और शिक्षा अभियान तथा व्यवहार विज्ञान एवं संवादात्मक मीडिया से प्राप्त क्यूरेट (विशेषज्ञों द्वारा प्रदत्त व डिजिटल मंचों पर संग्रहित) की गई सामग्री का उपयोग लड़कियों को पुनः शिक्षा ग्रहण करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए किया जा सकता है।
- वैश्विक मांग-आपूर्ति प्रवृत्तियों के विकास हेतु **उच्च शिक्षा क्षेत्र को तैयार करने के लिए रणनीति** विकसित करना- विशेषकर उन प्रवृत्तियों हेतु जो छात्रों और संकायों की वैश्विक गतिशीलता तथा भारत में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता एवं मांग में सुधार से संबंधित है। रोज़गार प्रदायगी, इंटर्नशिप प्रोग्राम और अनुसंधान परियोजनाओं पर उत्पन्न होने वाले महामारी (कोविड-19) के दीर्घकालिक प्रभावों को कम करने के लिए उपायों को अपनाए जाने की आवश्यकता है।
- योग, भारतीय औषधियों, स्थापत्यकला, कृषि आदि क्षेत्रों में **भारतीय पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों** पर पाठ्यक्रमों को प्रमुख विश्वविद्यालयी शिक्षा के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए, ताकि वैज्ञानिक नवाचारों व मूल्यों को बढ़ावा दिया जा सके तथा स्थायी समाधान विकसित किए जा सकें।

6.3. वैश्विक पोषण रिपोर्ट 2020 (Global Nutrition Report 2020: GNR)

सुर्ख़ियों में क्यों?

वैश्विक पोषण रिपोर्ट 2020 के अनुसार, भारत उन 88 देशों में शामिल है, जो वर्ष 2025 तक वैश्विक पोषण लक्ष्यों को प्राप्त करने में असमर्थ रहेंगे।

इस रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष

- **वैश्विक पोषण में असमानता:** रिपोर्ट में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि स्वास्थ्य प्रणालियों, खाद्य प्रणालियों एवं वित्तपोषण तथा कुपोषण से संबद्ध सभी प्रकारों की व्यवस्थाओं में पोषण असमानताएं विद्यमान हैं।
    - **असमानता का कारण:** सामाजिक अन्याय, जीवन अवसरों (शिक्षा, स्वास्थ्य आदि) तक पहुँच न होना/उप-इष्टतम पहुँच, राजनीतिक अपवर्जन और सत्ता में असंतुलन (अपेक्षित वर्गों का अल्प प्रतिनिधित्व)।
- **कुपोषण के वैश्विक बोझ में असमानताएँ:** 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के अंतर्गत शामिल 149.0 मिलियन बच्चे ठिगनेपन (stunting) तथा 49.5 मिलियन दुबलेपन (wasting) से ग्रसित हैं, जबकि 40.1 मिलियन बच्चे अतिवजनी (overweight) हैं।
    - कुछ देश **कुपोषण के दोहरे बोझ** यथा अल्पपोषण के साथ-साथ अतिवजन अथवा मोटापे (obesity) से ग्रसित हैं।
    - ठिगनेपन (stunting) पर आधारित कुपोषण में सर्वाधिक असमानता **नाइजीरिया, इंडोनेशिया और भारत** में विद्यमान है।
    - कोई भी देश वयस्कों में चार आहार संबंधी (नमक सेवन, उच्च रक्तचाप, मधुमेह और मोटापा) गैर-संचारी रोग संकेतकों सहित **वर्ष 2025 तक वैश्विक पोषण लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उचित रूप से प्रयासरत नहीं है।**
- **पोषण के लिए वित्तपोषण:** पोषण के वित्तीयन के वर्तमान स्तर में वृद्धि नहीं की गई है तथा यह वैश्विक लक्ष्यों को पूर्ण करने के लिए आवश्यक स्तर से अति निम्न बना हुआ है।
    - निर्धन देशों में अधिक वजन और गैर-संचारी रोगों से **संबंधित कुपोषण के समाधान हेतु निधि अंतराल में वृद्धि** होती जा रही है।

वैश्विक पोषण रिपोर्ट 2020 के बारे में

- यह एक बहु-हितधारक पहल है, जो **विश्व स्वास्थ्य सभा (World Health Assembly: WHA) द्वारा निर्धारित वर्ष 2025 तक के वैश्विक पोषण लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में देशों की प्रगति का आकलन करती है।**
- रिपोर्ट का उद्देश्य सरकारों, नागरिक समाज और निजी हितधारकों को सभी रूपों में कुपोषण के उन्मूलन हेतु प्रेरित करना है।
- यह हितधारकों द्वारा कुपोषण के उन्मूलन के लिए की गई प्रतिबद्धताओं पर विचार करने हेतु उनकी सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन भी करती है।

वैश्विक पोषण लक्ष्य

- वर्ष 2012 में, विश्व स्वास्थ्य सभा प्रस्ताव द्वारा मातृ, शिशु और बाल पोषण पर एक व्यापक कार्यान्वयन योजना अपनाने का समर्थन किया गया था।
- जिसके तहत **वर्ष 2025 तक छह वैश्विक पोषण लक्ष्यों का एक समुच्चय निर्धारित** किया गया था यथा:
    - 5 वर्ष से कम आयु के **ठिगनेपन** (आयु के सापेक्ष कम लम्बाई) से ग्रसित बच्चों की संख्या में 40% की कमी करना;
    - प्रजनन क्षमता युक्त आयु की **रक्ताल्पता से ग्रसित महिलाओं** की संख्या में 50% तक की कमी करना;
    - जन्म के समय **अल्प वजन** वाले बच्चों की संख्या में 30% की कमी करना;
    - यह सुनिश्चित करना कि बाल्यावस्था में **वजन में अधिक वृद्धि** न हो;
    - प्रथम 6 महीनों में **स्तनपान की दर** को कम से कम 50% तक बढ़ाना;
    - **दुबलेपन** (लम्बाई के सापेक्ष अल्प वजन) को 5% से कम करना;

भारत के संदर्भ में विशिष्ट निष्कर्ष

- **वैश्विक पोषण लक्ष्य:** भारत सभी चार पोषण संकेतकों यथा **ठिगनापन, रक्ताल्पता, अतिवजन और अनन्य स्तनपान लक्ष्यों** को प्राप्त करने में असमर्थ रहा है।
- **ठिगनापन और दुबलापन (Stunted and wasted):** भारत में **5 वर्ष से कम आयु के 37.9% बच्चे ठिगनेपन और 20.8% दुबलेपन से ग्रसित हैं,** जबकि इस संदर्भ में एशिया का औसत क्रमशः 22.7% और 9.4% है।
    - ठिगनेपन से संबंधित असमानताएँ सुस्पष्ट हैं, शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में ठिगनेपन का प्रभाव 10.1% अधिक है।
- **अल्प वजन (Underweigh):** वर्ष 2000 और 2016 के मध्य, अल्प वजन (आयु की तुलना में कम वजन) की दर लड़कों के संदर्भ में 66.0% से घटकर 58.1% और लड़कियों के संदर्भ में 54.2% से कम हो कर 50.1% तक हो गई है।
    - हालांकि, यह अभी भी एशियाई औसत की तुलना में उच्च है (जहां एशिया में लड़कों के संदर्भ में यह 35.6% और लड़कियों के संदर्भ में 31.8% है)।
- **अतिवजन (Overweight):** वर्ष 2015 तक, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में अधिक वजन के राष्ट्रीय प्रसार का स्तर 2.4% रहा है, जो वर्ष 2006 में 1.9% था।
- **वयस्क पोषण:** भारत की वयस्क आबादी भी कुपोषण के बोझ से ग्रसित है।
    - प्रजनन क्षमता युक्त आयु की 51.4% महिलाएं रक्ताल्पता (एनीमिया) से ग्रसित हैं।
    - 9.1% वयस्क तथा 8.3% महिलाएं मधुमेह से ग्रसित हैं।
    - 5.1% महिलाएं और 2.7% पुरुष मोटापे से ग्रसित हैं।

वैश्विक पोषण रिपोर्ट 2020 (Global Nutrition Report: GNR 2020) की अनुशंसाएं

- सभी देशों को **समान संवेदनशील पोषण डेटा के नियमित संग्रहण** के प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिए और इसमें निवेश करना चाहिए।

VISION IAS

- सरकारों को स्वस्थ आहार को बढ़ावा देने के लिए **सुदृढ़ नियामक और नीतिगत रूपरेखा** तथा राजकोषीय उपाय अपनाने की आवश्यकता है।
    - उपलब्ध स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के मानक पैकेज के तहत **आवश्यक पोषण सेवाओं** को शामिल किया जाना चाहिए, जो सभी के लिए सार्वभौमिक रूप से उपलब्ध हों।
- गुणवत्तापूर्ण पोषण देखभाल के वितरण में वृद्धि करने हेतु **योग्य पोषण पेशेवरों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए।**
- सभी लोगों को स्वास्थ्यप्रद आहार उपलब्ध करवाने और जीवन संभाव्यता को बनाए रखने के लिए **पोषण-देखभाल वित्तपोषण को बढ़ावा तथा निरंतर बनाए रखा जाना चाहिए।**

7. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (Science and Technology)

7.1. ब्लॉकचेन बिल ऑफ राइट्स (Blockchain Bill of Rights)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF)** के **ग्लोबल ब्लॉकचेन काउंसिल** द्वारा **"प्रेसिडियो सिद्धांत: एक विकेंद्रीकृत भविष्य हेतु आधारभूत मूल्य" (Presidio Principles: Foundational Values for a Decentralized Future)** का शुभारंभ किया गया। इसे **ब्लॉकचेन बिल ऑफ राइट्स** भी कहा जा रहा है।

ब्लॉकचेन तकनीक (Blockchain technology)

- एकीकृत (अर्थात् परस्पर जुड़े हुए) डेटा की श्रृंखला को ब्लॉकचेन कहते हैं। इसके अंतर्गत प्रत्येक लेन-देन एक श्रृंखला से जुड़ा हुआ होता है, जो बैच फॉर्मेट में क्रिप्टोग्राफिक सिद्धांतों का उपयोग करके ब्लॉक का निर्माण करते हैं।
- ये ब्लॉक्स आपस में जुड़े होते हैं तथा इन ब्लॉक्स का एक विशिष्ट पहचानकर्ता कोड {जिसे हैश (hashes) कहा जाता है} होता है, जो उन्हें पिछले और अनुवर्ती ब्लॉक से जोड़ता है।
- यह संरचना एक ब्लॉकचेन (सामान्यतः लेन-देन के निरंतर लेज़र के रूप में) का निर्माण करती है।

ब्लॉकचेन बिल ऑफ राइट्स के बारे में

- इसका उद्देश्य ब्लॉकचेन एप्लिकेशन को निर्मित करने वाले **डेवलपर्स, कॉरपोरेट्स और सरकारों के लिए एक वैश्विक मानक आधार (global baseline) स्थापित** करना है।
- यह "विकेंद्रीकृत भविष्य हेतु आधारभूत मूल्यों" के सृजन में सहायक होगा, जो विभिन्न क्षेत्रकों में व्यापक परिवर्तन लाने के उद्देश्य से निर्मित की जाने वाली प्रौद्योगिकी की क्षमता को अनलॉक करने में मदद करेगा।
- इसके अंतर्गत सोलह सिद्धांत शामिल हैं, जिनका **उद्देश्य उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा और प्रौद्योगिकी के मूल्यों को संरक्षित** करना है ताकि सभी लाभान्वित हो सकें।
- **इन 16 सिद्धांतों को चार श्रेणियों में वर्गीकृत** किया गया है। (इन्फोग्राफिक्स देखें)

इन सिद्धांतों की आवश्यकता क्यों?

- **उपयोगकर्ताओं के समक्ष जोखिम:** एक मूलभूत प्रौद्योगिकी के रूप में ब्लॉकचेन परिसंपत्तियों के संभावित उल्लंघनों से होने वाले नुकसान और इनके अनुवर्ती प्रभाव को देखते हुए डेटा संरक्षण संबंधी नियमों का सृजन विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है।
- **व्यापक परिवर्तन से संबंधित संभावनाओं को क्षति पहुँच सकती है:** लाभ प्राप्ति हेतु परिष्कृत ज्ञान रखने वाले लोग (उपभोक्ताओं को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने या प्रतिस्पर्धा-विरोधी कार्रवाइयों के माध्यम से बाजार को सीमित करने हेतु) इस प्रौद्योगिकी का दोहन कर सकते हैं।
- **मौजूदा अंतराल को व्यापक बनाना:** वित्तीय समावेशन संबंधी संभावनाओं पर जोर दिए जाने के बावजूद, यदि इसे सावधानी से डिजाइन नहीं किया गया, तो ब्लॉकचेन भविष्य में कम जागरूक आबादी के निष्कासन और शोषण का कारण बन सकता है।
- **सामाजिक प्रभाव:** WEF का ऐसा मानना है कि व्यापक स्तर पर ब्लॉकचेन के अंगीकरण से वर्ष 2020 में बड़े पैमाने पर वैश्विक समाज को प्रभावित करने के अवसरों को बढ़ावा मिलेगा। इसलिए, उपयोगकर्ताओं को निश्चित अधिकारों के साथ एक सुरक्षित मंच प्रदान करना आवश्यक है।
- **वित्तीय क्षेत्र:** अधिकांश बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग किया जा रहा है, जैसे- सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) परियोजना। इस परियोजना के तहत CBDC के सफल परिनियोजन के लिए मापदंडों का पता लगाने हेतु 45 केंद्रीय बैंकों को एक साथ लाया गया है। इस प्रकार, ये अधिकार धोखाधड़ी के प्रभावों को कम करने में सहायक सिद्ध होंगे।

(ब्लॉकचेन पर अधिक जानकारी के लिए जनवरी माह के विज़न करंट अफेयर्स का सन्दर्भ ले सकते हैं।)

7.2. आरोग्य सेतु ऐप से संबद्ध सुरक्षा मुद्दे (Security Issues with Aarogya Setu App)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत सरकार द्वारा लॉन्च की गई आरोग्य सेतु ऐप से संबंधित गोपनीयता और सुरक्षा मुद्दों पर कुछ विशेषज्ञों ने संदेह जताया है।

इस ऐप से संबद्ध मुद्दे

- **सुरक्षा संबंधी मुद्दे:** हाल ही में, सोशल मीडिया पर कुछ व्यक्तियों और समूहों द्वारा दावा किया गया कि वे PMO (प्रधान मंत्री कार्यालय) या संसद जैसे संवेदनशील कार्यालयों में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त करने में सक्षम रहे हैं।
  - सुरक्षा मानकों के अनुपालन और एन्क्रिप्शन के उपयोग के स्तर को लेकर इस **ऐप की गोपनीयता नीति** अस्पष्ट बनी हुई है।
- **संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन:** उच्चतम न्यायालय के अनुसार, निजता एक मूल अधिकार है तथा व्यक्ति को केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के आधार पर ही इससे वंचित किया जा सकता है।
  - संसद द्वारा इस ऐप की अनिवार्यता को अधिकृत करने वाला कोई अधिनियम पारित नहीं किया गया है।
- **जवाबदेहिता का अभाव:** इस ऐप का एक खंड (clause) उपयोगकर्ता द्वारा प्रदान की गई जानकारी के लिए किसी भी अनधिकृत पहुंच या संशोधन के मामले में सरकार के दायित्व को सीमित करता है।
  - इसका तात्पर्य यह है कि उपयोगकर्ताओं की निजी जानकारी लीक हो जाने के संबंध में सरकार का कोई दायित्व नहीं है।
  - गोपनीयता भंग होने की स्थिति में पीड़ित व्यक्ति के पास केवल न्यायपालिका का ही विकल्प उपलब्ध है।
- **विधिक रूप से अनुचित:** सरकार के दायित्वों को सीमित करने के कारण, यह ऐप सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और प्रस्तावित व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक के प्रावधानों के विरुद्ध है।
  - इसका कारण यह है कि यह ऐप सेवा प्रदाता मध्यस्थ (intermediary) की परिभाषा के अधीन है और जो एकत्र किए गए डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु बाध्य है। साथ ही, मध्यस्थ को इन दिशा-निर्देशों/नियमों के अंतर्गत डेटा क्षति हेतु उत्तरदायी बनाया गया है।

सरकार द्वारा किए गए प्रयास

- देश में कोविड-19 के प्रकोप को देखते हुए, **सोशल डिस्टेंसिंग, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग** आदि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं के अभिन्न अंग रहे हैं।
  - एक विस्तृत नीति निर्माण के साथ-साथ सूक्ष्मता से उसका विश्लेषण करने और कल्याणकारी उद्देश्यों को नीतिगत रूप प्रदान करने में कुछ अतिरिक्त समय की आवश्यकता होती है, जो कि इस ऐप को लॉन्च करने के समय उपलब्ध नहीं था।
- हालांकि, कुछ समय पश्चात् इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) द्वारा आरोग्य सेतु डेटा एक्सेस तथा नॉलेज शेयरिंग प्रोटोकॉल, 2020 को अधिसूचित किया गया।

VISION IAS

आरोग्य सेतु डेटा एक्सेस और नॉलेज शेयरिंग प्रोटोकॉल, 2020

- **इस प्रोटोकॉल का क्रियान्वयन:** इस प्रोटोकॉल के क्रियान्वयन हेतु MeitY को एक उत्तरदायी एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। साथ ही, इस ऐप को विकसित करने वाली संस्था राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (National Informatics Centre) को इस प्रोटोकॉल के तहत आरोग्य सेतु मोबाइल एप्लिकेशन द्वारा एकत्र किए गए रिस्पांस डेटा के संग्रहण, प्रोसेसिंग और प्रबंधन हेतु उत्तरदायी बनाया गया है।
- **प्रतिक्रिया डेटा (response data) का संग्रहण और प्रसंस्करण:** NIC द्वारा यदि किसी उद्देश्य हेतु कोई भी प्रतिक्रिया डेटा एकत्र किया जाता है तो उसे स्पष्ट रूप से आरोग्य सेतु मोबाइल एप्लिकेशन की गोपनीयता नीति के तहत निर्दिष्ट किया जाएगा।
    - NIC इस तरह के प्रतिक्रिया डेटा को मुख्यतः उचित स्वास्थ्य अनुक्रियाओं को तैयार या कार्यान्वित करने हेतु केवल आवश्यक और यथोचित रूप में एकत्र करेगा।
    - NIC इसके द्वारा एकत्र किए गए किसी भी डेटा को निष्पक्ष, पारदर्शी और गैर-भेदभावपूर्ण तरीके से प्रोसेस करेगा।
    - जब तक प्रोटोकॉल लागू रहेगा या जब तक व्यक्तिगत अनुरोधों द्वारा इसे हटाने (डिलीट) के लिए नहीं कहा जाता है, तब तक ऐसे अनुरोध से अधिकतम 30 दिनों तक, जो भी पहले हो, जनसांख्यिकीय डेटा स्टोर रखा जाएगा।
- **प्रतिक्रिया डेटा का साझाकरण:** डेटा को अन्य सरकारी एजेंसियों और तीसरे पक्षों के साथ केवल महत्वपूर्ण स्वास्थ्य उद्देश्यों के लिए ही साझा किया जा सकता है।
    - कोई भी इकाई जिसके साथ प्रतिक्रिया डेटा साझा किया गया है, ऐसे डेटा का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए सख्ती से करेगा जिसके लिए इसे साझा किया गया है।
    - किसी भी परिस्थिति में, इस तरह के डेटा को जिस दिन इसे एक्सेस किया गया था उस तिथि से 180 दिनों से अधिक स्टोर करके नहीं रखा जाएगा। इसके बाद इस डेटा को स्थायी रूप से डिलीट कर दिया जाएगा।
- NIC द्वारा भारत में पंजीकृत भारतीय विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों को शोध उद्देश्यों के लिए प्रतिक्रिया डेटा उपलब्ध कराया जा सकता है।
    - हाल ही में, सरकार द्वारा आरोग्य सेतु ऐप को ओपन-सोर्स बनाया गया है, जिसका आशय यह है कि डेवलपर्स ऐप के सोर्स कोड का निरीक्षण करने और परिवर्तनों को संशोधित करने में सक्षम होंगे। ओपन-सोर्स विकास का समर्थन करने की प्रक्रिया NIC द्वारा प्रबंधित की जाएगी।
- इन निर्देशों का किसी भी प्रकार का उल्लंघन **आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005** और अन्य विधिक प्रावधानों के अनुसार दंडनीय हो सकता है।
- अधिकार प्राप्त समूह इस अधिसूचना की तिथि से 6 माह की अवधि के पश्चात्, इस प्रोटोकॉल की समीक्षा करेगा या यदि आवश्यक हो तो वह ऐसा पहले भी कर सकता है।

आगे की राह

- सरकार को इस तरह के ऐप से उत्पन्न होने वाले गोपनीयता संबंधी खतरों और महामारी की दृष्टि से उत्पाद और नीति दोनों को संशोधित करना चाहिए।
- सरकार, गोपनीयता कानून निर्मित करने वाले दक्षिण कोरिया और सिंगापुर जैसे देशों से सहायता ले सकती है, जहां उनके द्वारा महामारी के प्रसार को ट्रैक करने हेतु विकसित किए गए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप हेतु कुछ विशिष्ट शर्तें निर्धारित की गई हैं। जैसे- दक्षिण कोरिया के व्यक्तिगत सूचना सुरक्षा अधिनियम (Personal Information Protection Act: PIPA) में, व्यक्तियों को अन्य डेटा स्वामित्व अधिकारों के साथ राइट टू बी फॉरगॉटन संबंधी अधिकार भी प्रदान किए गए हैं।

प्रस्तावित व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2019 (Personal Data Protection Bill, 2019)

- हाल ही में, इसे संसद में पुरःस्थापित किया गया, जिसके उद्देश्यों में व्यक्तियों के व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा का प्रयास करना, ऐसे व्यक्तिगत डेटा की प्रोसेसिंग हेतु एक फ्रेमवर्क तैयार करना तथा इस उद्देश्य हेतु डेटा सुरक्षा प्राधिकरण को स्थापित करना शामिल है।
- यह भारत में निगमित कंपनियों और सरकार दोनों द्वारा व्यक्तिगत डेटा की प्रोसेसिंग का विनियमन करता है।
- यह उपयोगकर्ताओं को उनके व्यक्तिगत डेटा के संबंध में कुछ अधिकार प्रदान करता है। इन अधिकारों में शामिल हैं: (i) न्यासी से इस बात की पुष्टि करने का अधिकार कि उसके पर्सनल डेटा को प्रोसेस किया गया है, (ii) गलत, अधूरे या आउट-ऑफ-डेट पर्सनल डेटा में संशोधन की मांग करना, (iii) विशेष परिस्थितियों में दूसरे डेटा फिड्यूशरी को पर्सनल डेटा ट्रांसफर करना, और (iv) फिड्यूशरी द्वारा उनके पर्सनल डेटा का प्रकटीकरण करते रहने पर प्रतिबंध।

7.3. अंतरिक्ष गतिविधियों में निजी क्षेत्र की भागीदारी (Private Sector in Space Activities)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत सरकार द्वारा **आत्मनिर्भर भारत अभियान** के तहत भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम (जिसके अंतर्गत उपग्रह, प्रक्षेपण और अंतरिक्ष-आधारित सेवाएं शामिल हैं) में निजी क्षेत्रों की भागीदारी पहल हेतु घोषणा की गई है।

अन्य संबंधित तथ्य

इस संबंध में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत की गई प्रमुख घोषणाएँ निम्नलिखित हैं:

- उपग्रह, प्रक्षेपण और अंतरिक्ष-आधारित सेवाओं में निजी कंपनियों को समान अवसर प्रदान किया जाएगा।
- निजी कंपनियों को आशा के अनुकूल नीति (Predictable policy) और नियामक परिवेश उपलब्ध कराया जाएगा।
- निजी क्षेत्र को अपनी क्षमता में सुधार लाने हेतु ISRO (भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन) की परिसंपत्तियों का उपयोग करने की अनुमति प्रदान की जाएगी।
- हाल ही में, ISRO द्वारा निजी कंपनियों के लिए अपनी सुविधाओं के उपयोग की अनुमति प्रदान की गई है, जिसके अंतर्गत ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान के निर्माण में संलग्न कंपनियों के समूह की मदद करना शामिल है।
- निजी क्षेत्र के लिए भविष्य की परियोजनाओं, जैसे- ग्रहों की खोज करने, बाह्य अंतरिक्ष यात्रा करने के लिए भी विकल्प खुला रहेगा।
- तकनीक-उद्यमियों को रिमोट सेंसिंग डेटा उपलब्ध कराने हेतु लिबरल जियो-स्पेटियल डेटा पॉलिसी निर्मित की जाएगी।

अंतरिक्ष गतिविधियों में निजी क्षेत्र के आने से लाभ

- उपग्रहों को लॉन्च किए जाने की आवश्यकता की दृष्टि से प्रतिवर्ष 18-20 **उपग्रहों की मांग में वृद्धि हो रही है।** ISRO की मौजूदा मानव संसाधन क्षमता के साथ इस लक्ष्य को पूर्ण कर पाना संभव नहीं है। अतः निजी क्षेत्र, इस कार्य में वैश्विक आवश्यकताओं/मानकों को पूरा करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
- **नवीनतम नवाचार और रुझानों को प्राप्त करने की दृष्टि से:** क्षमता निर्माण, अत्याधुनिक तकनीक, नवीनतम नवाचार आदि के लिए निजी कंपनियों के साथ सहयोग स्थापित किया जाना आवश्यक है।
- **संसाधनों का अन्य कार्यों में प्रयोग:** ISRO की जनशक्ति का एक बड़ा भाग वाहनों के विनिर्माण और प्रक्षेपण में शामिल है, इसलिए निजी क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी से ISRO को अधिक से अधिक समय कोर रिसर्च, डीप-स्पेस मिशन आदि के लिए प्राप्त हो सकेगा।
- **करदाताओं के धन पर निर्भर रहने की स्थिति को कम करेगा:** अंतरिक्ष क्षेत्र में गतिविधियों को निजीकृत करने से निजी क्षेत्र से आर्थिक लाभ प्राप्त होगा और इससे सरकार से प्राप्त होने वाले धन पर निर्भरता में कमी आएगी।
- **रोजगार सृजन:** निजी अंतरिक्ष उद्योग द्वारा उच्च-कुशल-श्रम बाजार से संबंधित नए रोजगार का सृजन होगा।
- अंतरिक्ष निर्भरता को विभिन्न उपग्रहों और अंतरिक्ष यान में वितरित करके हमारी **अंतरिक्ष क्षमताओं को सुरक्षित करना,** ताकि किसी प्रतिकूल स्थिति में एक या एक से अधिक उपग्रहों के निष्क्रिय करने या हो जाने पर भी व्यापार निरंतरता अप्रभावित रहे। यह अंतरिक्ष युद्ध की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हो जाता है।
- **भारत-केंद्रित आवश्यकताओं को पूरा करना:** तीव्र गति से बदलते तकनीकी परिदृश्यों को पूरा करने और डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने हेतु निजी क्षेत्र की सहायता की आवश्यकता है।

आगे की राह

- **एक पृथक अंतरिक्ष वाणिज्य (Space Commerce) निकाय का गठन करना** जो ISRO से स्वतंत्र हो तथा अंतरिक्ष से संबंधित गतिविधियों हेतु अथवा भारत में ISRO के अंतर्गत अंतरिक्ष वाणिज्य हेतु एक समर्पित रोड मैप प्रदान करता हो।
- **स्टार्ट-अप्स को बढ़ावा देना** क्योंकि उनमें अत्याधुनिक उत्पाद/सेवाओं को भारत से बाहर अन्य देशों से वाणिज्यिक लाभ प्राप्त करने की क्षमता विद्यमान है और इसका वैश्विक स्तर पर दोहन किया जा सकता है।
- ISRO द्वारा निर्मित तकनीकी विशेषज्ञता का **निजी क्षेत्र** को उपयुक्त रीति से लाभ पहुँचाने हेतु **ISRO द्वारा मेंटरशिप प्रदान किया गया है।**
- **अंतरिक्ष विधानों का अधिनियमन:** निजी अंतरिक्ष उद्योग द्वारा अंतरिक्ष गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए, निश्चित समयसीमा के साथ **नियामक, विधिक और प्रक्रियात्मक पद्धतियों** को परिभाषित करना।
    - भारत की अंतरिक्ष गतिविधियों को बढ़ावा देने और विनियमित करने हेतु **अंतिरक्ष गतिविधि विधेयक, 2017** का मसौदा प्रस्तावित किया गया था। इसमें अंतरिक्ष विभाग के निर्देशन और प्राधिकरण के तहत भारत में अंतरिक्ष गतिविधियों में निजी क्षेत्र की एजेंसियों की भागीदारी पर बल दिया गया था।
- **अंतरिक्ष क्षेत्र में बेहतर ज्ञान रखने वाले** विशेषज्ञों के साथ मिलकर **थिंक-टैंक** की स्थापना करना। यह अंतरिक्ष कार्यक्रम प्रबंधन, प्रौद्योगिकियों के दोहरे उपयोग, अंतरिक्ष कानून, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष समझौतों आदि पर महत्वपूर्ण दृष्टिकोण प्रदान करेगा।
- एक अग्रणी अनुसंधान परिवेश की स्थापना में प्रणालीगत परिवर्तन लाने हेतु **उद्योग-अकादमिक संपर्क स्थापित करना।**

VISION IAS

संबंधित तथ्य

- हाल ही में, ISRO ने 17 प्रौद्योगिकियों के एक समुच्चय की पहचान की है और अपने गगनयान मिशन के लिए इन्हें कम लागत पर स्थानीय स्तर पर विकसित करने हेतु शोधकर्ताओं को आमंत्रित किया है।
    - इनके अंतर्गत अंतरिक्ष यात्राओं के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों के लिए भोजन और औषधियां, स्पेससूट, वायुयुक्त आवास (inflatable habitats) एवं एंटी-रेडिएशन और थर्मल प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी आदि शामिल हैं।

निजी क्षेत्र की भागीदारी से संबंधित चिंताएँ

- महत्वपूर्ण और संवेदनशील सूचनाओं की सुरक्षा और इनके रणनीतिक प्रयोग को लेकर जिनका अनुचित उपयोग किया जा सकता है।
- यह नकारात्मक प्रतिफल और विफलताओं से युक्त एक अत्यधिक जोखिमपूर्ण व्यवसाय है। असफलताओं के संदर्भ में इस प्रकार की लागत वहन करने की इच्छुक, कुछ ही कंपनियां हो सकती हैं।

इस दिशा में उठाए गए कदम

- **ISRO द्वारा उठाए गए कदम:**
    - ISRO ने बेंगलुरु में एक स्पेस टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना की है जहाँ उद्योगों द्वारा उपयोग किए जाने हेतु कई प्रकार की सुविधाएं स्थापित की गई हैं।
    - वर्ष 2018 में, तीन वर्षों में 27 उपग्रहों के निर्माण हेतु ISRO द्वारा तीन संस्थाओं के साथ एक अनुबंध किया गया था।
- ISRO और निजी क्षेत्र के मध्य अंतराल को समाप्त करने और उद्योग को ISRO की प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण की सुविधा हेतु अंतरिक्ष विभाग द्वारा वर्ष 2019 में **न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड** की स्थापना की गई थी।

VISION IAS

8. संस्कृति (Culture)

8.1. द्वितीय विश्व युद्ध (World War 2)

सुर्ख़ियों में क्यों?

संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप और रूस द्वारा 8 मई (रूस में 9 मई) को यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध के अंत की 75वीं वर्षगांठ को विजय दिवस (Victory Day) के रूप में मनाया गया।

द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में

- यह विश्व का अब तक का सबसे भीषण और व्यापक युद्ध था।
- प्राथमिक प्रतिद्वंद्वी:
    - **धुरी राष्ट्र (Axis nations) -** जर्मनी, इटली एवं जापान।
    - **मित्र राष्ट्र (Allied nations) -** ग्रेट ब्रिटेन (और इसके राष्ट्रमंडल देश), फ्रांस, सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका।

द्वितीय विश्व युद्ध के वैश्विक प्रभाव

- **विनाश:** इस दौरान 40 मिलियन से अधिक लोग मारे गए और कई लोग बेघर हो गए। इस दौरान की दो घटनाएँ, यथा - होलोकॉस्ट (Holocaust) और हिरोशिमा एवं नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम मानव जाति के प्रति सबसे बड़ी त्रासदियाँ थीं।
- **संयुक्त राष्ट्र की स्थापना:** विश्व शांति की स्थापना, व्यक्तियों के अधिकारों का संरक्षण और विश्व भर में सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई थी।
- **मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (Universal Declaration of Human Rights: UDHR):** यह दस्तावेज़ मानव अधिकारों के इतिहास में एक मील का पत्थर है। इसे द्वितीय विश्व युद्ध के कारण हुए होलोकॉस्ट और विनाश की पृष्ठभूमि में घोषित किया गया था। यह सभी लोगों और सभी देशों के लिए **उपलब्धियों का एक सामान्य मानक** निर्धारित करता है।
- **शक्ति संतुलन में परिवर्तन:** विश्व पर यूरोपीय वर्चस्व समाप्त हो गया तथा शक्ति संतुलन USSR और संयुक्त राज्य अमेरिका के पक्ष में स्थानांतरित हो गया।
- **शीत युद्ध की शुरुआत:** विश्व दो गुटों में विभाजित हो गया - पश्चिमी और पूर्वी गुट। एक दूसरे की जासूसी, राजनीतिक अशांति और छद्म युद्धों का उपयोग दो महाशक्तियों (USSR और संयुक्त राज्य अमेरिका) के मध्य की प्रतिद्वंद्विता की महत्त्वपूर्ण विशेषता थी।
- गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM) और **तृतीय विश्व की संकल्पना का उदय** हुआ, जिसका अर्थ था कि दोनों महाशक्तियों के प्रति गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाना।
- **उपनिवेषवाद का अंत:** एशिया और अफ्रीका के उपनिवेशों में राष्ट्रवाद के उदय के परिणामस्वरूप 1950 के दशक में कई नए राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ।

द्वितीय विश्व युद्ध के कारण

- **वर्साय की संधि:** इसे जर्मनी द्वारा एक अपमानजनक संधि माना गया और इसने जर्मनी में आक्रोश उत्पन्न किया।
- सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा को बनाए रखने में **लीग ऑफ़ नेशन की विफलता**।
- **वैश्विक आर्थिक संकट:** यह संयुक्त राज्य अमेरिका में आई महामंदी से प्रेरित था, जिसने हिटलर और अन्य फासीवादी शक्तियों के उदय का मार्ग प्रशस्त किया।
- **हिटलर की भूमिका:**
    - केवल पोलिश गलियारे और डैनजिग (Danzig) पर कब्जा करने के बजाए हिटलर ने **पोलैंड की गतिविधियों के सभी क्षेत्रों पर हमला** कर दिया था। इसे युद्ध का सबसे तात्कालिक कारण माना जाता है।
    - हिटलर रूस को नष्ट करना चाहता था और रुसी क्षेत्र को **'जर्मनी वासियों के रहने के स्थान'** के रूप में उपयोग करना चाहता था। हिटलर के प्रचार ने जर्मनी वासियों में क्रोध को और भड़का दिया था तथा इस प्रकार जर्मनी वासियों ने हिटलर की कार्रवाइयों को स्वीकृति प्रदान कर दी।
- **तुष्टिकरण की भूमिका:** ब्रिटेन और फ्रांस द्वारा अपनाई गई तुष्टिकरण की नीति ने स्थानीय तौर पर हिटलर की प्रतिष्ठा को बढ़ा दिया था।

8.2. पुरंदर दास (Purandara Dasa)

सुर्ख़ियों में क्यों?

कर्नाटक सरकार, पुरंदर दास के **जन्म स्थान संबंधी रहस्य को सुलझाने के लिए** केशवपुरा (कर्नाटक) क्षेत्र में अनुसंधान शुरू करेगी।

अन्य संबंधित तथ्य

- अब तक, यह माना जाता था कि पुरंदर दास का जन्म महाराष्ट्र में पुणे के निकट पुरंदरगढ़ में हुआ था।

VISION IAS

- हालांकि, कर्नाटक सरकार द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समिति ने स्पष्ट किया कि **केशवपुरा को उनके जन्म स्थान के रूप में सुझाव देने के लिए पर्याप्त साक्ष्य** मौजूद हैं तथा आगे के शोध की सिफारिश की गई है।

पुरंदर दास के बारे में

- पुरंदर दास (1484-1564 ई.) **विजयनगर साम्राज्य** के दौरान एक संत, कवि और गायक थे।
- वह विजयनगर साम्राज्य के **राजगुरु व्यासतीर्थ के शिष्य** थे।
- **हरिदास परंपरा** (वैष्णवों द्वारा संगीत और साहित्यिक परंपरा) की शुरुआत करने से पहले, पुरंदर दास एक अमीर व्यापारी थे और उन्हें **श्रीनिवास नायक** कहा जाता था।
- उन्हें **कर्नाटक संगीत का 'पितामह'** माना जाता है। कर्नाटक संगीत सिखाने की उनकी व्यवस्थित पद्धति का वर्तमान में भी पालन किया जा रहा है।
- उन्होंने संगीत निर्देशन के लिए **"माया मालवा गवला" राग** को मूल पैमाने के रूप में आरंभ किया।
- **'पुरंदरा विट्ठल'** उपनाम से, उन्होंने सरल कन्नड़ भाषा में लगभग 4.75 लाख भक्ति गीतों की रचना की है, जिन्हें दक्षिण भारत के स्थानीय मुद्दों और परंपराओं की व्याख्या करने वाले **कीर्तन** के रूप में जाना जाता है।
- **स्वामी हरिदास** भी पुरंदर दास के शिष्य थे, जो कि हिंदुस्तानी संगीतकार तानसेन के गुरु थे।

8.3. भौगोलिक संकेतक टैग {Geographical Indication (GI) Tag}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, अनेक उत्पादों को GI टैग प्रदान किया गया।

GI टैग के बारे में

- GI टैग उन उत्पादों के लिए उपयोग किया जाने वाला एक संकेतक है, जिनकी एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति (पहचान) होती है और जिनकी मूलस्थान के कारण विशिष्ट गुण या विशिष्ट पहचान होती है।
  - इन्हें **वस्तुओं का भौगोलिक संकेतक (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999** {Geographical Indications of Goods (Registration and Protection) Act,1999} के तहत नियंत्रित किया जाता है। इसे **पेटेंट, डिजाइन और ट्रेड मार्क्स के नियंत्रक जनरल** (Controller General of Patents, Designs and Trade Marks) द्वारा जारी किया जाता है, जो कि **भौगोलिक संकेतकों का महापंजीयक** है।
  - GI को **बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार संबंधित पहलुओं पर समझौते (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights: TRIPS)** के तहत कवर किया गया है।

GI टैग प्राप्त करने वाले उत्पाद

- **कश्मीर केसर:**
  - इसकी खेती जम्मू और कश्मीर के **करेवा (उच्च भूमि)** में की जाती है।
  - यह 1,600 मीटर से 1,800 मीटर की ऊंचाई पर उगाया जाने वाला विश्व में केसर की एकमात्र किस्म है।
  - प्राचीन संस्कृत साहित्य में, केसर को **'बहुकम'** कहा जाता है।
  - **विशेषताएं:** लंबे और मोटे वर्तिकाग्र, प्राकृतिक गहरा-लाल रंग, सुगन्धित व कड़वा स्वाद, रसायन मुक्त प्रसंस्करण तथा क्रोकिन (रंग बढ़ाने वाला), सफ़ारील (स्वाद) और पिक्रोकसिन (कड़ुवापन) की उच्च मात्रा।
  - **इसके तीन प्रकार हैं:** गुच्छी, लाछा और मोंगरा केसर।
  - ईरान केसर का सबसे बड़ा उत्पादक देश है और **भारत दूसरे स्थान** पर आता है।
- **कोविलपट्टी कदलाई मताई (तमिलनाडु):**
  - यह एक प्रकार की मिठाई (candy) है, जिसे मूंगफली द्वारा बनाया जाता है। इसे ऊपर से कसे हुए नारियल, गुलाबी, हरे और पीले रंग के टॉप्स के द्वारा सजाया जाता है।
  - इसे **सभी प्रकार के प्राकृतिक अवयवों (ingredients)** जैसे कि पारंपरिक और विशेष 'वेल्लम' (गुड़) और मूंगफली का उपयोग करके बनाया जाता है तथा **थामिराबरानी नदी के जल का उपयोग** किया जाता है, जो प्राकृतिक रूप से इसके स्वाद को बढ़ाता है।
- **चक-हाओ (मणिपुर का काला चावल):**
  - यह एक सुगंधित चिपचिपा चावल (scented glutinous rice) है, जिसकी खेती सदियों से मणिपुर में की जा रही है। एक विशेष प्रकार की सुगंध इसकी विशेषता है।
  - चक-हाओ का उपयोग पारंपरिक चिकित्सकों द्वारा **पारंपरिक चिकित्सा के रूप में** भी किया गया है।
  - इसमें चावल रेशेदार चोकर परत और उच्च कच्चे फाइबर मात्रा की उपस्थिति के कारण इसके पकने में **40-45 मिनट का सबसे लंबा समय लगता** है।

- **गोरखपुर टेराकोटा:**
    - यह सदियों पुरानी एक पारंपरिक कला शैली है, जिसमें कुम्हारों द्वारा विभिन्न जानवरों की आकृतियों का निर्माण किया जाता है, जैसे- घोड़े, हाथी, ऊँट, बकरी, बैल आदि।
    - यह **पूरा काम नंगे हाथों से किया जाता** है। इसमें कारीगरों द्वारा **प्राकृतिक रंग का उपयोग** किया जाता है, जिसमे लंबे समय तक चमक बनी रहती है। टेराकोटा की 1,000 से अधिक किस्में स्थानीय कारीगरों द्वारा डिजाइन की गई हैं।
- **सोहराई खोवर चित्रकला:**
    - यह झारखंड के हजारीबाग जिले में स्थानीय आदिवासी महिलाओं के मध्य प्रचलित एक **पारंपरिक और अनुष्ठानिक भित्ति चित्र कला** है।
    - यह स्थानीय और प्राकृतिक रूप से उपलब्ध **विभिन्न रंगों की मिट्टी का उपयोग** करके स्थानीय फसल और विवाह समारोह के दौरान चित्रित की जाती है।
- **तेलंगाना का तेलिया रुमाल:**
    - यह एक **जटिल हस्तनिर्मित कार्य** है, जो तीन विशेष रंगों - लाल, काले और सफेद - में सूती करघे के माध्यम से विभिन्न प्रकार के डिज़ाइन और रूपांकनों को प्रदर्शित करता है।

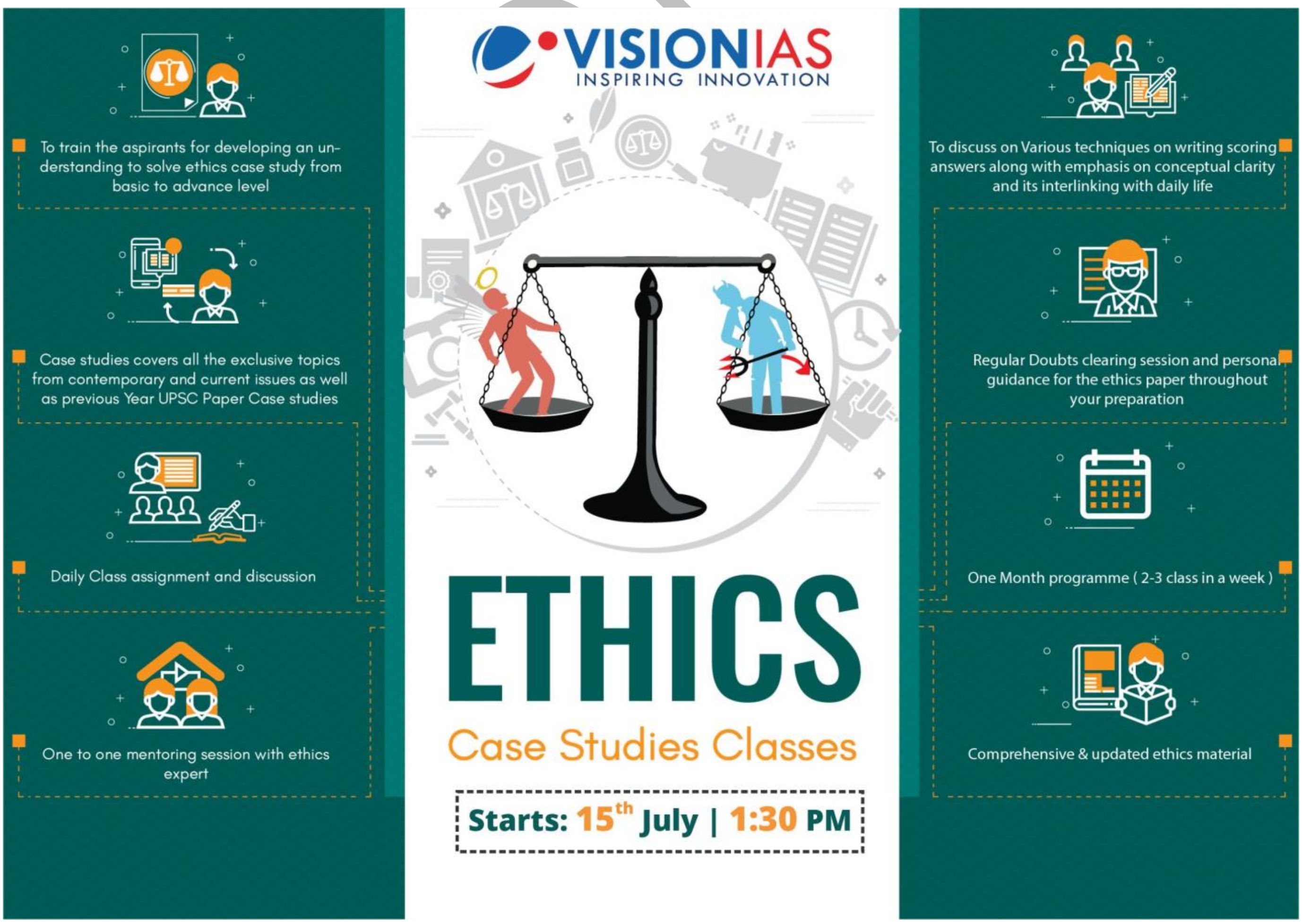

9. नीतिशास्त्र (Ethics)

9.1. सत्य के विवाचक के रूप में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (Social Media Platforms as Arbiters of Truth)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, ट्विटर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट का 'फैक्ट चेक' किया और इनमें एक ट्विट को 'हिंसा का महिमामंडन' करने वाले ट्वीट के रूप में चिन्हित किया। इसके उपरांत ट्रंप ने ट्विटर को **'दृष्टिकोण वाला संपादक'** कहा। इसने **'सत्य के विवाचक (मध्यस्थ)' (Arbiters of Truth)** के रूप में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों की भूमिका और उत्तरदायित्व पर बहस को उत्पन्न कर दिया है।

'सत्य के विवाचक' का क्या अर्थ है?

- शाब्दिक अर्थ में विवाचक से आशय किसी विवाद पर निर्णय करने या असहमति की स्थिति में न्यायनिर्णयन करने वाले सत्ता युक्त व्यक्ति से है। व्यापक अर्थ में 'सत्य का विवाचक' एक ऐसी सत्ता है जो परस्पर विरोधी तथ्यों या विमर्शों की स्थिति में 'सत्य क्या है' पर निर्णय लेती है।
- लेकिन, अपने आप में सत्य सदैव निरपेक्ष नहीं होता है। सत्य में इससे जुड़ी व्यक्तिपरकता (subjectivity) का तत्व शामिल होता है जो अन्य बातों के अतिरिक्त संदर्भ, समाज और मूल्य प्रणालियों के साथ भिन्न-भिन्न होती है।
- सत्य से परे के वर्तमान युग में, जहां सत्य की निरंतर निराधार और गलत व्याख्या की जा रही है, वहां निष्पक्ष, जवाबदेह और सर्वव्यापी 'सत्य के विवाचक' की सहसा आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है।

सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के लिए सत्य के विवाचक के रूप में कानूनी ढांचा

- **IT अधिनियम, 2000 की धारा 79:** मध्यस्थ, अवैध तृतीय पक्ष की विषय-वस्तु के लिए उत्तरदायी नहीं होता है और विषय-वस्तु को सेंसर करने की कोई विशिष्ट आवश्यकता नहीं होती है।
- **श्रेया सिंघल वाद (वर्ष 2015)** में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर कानूनी दायित्व तभी उत्पन्न होता है जब वे किसी भी न्यायालय या किसी सक्षम कार्यकारी प्राधिकरण द्वारा विशिष्ट टेकडाउन नोटिस के लिए कार्रवाई करने में विफल रहते हैं।
- **प्रयोक्ता-प्लेटफ़ॉर्म संबंध** अनुबंधों द्वारा नियंत्रित होता है जो प्लेटफार्मों को चुनने का अधिकार और यह निर्धारित करने की शक्ति प्रदान करता है कि वे किसकी अनुमति प्रदान करते हैं।

क्या कारण हैं जिनकी वजह से सोशल मीडिया वास्तविक रूप से सत्य के विवाचक की भूमिका ग्रहण कर रहा है?

- **सहभागिता मंच:** सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वर्तमान में सहभागिता के सबसे बड़े रचनाकार हैं। साथ ही, वे प्री-फ़िल्टरिंग, स्क्रीनिंग जैसे साधनों और संपादकीय नियंत्रण के प्रयोग द्वारा प्लेटफॉर्म को नियंत्रित कर रहे हैं। इसके फलस्वरूप, वे इसके लिए स्वाभाविक विकल्प बन रहे हैं।
  - साथ ही, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म **शासन के संबल (enabler of governance)** के रूप में भी कार्य कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्मों का विभिन्न मंत्रालयों द्वारा लोगों के साथ संचार के प्रत्यक्ष चैनल के रूप में उपयोग किया जाता है।
- **व्यापक पहुंच:** भारत में वर्ष 2019 तक 574 मिलियन सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्ता थे जिनमें से 330 मिलियन लोग फेसबुक, यूट्यूब जैसे किसी न किसी प्रकार के सोशल मीडिया साइट का उपयोग कर रहे हैं और वर्ष 2023 तक यह संख्या 448 मिलियन तक पहुंच जाने का अनुमान है।
- **सूचना के स्रोत के रूप में उपयोग:** अपने संपूर्ण सामाजिक नेटवर्क में लोगों को जोड़ने के अतिरिक्त, सामाजिक मीडिया का उत्तरोत्तर कई प्रकार की सूचना (औपचारिक और अनौपचारिक दोनों), साझा और उपभोग करने के लिए भी उपयोग किया जा रहा है। कई बार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म स्वंय जानकारी का स्रोत होते हैं।
- **सोशल मीडिया के दुरुपयोग को विनियमित करना:** सोशल मीडिया पर विषय-वस्तु का विनियमन प्लेटफॉर्म के लिए दुरुपयोग को रोकने हेतु विषय-वस्तु की विवाचकता (arbitrate) को आवश्यक बनाता है। निम्नलिखित मुद्दों की जांच करने के लिए इस प्रकार की विवाचकता आवश्यक है:
  - **आपत्तिजनक विषय-वस्तु:** घृणा भाषण (hate speech), नस्लवादी टिप्पणियों और अन्य विषयवस्तुओं के कई उदाहरण हैं जो विशेष रूप से समुदाय के प्रति या सामान्य रूप से समाज के प्रति आक्रामक होते हैं।

VISION IAS

- **अवैध सामग्री:** सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों का उपयोग ऐसी जानकारी प्रेषित करने के लिए भी किया जाता है जो अन्यथा गैर-कानूनी होती हैं। उदाहरण के लिए, अन्य बातों के अतिरिक्त लिंग-चयनात्मक गर्भपात, युवाओं को कट्टर बनाना आदि।
- **फेक न्यूज:** फेक न्यूज की समस्या तेजी से बढ़ती जा रही है। उदाहरण के लिए, सोशल मीडिया पर पोस्ट का सत्यापन करने वाली गैर-लाभकारी संस्था **चेक4स्पैम** ने बताया कि सत्यता की जांच करने के लिए उसे प्राप्त संदेशों की संख्या विगत वर्ष से **20%** से अधिक हो गई है।

'सत्य के विवाचक' की भूमिका का निर्वहन करने में सोशल मीडिया से संबंधित चुनौतियां

- **सोशल मीडिया अधिकारियों द्वारा अनिच्छा:** अधिकांश सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वाणिज्यिक इकाइयां हैं, जिनके लिए 'सत्य का विवाचक' बनने में बहुत कम आर्थिक प्रोत्साहन उपलब्ध है। उदाहरण के लिए, **मार्क जुकरबर्ग** द्वारा वक्तव्य दिया गया कि **'सोशल मीडिया साइटों को सत्य के विवाचक की भूमिका नहीं निभानी चाहिए।'**
- **कथित पक्षपातपूर्ण सेंसरशिप:** बड़ी निजी इकाई द्वारा विनियमन कथित हित या सर्वश्रेष्ठ विचारों के समक्ष विचारधारा आधारित सेंसरशिप का खतरा उत्पन्न करता है। इन इकाइयों को प्राय: राजनीतिक दबाव का सामना करना पड़ता है जिनमें प्रत्येक किसी न किसी प्रकार के पक्षपात से पीड़ित होने का दावा करती हैं।
- **जवाबदेहिता का अभाव:** विनियमन से संबंधित कोई भी विवेकाधीन जो अप्रत्यक्ष रूप से लोगों के प्रति जवाबदेह नहीं होती है, उसकी प्रकृति सत्तावादी हो जाती है। उदाहरण के लिए- हाल ही में ट्विटर ने चीन के बजाए केवल भारत में निर्मित उत्पादों को बढ़ावा देने के कारण अमूल के खाते को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया।
- **मानव बुद्धिमत्ता के स्थान पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता का सशक्तीकरण:** जब सोशल मीडिया पर कुछ कहा या पोस्ट किया जाता है, तब संदर्भ महत्वपूर्ण हो जाता है। यह सुनिश्चित करना कठिन है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता विषय-वस्तु के साथ संदर्भ को भी ध्यान में रखती है।
  - वास्तविक समय आधार पर सोशल मीडिया पर **बड़ी मात्रा में विषय-वस्तु** साझा की जाती है जो बाहरी निर्णय निर्माण के लिए प्रत्येक निर्णय लेना कठिन या अव्यावहारिक बना देता है।

क्या किये जाने की आवश्यकता है: आगे की राह

- **जर्मन मॉडल:** जर्मन कानून जर्मनी में 2 मिलियन से अधिक उपयोगकर्ताओं वाले प्लेटफॉर्मों के लिए उपयोगकर्ता शिकायतों को प्राप्त करना और स्पष्ट रूप से अवैध विषय-वस्तु को डिलीट करना आवश्यक बनाता है। यह कानून कंपनियों पर विषय-वस्तु को डिलीट करने में विफल रहने के लिए नहीं, बल्कि सुदृढ़ शिकायत निवारण तंत्र न होने के लिए अर्थदंड आरोपित करता है।
- **स्वतंत्र निरीक्षण निकाय की आवश्यकता:** कैंब्रिज एनालिटिका स्कैंडल से पता चलता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जनमत और चुनावी परिणामों पर काफी प्रभाव डाल सकते हैं। इसके अतिरिक्त, ये प्लेटफॉर्म सरकारी दबाव के प्रति सुभेद्य बने रहते हैं। इसलिए, उपयोगकर्ताओं, मध्यस्थों और सरकार के अधिकारों और उत्तरदायित्वों के संदर्भ में पारदर्शी ढांचे के साथ-साथ एक स्वतंत्र निरीक्षण निकाय की आवश्यकता है।
- **डिजिटल समाजवाद को अपनाना:** यह एक जन आधारित समाधान है जिसमें सोशल मीडिया को लाभ प्राप्त करने वाले उद्यम से वैश्विक लोकतांत्रिक कॉमन्स में बदलने के लिए स्वशासन, स्व-बुद्धिमत्ता, विकेंद्रीकरण और परिसंघ के सिद्धांत सम्मिलित हैं। उदाहरण**- मास्टोडन** जो ब्लॉकचेन तकनीक आधारित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और इसमें चुनने के लिए सर्वरों और नीतियों का व्यापक विकल्प उपलब्ध है।
- फेसबुक द्वारा कोरोनावायरस सूचना केंद्र जैसे प्लेटफॉर्मों द्वारा **सूचना प्रकोष्ठ बनाए गए हैं।** इस क्रियाविधि को सूचना के अन्य क्षेत्रों के लिए अनुकरणीय बनाया जा सकता है और साथ ही, सूचना के अधिक प्रामाणिक स्रोतों का निर्माण किया जा सकता है।

एक ओर कोई कार्रवाई नहीं करने और दूसरी ओर पूर्ण विनियमन की दो चरम स्थितियों पर विचार करने के पश्चात, हम वांछनीय मध्य मार्ग प्रदान करके **अरस्तू के गोल्डन मीन (Golden Mean)** पर पहुंच सकते हैं।

©Vision IAS

10. संक्षिप्त सुर्ख़ियाँ (News In Short)

10.1. दियामेर भाषा डैम (Diamer-Bhasha Dam)

- चीन और पाकिस्तान ने **गिलगित-बाल्टिस्तान क्षेत्र** में इस बांध के निर्माण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
- इस बांध का निर्माण **सिंधु नदी** पर किया जा रहा है। इस परियोजना की विद्युत उत्पादन क्षमता 4,500 मेगावाट होगी।
- भारत द्वारा इस बांध के निर्माण पर बार-बार आपत्ति व्यक्त की गई है क्योंकि यह **भारत के उत्तरी गिलगित-बाल्टिस्तान क्षेत्र** में अवस्थित है। इसके अतिरिक्त, इसके कारण लद्दाख में जल की कमी हो सकती है।

10.2. संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी (United Nations Relief and Works Agency: UNRWA)

- कोरोना वायरस संकट के दौरान फिलिस्तीनी शरणार्थियों के कल्याण के लिए कार्य कर रहे UNRWA को भारत ने 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान की है।
- UNRWA **दिसंबर 1949 में UN द्वारा गठित** किया गया था।
- UNRWA अपने अग्रलिखित पांच संचालन क्षेत्रों में फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए **आश्रय, बुनियादी खाद्य आपूर्ति, चिकित्सा सहायता, शिक्षा और कार्य के अवसर** प्रदान करता है: जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक ऑफ ईस्ट यरुशलम।

10.3. ऋणों की प्रोविजनिंग (Provisioning of Loans)

- हाल ही में, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अधिस्थगन (moratorium) के अंतर्गत **ऋणों के 'विशेष प्रोविजनिंग'** पर स्पष्टीकरण दिया है।
- RBI द्वारा अप्रैल माह में निर्धारित किया गया था कि अधिस्थगन की स्वीकृति के तहत ऋण देने वाले संस्थान ऋण पर **10% का प्रोविजनिंग** (दो तिमाहियों में 5 प्रतिशत चरणबद्ध तरीके से) करेंगे जो कि बकाया (overdue) हैं लेकिन अभी तक गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (NPA) में सम्मिलित नहीं है।
- **ऋणों की प्रोविजनिंग के तहत,** बैंकों को अपनी खराब परिसंपत्तियों के निर्धारित प्रतिशत के लिए पृथक रूप से धन आवंटन करना होगा या धन उपलब्ध कराना होगा।
  - वर्गीकरण के अनुसार RBI द्वारा प्रोविजनिंग मानदंड निर्धारित किए गए हैं। उदाहरण के लिए- NPA का सामान्य प्रोविजनिंग सुरक्षित ऋण के लिए 15% और असुरक्षित ऋण का 25% है।
    - इसका अर्थ है कि यदि-100 करोड़ रूपए का ऋण NPA या अवमानक (सब-स्टैण्डर्ड) बन जाता है, तो कम से कम 15 करोड़ रूपए को प्रोविजनिंग के रूप में बैंक को अपनी आय से पृथक रखना होगा।
- RBI द्वारा स्पष्ट किया गया है कि **स्पेशल मेंशन अकाउंट्स-2 (SMA-2) की अधिस्थगन अवधि** की शुरुआत के रूप में प्रोविजनिंग केवल ऋणों के लिए मान्य होंगे।
  - स्पेशल मेंशन अकाउंट (SMA) एक ऐसा खाता है जो आरंभिक तनावग्रस्तता (अपने ऋण दायित्वों को समय पर चुकाने में उधारकर्ता की डिफ़ॉल्ट पूर्ण स्थिति) को रेखांकित/प्रदर्शित करता है, हालांकि खाते को अभी तक NPA के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है।
  - एक अनुमान के अनुसार, सितंबर 2019 के अंत तक कुल SMA-2 ऋण लगभग 0.96 लाख करोड़ रूपए रहा है।

RBI के अनुसार परिसंपत्ति वर्गीकरण

- **SMA-0:** मूलधन या ब्याज का भुगतान 30 दिनों से अधिक समय तक नहीं किया जाता है, लेकिन खाते में आरंभिक तनाव के लक्षण दिखाई देते हैं।
- **SMA-1:** 31-60 दिनों के मध्य मूलधन या ब्याज का भुगतान बकाया हो।
- **SMA-2:** 61-90 दिनों के मध्य मूलधन या ब्याज का भुगतान बकाया हो।
- **NPA:** ऐसे ऋण या अग्रिम जिनके मूलधन या ब्याज का भुगतान 90 या उससे अधिक दिनों से बकाया हो (या ब्याज का भुगतान अल्प अवधि की फसल के लिए 2 फसल मौसम और लंबी अवधि की फसलों के लिए एक फसल मौसम तक नहीं किया गया हो)।
- **अवमानक परिसंपत्तियां (Substandard Assets):** ऐसी परिसंपत्तियां जो 12 माह या उससे कम अवधि के लिए NPA बनी रहती है।
- **संदिग्ध परिसंपत्तियां (Doubtful Assets):** ऐसी परिसंपत्तियां जो 12 माह की अवधि के लिए अवमानक श्रेणी में बनी रहती है।
- **हानि परिसंपत्तियां (Loss Assets):** इसे वसूल न किए जाने वाला (uncollectible) और इतने निम्न मूल्य का समझा जाता है कि इन्हें बैंक ग्राह्य परिसंपत्ति के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। हालाँकि इसका कुछ निस्तारण या पुनर्प्राप्ति योग्य मूल्य हो सकता है।

VISION IAS

10.4. चैंपियंस पोर्टल (Champions Portal)

- हाल ही में, **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSMEs)** द्वारा चैंपियन्स पोर्टल (उत्पादन और राष्ट्रीय शक्ति बढ़ाने के लिए आधुनिक प्रक्रियाओं का निर्माण और उनका सामंजस्यपूर्ण अनुप्रयोग) की शुरुआत की गई है।
- यह एक प्रौद्योगिकी संचालित **नियंत्रण कक्ष-सह-प्रबंधन सूचना प्रणाली** है। इस सूचना प्रणाली के तहत हब एंड स्पोक मॉडल में कंट्रोल रूम के एक नेटवर्क को स्थापित किया गया है।
- यह भारतीय MSMEs को राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर समर्थ बनाने की दिशा में शिकायत निवारण और हैंडहोल्डिंग के माध्यम से सहयोग प्रदान करने हेतु आधुनिक ICT उपकरणों का उपयोग करता है।
- इस सूचना प्रणाली को टेलीफोन, इंटरनेट और वीडियो कॉन्फ्रेंस जैसे ICT टूल्स के अतिरिक्त, **आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस (AI)**, डेटा एनालिटिक्स और मशीन लर्निंग द्वारा सक्षम बनाया गया है।
- इसे भारत सरकार की मुख्य **केन्द्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (Centralized Public Grievance Redress and Monitoring System: CPGRAMS)** और MSMEs मंत्रालय की अन्य वेब प्रणालियों के साथ प्रत्यक्ष रूप से जोड़ा गया है।

10.5. भारत में पहली बार शहरी इंटरनेट उपयोगकर्ता की तुलना में ग्रामीण इंटरनेट उपयोगकर्ता की संख्या अधिक (For The First Time, India has more Rural Net Users than Urban)

- इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एक गैर लाभकारी उद्योग निकाय) द्वारा जारी **'डिजिटल इन इंडिया'** रिपोर्ट के अनुसार, नवंबर 2019 तक, ग्रामीण भारत में सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या शहरी भारत की तुलना में 10% अधिक रही है।
    - **सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्ता** ऐसे उपयोगकर्ता होते हैं जिन्होंने एक माह में कम से कम एक बार इंटरनेट का उपयोग किया हों।
- 504 मिलियन सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्ताओं (5 वर्ष या उससे अधिक आयु के) के साथ भारत, चीन के पश्चात द्वितीय वृहत्तम इंटरनेट उपयोगकर्ता बाजार है।
- भारत में **इंटरनेट पहुँच (पेनेट्रेशन)** 40% है। (अमेरिका के लिए यह 88% तथा चीन के लिए 61% हैं)।
    - **इंटरनेट पेनेट्रेशन रेट,** कुल आबादी का वह प्रतिशत होता है जो इंटरनेट का उपयोग करता है।
- **महिला इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या में वृद्धि** (26 मिलियन) पुरुष इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की तुलना में अधिक रही है।
- सस्ते स्मार्टफोन और डेटा प्लान के साथ उपलब्धता के कारण 4G इंटरनेट कनेक्टिविटी का वरीयता प्राप्त विकल्प बना हुआ है।
- **1 ट्रिलियन डॉलर डिजिटल अर्थव्यवस्था** के दृष्टिकोण को सक्रिय रूप से बढ़ावा देने के साथ डिजिटल सेवाएं भारत के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है।

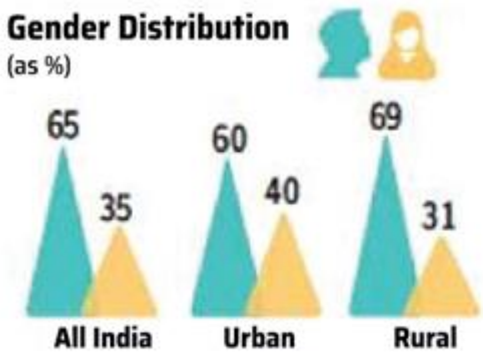

10.6. यूनीफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू-ऐज गवर्नेंस (Unified Mobile Application for New-age Governance: UMANG)

- **उमंग (UMANG) का शुभारंभ वर्ष 2017 में किया गया था। इसे नागरिकों के मोबाइल फोन पर सरकार की उपलब्धता** सुनिश्चित कराने के एक वृहत लक्ष्य के साथ **प्रमुख सरकारी सेवाओं को एकल मोबाइल ऐप्प पर उपलब्ध कराने हेतु** लॉन्च किया गया था।
- इस ऐप्प पर 127 विभागों और 25 राज्यों से लगभग 660 सेवाएं तथा लगभग 180 सुविधाओं (utilities) की बिल भुगतान सेवाएं उपलब्ध हैं।
- हाल ही में, **इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय** द्वारा उमंग ऐप पर भारत मौसम विभाग की 7 सेवाओं को लाया गया है।
- **इन सेवाओं में सम्मिलित हैं:** वर्तमान मौसम, मौसम पूर्वानुमान, पर्यटन पूर्वानुमान आदि।

10.7. खेल को उद्योग का दर्जा (Industry Status to Sports)

- **मिजोरम** खेलों को उद्योग का दर्जा प्रदान करने वाला प्रथम राज्य बन गया है।
- इससे खेलों में निवेश बढ़ाने, रोजगार सृजित करने और मूल्य वृद्धि करने का अनुमान है।

10.8. अमेरी आईस शेल्फ (Amery Ice Shelf: AIS)

- 'राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र' (National Centre for Polar and Ocean Research: NCPOR) के अनुसार, वर्ष 2021 तक अंटार्कटिका स्थित अमेरी आईस शेल्फ (AIS) की सीमाओं में 24% की वृद्धि होने की संभावना है।

- AIS, अंटार्कटिका के पूर्वी तट पर स्थित विश्व की वृहत्तम हिमनद अपवाह द्रोणियों में से एक है। AIS, गतिकी (dynamics) और द्रव्यमान संतुलन वैश्विक जलवायु परिदृश्य में परिवर्तन को समझने में सहायता करते हैं।
- गोवा स्थित NCPOR, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है तथा यह **ध्रुवीय एवं दक्षिणी महासागरीय क्षेत्रों** में अनुसंधान संबंधी गतिविधियों के लिए उत्तरदायी भारत का प्रमुख अनुसंधान एवं विकास संस्थान है।

10.9. नमूना पंजीकरण प्रणाली बुलेटिन जारी {Sample Registration System (SRS) Bulletin Released}

- नमूना पंजीकरण प्रणाली (Sample Registration System: SRS), राष्ट्रीय एवं उप-राष्ट्रीय स्तरों पर शिशु मृत्यु दर (Infant Mortality Rate: IMR), जन्म दर, मृत्यु दर एवं अन्य प्रजनन (fertility) और मृत्यु दर संकेतकों के विश्वसनीय वार्षिक अनुमान प्रदान करने हेतु संचालित एक **जनसांख्यिकीय सर्वेक्षण** है।
- इसे वर्ष 1964-65 में इसे प्रायोगिक आधार पर तथा **वर्ष 1969-70 के दौरान यह पूर्ण रूप से संचालित कर दिया गया।**
- SRS का संचालन गृह मंत्रालय के अधीन **भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त** के कार्यालय द्वारा किया जाता है।

प्रमुख तथ्य

- शिशु मृत्यु दर (IMR), वर्ष 1971 के 129 से घटकर वर्ष 2018 में 32 हो गई है।
    - **मध्य प्रदेश** में IMR सर्वाधिक (48) और **नागालैंड** में न्यूनतम (4) है।
    - विगत 10 वर्षों में, IMR में ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 35% और शहरी क्षेत्रों में लगभग 32% की गिरावट दर्ज की गई है।
    - IMR, एक वर्ष में 1000 जीवित शिशुओं के जन्म पर एक वर्ष से कम आयु के मृत शिशुओं की संख्या है।
- **जन्म दर (Birth rate: BR):** यह वर्ष 1971 के 36.9 से घटकर वर्ष 2018 में 20.0 हो गई है।
    - **बिहार** में जन्म दर सर्वाधिक (26.2) तथा **अंडमान और निकोबार द्वीप समूह** में न्यूनतम (11.2) है।
    - ग्रामीण-शहरी अंतर में भी गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि, ग्रामीण क्षेत्रों में जन्म दर में निरंतर वृद्धि हुई है।
    - जन्म दर, प्रति वर्ष प्रति 1000 जनसंख्या पर नवजात जीवित शिशुओं की संख्या है।
- **मृत्यु दर (Death Rate: DR):** वर्ष 1971 के 14.9 से घटकर वर्ष 2018 में 6.2 हो गई है।
    - **छत्तीसगढ़** में मृत्यु दर सर्वाधिक (8) और **दिल्ली** में न्यूनतम (3.3) है।
    - म्रत्यु दर (DR) प्रति वर्ष प्रति 1000 व्यक्तियों पर मृत्युओं की संख्या है।

10.10. 5 वर्ष से कम आयु के शिशुओं की मृत्यु दर (U5MR) वर्ष 2000 की तुलना में वर्ष 2017 में घटकर आधी हो गयी है {Under-5 Mortality Rate (U5MR) Halved from 2000 to 2017}

- **ये निष्कर्ष, इंडिया स्टेट लेवल डिज़ीज बर्डन इनिशिएटिव' (ISDBI) के भाग थे। यह वर्ष 2000 से भारत में शिशु मृत्यु दर के जिला-स्तरीय रुझानों का प्रथम व्यापक अनुमान हैं।**
- ISDBI, **भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR)**, पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया (PHFI), इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मेट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन (IHME) और भारत भर के लगभग 100 संस्थानों के विशेषज्ञों और हितधारकों के मध्य सहयोग आधारित एक पहल है।

	2000	2017
Under-5 deaths	2.24m	1.04m
Under-five mortality rate	Probability of dying between birthand exactly 5 years of age, expressed per 1,000 live births.	
Neonatal deaths	1.02m	0.57m
Neonatal mortality rate	Probability of dying during the first 28 days of life, expressed per 1,000 live births	

- **प्रमुख तथ्य:**
    - वर्ष 2000 से ही 5 वर्ष से कम आयु के शिशुओं की मृत्यु दर (U5MR) और नवजात मृत्यु दर (Neonatal Mortality Rate: NMR) में पर्याप्त रूप में गिरावट हुई है। हालांकि, इन संकेतकों पर जिलों के मध्य असमानता में वृद्धि हुई है। उदाहरण के लिए 723 जिलों में प्रति 1000 जीवित शिशुओं के जन्म पर U5MR का परास 8 से 88 (न्यूनतम 8 और अधिकतम 88) के मध्य है।
    - वर्ष 2000 से ही U5MR में 49% की गिरावट हुई है।
- **5 वर्ष से कम आयु के शिशुओं की 68% मृत्यु का कारण बाल एवं मातृ कुपोषण है।**
- 5 वर्ष से कम आयु के शिशुओं की मृत्यु के प्रमुख कारण: निम्न श्वसन संक्रमण, समय पूर्व जन्म (preterm birth), डायरिया संबंधी रोग और जन्म के समय श्वासावरोध या दम घुटना (asphyxia) और आघात (trauma)।

VISION IAS

- वर्ष 2017 में 5 वर्ष से कम आयु के शिशुओं की सर्वाधिक मृत्यु उत्तर प्रदेश में तथा इसके पश्चात बिहार में हुई है।
- **वर्ष 2000 के पश्चात NMR में 38% की गिरावट दर्ज की गई है।**
- जन्म के समय अल्प वजन (low birth weight) और गर्भावस्था की लघु अवधि (shorter gestation) को 83% नवजात मृत्यु हेतु उत्तरदायी हैं।
    - अध्ययन में राज्यों द्वारा व्यक्तिगत रूप से सामना किए जाने वाले मुद्दों का उल्लेख किया गया है और बाल मृत्यु को कम करने हेतु एक क्षेत्र-विशिष्ट योजना बनाने का सुझाव दिया गया है।

10.11. संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ) द्वारा प्रकाशित "लॉस्ट एट होम" रिपोर्ट (Lost at Home" Report Published by UN Children's Fund)

- यह रिपोर्ट आंतरिक रूप से विस्थापित बच्चों द्वारा सामना किए जाने वाले जोखिमों और चुनौतियों तथा उनकी रक्षा हेतु आवश्यक तत्काल कार्यवाही का आकलन करती है।

मुख्य तथ्य

- **विस्थापन के कारक**: बच्चों और उनके परिवारों हेतु आंतरिक विस्थापन के प्रमुख कारण **संघर्ष और हिंसा** हैं। भेदभाव, विशिष्ट समूहों के अधिकारों की उपेक्षा, राज्यविहीनता (statelessness) और जलवायु परिवर्तन से प्रेरित आपदाएं कुछ अन्य कारक हैं।
- भारत में, वर्ष 2019 में आंतरिक विस्थापन की कुल नई संख्या लगभग 5 मिलियन थी - जिनमें से अधिकांश आपदाओं के कारण विस्थापित हुए थे।
- **बच्चों पर प्रभाव**
    - प्रायः यह परिवारों को विभाजित करता है तथा बच्चों को स्वतः ही विस्थापित होने हेतु बाध्य करता है।
    - आंतरिक रूप से विस्थापित बच्चे विशेष रूप से दुर्व्यवहार, हिंसा और शोषण के प्रति सुभेद्य होते हैं।
    - प्रायः यह बच्चों में सीखने की प्रवृति को बाधित तथा उन्हें अवसरों से वंचित कर उनकी शिक्षा को बाधित करता है।
    - यह आवश्यक सेवाओं जैसे सुरक्षित आवास, जल और स्वच्छता आदि तक पहुँच स्थापित करने में चुनौती उत्पन्न करता है।
- विस्थापन के बाल-विशिष्ट कारकों को संबोधित करने हेतु यह सरकारों, नागरिक समाज, कंपनियों, मानवतावादी अभिकर्ताओं और स्वयं बालकों के द्वारा एकजुट प्रयास और रणनीतिक कदमों का आह्वान करता है।

10.12. भारत में 600 विश्वविद्यालयों और 25,000 कॉलेजों को मान्यता प्राप्त नहीं है (600 Universities, 25,000 Colleges are not Accredited in India)

- यह प्रत्यायन (मान्यता प्राप्त) सर्वेक्षण, **राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद** (National Assessment and Accreditation Council: NAAC) द्वारा आयोजित किया गया था। इसके प्रमुख निष्कर्ष निम्नलिखित हैं:
    - संस्थानों में स्थायी संकाय की कमी और 5.5% संस्थाओं के संस्थान प्रमुख का पद रिक्त होने के कारण 26% संस्थानों द्वारा मान्यता प्राप्ति के लिए आवेदन नहीं किया गया है।
    - निम्न ग्रेड के कारण 22% उच्च शिक्षा संस्थानों (Higher Education Institutions: HEI) ने इस सर्वेक्षण में भाग नहीं लिया।
- **NAAC मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत स्थापित एक स्वायत्त निकाय है।**
    - यह संस्थान की 'गुणवत्ता दर्जा' (Quality Status) सम्बंधी समझ प्राप्त करने हेतु कॉलेजों, विश्वविद्यालयों अथवा अन्य मान्यता प्राप्त संस्थानों जैसे उच्च शिक्षा संस्थानों (HEI) के **मूल्यांकन एवं प्रत्यायन** का कार्य करता है।

Benefits of Accreditation

- Institution to know its strengths, weaknesses, and opportunities through an informed review process
- Identification of internal areas of planning and resource allocation
- Collegiality on the campus
- Funding agencies look for objective data for performance funding
- Institutions to initiate innovative and modern methods of pedagogy
- New sense of direction and identity for institutions
- The society looks for reliable information on quality education offered
- Employers look for reliable information on the quality of education offered to the prospective recruits
- Intra and inter-institutional interactions

- प्रत्यायन को **ICT सक्षम, उद्देश्यपरक, पारदर्शी, मापनीय और व्यापक** बनाने हेतु वर्ष 2017 में, **संशोधित मूल्यांकन एवं प्रत्यायन ढांचा** को प्रस्तुत किया गया था।

10.13. राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली (National Migrant Information System: NMIS)

- राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली (NMIS), प्रवासी कामगारों को राज्यों में सुचारू आवागमन की सुविधा प्रदान करने हेतु स्थापित एक **केंद्रीय ऑनलाइन कोष** है।
- यह **तीव्र अंतर-राज्य संचार / समन्वय स्थापित करने में सहयोग प्रदान करेगा।**

VISION IAS

- इसका एक अतिरिक्त लाभ यह होगा कि सम्पर्क में आने वालों का पता लगाने (कॉन्ट्रेक्ट ट्रेसिंग) हेतु भी किया जा सकेगा, जो कोविड-19 से निपटने के लिए की जा रही कार्रवाई में भी उपयोगी सिद्ध होगा।
- इसे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण **द्वारा विकसित** किया गया है

10.14. सुरक्षा स्टोर पहल (Suraksha Store Initiative)

- इसका शुभारंभ उपभोक्ता मामले विभाग (उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत) द्वारा किया गया है।
- यह किराना स्टोर पर उपभोक्ताओं और दुकान मालिकों के लिए एक सुरक्षित एवं सुनिश्चित परिवेश के सृजन हेतु प्रारंभ एक **सार्वजनिक निजी पहल** है।
- इस परियोजना का उद्देश्य देश भर में **किराना स्टोर मालिकों को उनके व्यवसायों के संचालन के दौरान** अनुपालन संबंधित आवश्यक **कोविड-19 सुरक्षा दिशा-निर्देशों और प्रोटोकॉल** के बारे जानकारी प्रदान करना है।
- ये प्रोटोकॉल भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण तथा गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित किए गए थे।

10.15. गोल प्रोग्राम {GOAL (Going Online As Leaders) Programme}

- **यह डिजिटल मोड द्वारा जनजातीय युवाओं को परामर्श** प्रदान करने हेतु **जनजातीय कार्य मंत्रालय के साथ फेसबुक इंडिया की एक संयुक्त पहल है।**
- यह कार्यक्रम वर्तमान चरण में **5,000 जनजातीय युवाओं को व्यवसाय करने, अन्वेषण और घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के साथ संपर्क करने के नए तरीके** सीखने की दिशा में **डिजिटल प्लेटफार्मों की पूर्ण क्षमता का लाभ प्राप्त करने तथा कौशल बढ़ाने एवं सशक्त करने हेतु लक्षित है।**

10.16. मणिपुर में खुडोल (गिफ्ट) इनिशिएटिव {Khudol (Gift) Initiative In Manipur}

- यह इंफाल-आधारित गैर सरकारी संगठन Ya_All का एक **क्राउडफंडेड इनिशिएटिव** है, जिसने **भारत की प्रथम ट्रांसजेंडर फुटबॉल टीम सृजित** की थी।
- यह LGBTQI + समुदाय, HIV संक्रमित व्यक्ति, दिहाड़ी मजदूरों, बच्चों और किशोरों के भोजन, स्वास्थ्य और स्वच्छता को सुनिश्चित करने पर बल देता है।
- **संयुक्त राष्ट्र महासचिव के युवा मामलों के दूत (United Nations Secretary-General's Envoy on Youth)** ने खुडोल को कोविड-19 महामारी के विरुद्ध एक समावेशी संघर्ष हेतु शीर्ष 10 वैश्विक पहलों में सूचीबद्ध किया है।

10.17. रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना (Defence Testing Infrastructure Scheme)

- हाल ही में, रक्षा मंत्री ने रक्षा और एयरोस्पेस विनिर्माण के लिए **परीक्षण अवसंरचना के सृजन** हेतु 400 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ डिफेंस टेस्टिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर स्कीम (DTIS) के शुभारंभ को स्वीकृति दी।
    - **रक्षा परीक्षण अवसंरचना की स्थापना**, आसान पहुंच प्रदान करने तथा घरेलू रक्षा उद्योग की परीक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने में सहयोग करेगा।
- **इसका उद्देश्य** सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) और स्टार्ट-अप की भागीदारी पर विशेष ध्यान केन्द्रित करने के साथ **स्वदेशी रक्षा उत्पादन को बढ़ावा** देना है।
    - स्वदेशी रक्षा उत्पादन के परिणामस्वरूप सैन्य उपकरणों के **आयात में कमी** आएगी तथा देश को आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलेगा।
- **इस योजना के तहत परियोजनाओं को अनुदान सहायता के रूप में 75% तक का वित्तपोषण सरकार द्वारा किया जाएगा**; शेष 25% लागत विशेष प्रयोजन वाहन (SPV) द्वारा वहन की जाएगी, जिसका घटक भारतीय निजी संस्थाएँ एवं राज्य सरकारें होंगी।
    - DTIs स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार की सहायता अनुदान-सहायता के रूप में प्राप्त होगी तथा **कुल 400 करोड़ रुपये** तक सीमित होगी।
    - विशेष प्रयोजन वाहन (SPV) को **केवल निजी संस्थाओं** (उद्योग, उद्योग संघ, अनुसंधान एवं विकास / शैक्षणिक संस्थान आदि) द्वारा गठित किया जाएगा तथा **कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत पंजीकृत** किया जाएगा।
- हथियार और गोला-बारूद के परीक्षण के लिए आवश्यक सांविधिक स्वीकृति प्राप्त करने हेतु SPV उत्तरदायी होगा।
    - इस योजना के तहत उपयोगकर्ता शुल्क संग्रहित करके सभी परिसंपत्तियों का स्व-संधारणीय तरीके से SPV द्वारा संचालित एवं रखरखाव किया जाएगा।
- अधिकांश परीक्षण सुविधाओं को दो रक्षा औद्योगिक गलियारों (DICs) नामतः तमिलनाडु तथा उत्तर प्रदेश में स्थापित किए जाने की संभावना है। यह योजना केवल DICs में परीक्षण सुविधाओं को स्थापित करने तक सीमित नहीं है।

VISION IAS

- DTIs दिशानिर्देश ड्रोन और मानवरहित हवाई वाहन (Unmanned Aerial Vehicles: UAV), रडार, इलेक्ट्रॉनिक्स / दूरसंचार उपकरण, रबर टेस्टिंग, नोईज एंड शॉक टेस्टिंग, स्पेशलाइज्ड ड्राइविंग ट्रैक, शीप मोशन टेस्टिंग, बैलिस्टिक और ब्लास्ट टेस्टिंग और पर्यावरण के लिए परीक्षण सुविधाओं की स्थापना को विनिर्दिष्ट करते हैं।

10.18. ऑपरेशन समुद्र सेतु {Operation Samudra Setu (Sea Bridge)}

- भारतीय नौसेना द्वारा विदेशों से भारतीय नागरिकों को वापस लाने हेतु राष्ट्रीय प्रयास के एक भाग के रूप में इसका शुभारंभ किया गया है।
- चरण-1 के भाग के रूप में, 8 मई 2020 से घोषित निकासी अभियान हेतु भारतीय नौसैनिक जहाज **'जलश्व' और 'मगर'** को वर्तमान में मालदीव के लिए रवाना किया गया है।

10.19. वंदे भारत मिशन (Vande Bharat Mission)

- यह कोविड-19 लॉकडाउन के कारण विदेशों में फंसे हुए भारतीय नागरिकों को घर लाने हेतु भारत का **वृहत्तम स्वदेश प्रत्यावर्तन अभियान** है।
- लोगों को एयर इंडिया के विमानों के द्वारा तथा भारतीय नौसेना द्वारा भी (श्रीलंका और मालदीव से) वापस लाया गया है।
- विश्व भर में फंसे डेढ़ लाख से अधिक भारतीयों को वापस लाया गया है।

10.20. अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के मध्य पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता में कमी (Earth's Magnetic Field Between Africa And South America Is Weakening)

- हाल ही में, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (European Space Agency: ESA) के वैज्ञानिकों द्वारा चेतावनी दी गई है कि अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के मध्य कुछ क्षेत्रों में पृथ्वी के भू-चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता में कमी आ रही है।
    - ESA ने भू-चुंबकीय क्षेत्र या सतही चुंबकीय क्षेत्र के इस परिवर्तन की परिघटना को **'दक्षिण अटलांटिक विसंगति (South Atlantic Anomaly)'** के रूप में संदर्भित किया है।
- दक्षिण अटलांटिक विसंगति का क्षेत्र समान भौगोलिक अक्षांश वाले क्षेत्रों की तुलना में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता में उल्लेखनीय कमी को दर्शाता है।
    - यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के उपग्रहों द्वारा एकत्रित किए गए आंकड़ों से यह ज्ञात हुआ है कि वर्ष 1970 और 2020 के मध्य इस विसंगति के क्षेत्र की प्रबलता में 8 प्रतिशत से अधिक की कमी आई है।
- हालांकि इसका कारण अभी भी स्पष्ट नहीं हो पाया है, उल्लेखनीय है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से परिवर्तन हो रहा है जिसका संभावित कारण पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों का उत्क्रमण हो सकता है।
    - यह उत्क्रमण 7.8 लाख वर्ष पूर्व हुआ था, वैज्ञानिकों का मानना है कि यह सामान्यतः दीर्घ अवधि के दौरान होने वाला परिवर्तन है। ये उत्क्रमण सामान्यतः 250,000 वर्षों के अंतराल पर होता है।
- यदि कोई उत्क्रमण होता है, तो इसके परिणाम महत्वपूर्ण हो सकते हैं तथा दूरसंचार और उपग्रह प्रणालियों के समक्ष चुनौती उत्पन्न कर सकते हैं। साथ ही कुछ मोबाइल फोन और उपग्रह के परिचालन को भी प्रभावित कर सकते हैं।
- पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र (जो धातु और तरल बाह्य कोर के कारण सतह से लगभग 3,000 किमी की गहराई में विधमान है) विद्युत धाराओं को उत्पन्न करता है, जो हमारे विद्युत चुम्बकीय क्षेत्रों को उत्पन्न और परिवर्तित करते हैं।
    - सतही चुंबकीय क्षेत्र (जो पृथ्वी से हज़ारों किलोमीटर दूर तक विस्तृत है) हमें कॉस्मिक विकिरणों से सुरक्षा प्रदान करने के साथ-साथ उपग्रहों और अंतरिक्ष यान के संचार में भी सहायता करता है।

10.21. पृथ्वी के चुम्बकीयमंडल क्षेत्र में स्थित विद्युत क्षेत्र संरचना के अध्ययन में सहायक नवीन सिमुलेशन कोड का विकास (New Simulation Code Helps Study Electric Field Structure In Earth's Magnetosphere)

- भारतीय भूचुम्बकत्व संस्थान (Indian Institute of Geomagnetism), **विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग** की एक स्वायत्त संस्था है। इस संस्थान के वैज्ञानिकों ने एक सिमुलेशन कोड विकसित किया है, जो **पृथ्वी के चुम्बकीयमंडल क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र संरचनाओं के व्यापक स्पेक्ट्रम का अध्ययन** करने में सक्षम है।
- यह **प्लाज्मा तरंगों के अध्ययन को बढ़ावा** देगा, जो भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों की योजना के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं।
- इससे निरंतर बढ़ती हुई मानवीय ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने की दृष्टि से **परिष्कृत व नियंत्रित संलयन प्रयोगशाला प्रयोगों को बढ़ावा** मिल सकता है। नियंत्रित संलयन विधि में ड्यूटेरियम एवं ट्राइटियम के उच्च तापमान वाले प्लाज़्मा को सीमित करने के लिए चुंबकीय क्षेत्रों का उपयोग किया जाता है।

पृथ्वी का चुम्बकीयमंडल (Earth's magnetosphere)

- पृथ्वी के आसपास का एक ऐसा क्षेत्र जहाँ अन्तर्ग्रहीय क्षेत्र के चुंबकीय क्षेत्र की तुलना में पृथ्वी का अपना प्रमुख चुंबकीय क्षेत्र होता है।
- ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और सौर पवनों [जो अपने साथ सौर चुंबकीय क्षेत्र लाती है, जिसे अन्तर्ग्रहीय चुंबकीय क्षेत्र या इंटरप्लेनेटरी मैग्नेटिक फील्ड (Interplanetary Magnetic Field: IMF) कहा जाता है। के मध्य होने वाली अंतःक्रिया से निर्मित होते हैं।

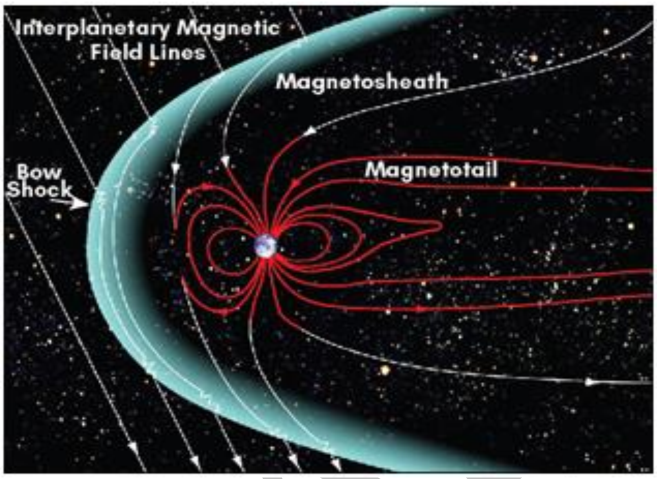

- पृथ्वी का चुम्बकीयमंडल प्लाज्मा आधारित होते हैं और प्लाज्मा प्रक्रियाओं में कई उपग्रहों (जिन्हें चुम्बकीयमंडल क्षेत्र के अंतर्गत शामिल कक्षाओं में स्थापित किया गया है) के संचालन को बाधित करने की क्षमता पायी जाती है।
  - प्लाज्मा एक गर्म आयनित गैस है जिसमें धनात्मक रूप से आवेशित आयनों और ऋणात्मक रूप से आवेशित इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगभग समान होती है। प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था होती है।
- ब्रह्मांड में लगभग 99 प्रतिशत पदार्थ प्लाज्मा के रूप में विद्यमान है।

10.22. शुक्र ग्रह का वायुमंडल स्वंय शुक्र ग्रह की तुलना में तीव्र गति से घूर्णन करता है (Venusian Atmosphere Rotates Faster than the Planet itself)

- शुक्र ग्रह को अपने अक्ष पर एक बार घूर्णन करने में 243 पृथ्वी दिवस का समय लगता है। शुक्र ग्रह के बहुत धीमी गति से घूर्णन करने के बावजूद इसका वायुमंडल अपने ग्रहीय घूर्णन की तुलना में पश्चिम की ओर 60 गुना तीव्र गति से घूर्णन करता है। हालाँकि, **सुपररोटेशन** नामक इस परिघटना की खोज सर्वप्रथम 1960 के दशक में की गई थी।
- शुक्र ग्रह का वायुमंडल सघन और सल्फ्यूरिक अम्ल से निर्मित बादलों से आच्छादित है। इसके वायुमंडल के कारण ही यह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह (hottest planet) है।
- सूर्य के कारण ग्रह का प्रकाश आच्छादित क्षेत्र गर्म हो जाता है, तथा प्रकाश अनाच्छादित क्षेत्र के तापमान के अंतर के कारण वायुमंडलीय ज्वार तरंगों का निर्माण होता हैं। ये तापीय ज्वार तरंगें (thermal tides) ग्रह के चारों ओर वायुमंडल को सकेंद्रित रखती हैं, जिससे यह तीव्र गति से घूर्णन करता है।

10.23. उत्तरदायी अंतरिक्ष अन्वेषण हेतु आर्टेमिस एकॉर्ड (Artemis Accords for Responsible Space Exploration)

- आर्टेमिस एकॉर्ड, आर्टेमिस कार्यक्रम पर सहयोग करने हेतु नासा और इसके अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों के मध्य द्विपक्षीय समझौतों की एक श्रृंखला है।
  - आर्टेमिस नासा का एक चंद्र मिशन है जिसके तहत नासा द्वारा वर्ष 2024 तक पहली महिला और अगले पुरुष को चंद्रमा पर भेजा जाएगा।
- इसे अनेक देशों और निजी क्षेत्र के अभिकर्ताओं को सिसलूनर स्पेस (पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य का स्थान) में मिशनों और ऑपरेशनों के संचालन के साथ-साथ नागरिक अन्वेषण और बाह्य अंतरिक्ष के उपयोग को नियंत्रित करने वाले साझा सिद्धांतों के समुच्चय का निर्माण करने हेतु स्थापित किया गया है।
- इस समझौते के तहत **विभिन्न मानदंडो** को शामिल किया गया है- जैसे पारदर्शिता, शांतिपूर्ण अन्वेषण, प्रणालियों की अंतर्संचालनीयता, अंतरिक्ष पिंडों का पंजीकरण, कक्षीय मलबे और अंतरिक्ष यान का निस्तारण आदि।
- ये समझौता **बाह्य अंतरिक्ष संधि, 1967 पर आधारित** है। इन्हें मानव द्वारा पहली बार किसी अन्वेषण को अंतिम रूप दिए जाने के समय निष्पक्षता एवं शांतिपूर्ण संबंधों को सुनिश्चित करने हेतु निर्मित किया गया था।
- फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा पहले ही इस सम्बन्ध में अपनी स्वीकृति प्रदान कर चुके हैं। जबकि भारत द्वारा अभी तक इस पर अपने पक्ष को स्पष्ट नहीं किया गया है।

VISION IAS

10.24. राष्ट्रीय बायोमेडिकल संसाधन स्वदेशीकरण कंसोर्टियम (National Biomedical Resource Indigenization Consortium: NBRIC)

- हाल ही में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन **जैव प्रौद्योगिकी विभाग** द्वारा **सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल** के तहत **राष्ट्रीय बायोमेडिकल संसाधन स्वदेशीकरण कंसोर्टियम (NBRIC)** का गठन किया गया है। इसका उद्देश्य कोविड-19 हेतु उपचार, वैक्सीन और चिकित्सा विज्ञान के लिए अभिकर्मकों और संसाधनों के विकास पर केंद्रित स्वदेशी नवाचार को बढ़ावा देना है।
- इसका आयोजन एवं नेतृत्व **सेलुलर एवं आण्विक प्लेटफॉर्म केंद्र (Centre for Cellular and Molecular Platforms)** द्वारा किया गया है।
- NBRIC का उद्देश्य समस्त भारत में अभिकर्मकों (reagents), उपचार, टीका (वैक्सीन) और चिकित्सा विज्ञान को विकसित करने की दिशा में अनुसंधान, उत्पाद संसाधनों और सेवाओं के अभिसरण हेतु एक राष्ट्रव्यापी सहयोगी मंच का निर्माण करना है।
- आयात प्रतिस्थापन और निर्यात को बढ़ावा देने के क्रम में बायोमेडिकल अनुसंधान और अभिनव उत्पादों हेतु NBRIC एक 'मेक इन इंडिया' पहल है।

उद्देश्य

- महत्वपूर्ण जैव-औषधि संसाधनों की आपूर्ति/निर्माणकारी उपयोगिता की पहचान करना।
- इनकी वर्तमान क्षमताओं, योग्यताओं और आवश्यकताओं का आकलन करना।
- एक सक्षमकारी परिवेश के सृजन तथा सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों से नीति निर्माताओं और अन्य हितधारकों को उपलब्ध कराकर ऐसे उद्यमों का समर्थन करना।
- जैव प्रौद्योगिकी विभाग, जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (Biotechnology Industry Research Assistance Council: BIRAC) तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग से विकास या स्केलिंग के लिए वित्तीय सहयोग हेतु समर्थन प्राप्त करना।

10.25. कार्ड परियोजना (Project Card)

- हाल ही में, **नीति आयोग और जैव प्रौद्योगिकी विभाग** द्वारा **कंसोर्टियम फॉर अफोर्डेबल एंड रैपिड डायग्नोस्टिक (CARD) परियोजना** का शुभारम्भ किया गया है।
- इसका उद्देश्य उपचार को बढ़ावा देने के साथ-साथ निर्यात को प्रोत्साहित करने हेतु भारत में कोविड-19 टेस्टिंग किट निर्माण क्षमता को अत्यधिक तीव्र करना है।
    - इस योजना के तहत लाखों परीक्षण किटों (जिसमें लगभग 10 मिलियन रैपिड एंटीबॉडी परीक्षण शामिल हैं, जिससे त्वरित परिणाम प्राप्त होता है) के उत्पादन हेतु वैज्ञानिकों और प्रयोगशालाओं को निजी फर्मों के साथ लाना है।
- इस परियोजना के तहत, **परीक्षण किटों के उत्पादन को तीव्र करने के लिए सभी बाधाओं का समाधान** किया जाएगा; बाजार के लिए किट तैयार करने हेतु नियामक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित एवं तीव्र किया जाएगा।
    - खरीद प्रक्रियाओं को सुगम बनाया जाएगा।
- इस परियोजना का शुभारंभ इसलिए किया गया है क्योंकि भारत **चीनी निर्मित एंटीबॉडी परीक्षण किट** (जिसका उपयोग रोग की निगरानी एवं इस रोग के प्रति लोगों के मध्य विकसित की गई प्रतिरोधक क्षमता का पता लगाने हेतु किया जाता है) **के साथ गुणवत्ता सम्बन्धी मुद्दों** का सामना कर रहा है।

10.26. गवर्नमेंट रिस्पॉन्स स्ट्रिंजेंसी इंडेक्स (Government Response Stringency Index)

- इसे **ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय** द्वारा विकसित किया गया है, जो यह दर्शाता है कि **लॉकडाउन को लागू करने में देशों द्वारा किस प्रकार के कठोर उपाय अपनाए गये थे** तथा **संक्रमण प्रसार के किस स्तर पर इसे लागू किया गया था।**
- यह स्कूल बंद होने, कार्यस्थल बंद होने तथा यात्रा प्रतिबंध सहित नौ अनुक्रियात्मक संकेतकों पर आधारित एक संयुक्त मापन (composite measure) है, जो 0 से 100 (100 = सबसे कठोर अनुक्रिया) तक के मान पर आधारित है।

- इसके अनुसार, भारत में लागू किया गया लॉकडाउन **विश्व के सबसे सशक्त लॉकडाउन प्रयासों में से एक** था। भारत द्वारा इसे कोरोनावायरस के मामलों और मृत्यु के आंकड़ों को सीमित करने के आधार पर पहले से ही कठोर लॉकडाउन कहा गया था।

10.27. COBAS 6800 टेस्टिंग मशीन (COBAS 6800 Testing Machine)

- यह कोविड-19 का वास्तविक समय आधारित **पॉलिमरेज़ चेन रिएक्शन (PCR) परीक्षण** करने हेतु एक पूर्णतः स्वचालित, अत्याधुनिक (high end) मशीन है।
- यह मशीन संदूषण की संभावना के साथ-साथ संक्रमण के जोखिम को कम करती है क्योंकि इसे **सीमित मानव हस्तक्षेपों द्वारा दूरस्थ रूप से संचालित** किया जा सकता है।
- COBAS 6800 वायरल हेपेटाइटिस B & C, HIV, MTb (दोनों रिफाम्पिसिन और आइसोनियाज़ाइड रेसिस्टेंस), पैपिलोमा, क्लैमाइडिया, नीसेरेसिया आदि जैसे अन्य रोगजनकों का भी पता लगाने में सक्षम है।

10.28. ऑपरेशन वार्प स्पीड (Operation Warp Speed)

- यह एक सार्वजनिक-निजी भागीदारी है, जिसे कोविड-19 वैक्सीन, चिकित्सीय एवं निदान के विकास को सुविधाजनक बनाने और बढ़ावा देने हेतु अमेरिका द्वारा प्रारम्भ किया गया है।
- इसके तहत वर्तमान में 14 वैक्सीन कैंडिडेट्स पर ध्यान केंद्रित किया गया है जिन्हें 100 से अधिक की प्रारंभिक सूची में से सर्वाधिक सक्षम (most promising) के रूप में चिन्हित किया गया था।

10.29. अफ्रीकीन स्वाइन फीवर (African Swine Fever: ASF)

- ASF के कारण असम में 2900 से अधिक सूअरों की मृत्यु हो गई है।
- यह घरेलू और जंगली सूअरों में **एसफैरविरिडे फैमली के DNA वायरस** द्वारा उत्पन्न होने वाला एक **अत्यधिक संक्रामक रक्तस्रावी वायरल रोग (haemorrhagic viral disease) है।**
- **संचरण एवं प्रसार:** संक्रमित सूअरों के साथ प्रत्यक्ष संपर्क में आने पर; अप्रत्यक्ष संपर्क; यथा दूषित सामग्री के अंतर्ग्रहण के माध्यम से; जैविक कारकों (soft ticks) द्वारा।
- इसकी खोज सर्वप्रथम वर्ष 1921 में केन्या में की गई थी और भारत में इससे पूर्व कभी भी इस रोग से संबंधित मामलों को दर्ज नहीं किया गया था।
- ASF के विरुद्ध कोई भी अनुमोदित टीका उपलब्ध नहीं है। **ASF मानव स्वास्थ्य को प्रभावित नहीं करता हैं।**

10.30. भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) द्वारा पाई का शुभारंभ {National Payment Corporation of India (NPCI) Launches PAI}

- **पाई (Pai) कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) पर आधारित एक चैटबॉट है।** इस चैटबॉट को वास्तविक समय के आधार पर FASTag, RuPay, UPI, AePS जैसे NPCI के उत्पादों के सन्दर्भ में जागरूकता सृजन करने हेतु शुरू किया गया है।
    - इसे बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप **CoRover प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित** किया गया है।
- NPCI, भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संचालन हेतु एक अम्ब्रेला संगठन है।
    - यह भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के तहत **RBI और भारतीय बैंक संघ (IBA)** की एक पहल है।

10.31. नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल {National Artificial Intelligence Portal (WWW.AI.GOV.IN)}

- यह पोर्टल भारत में **AI से संबंधित विकास के लिए वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म** के रूप में कार्य करेगा। साथ ही, भारत में AI से संबंधित सामग्री (articles), स्टार्ट-अप, AI में निवेश हेतु फंडों, संसाधनों, कंपनियों और शैक्षिक संस्थानों जैसे संसाधनों के साझाकरण को बढ़ावा देगा।

VISION IAS

- इस पोर्टल का संचालन **इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeITY) के राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन (NeGD) और नैसकॉम** द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा।

10.32. EVENTBOT मोबाइल बैंकिंग ट्रोजन (Eventbot Mobile Banking Trojan)

- हाल ही में, **भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (CERT-In)** द्वारा **EventBot नामक एक ट्रोजन के प्रति** लोगों को एक परामर्शदात्री चेतावनी (advisory warning) जारी की गई है।
- EventBot एक मोबाइल बैंकिंग ट्रोजन है, जो कि विशेष रूप से इससे प्रभावित व्यक्तियों के फोन पर वित्तीय ऐप और वित्तीय डेटा को लक्षित कर गैर-कानूनी तरीके से सूचनाओं का संग्रहण करता है।
    - ट्रोजन हॉर्स या ट्रोजन एक प्रकार का मालवेयर है जिसकी पहचान को प्रायः वैध सॉफ़्टवेयर के रूप में गुप्त (disguised) रखा जाता है।

10.33. गरुड़ पोर्टल (राहत कार्यों के लिए ड्रोन उपयोग हेतु सरकारी स्वीकृति) {GARUD (Government Authorisation For Relief Using Drones) Portal}

- इसे नागर विमानन महानिदेशालय (**Directorate General of Civil Aviation:** DGCA) द्वारा कोविड-19 से संबंधित कामकाजों में ड्रोन संचालनों के लिए **सरकारी एजेंसियों को फास्ट ट्रैक सशर्त छूट प्रदान** करने हेतु लॉन्च किया गया था।
- DGCA, नागर विमानन मंत्रालय के अधीन नागर विमानन क्षेत्र हेतु एक नियामक निकाय है, जो कि मुख्यतः सुरक्षा संबंधी मामलों की देखरेख करती है।

10.34. RHT14 और RHT18 (RHT14 and RHT18)

- ये गेहूं में पाए जाने वाले **दो वैकल्पिक बौने जीन** हैं, जो बेहतर अंकुरण क्षमता एवं लंबे कोलियोपटाइल (नए कोंपल के शीर्ष की रक्षा करने वाला आवरण) के साथ जुड़े होते हैं।
- फसल अवशेष जलाने में कमी के अतिरिक्त इन बौनी प्रजातियों वाले गेहूं की किस्में शुष्क वातावरणों में मृदा में अवशेष आर्द्रता का लाभ प्राप्त करने के लिए गेहूं के बीजों की गहन बुवाई में भी सहायक हो सकती हैं।
- इन्हें **विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग** के एक स्वायत्त संस्थान **आघारकर अनुसंधान संस्थान** द्वारा विकसित किया गया है।

10.35. त्रिशूर पूरम (Thrissur Poorama)

- हाल ही में, कोरोना महामारी के कारण त्रिशूर पूरम को **भव्य समारोह के बिना ही आयोजित** किया गया था।
- त्रिशूर पूरम **केरल** के **सबसे बड़े मंदिर उत्सवों में से एक** है तथा यह परंपरा प्राचीन समय से (200 वर्ष से अधिक) चली आ रही है।
- यह फसल कटाई के उपरांत मनाया जाने वाला त्योहार है। यह त्यौहार त्रिशूर में **मलयाली महीने 'मेडम' (अप्रैल/मई) में आयोजित** किया जाता है।
- इस समारोह की शुरुआत कोच्चि के पूर्व शासक **सक्थान थामपुरन** द्वारा की गई थी।
- इस त्यौहार संबंधी कार्यक्रम त्रिशूर में स्थित **वडकुनाथन मंदिर** में आयोजित किए जाते हैं।

10.36. फ्लोरेंस नाइटिंगेल (Florence Nightingale)

- हाल ही में, 12 मई को आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की 200वीं जयंती मनाई गई है।
- फ्लोरेंस नाइटिंगेल (1820-1910) को **"द लेडी विद द लैंप"** के नाम से भी जाना जाता है, जो एक ब्रिटिश नर्स, समाज सुधारक और सांख्यिकीविद थीं जिन्हें **आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक** के रूप में जाना जाता है।
- इनके द्वारा वर्ष 1860 में लंदन के सेंट थॉमस हॉस्पिटल में **'नाइटिंगेल ट्रेनिंग स्कूल फॉर नर्सेज'** की स्थापना की गई थी।
- इन्हें **संक्रमण नियंत्रण से स्वास्थ्य परिणामों में सुधार** को दर्शाने वाले **डेटा का उपयोग करने वाली प्रथम स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर** होने का श्रेय भी प्राप्त है।
    - अपने करियर के दौरान इन्होंने हाथ धोने के व्यवहार पर बल दिया जो वर्तमान में भी उतना ही प्रासंगिक है।

- वर्कहाउस इनफ़र्मरी में मिडवाइफ और नर्सों के लिए प्रशिक्षण स्थापित करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। वह **ऑर्डर ऑफ मेरिट (1907) से सम्मानित** होने वाली प्रथम महिला थीं।
- इनके जन्म के उपलक्ष्य में और स्वास्थ्य देखभाल में नर्सों की महत्वपूर्ण भूमिका के उपलक्ष में प्रतिवर्ष **12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस** मनाया जाता है।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म की 200वीं वर्षगांठ के सम्मान में 2020 को **"नर्स और मिडवाइफ के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष"** के रूप में घोषित किया है।

10.37. ईरान की नई करेंसी (Iran's New Currency)

- ईरान की संसद ने अपनी वर्तमान मौद्रिक इकाई **'रियाल'** को लोकप्रिय **'तोमान'** में परिवर्तित करने के लिए एक विधेयक पारित किया है।
- नई प्रणाली के तहत प्रत्येक तोमान का मूल्य 10,000 रियाल के समतुल्य होगा।

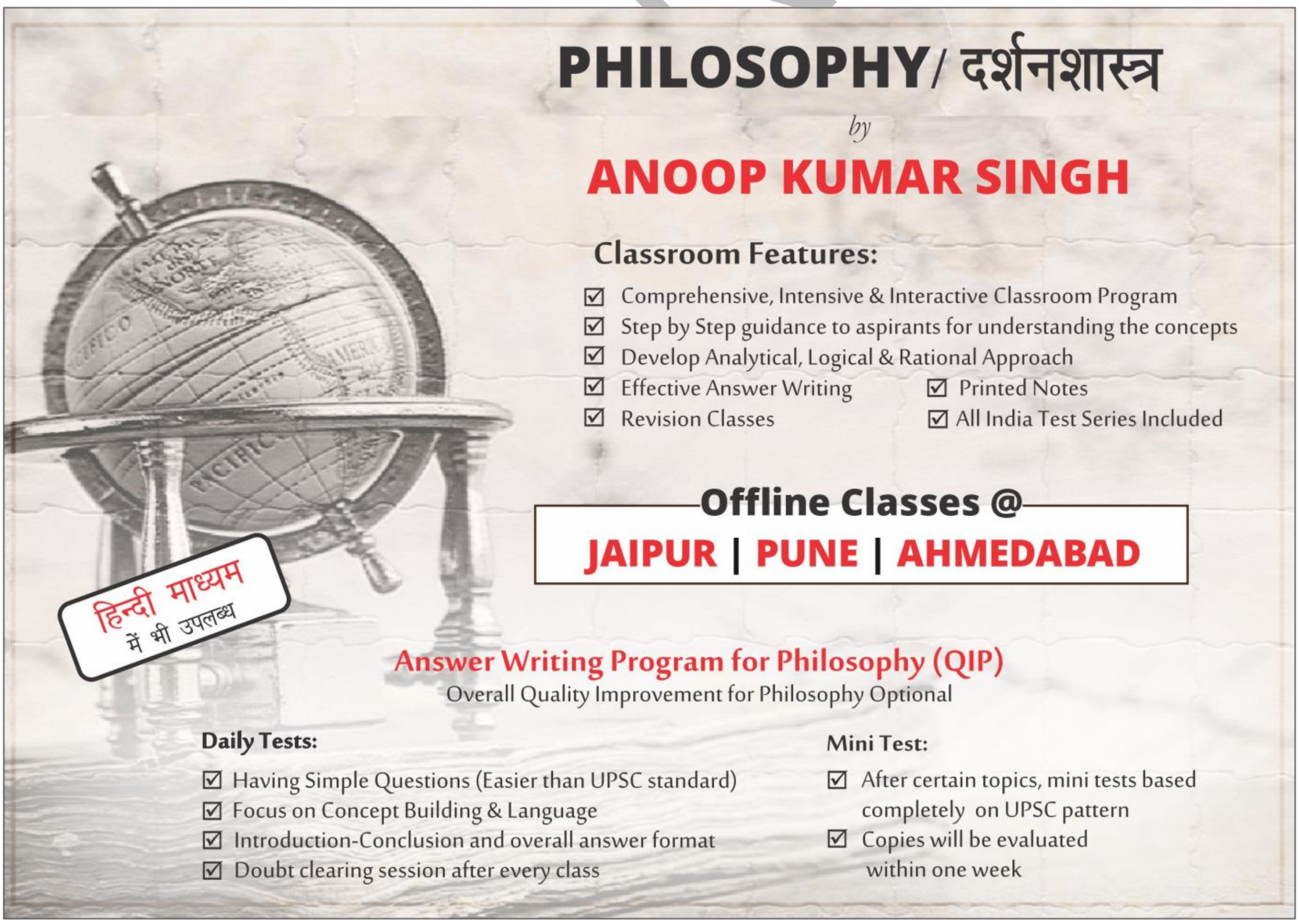

11. सुर्ख़ियों में रही सरकारी योजनाएँ (Government Schemes in News)

11.1. अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, अटल पेंशन योजना (APY) ने सफलतापूर्वक अपने 5 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं।

उद्देश्य	विशेषताएं

• विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था आय सुरक्षा प्रदान करना।
• भारत में तेजी से बढ़ती वृद्धजनों की जनसंख्या से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करना।
	• **APY हेतु पात्रता:** बैंक खाता रखने वाला 18-40 वर्ष की आयु का कोई भी **भारतीय नागरिक APY के अंतर्गत अभिदाता** बन सकता है।
	  ○ APY के तहत किसी भी अभिदाता द्वारा अभिदाय की न्यूनतम अवधि 20 वर्ष अथवा उससे अधिक होगी।
	• **गारंटीशुदा पेंशन:** APY के तहत अभिदाताओं को **60 वर्ष की आयु प्राप्त** करने के उपरांत, उनके अभिदाय के आधार पर **प्रति माह 1,000 रुपये से 5,000 रुपये** तक की निश्चित न्यूनतम पेंशन प्राप्त होगी।
	  ○ अभिदाता की मृत्यु की स्थिति में उसका जीवन साथी जीवनपर्यंत समान राशि की पेंशन प्राप्त करने के लिए अधिकृत होगा/होगी। अभिदाता और उसके जीवन साथी, दोनों की मृत्यु के उपरांत संचित संपूर्ण राशि (जो 60 वर्ष की आयु तक जमा हो गयी थी) अभिदाता द्वारा नामित व्यक्ति के सुपुर्द कर दी जाएगी।
	• **सरकारी अंशदान:** केंद्र सरकार, 31 दिसंबर, 2015 की अवधि से पूर्व राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) से जुड़ने वाले प्रत्येक पात्र अभिदाता के पेंशन खाते में पांच वर्षों की अवधि (वर्ष 2015-16 से 2019-20) हेतु अभिदाता के अभिदाय के **50% तक या प्रतिवर्ष 1000 रुपये (जो भी कम हो) तक का सह-अंशदान करेगी।**
	  ○ लाभार्थी को न ही किसी सांविधिक सामाजिक सुरक्षा योजना का सदस्य तथा न ही करदाता होना चाहिए
	• इसे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (National Pension System: NPS) संस्थागत संरचना के माध्यम से **पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (Pension Fund Regulatory Authority: PFRDA)** द्वारा प्रशासित किया जा रहा है।
	• **कर लाभ:** APY अभिदाता अपने स्वयं के अभिदाय के साथ-साथ अपने नियोक्ता के अंशदान पर भी कर लाभ प्राप्त करेंगे।

11.2. प्रधान मंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम (Prime Minister's Employment Generation Programme: PMEGP)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME)** ने ज़िलाधीशों की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय टास्क फोर्स कमेटी (District Level Task Force Committee: DLTFC) की भूमिका को समाप्त करने का निर्णय लिया है, ताकि प्रधान मंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम (Prime Minister's Employment Generation Programme: PMEGP) के तहत उद्यमों को निधि प्रदान करने में सहायता के लिए प्रक्रियाओं को सुगम बनाया जा सके।

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	प्रमुख विशेषताएँ
• देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सतत व स्थायी **रोज़गार के अवसर सृजित करना।** • सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से देश में पारंपरिक और भावी	• 18 वर्ष से अधिक की आयु का कोई भी व्यक्ति। • विनिर्माण क्षेत्र में 10 लाख रुपये और सेवा क्षेत्र में 5 लाख रुपये से अधिक लागत की परियोजनाओं हेतु न्यूनतम	• राष्ट्रीय स्तर पर इस योजना को **खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (Khadi and Village Industries Commission: KVIC)** द्वारा कार्यान्वित किया गया है। राज्य स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में राज्य KVIC निदेशालय, राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड (KVIB) व जिला उद्योग केंद्रों (DICs) तथा शहरी क्षेत्रों में केवल DICs के माध्यम से KVIC / KVIB / DICs के मध्य क्रमशः

कारीगरों तथा ग्रामीण एवं शहरी बेरोजगार युवाओं के एक बड़े हिस्से को सतत व स्थायी रोज़गार प्रदान करना। • सूक्ष्म उद्यमों में उच्च ऋण प्रवाह को बढ़ावा देने हेतु **वित्तीय संस्थानों की भागीदारी** को सुविधाजनक बनाना।	शैक्षिक योग्यता **आठवीं कक्षा उत्तीर्ण** होना आवश्यक है। • मौजूदा इकाइयां (भारत सरकार या राज्य सरकार की किसी भी योजना के तहत) या ऐसी इकाइयां, जिन्होंने पहले से ही राज्य/केंद्रीय सरकार के अधीन सहायता या सब्सिडी के रूप में किसी भी प्रकार का लाभ प्राप्त किया है, **इसके तहत पात्र नहीं हैं।** • **सोसायटीज़ पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत** संस्थान। • उत्पादन आधारित सहकारी समितियां। • स्वयं सहायता समूह (SHG) और धर्मार्थ न्यास।	30:30:40 के अनुपात में कार्यान्वित किया जाता है। • इस परियोजना के लिए प्रदान की जाने वाली सब्सिडी **ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य श्रेणी के लिए 25% और विशेष श्रेणी के लिए 35% तथा शहरी क्षेत्रों में सामान्य श्रेणी के लिए 15% व विशेष श्रेणी के लिए 25% स्वीकृत** की गई है। • बैंक द्वारा लाभार्थियों की सामान्य श्रेणी के मामले में परियोजना की लागत का 90% और विशेष श्रेणी की स्थिति में 95% वित्तीयन उपलब्ध करवाया जाएगा। • **इसमें न तो संपार्श्विक (collateral) और न ही किसी तृतीय पक्ष की गारंटी को वरीयता दी गई है।** बैंक ऋण से निर्मित कोई भी परिसंपत्ति अनुमानतः बैंक के अधीन दृष्टिबंधक होगी। • इस योजना के अंतर्गत सरकारी सब्सिडी को KVIC द्वारा चिन्हित बैंकों के माध्यम से लाभार्थियों/उद्यमियों के बैंक खातों में वितरित किया जाता है। • **उन गतिविधियों की नकारात्मक सूची, जो इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त नहीं कर सकती हैं,** उनमें शामिल हैं: कृषि, रेशमकीट पालन (सेरीकल्चर), बाग़वानी, फूलों की खेती, ग्रामीण परिवहन, पॉलिथीन कैरी बैग का निर्माण आदि से संबंधित उद्योग।

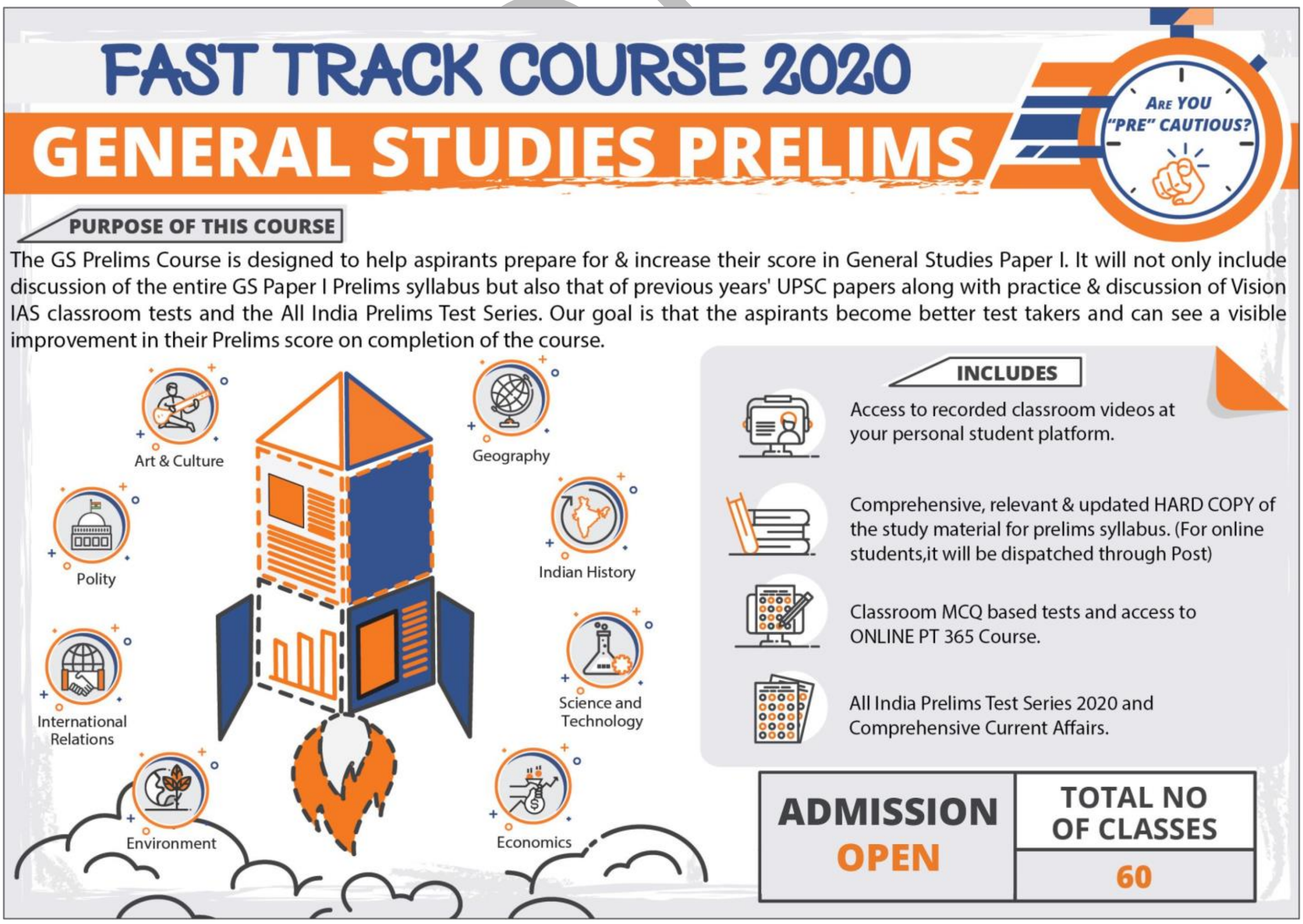

12. परिशिष्ट : आत्मनिर्भर भारत (Appendix: Atmanirbhar Bharat)

पृष्ठभूमि

आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा से पूर्व, केंद्र सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था के प्रवाह को बनाए रखने हेतु कई उपाय किए गए थे, जैसे- प्रधान मंत्री गरीब कल्याण पैकेज का आवंटन। साथ ही, RBI ने भी तरलता की स्थिति को सुगम बनाने हेतु अनेक उपाय किए थे। RBI और सरकार दोनों द्वारा किए गए उपायों के तहत 20 लाख करोड़ रूपये का पैकेज प्रदान किया गया है।

{नोट: PMGKY और RBI के उपायों की विस्तृत जानकारी के लिए, कृपया VISION IAS की मार्च और अप्रैल समसामयिकी का संदर्भ लीजिए।}

आत्मनिर्भर भारत के भाग के रूप में घोषित किए गए **विभिन्न क्षेत्रवार उपायों** का निम्नलिखित खंडों के तहत वर्णन किया गया है।

12.1. आवंटित योजनाओं के अंतर्गत स्वास्थ्य और शिक्षा हेतु अपनाए गए उपाय (Measures taken for Health and Education in the package)

विवरण

स्वास्थ्य और शिक्षा मानव विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अत: इस संदर्भ में, हानि को कम करने हेतु योजनाओं के आवंटन के तहत विभिन्न उपाय किए गए हैं तथा क्षमता निर्माण के लिए भी प्रयास किए गए हैं।

स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए निम्नलिखित सुधारों और सहायक उपायों की घोषणा की गई है:

कोविड-19 (COVID-19) की रोकथाम हेतु अब तक उठाए गए कदम

- भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों और संघ शासित प्रदेशों के लिए कोविड-19 आपात प्रतिक्रिया तथा स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज हेतु 15,000 करोड़ रुपये के निवेश को स्वीकृति प्रदान की गई है। इस धनराशि का उपयोग कोविड-19 अस्पतालों के विकास, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों की खरीद, प्रयोगशालाओं की स्थापना, कोविड-19 रोगियों के लिए आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति, दवाओं और उपभोग्य सामग्रियों की खरीद आदि हेतु किया जाएगा।
- **सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ प्राप्त करना:** ई-संजीवनी टेली परामर्शी सेवाओं की शुरुआत करना, वर्चुअल लर्निंग मॉड्यूल, जैसे- iGOT (इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग) प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्षमता निर्माण पर बल देना तथा स्व-मूल्यांकन और कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग हेतु आरोग्य सेतु ऐप के प्रयोग को बढ़ावा देना ।
- स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को लोगों के उत्पीड़न से संरक्षण प्रदान करने हेतु महामारी रोग अधिनियम में संशोधन किया गया है।
  - संशोधन के अनुसार, स्वास्थ्य कर्मियों के विरुद्ध हिंसा को संज्ञेय और गैर-ज़मानती अपराध (अपराध करने वाले को 7 वर्ष तक का कारावास हो सकता है) घोषित किया गया है। इसके अतिरिक्त, इसमें स्वास्थ्य सेवा कर्मियों को आहत करने या संपत्ति की क्षति या हानि के लिए क्षतिपूर्ति प्रदान करने का भी प्रावधान किया गया है।
- व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (**Personal Protective Equipment:** PPE) के लिए पर्याप्त प्रावधान सुनिश्चित करना।
  - सरकारी आंकड़ों के अनुसार PPE के घरेलू विनिर्माताओं की संख्या शून्य से बढ़कर 300 से अधिक हो गई है एवं उनके द्वारा 51 लाख PPEs, 87 लाख N95 मास्क और 11.08 करोड़ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन (Hydroxychloroquine: HCQ) टैबलेट्स की आपूर्ति की जा चुकी है।

इस पैकेज में घोषित अन्य पहल:

- **सार्वजनिक स्वास्थ्य के निवेश में वृद्धि:** ज़मीनी स्वास्थ्य संस्थानों में निवेश करके स्वास्थ्य पर सार्वजनिक व्यय को बढ़ाया जाएगा। उदाहरण के लिए, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में स्वास्थ्य तथा कल्याण केंद्रों में निवेश को तीव्र करना।
- किसी भी भावी महामारी के विरुद्ध भारत को तैयार करना:
  - देश के सभी जिलों में संक्रामक रोगों के लिए हॉस्पिटल ब्लॉक स्थापित किए जाएंगे।
  - महामारियों से निपटने हेतु ब्लॉक स्तर पर प्रयोगशालाओं और जन स्वास्थ्य इकाइयों सहित सभी जिलों में एकीकृत जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं द्वारा प्रयोगशाला नेटवर्क एवं निगरानी को सुदृढ़ किया जाएगा।
  - भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) द्वारा वन हेल्थ के लिए राष्ट्रीय संस्थागत प्लेटफॉर्म (National Institutional Platform for One health) जैसी परियोजनाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है।
  - राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के तहत राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य रूपरेखा (National Digital Health Blueprint: NDHB) का कार्यान्वयन।

VISION IAS

शिक्षा प्रणाली के लिए घोषित सुधार और सहायक उपाय

कोविड-19 के दौरान ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली का संचालन
• ऐसे लोग जिनकी इंटरनेट तक पहुँच उपलब्ध नहीं हैं, उन्हें सहायता और पहुंच प्रदान करने हेतु **12 नए स्वयं प्रभा** (SWAYAM PRABHA) DTH चैनल उपलब्ध (स्कूली शिक्षा के लिए पहले से ही निर्धारित 3 चैनलों के अतिरिक्त) कराए जाएंगे।
• सरकार ने छात्रों तक पहुंच बढ़ाने हेतु शैक्षिक वीडियो सामग्री को प्रसारित करने के लिए निजी DTH ऑपरेटरों जैसे- टाटा स्काई, एयरटेल आदि के साथ भी समझौता किया है।
• **दीक्षा (DIKSHA) प्लेटफॉर्म** का 24 मार्च से अब तक 61 करोड़ से अधिक छात्रों, शिक्षकों व अभिभावकों द्वारा प्रयोग किया गया है।
  ○ दीक्षा की परिकल्पना, शिक्षकों के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल अवसंरचना के रूप में की गई है। दीक्षा पोर्टल शिक्षकों को स्वयं सीखने और प्रशिक्षित करने में सहायता प्रदान करता है। यह शिक्षकों को प्रशिक्षण सामग्री, प्रोफाइल, इन-क्लास संसाधन, मूल्यांकन सहायता, समाचार और घोषणाएं प्रदान करने तथा शिक्षक समुदाय के साथ जुड़ने में मदद करता है।
• **ई-पाठशाला** में 200 नई पाठ्यपुस्तकों को शामिल किया गया है।
  ○ ई-पाठशाला NCERT द्वारा विकसित एक पोर्टल/ऐप है। इस पोर्टल पर शिक्षकों, छात्रों, अभिभावकों, शोधकर्ताओं और शिक्षाविशारदों (educators) के लिए पाठ्यपुस्तकों, ऑडियो, वीडियो, पत्रिकाओं तथा अन्य मुद्रित और गैर-मुद्रित विविध सामग्री सहित शैक्षिक संसाधनों को उपलब्ध कराया गया है।

समता आधारित प्रौद्योगिकी संचालित शिक्षा के लिए भावी योजना
• **PM ई-विद्या:** डिजिटल/ऑनलाइन शिक्षा हेतु बहु-माध्यम पहुंच के लिए एक कार्यक्रम आरम्भ किया जाएगा। इसके तहत निम्नलिखित घटक शामिल होंगे:
  ○ **राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में विद्यालयी शिक्षा हेतु दीक्षा पोर्टल:** सभी ग्रेड (कक्षाओं) के लिए (एक राष्ट्र, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के विचार को सक्षम बनाने हेतु) डिजिटल कंटेंट और QR कोड युक्त क्रियाशील पाठ्यपुस्तकें प्रदान की जाएंगी।
  ○ एक कक्षा, एक चैनल पहल के तहत पहली से 12वीं कक्षा तक के लिए प्रति कक्षा एक टी.वी. चैनल निश्चित किया गया है।
  ○ रेडियो, सामुदायिक रेडियो और पॉडकास्ट जैसे उपकरणों के व्यापक उपयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है।
  ○ दृष्टिबाधित और श्रवण बाधित छात्रों के लिए विशेष ई-कंटेंट सृजित किया जा रहा है।
  ○ देश के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों को 30 मई 2020 तक स्वचालित रूप से ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान करना।
• **मनोदर्पण:** यह मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक कल्याण हेतु छात्रों, शिक्षकों एवं परिवारों को मनोवैज्ञानिक-सामाजिक समर्थन प्रदान करने के लिए प्रारंभ की गई एक पहल है।
• स्कूल, प्रारंभिक बाल्यावस्था और शिक्षकों के लिए नया राष्ट्रीय पाठ्यक्रम तथा शैक्षणिक ढांचा भी शुरू किया जाएगा, जो शैक्षिक मानकों को वैश्विक और 21वीं सदी की कौशल आवश्यकताओं के साथ एकीकृत करेगा।
• वर्ष 2025 तक प्रत्येक बालक, कक्षा 5 में सीखने का स्तर और बेहतर परिणाम प्राप्त कर सके इस उद्देश्य को सुनिश्चित करने हेतु **राष्ट्रीय बुनियादी साक्षरता और गणना मिशन (National Foundational Literacy and Numeracy Mission)** को दिसंबर 2020 तक आरम्भ किया जाएगा।

12.2. प्रवासियों और शहरी निर्धनों हेतु किए गए उपाय (Measures announced for Migrants and Urban Poor)

विवरण

आर्थिक पैकेज के तहत सामान्य रूप से निर्धनों और विशेष रूप से प्रवासियों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं के निवारण का प्रयास किया गया है। इसे क्रेडिट लाइन्स, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण जैसे उपायों के माध्यम से क्रियान्वयित किया जाएगा। इसके अंतर्गत की जाने वाली प्रमुख घोषणाएँ निम्नानुसार हैं-

एक राष्ट्र एक राशन कार्ड पहल	• इसका उद्देश्य, प्रवासियों को एक ही राशन कार्ड का उपयोग करके भारत में किसी भी उचित मूल्य की दुकान से सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Public Distribution System: PDS) के तहत राशन खरीदने में सक्षम बनाने हेतु प्रौद्योगिकी तंत्र का निर्माण करना है।

VISION IAS

	• इस योजना से संबंधित अन्य तथ्य: ○ यह योजना प्रधानमंत्री के तकनीक आधारित व्यवस्थागत सुधारों का एक भाग है। ○ राशन कार्डों की पोर्टेबिलिटी की पायलट योजना का 23 राज्यों तक विस्तार किया जाएगा। इससे अगस्त, 2020 तक राशन कार्डों की राष्ट्रीय स्तर पर पोर्टेबिलिटी के द्वारा 67 करोड़ लाभार्थियों अर्थात 83 प्रतिशत PDS आबादी को इसके दायरे के अंतर्गत लाया जाएगा। राज्यान्तर्गत पोर्टेबिलिटी 20 राज्यों में पहले ही प्रारंभ की जा चुकी है। ○ इस योजना के अनुसार, सभी राज्यों/ संघ शासित प्रदेशों द्वारा फेयर प्राइस शॉप ऑटोमेशन (100% राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी) के लक्ष्य को मार्च, 2021 तक पूर्ण कर लिया जाएगा।
वहनीय किराए के आवासीय परिसर (Affordable Rental Housing Complexes: ARHC)	• इसे शहरों में सरकार द्वारा वित्त पोषित आवासों को रियायती माध्यम से **सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) प्रणाली** के तहत सस्ते किराए के आवासीय परिसरों (ARHC) में परिवर्तित कर **प्रधान मंत्री आवास योजना (PMAY)** के तहत प्रारंभ किया जाएगा। • यह प्रवासी श्रमिकों और शहरी निर्धनों को इन सरकारी परिसरों में उचित किराए का भुगतान कर, शहरों में रहने की सुविधा प्रदान करेगा। • इसके लिए, सरकार ARHC के विकास और संचालन के लिए विनिर्माण इकाइयों, उद्योगों, संस्थान संघों तथा केंद्र एवं राज्य सरकार की एजेंसियों को प्रोत्साहित करेगी।
रेहड़ी-पटरी वालों (स्ट्रीट वेंडर्स) के लिए विशेष लघु-ऋण (माइक्रो-क्रेडिट) सुविधा योजना (आवंटन: 5,000 करोड़ रूपये)	• इस योजना का उद्देश्य कोविड-19 के कारण स्ट्रीट वेंडर्स की आजीविका पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव की जांच करना तथा उनके लिए औपचारिक ऋण की सुगम पहुँच की सुविधा प्रदान करना है। • इस योजना के तहत लगभग 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स लाभान्वित होंगे। • इस योजना के तहत प्रत्येक आजीविका स्थापन हेतु 10,000 रुपये की प्रारंभिक कार्यशील पूंजी के बैंक ऋण की सुविधा प्रदान की जाएगी और मौद्रिक पुरस्कारों के माध्यम से ऋणों के डिजिटल भुगतानों के उपयोग तथा समय पर पुनर्भुगतान को प्रोत्साहित किया जाएगा।
प्रवासियों को 2 माह के लिए निःशुल्क खाद्यान्न आपूर्ति	• इसका उद्देश्य मौजूदा योजनाओं, जैसे- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) या राज्य योजनाओं के दायरे में नहीं आने वाले **प्रवासियों को खाद्यान्न सहायता (प्रति माह प्रति कामगार 5 किलोग्राम की दर से खाद्यान्न और प्रति परिवार 1 किलोग्राम चना) प्रदान करना है।** • इस योजना से लगभग 8 करोड़ प्रवासियों को लाभ प्राप्त होने की संभावना है।
स्व-सहायता समूहों (SHGs) से संबंधित उपाय	• **12,000 SHGs द्वारा 3 करोड़ मास्क** और 1.20 लाख लीटर सैनिटाइज़र का उत्पादन किया गया है। इससे शहरी निर्धनों को रोज़गार का वैकल्पिक अवसर प्राप्त हुआ है। • SHGs के लिए **परिक्रामी निधि (Revolving Fund: RF) के संवितरण** का शुभारम्भ गुजरात में प्रायोगिक आधार पर पैसा (PAiSA) पोर्टल पर किया गया था और अब इसे सभी राज्यों में लागू किया जा रहा है। ○ **वहनीय ऋण और ब्याज अनुदान पहुंच हेतु पैसा पोर्टल (Affordable credit and Interest Subvention Access: PAiSA):** यह दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत लाभार्थियों को वहनीय ऋण और ब्याज अनुदान पहुंच अथवा बैंक ऋण पर ब्याज परिदान को संसाधित करने हेतु एक केंद्रीकृत इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है। • कोरोना प्रकोप के पश्चात् से **शहरी निर्धनों के 7,200 नए स्वयं सहायता समूहों का निर्माण किया गया है।**
मनरेगा (MGNREGA) के लिए	• इस योजना के तहत, देश के ग्रामीण भागों में रोज़गार सृजन के लिए **अतिरिक्त 40 हजार करोड़**

VISION IAS

आवंटन में वृद्धि	**रुपये आवंटित किए जाएंगे**, जिससे प्रवासी श्रमिकों को राहत प्रदान करने हेतु लगभग 300 करोड़ मानव दिवसों के रोज़गार के सृजन में सहायता प्राप्त होगी। • इससे जल संरक्षण आस्तियों सहित व्यापक संख्या में टिकाऊ और आजीविका परिसंपत्तियों का निर्माण भी हो सकता है, जिससे अप्रत्यक्ष रूप से ग्रामीण अर्थव्यवस्था का संवर्धन होगा। • **अपने मूल आवासों पर वापस लौट रहे प्रवासियों के लिए मनरेगा आधारित सहायता प्रावधान (व्यय: 10,000 करोड़ रूपये)** ○ विगत वर्ष के मई माह की तुलना में इस वर्ष लगभग **40-50% अधिक व्यक्तियों** का नामांकन किया गया था। साथ ही, औसत मजदूरी दर विगत वित्तीय वर्ष के 182 रूपये की तुलना में बढ़कर 202 रूपये हो गई है।
राज्य आपदा मोचन निधि (State Disaster Response Fund: SDRF)	• केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को **प्रवासियों के लिए आश्रय स्थापित करने और उन्हें भोजन व जल आदि प्रदान करने** हेतु SDRF का उपयोग करने की अनुमति प्रदान की है।

12.3. ग्रामीण विकास, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए घोषित किए गए उपाय (Measures Announced for Rural Development, Agriculture and Allied Sectors)

विवरण

इस पैकेज का उद्देश्य प्रत्यक्ष सहायता, क्रेडिट लाइन प्रदान करने इत्यादि जैसे उपायों के माध्यम से किसानों द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों का उन्मूलन करना है। लेकिन इसके साथ ही साथ यह कृषि व संबद्ध क्षेत्र को अधिक सुदृढ़ और लोचशील बनाने हेतु अवसंरचनात्मक विकास, सूक्ष्म खाद्य उद्यमों को प्रोत्साहन आदि जैसे संरचनात्मक सुधार भी कार्यान्वित कर रहा है।

12.3.1. अब तक उठाए गए कदम (Steps taken so far)

क्षेत्र	घोषित किए गए उपाय
किसानों को राजकोषीय सहायता	• लॉकडाउन के दौरान किसानों को **न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price: MSP), प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि (PM KISAN) से** धन अंतरण और **प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना** के माध्यम से राजकोषीय सहायता प्रदान की गई।
किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नगद सहायता	• **नाबार्ड (NABARD)** द्वारा सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को मार्च 2020 में 29,500 करोड़ रुपये का पुनर्वित्त प्रदान किया गया है। • ग्रामीण अवसंरचना के निर्माण हेतु मार्च 2020 के दौरान राज्यों को **ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (Rural Infrastructure Development Fund: RIDF)** के तहत 4,200 करोड़ रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। ○ भारत सरकार ने वर्ष 1995-96 में नाबार्ड में 2,000 करोड़ रूपये के प्रारंभिक कोष के साथ RIDF का सृजन किया था। इस फंड का सृजन **कृषि और संबद्ध क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र एवं ग्रामीण संयोजकता** के तहत शामिल वित्तीय गतिविधियों के लिए किया गया था।
किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रत्यक्ष सहायता	• सरकार द्वारा दिया गया **3 माह के ऋण अधिस्थगन** का प्रावधान। • 1 मार्च से देय फसली ऋणों पर ब्याज माफ़ी और तत्काल भुगतान प्रोत्साहन (interest subvention and prompt repayment initiative) को 31 मई, 2020 तक बढ़ाया गया। ○ इस योजना के तहत, बैंकों को 3 लाख रुपये तक के फसली ऋण पर 2% ब्याज माफ़ी तथा 3% तत्काल भुगतान प्रोत्साहन प्रदान करने का निर्देश दिया गया था। • लगभग 25,000 करोड़ रुपये की सामूहिक ऋण सीमा के साथ **25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड (KCC)** स्वीकृत किए गए हैं।

VISION IAS

पशुपालन क्षेत्रक	• **दुग्ध मांग में 20-25% की कमी हुई है,** जिसने अप्रत्यक्ष रूप से आपूर्ति आधिक्य को उत्पन्न किया है। उदाहरण के लिए, 360 लाख लीटर प्रति दिन (LLPD) की दैनिक बिक्री की तुलना में सहकारी समितियों द्वारा 560 LLPD की खरीद की गई थी। • इस समस्या का समाधान करने हेतु: ○ संकटकाल में उत्पादकों को 4,100 करोड़ रूपये का भुगतान सुनिश्चित करते हुए कुल **111 करोड़ लीटर दूध की अतिरिक्त खरीद की गई।** ○ वर्ष 2020-21 के लिए **डेयरी सहकारी समितियों को 2% प्रति वर्ष की दर से ब्याज माफ़ी** प्रदान करने हेतु एक नई योजना का शुभारम्भ किया गया है।
मत्स्यन क्षेत्र	• विभिन्न पंजीकरणों और आयात परमिटों की **वैधता में विस्तार करना।** • कोविड-19 के कारण क्वारंटाइन सुविधाओं तक पहुँच में लचीलापन दिया गया है और अतिरिक्त प्रक्रियात्मक जांच के लिए समय में छूट प्रदान की गई है।

12.3.2. इस पैकेज में घोषित महत्वपूर्ण उपाय (Significant Measures Announced in the Package)

औपचारिक ऋण में वृद्धि करने के उपाय	
नाबार्ड के माध्यम से किसानों के लिए आपातकालीन कार्यशील पूंजी	• इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य **लघु और सीमांत किसानों को पर्याप्त वित्तीय संसाधन** उपलब्ध कराना है। • क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (Regional Rural Banks: RRBs) और ग्रामीण सहकारी बैंक इन किसानों के लिए ऋण का मुख्य स्रोत होते हैं। इन संस्थानों को सक्षम करने के उद्देश्य से नाबार्ड ग्रामीण सहकारी बैंकों और RRBs की फसल ऋण आवश्यकता को पूर्ण करने हेतु **30,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त पुनर्वित्तीयन सहायता प्रदान करेगा।** • इस योजना से लगभग 3 करोड़ किसानों को लाभ प्राप्त होगा, जिनमें से अधिकांशत: किसान लघु और सीमांत हैं तथा इससे उनकी रबी की फसल कटाई के उपरांत एवं खरीफ की मौजूदा आवश्यकताएं पूर्ण होंगी।
किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 2.5 करोड़ किसानों को 2 लाख करोड़ रुपये का रियायती ऋण	• इसका उद्देश्य किसानों को रियायती ब्याज दर पर संस्थागत ऋण तक पहुंच प्रदान करना है। • यह **पीएम-किसान के लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से रियायती ऋण प्रदान करने** के लिए एक विशेष अभियान है। • इस योजना में मछुआरों और पशुपालन करने वाले किसानों सहित 2.5 करोड़ किसानों को शामिल किया जाएगा।
आधारभूत संरचना, संभार-तंत्र और क्षमता निर्माण के उपाय	
कृषि द्वार (फार्म-गेट) आधारभूत संरचना के लिए कृषि आधारभूत ढांचा कोष (आवंटन: 1 लाख करोड़ रुपये)	• इस कोष माध्यम से फार्म-गेट एवं एकत्रीकरण बिंदु अवसंरचना के विकास को बल मिलेगा। साथ ही, इससे कृषि उपरांत प्रबंधन गतिविधियां वहनीय और वित्तीय रूप से व्यवहार्य हो जाएंगी। • **कृषि अवसंरचना में प्रचलित मुद्दे:** ○ फार्म-गेट के आसपास के क्षेत्र में पर्याप्त शीत-श्रृंखला और कटाई पश्चात प्रबंधन अवसरंचना का अभाव, जिसके कारण मूल्य श्रृंखलाओं में अंतराल उत्पन्न होता है। ○ अल्पकालिक फसली ऋणों पर ध्यान केंद्रित किया गया है, **जबकि दीर्घकालिक कृषि अवसंरचना में निवेश प्रायः पर्याप्त नहीं रहा है।** ○ वर्तमान में, एक किसान को निकटतम मंडी तक पहुंचने के लिए 12 किलोमीटर और पूर्वोत्तर भारत में 50 किलोमीटर से अधिक यात्रा करनी होती है, जबकि राष्ट्रीय किसान आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार, बाजारों/मंडियों की उपलब्धता 5 कि.मी. के दायरे में होनी चाहिए। • **इस कोष का सृजन किस प्रकार उपर्युक्त मुद्दों का समाधान करेगा?** ○ इस क्षेत्र में **निवेश बढ़ने से लघु आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण हो सकता है।**

	○ एक लघु आपूर्ति श्रृंखला में, रसद लागत में नाटकीय रूप से कमी हो जाती है, जिससे निवेश करने वाले किसान को प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होता है। दूसरा, आपूर्ति श्रृंखला अधिक पारदर्शी और सरल (leaner) हो जाती है, इस प्रकार रिसाव और अन्य संबद्ध जोखिम कम हो जाते हैं। **फ़ार्म-गेट अवसंरचना क्या है?** • यह कृषि जिंसों के **प्राथमिक उत्पादकों के सुगम पहुंच के दायरे के अंतर्गत आने वाली अवसंरचना** को संदर्भित करती है, उदाहरणार्थ- अस्थायी भंडारण की सुविधा। • इस मामले में, यह प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों, किसान उत्पादक संगठनों, कृषि उद्यमियों इत्यादि को लाभान्वित करती है।

सूक्ष्म खाद्य उपक्रमों (Micro Food Enterprises: MFEs) के औपचारीकरण के लिए 10,000 करोड़ रुपये की योजना	• इस योजना का उद्देश्य लगभग **2 लाख MFEs को सहायता प्रदान करना है,** जिन्हें निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जैसे- पूंजी तक सीमित पहुँच, सीमित कार्यबल, बाजार में आकस्मिक परिवर्तन, अल्प जोखिम उठाने की इच्छा और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर उच्च निर्भरता।
	• **MFEs द्वारा सामना किए जाने वाले अन्य मुद्दे:**
	  ○ असंगठित MFEs इकाइयों को भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) के खाद्य मानकों के अनुपालन, ब्रांडों के निर्माण और अपने उत्पादों के विपणन हेतु तकनीकी उन्नयन की आवश्यकता है।
	  ○ कोविड-19 संकट के कारण, उपभोक्ता अब खाद्य गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा के प्रति अधिक जागरूक हो गए हैं।
	• **यह योजना इन चुनौतियों को किस प्रकार कम करता है?**
	  ○ इसके परिणामस्वरूप **स्वास्थ्य और सुरक्षा मानकों में सुधार,** खुदरा बाजारों के साथ बेहतर समन्वय तथा MFEs के लिए बेहतर आय प्राप्ति सुनिश्चित होगी।
	  ○ इससे **अप्रयुक्त निर्यात बाजारों तक पहुंचने** में भी सहायता प्राप्त होगी।
	  ○ ऐसी इकाइयाँ अप्रत्यक्ष रूप से एक क्लस्टर-आधारित दृष्टिकोण सहित वैश्विक पहुंच के साथ 'वोकल फॉर लोकल' के उद्देश्य को बढ़ावा देंगी। बिहार के मखाना, उत्तर प्रदेश के आम, जम्मू-कश्मीर के केसर आदि जैसे उत्पादों को घरेलू और वैश्विक बाजारों में समर्थन प्राप्त होगा।
	
	MFEs से संबंधित तथ्य
	• MFEs, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) की परिभाषा की सूक्ष्म श्रेणी के अंतर्गत आने वाले खाद्य आधारित संगठनों को संदर्भित करते हैं। उदाहरण के लिए, किसान उत्पादक संगठन (FPO), स्वयं सहायता समूह और सहकारी संस्थान।
	• ऐसा अनुमानित है कि अपने अस्तित्व के प्रारंभिक दो वर्षों के दौरान **स्टार्ट-अप्स / FPO's द्वारा अभिभूत बाजार विकृतियों में 70-80 प्रतिशत तक की वृद्धि की गई।**

(टमाटर, प्याज और आलू) 'टॉप' से 'टोटल' तक (आवंटन: 500 करोड़ रूपये)	• टमाटर, प्याज और आलू (TOP) तक सीमित **ऑपरेशन ग्रीन्स** को सभी फलों और सब्जियों (TOTAL) तक विस्तारित किया जाएगा।
	  ○ ऑपरेशन ग्रीन्स एक ऐसी परियोजना है, जिसका उद्देश्य **भारत में TOP फसलों की आपूर्ति को स्थिर करने** के साथ-साथ देश भर में इनकी उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा मूल्य-अस्थिरता के बिना इनका वर्ष भर उत्पादन सुनिश्चित करना है।
	• **योजना में निम्नलिखित विशेषताएं शामिल होंगी:**
	  ○ अधिशेष से न्यूनता वाले बाजारों में **परिवहन पर 50% सब्सिडी।**
	  ○ शीत भंडारण सहित **स्टोरेज पर 50% अनुदान।**
	  ○ इसे **आगामी 6 माह हेतु प्रायोगिक रूप से आरम्भ किया जाएगा** तथा इसे प्रोत्साहित और विस्तारित किया जाएगा।

VISION IAS

	• **इस योजना से अपेक्षाएं:**
	  ○ बाधित आपूर्ति श्रृंखलाओं को पुनः प्रारम्भ करना और परिणामस्वरूप कोविड-19 पश्चात कृषि बाजारों की निष्क्रियता का समाधान करना।
	  ○ दबाव के अधीन बिक्री को रोकना और शीघ्र नष्ट होने वाले फलों और सब्जियों की कीमत में खेत स्तर पर कमी करना।
	  ○ दीर्घावधि में, यह **किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्ति, अपव्यय में कमी और उपभोक्ताओं के लिए उत्पादों की वर्धित वहनीयता** का कारण बन सकता है।

प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) (आवंटन: 20,000 करोड़ रुपये)	• इस योजना का उद्देश्य **नीली क्रांति के माध्यम से** देश में मत्स्य पालन क्षेत्र के सतत और उत्तरदायी विकास को सुनिश्चित करना है। ○ **समुद्री, अंतर्देशीय मत्स्य पालन और जलीय कृषि** से संबंधित गतिविधियों के लिए **11,000 करोड़ रुपये** तथा **आधारभूत ढांचा – फिशिंग हार्बर्स, शीत भंडारण, बाजार आदि के लिए 9,000 करोड़ रुपये** की धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। **PMMSY के उद्देश्य:** • मत्स्य उत्पादन को 137.58 लाख मीट्रिक टन (2018-19) से बढ़ाकर **वर्ष 2024-25 तक 220 लाख मीट्रिक टन** करना। • मत्स्य उत्पादन में लगभग **9% की औसत वार्षिक वृद्धि** दर बनाए रखना। • वर्ष 2018-19 में 7.28% से कृषि सकल मूल्य वर्धित (GVA) में मत्स्य क्षेत्र के GVA के योगदान में **2024-25 तक लगभग 9% की वृद्धि करना।** • वर्ष 2024-25 तक लगभग 1,00,000 करोड़ रुपये के साथ **निर्यात आय को दोगुना करना।** • जलीयकृषि में उत्पादकता 3 टन प्रति हेक्टेयर के वर्तमान राष्ट्रीय औसत से बढ़ाकर **5 टन प्रति हेक्टेयर** करना। • **संग्रहण उपरांत की क्षति** को 20-25% से घटाकर लगभग **10%** तक करना। • घरेलू मछलियों की खपत 5-6 किलोग्राम से बढ़ाकर **लगभग 12 किलोग्राम प्रति व्यक्ति करना।** • मत्स्यन क्षेत्र में आपूर्ति और मूल्य श्रृंखला के साथ **प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 55 लाख रोज़गार** के अवसर सृजित करना। **इस योजना के अपेक्षित लाभार्थी:** • मछुआरे, मत्स्य किसान, मत्स्य श्रमिक और मत्स्य विक्रेता, SCs/STs / महिला / निःशक्तजन, मत्स्य सहकारी समितियाँ / संघ, मत्स्य किसान उत्पादक संगठन (FFPOs), मत्स्य विकास निगम, स्वयं सहायता समूह (Self Help Groups: SHGs) / संयुक्त देयता समूह (Joint Liability Groups: JLGs) और व्यक्तिगत उद्यमी। **योजना की कार्यान्वयन रणनीति:** • PMMSY को दो पृथक-पृथक घटकों यथा (a) केंद्रीय क्षेत्र योजना (CS) और (b) केंद्र प्रायोजित योजना (Centrally Sponsored Scheme: CSS) के साथ एक समग्र योजना के रूप में लागू किया जाएगा। • अपेक्षित विनिर्माण और विपणन सुविधाओं के साथ और प्रत्येक पक्ष के समाधानों (end to end solution) के लिए **'क्लस्टर या क्षेत्र-आधारित दृष्टिकोण'** का अनुसरण किया जाएगा। • उत्पादन एवं उत्पादकता व गुणवत्ता में वृद्धि करने तथा बंजर भूमि और व्यर्थ जल का जलीयकृषि हेतु उत्पादकता पूर्ण उपयोग करने के लिए नवीन तथा उभरती हुई तकनीकों, जैसे- **री-सर्कुलेटरी एक्काकल्चर सिस्टम, बायोफ्लोक** आदि पर बल दिया जाएगा। • व्यापक पैमाने पर रोज़गार सृजन को प्रोत्साहित करने हेतु मैरीकल्चर, समुद्री शैवाल की कृषि और सजावटी मत्स्य पालन जैसी कुछ गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा। • क्षेत्र विशिष्ट विकास योजनाओं के माध्यम से **जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, द्वीपों, पूर्वोत्तर और**

VISION IAS

	आकांक्षी जिलों में मत्स्य पालन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। • मछुआरों और मत्स्य पालकों की सौदेबाजी की क्षमता में वृद्धि करने हेतु मत्स्य किसान उत्पादक संगठनों (FFPOs) के माध्यम से **मछुआरों और मत्स्य पालकों का समूहन।** • इसके तहत प्रथम बार मत्स्यन पोतों के लिए **बीमा कवरेज प्रदान किया गया है।** प्रतिबंध / मंदी की अवधि के दौरान मछुआरों को वार्षिक आजीविका सहायता प्रदान की जाएगी। • मत्स्य पालन क्षेत्र में **निजी क्षेत्र की भागीदारी,** उद्यमशीलता का विकास, व्यवसाय प्रतिमान, व्यावसायिक सुगमता (ease of doing business) तथा स्टार्ट-अप व इन्क्यूबेटर सहित नवीन परियोजनाओं और नवाचारी परियोजना गतिविधियों को बढ़ावा देना।
शासन और प्रशासनिक सुधार	
आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (ECA, 1955) में संशोधन	• सरकार **किसानों के लिए बेहतर मूल्य प्राप्ति और कृषि में निवेश को आकर्षित करने** के प्राथमिक उद्देश्य के साथ ECA में संशोधन करेगी। • केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा निम्नलिखित संशोधनों को स्वीकृति प्रदान की गई है यथा- ○ **अनाज, खाद्य तेल, तिलहन, दलहन, प्याज और आलू सहित कृषि खाद्य पदार्थों** को ECA के नियंत्रण से मुक्त किया जाएगा और इस प्रकार से इन्हें अविनियमित कर दिया जाएगा। ○ असाधारण परिस्थितियों, जैसे- राष्ट्रीय आपदा, अकाल या कीमतों में वृद्धि के अतिरिक्त **किसी अन्य परिस्थिति में उपर्युक्त जिंसों पर स्टॉक संबंधी सीमा आरोपित नहीं की जाएगी।** हालांकि, ये सीमाएं संसाधक या मूल्य श्रृंखला के भागीदारों या निर्यात मांग के अधीन किसी भी निर्यातक पर लागू नहीं होंगी।
कृषि विपणन सुधार	• **वर्तमान परिदृश्य:** अब तक, कृषि उपज विपणन समिति (APMC) अधिनियम के अनुसार किसान केवल **APMCs के तहत लाइसेंस प्राप्त व्यक्तियों को ही अपनी कृषि उपज विक्रय** करने के लिए बाध्य हैं। इससे कृषि उपज के मुक्त प्रवाह में बाधा उत्पन्न होती है और बाजार एवं आपूर्ति श्रृंखला का विखंडन होता है तथा परिणामस्वरूप किसानों को कम कीमत की प्राप्ति होती है। • **निम्नलिखित को प्रदान करने हेतु एक केंद्रीय कानून तैयार किया जाएगा-** ○ किसान को लाभकारी मूल्य पर अपनी उपज को विक्रय करने के लिए पर्याप्त विकल्प प्रदान करना; ○ निर्बाध अंतरराज्यीय व्यापार तथा ○ कृषि उत्पादों की ई-ट्रेडिंग के लिए एक रूपरेखा। • उपर्युक्त क़ानून अप्रत्यक्ष रूप से, **अनुबंध कृषि की सुविधा के लिए एक विधिक ढांचा** भी उपलब्ध करवाएगा।
कृषि उपज मूल्य निर्धारण और गुणवत्ता आश्वासन	• सरकार किसानों को उचित और पारदर्शी तरीके से संसाधकों, समूहकों (aggregators), बड़े खुदरा विक्रेताओं, निर्यातकों आदि के साथ संबद्ध होने में सक्षम बनाने के लिए, एक **सुविधा प्रदाता कानूनी संरचना** निर्मित करेगी। • किसानों के लिए **जोखिम में कमी, सुनिश्चित प्रतिलाभ और गुणवत्ता मानकीकरण** इस संरचना के अभिन्न अंग होंगे। • **ऐसी संरचना की आवश्यकता:** सामान्यतया, किसानों के पास बुवाई से पूर्व जिंसों की कीमतों में अनुमानितता सुनिश्चित करने हेतु एक प्रचलित मानक तंत्र नहीं है। ○ आगतों के व्यवस्थापन में **निजी क्षेत्र का निवेश** और कृषि क्षेत्र में उनके वैज्ञानिक ज्ञान का योगदान स्पष्ट संरचना के अभाव के कारण **बाधित** है।

12.3.3. इस पैकेज में घोषित की गयी अन्य पहलें (Other Initiatives Announced in the Package)

राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम	• इसे खुरपका मुंहपका रोग (FMD) और ब्रुसेलोसिस के लिए आरंभ किया गया था। • यह कार्यक्रम खुरपका मुंहपका रोग और ब्रुसेलोसिस के लिए मवेशी, भैंस, भेड़, बकरी तथा शूकर की आबादी (कुल 53 करोड़ पशुओं) का 100 प्रतिशत टीकाकरण सुनिश्चित करता है। • अब तक, 1.5 करोड़ गायों और भैंसों को टैग किया गया है तथा उन्हें टीके लगाए जा चुके हैं।

VISION IAS

पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास कोष	• इस कोष का उद्देश्य **डेयरी प्रसंस्करण, मूल्य वर्धन, कृषि विकास और पशु चारा बुनियादी ढांचे में निजी निवेश** का समर्थन करना है। • इस योजना के तहत, पशुपालन क्षेत्र में **विशिष्ट उत्पादों के निर्यात हेतु संयंत्र स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन** प्रदान किया जाएगा।
मधुमक्खी पालन संबंधी पहल	• मधुमक्खी पालन ग्रामीण क्षेत्रों की आजीविका हेतु एक सहायक गतिविधि है। यह **परागण** के माध्यम से **फसलों की उपज और गुणवत्ता को बढ़ाता** है तथा शहद एवं अन्य मधुमक्खी उत्पादों, जैसे- मोम भी प्रदान करता है। • मधुमक्खी पालन के संवर्धन हेतु सरकार द्वारा निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ एक योजना आरम्भ की गयी है यथा: ○ एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्रों, संग्रह, विपणन और भंडारण केंद्रों, पोस्ट हार्वेस्ट और मूल्य वर्धन सुविधाओं आदि से संबंधित **अवसंरचना का विकास**; ○ **उत्पादन मानकों का कार्यान्वयन** और ट्रेसबिलिटी सिस्टम का विकास करना तथा ○ **महिला किसानों पर विशेष बल देने सहित** क्षमता निर्माण। • इससे **2 लाख मधुमक्खी पालकों की आय में वृद्धि होगी** और उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण शहद की प्राप्ति होगी।
हर्बल खेती को प्रोत्साहन	• सरकार द्वारा आगामी दो वर्षों में 4,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ हर्बल खेती के तहत 10,00,000 हेक्टेयर क्षेत्र को समाविष्ट करने की परिकल्पना की गई है। • **हर्बल खेती को बढ़ावा देने के लिए किए गए अन्य उपाय:** ○ राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (NMPB) ने 2.25 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में औषधीय पादपों की कृषि को सहायता प्रदान की है। ○ NMPB गंगा नदी के तट पर औषधीय पादपों का गलियारा विकसित करके 800 हेक्टेयर क्षेत्र को हर्बल कृषि के अंतर्गत लाएगा। ○ NMPB का उद्देश्य औषधीय पादपों के लिए क्षेत्रीय मंडियों के नेटवर्क का निर्माण करना भी है।

12.4. पैकेज में घोषित औद्योगिक क्षेत्रक सुधार (Industrial Sectoral reforms announced in the package)

विवरण

देश में विकास को बढ़ावा देने एवं रोज़गार सृजन हेतु **त्वरित (Fast-Track) निवेश तथा** अवसंरचना में सुधार के लिए नीति और संरचनात्मक सुधारों की घोषणा की गई है।

12.4.1. घोषित किए गए महत्वपूर्ण उपाय (Significant Measures Announced)

क्षेत्रक	किए गए उपाय
खनिज क्षेत्र	• **कोयला क्षेत्रक में वाणिज्यिक खनन (Commercial Mining) की शुरुआत** ○ इसका उद्देश्य **प्रतिस्थानिक कोयले (substitutable coal) के आयात को कम करना और कोयले के उत्पादन में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है।** ○ यह उद्देश्य **प्रतिस्पर्धा आरंभ करके, पारदर्शिता सुनिश्चित करके एवं निजी क्षेत्रक की भागीदारी में वृद्धि करके** प्राप्त किया जा सकता है। इसे प्राप्त करने हेतु, सरकार ने निम्नलिखित सुधारों की परिकल्पना की है: ▪ निश्चित रुपये/टन की व्यवस्था की बजाय **राजस्व साझेदारी व्यवस्था** लागू करके निजी क्षेत्र के साथ **साझेदारी प्रतिरूप** में परिवर्तन। ▪ इससे पूर्व, केवल कैप्टिव उपभोक्ता या अंतिम उपयोग वाले उपभोक्ता ही कोयला ब्लॉक के लिए बोली लगा सकते थे। इन सुधारों के पश्चात, कोई भी पक्ष (party) कोयला ब्लॉक के लिए बोली लगा सकता है और खुले बाजार में बिक्री कर सकता है। ▪ इस क्षेत्रक के लिए **प्रवेश मानदंडो (Entry Norms)** को उदारीकृत किया जाएगा और सभी प्रतिभागियों को लगभग 50 ब्लॉकों की तत्काल पेशकश की जाएगी। इसके अतिरिक्त, नए प्रवेशकर्ताओं हेतु कोई पात्रता शर्तें नहीं होंगी, केवल एक सीमा के साथ अग्रिम भुगतान किया जाएगा।

VISION IAS

	▪ **आंशिक रूप से अन्वेषित ब्लॉकों हेतु अन्वेषण-सह-उत्पादन व्यवस्था लागू होगी:** ○ प्रारंभ में केवल पूर्णतः अन्वेषित कोयला ब्लॉकों की नीलामी की अनुमति प्रदान की गई थी, सुधारों के पश्चात **आंशिक रूप से अन्वेषित ब्लॉकों की नीलामी की जाएगी।** ○ **अन्वेषण में निजी क्षेत्र की भागीदारी** की भी अनुमति प्रदान की गई है। • **कोयला क्षेत्रक में विविधतापूर्ण अवसर (निवेश: 50,000 करोड़ रुपये)** ○ राजस्व हिस्सेदारी में छूट के माध्यम से कोयला गैसीकरण / द्रवीकरण को प्रोत्साहन दिया जाएगा। ▪ इसके परिणामस्वरूप पर्यावरणीय प्रभाव काफी कम हो जाएगा, क्योंकि कोयले की तुलना में गैसीकृत एवं द्रवीकृत कोयला स्वच्छतम ईंधन है तथा **इससे भारत को गैस आधारित अर्थव्यवस्था के प्रोत्साहन में सहायता प्राप्त होगी।** ○ **वर्ष 2023-24 तक** सतत रूप से एक बिलियन टन कोयला उत्पादन के कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) के संवर्धित लक्ष्य को पूरा करने और निजी ब्लॉकों से कोयला उत्पादन के लिए 50,000 करोड़ रुपये का अवसंरचना विकास किया जाएगा। • **कोयला क्षेत्र का उदारीकरण** ○ **कोल बेड मीथेन (CBM) निष्कर्षण** के अधिकारों की नीलामी, कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) की कोयला खदानों से की जाएगी। ○ **खनन योजना सरलीकरण** (Mining Plan simplification) यथा कारोबार करने में सुगमता जैसे उपाय किए जाएंगे। इससे वार्षिक उत्पादन में स्वतः 40 प्रतिशत की वृद्धि होगी। • कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) के उपभोक्ताओं को **वाणिज्यिक शर्तों में दी गई रियायतें:** ○ **गैर-विद्युत उपभोक्ताओं के लिए नीलामी में आरक्षित मूल्य में कमी,** ऋण की शर्तों में शिथिलता, और उठान अवधि (lifting period) को बढ़ाया गया है। ▪ **आरक्षित मूल्य** वह न्यूनतम मूल्य है, जिस पर कोई विक्रेता किसी वस्तु का विक्रय करता है। यदि **नीलामी** के अंत में, बोली लगाने वाले को आरक्षित मूल्य प्राप्त नहीं होता है, तो विक्रेता को बिक्री हेतु बाध्य नहीं किया जाता है।
खनिज क्षेत्र	• **खनिज क्षेत्र में निम्नलिखित प्रावधानों के माध्यम से निजी निवेश में वृद्धि करना**: ○ खनिज क्षेत्र में एक निर्बाध मिश्रित अन्वेषण -सह - खनन - सह-उत्पादन व्यवस्था का प्रारंभ किया जाएगा। ○ मुक्त एवं पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से 500 खनन ब्लॉकों की पेशकश की जाएगी। ○ **एल्यूमिनीयम उद्योग की प्रतिस्पर्धिता बढ़ाने हेतु** बॉक्साइट और कोयला खनिज ब्लॉकों की संयुक्त नीलामी की जाएगी, ताकि एल्यूमिनीयम उद्योग को विद्युत् की लागत में कमी लाने में सहायता की जा सके। • **अन्य नीतिगत सुधार:** ○ खनन पट्टों के हस्तांतरण और अधिशेष अप्रयुक्त खनिजों की बिक्री की अनुमति देने हेतु **कैप्टिव और नॉन-कैप्टिव** खानों के मध्य अंतर को समाप्त किया जाएगा। इससे खनन और उत्पादन में बेहतर दक्षता सुनिश्चित होगी। ○ खान मंत्रालय द्वारा विभिन्न खनिजों के लिए एक खनिज सूचकांक विकसित किया जा रहा है। ○ खनन पट्टे प्रदान करते समय देय **स्टाम्प शुल्क को तर्कसंगत बनाया जाएगा।**
नागर विमानन	• **कुशल एयरस्पेस प्रबंधन (Efficient Airspace Management)** ○ इस सुधार का प्राथमिक उद्देश्य **उड़ान की लागत (Flying cost)** को कम करना है। ○ वर्तमान में, **भारतीय एयरस्पेस का केवल 60% ही स्वतंत्र रूप से नागर विमानन हेतु उपलब्ध है और शेष सैन्य नियंत्रणाधीन है।** इस सुधार के माध्यम से नागरिक उड़ानों की कुशलता में वृद्धि हेतु भारतीय हवाई क्षेत्र के उपयोग पर प्रतिबंधों को कम किया जाएगा। ○ **सुधार से संभावित लाभ:** ▪ इससे विमानन क्षेत्रक को **प्रति वर्ष लगभग 1000 करोड़ रुपये का लाभ** प्राप्त होगा। ▪ इससे हवाई क्षेत्र का इष्टतम उपयोग होगा, ईंधन के उपयोग व समय में कमी आएगी और इसका सकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव भी होगा।

VISION IAS

	• विमान पत्तन ○ सुधारों का उद्देश्य सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) के माध्यम से भारत में **अधिक विश्व स्तरीय विमान पत्तनों** का निर्माण करना है। ○ **इस संदर्भ में निम्नलिखित प्रयास किए गए हैं:** ▪ भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) द्वारा सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) के आधार पर परिचालन और रखरखाव के लिए 6 में से 3 विमान पत्तनों के लिए बोली प्रक्रिया आयोजित की गई है। ▪ द्वितीय एवं तृतीय चरण की नीलामी प्रक्रिया हेतु छह और विमान पत्तनों की पहचान की गई है। • **रखरखाव, मरम्मत एवं जीर्णोद्धार (MRO)** ○ **विमान MRO परिचालन हेतु भारत एक वैश्विक केंद्र बनेगा।** ○ इसे सक्षम बनाने हेतु, भारत में MRO पारिस्थितिकी तंत्र के लिए कर व्यवस्था को युक्तिसंगत बनाया गया है और व्यापक अर्थव्यवस्थाओं (economies of scale) के सृजन हेतु रक्षा क्षेत्र और सिविल MROs के मध्य सामंजस्य स्थापित किया जाएगा। ○ **इससे होने वाले संभावित लाभ:** ▪ विमान पुर्जों की मरम्मत और एयरफ्रेम रखरखाव उद्योग पर व्यय आगामी तीन वर्षों में 800 करोड़ रुपये से बढ़कर 2,000 करोड़ रुपये हो जाएगा। इस प्रकार इस क्षेत्र में व्यापार बढ़ रहा है। ▪ विश्व में प्रमुख इंजन निर्माताओं को भारत में इंजन मरम्मत के सुविधा केंद्र स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। ▪ घरेलू एवं विदेशी एयरलाइंस दोनों के लिए **रखरखाव लागत में पर्याप्त रूप से कमी आएगी।**
आवासन (Housing)	• **रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (RERA) के अधीन रियल एस्टेट परियोजनाओं के पंजीकरण और समापन तिथि का विस्तार।** ○ इस उपाय का प्राथमिक उद्देश्य **रियल एस्टेट डेवलपर्स का तनाव कम करना तथा अंतिम उपभोक्ता को ध्यान में रखते हुए परियोजनाओं को समयबद्ध रीति से पूर्ण करना है।** ○ इसे सुनिश्चित करने हेतु, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, राज्यों / संघ शासित प्रदेशों एवं उनके विनियामक प्राधिकरणों को निम्नलिखित प्रभाव हेतु परामर्श प्रदान करेगा: ▪ रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (RERA) द्वारा कोविड-19 को **अप्रत्याशित घटना (event of Force Majeure)** के रूप में माना जाना चाहिए। अप्रत्याशित घटना, **अनुबंध में शामिल एक सामान्य खंड है,** जिसके अंतर्गत यदि पक्षकारों के नियंत्रण से परे एक असाधारण घटना या परिस्थिति (जैसे- युद्ध, हड़ताल, विप्लव, अपराध या महामारी आदि) घटित या उत्पन्न होती है, तब यह **अनिवार्य रूप से दोनों पक्षों को दायित्व (liability) या बाध्यताओं (obligation) से स्वतंत्र करता है।** ▪ नवीन 'परियोजना पंजीकरण प्रमाण-पत्र' **संशोधित समयसीमा** के साथ स्वचालित रूप से जारी किया जाना चाहिए। ▪ साथ ही साथ RERA के तहत विभिन्न संविधिक अनुपालनों के लिए **समयसीमा का विस्तार** किया जाना चाहिए। • **मध्यम आय वर्ग में आवास क्षेत्र को बढ़ावा** ○ सरकार क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS) का मार्च 2021 तक विस्तार करेगी। • **क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS)** प्रधान मंत्री आवास योजना (PMAY) का एक घटक है, जिसके तहत न केवल आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, बल्कि मध्यम आय वर्ग के व्यक्ति भी कम EMI पर आवास ऋण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। • मध्य आय वर्ग (वार्षिक आय: 6-18 लाख रूपये) हेतु CLSS को मई 2017 से संचालित किया गया था। • इस योजना से अब तक लगभग 3.3 लाख मध्यम आय वर्ग के परिवार लाभान्वित हुए हैं।

VISION IAS

	• **योजना के संभावित लाभ:** ○ वर्ष 2020-21 के दौरान इस योजना से लगभग **2.5 लाख मध्यम आय वर्ग के परिवारों** को लाभ प्राप्त होगा। ○ यह आवास में **70,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश** को प्रेरित करेगी। जिससे अप्रत्यक्ष रूप से रोज़गार सृजन में सहायता प्राप्त होगी तथा इस्पात, सीमेंट, परिवहन एवं अन्य निर्माण सामग्री की मांग को प्रोत्साहन मिलेगा।
विद्युत वितरण कंपनियां (DISCOMs)	• **विद्युत वितरण कंपनियों (DISCOMs) के तरलता संकट के निवारण हेतु 90,000 करोड़ रूपये का आवंटन** ○ संकट के समय यह आवंटन विद्युत् वित्त निगम/ ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा किया जाएगा। ○ **DISCOMs द्वारा सामना किए जाने वाले मुद्दे:** ▪ **DISCOMs** द्वारा मांग में कमी से उत्पन्न अभूतपूर्व नकदी की समस्या का सामना किया जा रहा है तथा जिसके परिणामस्वरूप डिस्कॉम के राजस्व में गिरावट आई है। ▪ वर्तमान में **DISCOMs द्वारा विद्युत उत्पादन और पारेषण कंपनियों को** लगभग **94,000 करोड़ रूपये** का **भुगतान किया जाना है।** ○ **योजना की अन्य विशेषताएं:** ▪ **इस योजना के तहत ऋण,** DISCOMs को विद्युत उत्पादन और पारेषण कंपनियों के प्रति उसके दायित्वों को पूर्ण करने के विशेष उद्देश्य हेतु राज्य की गारंटी के विरुद्ध प्रदान किये जाने हैं। ▪ **केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की उत्पादन कंपनियां DISCOMs को छूट प्रदान करेंगी,** जिसका लाभ अंतिम उपभोक्ताओं (उद्योगों) को प्राप्त होगा। ▪ **प्रस्तावित सुधार:** उपभोक्ताओं के लिए DISCOMs द्वारा एक डिजिटल भुगतान सुविधा, राज्य सरकारों के बकाया (outstanding) देनदारियों का परिसमापन और वित्तीय एवं परिचालनात्मक क्षतियों को कम करने की योजना। • **विद्युत वितरण कंपनियों (DISCOMs) के लिए अनुशंसित नीतिगत सुधार:** ○ निम्नलिखित सुधारों को लागू करने वाली **प्रशुल्क नीति** जारी की जाएगी: ▪ DISCOMs के लिए सेवा के मानक और संबद्ध अर्थदंड निर्धारित करके **उपभोक्ता अधिकारों का संरक्षण करना।** ▪ वाणिज्यिक और आवासीय आपूर्ति के क्रॉस सब्सिडाइजेशन में सुधारवादी कटौती तथा ग्रिड हेतु स्पष्ट अभिगमन के लिए समयबद्ध अनुदान द्वारा **उद्योग को बढ़ावा देना।** ▪ न्यूनतम विनियामकीय परिसंपत्तियां, विद्युत् उत्पादक कंपनियों को समय पर भुगतान तथा स्मार्ट प्रीपेड मीटर के वितरण द्वारा **इस क्षेत्रक की संधारणीयता सुनिश्चित करना।** ○ **संघ शासित प्रदेशों में वितरण का निजीकरण** ▪ इससे उपभोक्ताओं के लिए बेहतर सेवा और वितरण की परिचालनात्मक एवं वित्तीय दक्षता में सुधार होगा। ▪ इसके अतिरिक्त, यह देश भर में **अन्य उपादेयताओं (Utilities) द्वारा अनुकरण हेतु एक मॉडल भी उपलब्ध करवाएगा।**
बैंकिंग	• **गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs)/ आवास वित्त कंपनियों (HFCs)/ सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं (MFIs) के लिए विशेष नकदी योजना (आवंटन: 30,000 करोड़ रुपये)** ○ इस योजना के तहत **निवेश**, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) / आवास वित्त कंपनियों (HFCs) / **सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं** (MFIs) के निवेश ग्रेड युक्त ऋण प्रपत्र (grade debt paper) में **प्राथमिक और द्वितीयक बाजार लेन-देन में किया जाएगा।** ○ यह **NBFCs/HFC/MFIs** और म्यूचुअल फंड के लिए **तरलता सहायता** प्रदान करेगा तथा इससे बाजार में विश्वास सृजित होगा। ○ इस योजना के तहत सृजित **प्रतिभूतियां** भारत सरकार द्वारा पूर्णतया **प्रत्याभूत** होंगी। • NBFCs के लिए आंशिक ऋण गारंटी योजना (Partial Credit Guarantee Scheme: PCGS) 2.0

	(आवंटन: 45,000 करोड़ रुपये) ○ वित्तीय रूप से सुदृढ़ NBFCs और HFCs से उच्च-रेटिंग वाली संयोजित परिसम्पत्तियों को खरीदने हेतु सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSB) के लिए **PCGS का शुभारंभ (वर्ष 2019 में) किया गया था।** ○ **PCGS 2.0 की आवश्यकता: निम्न क्रेडिट रेटिंग वाले** NBFCs, HFCs and MFIs को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) एवं व्यक्तियों को **नवीन ऋण प्रदान करने** हेतु तरलता की आवश्यकता होती है। ○ **PCGS 2.0 का परिचालनात्मक विवरण**: ▪ उपर्युक्त प्रकार की संस्थाओं के बंधपत्रों/ वाणिज्यिक पत्रों (तुलन पत्र का देयता पक्ष) के प्राथमिक निर्गमन जैसी **उधारियों को शामिल करने हेतु PCGS योजना** को विस्तारित किया जाना है। ▪ डिफ़ॉल्ट होने पर प्रथम 20% की हानि का वहन प्रत्याभूतिकर्ता (**Guarantor)** अर्थात भारत सरकार द्वारा किया जाएगा। ▪ रेटिंग विहीन वाणिज्यिक पत्रों सहित **AA रेटेड वाणिज्यिक पत्रों एवं इससे कम रेटेड किए गए पत्र निवेश** (जो विशेष रूप से कई MFIs के लिए प्रासंगिक है) के लिए पात्र होंगे।

12.4.2. अन्य क्षेत्रकों के लिए घोषित किए गए नीतिगत सुधार (Policy Reforms Announced for Other Sectors)

सामाजिक अवसंरचना	• **संशोधित व्यवहार्यता अंतराल वित्त पोषण (Viability Gap Funding: VGF) योजना** के माध्यम से सामाजिक अवसंरचना में निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देना। • इसके तहत सरकार, केंद्र और राज्यों/ सांविधिक निकायों द्वारा कुल परियोजना लागत के प्रति 30% तक **VGF** की मात्रा में वृद्धि करेगी। • अन्य क्षेत्रों के लिए, भारत सरकार और राज्यों/ वैधानिक संस्थाओं में से प्रत्येक के लिए VGF का मौजूदा समर्थन 20% जारी रहेगा। • **इस योजना के अंतर्गत केंद्रीय मंत्रालयों/ राज्य सरकारों/ सांविधिक संस्थाओं द्वारा परियोजनाओं को प्रस्तावित किया जाएगा।**
रक्षा उत्पादन	• **रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता को बढ़ाना** ○ रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए 'मेक इन इंडिया' को निम्नलिखित रीति से प्रोत्साहित किया जाएगा: ▪ **वर्षवार समयसीमा के साथ आयात पर प्रतिबंध आरोपित करने हेतु हथियारों / प्लेटफार्मों की एक सूची अधिसूचित की जाएगी।** ▪ आयातित पुर्जों के स्वदेशीकरण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ▪ घरेलू पूंजी खरीद (domestic capital procurement) के लिए **पृथक बजट** का प्रावधान किया जाएगा। ▪ आयुध निर्माणी बोर्ड के निगमीकरण के माध्यम से आयुध आपूर्ति में स्वायत्तता, जवाबदेही और दक्षता में सुधार लाया जाएगा। • अन्य नीतिगत सुधार ○ स्वचालित मार्ग के तहत रक्षा विनिर्माण उप-क्षेत्रों में **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% कर दी गई है।** ○ रक्षा खरीद प्रक्रिया को समयबद्ध किया जाएगा और निम्नलिखित के द्वारा तीव्र निर्णय प्रणाली का समावेश किया जाएगा: ▪ इस हेतु अनुबंध प्रबंधन का समर्थन करने हेतु एक परियोजना प्रबंधन इकाई (PMU) की स्थापना की जाएगी। ▪ हथियारों / प्लेटफार्मों हेतु सामान्य कर्मचारी गुणात्मक आवश्यकताओं (GSQRs) की यथार्थवादी स्थापना होगी। ▪ ट्रायल और टेस्टिंग (परीक्षण) प्रक्रियाओं को और अधिक व्यापक बनाने हेतु इनका जीर्णोद्धार किया जाएगा।
अंतरिक्ष गतिविधियां	• **अंतरिक्ष गतिविधियों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देना:** ○ उपग्रह सेवाओं, प्रक्षेपणों और अन्य अंतरिक्ष आधारित सेवाओं में निजी कंपनियों को समान अवसर प्रदान करना। ○ निजी कंपनियों को अपेक्षा के अनुकूल नीति और नियामक परिवेश उपलब्ध कराना।

VISION IAS

	○ निजी क्षेत्रक के अभिकर्ताओं को उनकी क्षमता में सुधार करने हेतु इसरो (ISRO) की सुविधाओं और प्रासंगिक परिसंपत्तियों का उपयोग करने की अनुमति प्रदान करना। ○ निजी क्षेत्रक के लिए ग्रहीय अन्वेषण, बाह्य अंतरिक्ष की यात्रा आदि जैसी भविष्यगामी परियोजनाओं हेतु विकल्प उपलब्ध रहेगा। ○ तकनीक-उद्यमियों को सुदूर संवेदी डेटा उपलब्ध कराने के लिए **उदारीकृत भू-स्थानिक डेटा नीति** प्रदान करना।
परमाणु उर्जा	• कैंसर और अन्य रोगों हेतु वहनीय उपचार के माध्यम से मानवता के कल्याण को बढ़ावा देने के क्रम में चिकित्सा समस्थानिकों (isotops) के उत्पादन के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) मोड में एक अनुसंधान रिएक्टर की स्थापना करना। • कृषि सुधारों और किसानों की सहायता के लिए खाद्य संरक्षण हेतु विकिरण प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) मोड में सुविधाओं की स्थापना करना। • भारत के सुदृढ़ स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र को परमाणु क्षेत्र से संबद्ध किया जाएगा और इसकी प्राप्ति के लिए अनुसंधान सुविधाएं व तकनीक-उद्यमियों के मध्य सामंजस्य को विकसित करने हेतु प्रौद्योगिकी विकास-सह-ऊष्मायन केंद्रों (Technology Development cum Incubation Centres) की स्थापना की जाएगी।

12.5. MSMES सहित सामान्य व्यवसायों हेतु घोषित उपाय (Measures Announced for Businesses in General Including MSMEs)

विवरण

यह पैकेज **संपार्श्विक मुक्त ऋण** और साथ ही **व्यवसाय करने में सुगमता (Ease of doing business) को बढ़ावा देने** जैसे दीर्घावधि से लंबित आर्थिक सुधारों पर बल देने जैसे उपायों के माध्यम से व्यवसायों के मध्य तरलता बढ़ाने का प्रयास करता है।

12.5.1. घोषित किए गए महत्वपूर्ण उपाय (Significant Measures Announced)

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) सहित व्यवसायों हेतु संपार्श्विक मुक्त स्वचालित ऋण (आवंटन: 3 लाख करोड़ रुपये)	• कोविड-19 के कारण व्यवसाय / सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (**MSMEs**) प्रभावित हुए हैं। परिणामस्वरूप, व्यवसायों को संचालनात्मक देनदारियों को पूरा करने, कच्चा माल खरीदने और व्यवसाय को पुनः प्रारंभ करने हेतु अतिरिक्त धन की आवश्यकता है। • इन व्यवसायों को कार्यशील पूंजी प्रदान करने हेतु, 29.2.2020 तक संपूर्ण बकाया ऋण के 20% तक बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) से व्यवसायों / MSMEs के लिए आपातकालीन क्रेडिट लाइन सृजित की गई है। ○ बैंक और NBFCs को **मूल राशि और देय ब्याज दोनों पर 100 प्रतिशत क्रेडिट गारंटी कवर** प्रदान किया जाएगा। • इस योजना से लगभग 45 लाख इकाइयों को पुनः प्रारंभ करने में सहायता प्राप्त होना अनुमानित है।
कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) से संबंधित उपाय	
व्यापार और कर्मचारियों को 3 से अधिक महीनों के लिए EPF सहायता	• प्रधान मंत्री गरीब कल्याण पैकेज (PMGKP) के तहत भारत सरकार पात्र प्रतिष्ठानों के EPF खातों में नियोक्ता और कर्मचारी दोनों की ही ओर से 12-12% का योगदान करती है। यह केवल 3 वैतनिक माह (मार्च, अप्रैल और मई 2020) के लिए प्रदान किया जायेगा। • इस उपाय के तहत सहायता को वर्ष 2020 में जून, जुलाई एवं अगस्त माह के 3 माह तक बढ़ाया जाएगा। • लगभग 3.67 लाख प्रतिष्ठानों के 72.22 लाख कर्मचारियों को 2,500 करोड़ रुपये की तरलता राहत प्रदान करना अनुमानित किया गया है।

EPF अंशदान को नियोक्ताओं और कर्मचारियों के लिए 3 माह तक घटाया जाएगा (आवंटन: 6,750 करोड़ रूपये)	• इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य **नियोक्ताओं और कर्मचारियों को तरलता** सहायता प्रदान करना है, जो **PMGKP और इसके प्रसार के तहत EPF सहायता के लिए पात्र नहीं हैं।**
	• **इसके अधीन:**
	  ○ EPFO द्वारा कवर किए जाने वाले सभी प्रतिष्ठानों के नियोक्ता और कर्मचारी दोनों में से प्रत्येक के अनिवार्य PF अंशदान को 3 माह तक मौजूदा 12% से घटाकर 10% कर दिया गया है।
	  ○ नियोक्ता योगदान के रूप में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रमों (CPSEs) और राज्य सार्वजनिक उपक्रमों को 12% योगदान देना जारी रखा जाएगा।
	• **अपेक्षित लाभ:**
	  ○ इससे कर्मचारियों को **टेक होम सैलरी** (कर आदि कटौतियों के उपरांत मिलने वाला वेतन) **प्राप्त करने में वृद्धि** होगी तथा भविष्य निधि देय के भुगतान में नियोक्ताओं को राहत प्राप्त होगी, परिणामस्वरूप, तरलता वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा।
	  ○ इसके तहत EPFO के अंतर्गत आने वाले लगभग **6.5 लाख प्रतिष्ठानों** और उनके अंतर्गत कार्य करने वाले लगभग **4.3 करोड़ कर्मचारियों** को 6750 करोड़ रुपये की तरलता प्रदान करना अनुमानित है।

12.5.2. व्यवसायिक सुगमता हेतु घोषित किए सुधार एवं सहायक उपाय (Reforms and Enablers Announced for Ease of Doing Business)

उप-क्षेत्रक (Sub-sector)	विशिष्ट सुधार एवं सहायक उपाय (Specific reforms and Enablers)

अभिशासन संबंधी सुधार (Reforming Governance)	• सतत रूप से किए जाने वाले उपायों के कारण **विश्व बैंक द्वारा जारी ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस रिपोर्ट (वर्ष 2014 में 142वें रैंक की तुलना में वर्ष 2019 में 63वीं रैंक पर)** में भारत की स्थिति में निरंतर सुधार हुआ है।
	  ○ इन उपायों में **परमिट देने और अनुमोदन प्रदान करने, स्व-प्रमाणीकरण और तृतीय पक्ष का प्रमाणीकरण** व अन्य जैसी प्रक्रियाओं को व्यवस्थित करना सम्मिलित है।
	• इसके अतिरिक्त, **'व्यवसाय प्रारंभ करने'** (starting a business') **और 'दिवाला समाधान'** (insolvency resolution)' में भारत की रैंकिंग में सुधार ने इसकी समग्र रैंकिंग में सुधार हेतु योगदान किया है।
	• सरकार **व्यावसायिक सुगमता के आगामी चरण** की दिशा में मिशन मोड में कार्य कर रही है।
	  ○ **इसमें संपत्ति का सहज पंजीकरण, वाणिज्यिक विवादों का तीव्र निपटान और एक सरलतम कर व्यवस्था सम्मिलित है।**

कॉरपोरेट विधि से संबंधित उपाय	• वर्ष 2018 में कंपनी अधिनियम डिफॉल्ट्स के गैर-अपराधीकरण के एक भाग के रूप में, CSR रिपोर्टिंग में त्रुटियां, बोर्ड रिपोर्ट में कमियां, डिफाल्ट दाखिल करना, वार्षिक सामान्य बैठक (AGM) आयोजित करने में विलंब जैसे 16 प्रशम्य (compoundable) अपराधों को पूर्णतया हटा दिया गया है। • **इलेक्ट्रॉनिक रूप से कंपनी को निगमित करने के लिए सरलीकृत आवेदन पत्र (SPICe +)** नामक एकीकृत वेब आधारित निगमन फॉर्म को लागू किया गया है, जो एकल फॉर्म के माध्यम से विभिन्न मंत्रालयों की 10 सेवाओं और एक राज्य सरकार की सेवा को समाहित करता है। • **संबंधित पक्ष संव्यवहारों (Related Party Transactions: RPT)** से संबंधित प्रावधानों के युक्तिकरण के साथ **स्वतंत्र निदेशकों के एक डेटाबैंक** का शुभारंभ किया गया है।
दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC) से संबंधित	• **दिवाला कार्यवाही शुरू करने के लिए** न्यूनतम सीमा को बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये किया गया है, पूर्व में यह सीमा 1 लाख रुपये थी, जिससे MSMEs को प्रत्यक्षत: लाभ प्राप्त होगा।

VISION IAS

उपाय	• इस संहिता की धारा 240A के तहत MSMEs के लिए **विशेष दिवाला समाधान ढांचा** शीघ्र ही अधिसूचित किया जाएगा। **अब तक दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC) का प्रदर्शन** • वर्ष 2016 में IBC के लागू होने के पश्चात 221 समाधानित मामलों में से **44 % का उद्धहण हुआ है।** • फरवरी 2020 तक, **5.01 लाख करोड़ रुपये की कुल राशि को समाविष्ट करने वाले लगभग 13,566 मामले** IBC के प्रावधानों के तहत दर्ज करने से पूर्व निपटाए गए हैं। यह इंगित करता है कि IBC द्वारा किस प्रकार निपटान को प्रोत्साहित किया जा रहा है। • कोविड-19 द्वारा उत्पन्न संकट के कारण, महामारी की स्थिति के आधार पर, **एक वर्ष तक नई दिवाला कार्यवाही की शुरुआत नहीं** की जाएगी। • दिवाला कार्यवाही को शुरू करने के उद्देश्य से, संहिता के तहत **कोविड-19 से संबंधित ऋण को "डिफ़ॉल्ट" की परिभाषा से बाहर करने के लिए** केंद्र सरकार को सशक्त बनाया गया है।

अन्य उपाय	• अधिकृत विदेशी बाजारों में भारतीय सार्वजनिक कंपनियों द्वारा **प्रतिभूतियों को प्रत्यक्ष सूचीबद्ध करने को अनुमति** प्रदान करना।
	• निजी कंपनियां जो स्टॉक एक्सचेंजों में **गैर परिवर्तनीय डिबेंचर** (Non Convertible Debentures-NCD) को सूचीबद्ध करती हैं, उन्हें **सूचीबद्ध कंपनियों के रूप में नहीं माना जाएगा।** यह निजी फर्मों को सूचीबद्ध कंपनियों के रूप में वर्गीकृत होने पर उनके द्वारा सामना किए जाने वाले अनुपालन संबंधी मुद्दों को अप्रत्यक्ष रूप से सुगम बनाने में सहायता प्रदान करेगा।
	  ○ NCDs एक निश्चित अवधि वाले ऋण प्रपत्र हैं और **इनमें निवेश करने वाले निवेशक एक निश्चित दर पर नियमित ब्याज प्राप्त करते हैं।**
	• कंपनी अधिनियम, 1956 के भाग IXA (निर्माता कंपनियों) के प्रावधानों को कंपनी अधिनियम, 2013 में शामिल करना।
	  ○ यह **प्राथमिक उत्पादकों** को बाजार उन्मुख अर्थव्यवस्था से अधिकतम लाभ प्राप्त करने हेतु स्वयं को संगठित करने की अनुमति प्रदान करेगा।
	• छोटी कंपनियों, एक-व्यक्ति के स्वामित्व वाली कंपनियों, निर्माता कंपनियों और **स्टार्ट अप के द्वारा की गयी चूक के लिए** आर्थिक दंड में कमी।

12.6. विशिष्ट रूप से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) क्षेत्रक के लिए घोषित उपाय (Measures Announced Exclusively for MSME Sector)

विवरण

MSME क्षेत्रक अपनी **अनौपचारिक प्रकृति के कारण महामारी से व्यापक रूप से प्रभावित हुआ है।** इसके आलोक में, तरलता वृद्धि और MSMEs की परिभाषा में संशोधन जैसे दीर्घकालिक सुधार करने हेतु विभिन्न उपाय किए गए हैं।

12.6.1. घोषित किए गए महत्वपूर्ण उपाय (Significant Measures Announced)

संकटग्रस्त MSMEs के लिए सहायक ऋण (Subordinate Debt for Stressed MSMEs) (आवंटन: 20,000 करोड़ रुपये)	• इस योजना का उद्देश्य गैर-निष्पादित परिसंपतियों (NPA) वाली संकटग्रस्त MSME को सहायता प्रदान करना है । • इस योजना के तहत, MSMEs के प्रवर्तकों (प्रमोटरों) को बैंकों से ऋण प्रदान किया जाएगा, जिसे इक्विटी के रूप में MSMEs में उपयोग किया जाएगा। • सरकार MSME को 20,000 करोड़ रुपये के सहायक ऋण की सुविधा प्रदान करेगी। इस प्रयोजन हेतु, **यह सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (CGTMSE)** को 4,000 करोड़ रुपये प्रदान किए जाएंगे, जिससे योजना के तहत ऋण प्रदान करने वाले बैंकों को आंशिक क्रेडिट गारंटी सहायता प्राप्त होगी।

VISION IAS

<table>
<tr>
<td></td>
<td>

- इस योजना से लगभग दो लाख MSMEs को लाभ प्राप्त होने की संभावना है।

CGTMSE के बारे में

- भारत सरकार द्वारा क्रेडिट वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने तथा MSE क्षेत्र में ऋण के प्रवाह को सुविधाजनक बनाने हेतु **क्रेडिट गारंटी योजना (CGS)** की शुरुआत की गई है।
- इस योजना को संचालित करने हेतु, **भारत सरकार और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI)** द्वारा सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (CGTMSE) की स्थापना की गई है।

सहायक ऋण (Subordinate debt) क्या है?

- किसी भी इकाई के पूंजी वितरण को व्यापक तौर पर **5 श्रेणियों में वर्गीकृत** किया जा सकता है, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है। इकाई के परिसमापन (liquidation) के मामले में, सहायक ऋण वह ऋण है, जिसका भुगतान अन्य सभी कॉर्पोरेट ऋण एवं लोन को चुकाए जाने के पश्चात किया जाता है।

</td>
</tr>
<tr>
<td>MSME को फंड ऑफ फंड्स के माध्यम से 50,000 करोड़ रुपये की इक्विटी सुलभ कराई जाएगी</td>
<td>

- इस योजना का उद्देश्य MSMEs में दीर्घकालिक इक्विटी निवेश (infusion) हेतु **10,000 करोड़ रूपये के आरम्भिक कोष** के साथ **एक फंड ऑफ फंड्स** का सृजन करना है।
- **संचालन तंत्र:**
  - **फंड ऑफ फंड्स का संचालन एक समग्र फंड और कुछ सहायक फंडों (Mother Fund and few daughter funds) के माध्यम से होगा।**
  - यह निधि संरचना **सहायक फंडों** के स्तर पर 50,000 करोड़ रूपये के कोष का लाभ प्राप्त करने में सहायता करेगी।

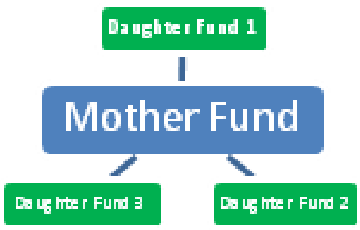

- यह योजना **MSMEs के आकार के साथ-साथ उनकी क्षमता का विस्तार करने** में सहायता करेगी तथा यह **MSMEs को स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध होने के लिए भी प्रोत्साहित** कर सकती है।

</td>
</tr>
<tr>
<td>MSMEs की संशोधित परिभाषा</td>
<td>

- **परिभाषा में परिवर्तन की आवश्यकता:** संशोधनों हेतु मांग दीर्घकाल से लंबित है, क्योंकि MSME की परिभाषा में निवेश की निम्न सीमा के कारण MSMEs के मध्य भय उत्पन्न हो गया है कि वे इस क्षेत्रक को प्रदान किए जाने वाले लाभों से वंचित रह जाएंगे और इस प्रकार उनके विकास की प्रवृत्ति समाप्त हो जाएगी।
- **परिभाषा में परिवर्तन की घोषणा:**
  - टर्नओवर के अतिरिक्त मानदंडों को शामिल किया जाना।
  - विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के मध्य के अंतर को भी समाप्त करना।

</td>
</tr>
</table>

VISION IAS

<table>
<tr>
<td></td>
<td>

Change in the definition of MSME

<table>
<tr><th colspan="4">Existing MSME Classification
Criteria : Investment in Plant & Machinery or Equipment</th></tr>
<tr><th>Classification</th><th>Micro</th><th>Small</th><th>Medium</th></tr>
<tr><td>Mfg. Enterprises</td><td>Investment<Rs. 25 lac</td><td>Investment<Rs. 5 cr.</td><td>Investment <Rs. 10 cr.</td></tr>
<tr><td>Services Enterprise</td><td>Investment<Rs. 10 lac</td><td>Investment< Rs. 2 cr.</td><td>Investment<Rs. 5 cr.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="4">Revised MSME Classification
Composite Criteria : Investment And Annual Turnover</th></tr>
<tr><th>Classification</th><th>Micro</th><th>Small</th><th>Medium</th></tr>
<tr><td>Manufacturing & Services</td><td>Investment< Rs. 1 cr. and Turnover < Rs.5 cr.</td><td>Investment< Rs. 10 cr. and Turnover < Rs.50 cr.</td><td>Investment< Rs.50 cr. and Turnover < Rs. 250 Cr.</td></tr>
</table>

</td>
</tr>
<tr>
<td>200 करोड़ रुपये तक की सरकारी निविदाओं के लिए कोई वैश्विक निविदा नहीं</td>
<td>

इस उपाय का निहित उद्देश्य भारतीय MSMEs को विदेशी प्रतिस्पर्धा से संरक्षित करना है।
यह आत्मनिर्भर भारत की ओर एक कदम होगा एवं यह प्रत्यक्ष रूप से मेक इन इंडिया पहल का समर्थन करेगा तथा MSMEs को दीर्घावधिक रूप में अपने व्यापार को बढ़ाने एवं स्वयं का विकास करने में सहायता करेगा।

</td>
</tr>
<tr>
<td>ठेकेदारों को राहत</td>
<td>

रेलवे, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय और केंद्रीय सार्वजनिक कार्य विभाग (PWD) जैसी सभी केंद्रीय एजेंसियों व रियायत समझौतों से संबद्ध दायित्वों सहित अनुबंधात्मक दायित्वों को पूर्ण करने के लिए छह माह तक का समय विस्तार दिया गया हैं।
पैकेज के तहत कवरेज: विनिर्माण कार्य, वस्तु एवं सेवा अनुबंध, कार्य पूर्ण होने जैसे दायित्वों, मध्यवर्ती उपलब्धियां (milestones) आदि।

</td>
</tr>
<tr>
<td>फिनटेक (Fintech) का उपयोग</td>
<td>

ई-मार्केटप्लेस द्वारा उत्पन्न डेटा का प्रयोग करके लेन-देन आधारित उधार को बढ़ावा देने हेतु फिनटेक के उपयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है।
फिनटेक, कंप्यूटर प्रोग्राम और अन्य तकनीक को संदर्भित करता है, जिनका बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं को सहायता प्रदान करने या उन्हें सक्षम बनाने हेतु उपयोग किया जाता है।

</td>
</tr>
<tr>
<td>ई-मार्केट लिंकेज</td>
<td>

MSMEs के लिए ई-मार्केट लिंकेज को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों को प्रतिस्थापित किया जा सकेगा।

</td>
</tr>
<tr>
<td>मुद्रा-शिशु ऋण (MUDRA-Shishu Loan) हेतु ब्याज सब्सिडी</td>
<td>

यह योजना मुद्रा (MUDRA) के तहत उन लघु व्यवसायों के मुद्दों को संबोधित करती है, जो अभी बाधित होने के कारण EMI का भुगतान करने में असमर्थ हो गए हैं।
मुद्रा-शिशु ऋणों का वर्तमान पोर्टफोलियो लगभग 1.62 लाख करोड़ रुपये है (इसके अंतर्गत अधिकतम ऋण की राशि 50,000 रुपये है)।

इसके समाधान हेतु, भारत सरकार ऋणों के त्वरित भुगतान हेतु 12 माह की अवधि के लिए 2 प्रतिशत की ब्याज सब्सिडी प्रदान करेगी।

</td>
</tr>
</table>

VISION IAS

12.7. आर्थिक पैकेज के भाग के रूप में घोषित सामान्य नीतिगत सुधार (General Policy Reforms Announced as Part of the Economic Package)

12.7.1. घोषित महत्वपूर्ण उपाय (Significant Measures Announced)

राज्य सरकारों को प्रदान की गई सहायता

- केंद्र द्वारा राज्यों को **करों के अंतरण (devolution), राजस्व घाटा अनुदान, राज्य आपदा मोचन निधि (State Disaster Response Fund) को अग्रिम रूप से जारी करना और स्वास्थ्य मंत्रालय से प्रत्यक्ष रूप में कोविड-19 रोधी गतिविधियों हेतु जारी राशि** के रूप में राजकोषीय सहायता का विस्तार किया गया है।
- **उधार की सीमा में वृद्धि:** वर्ष 2020-21 के लिए राज्य सरकारों की **उधार सीमा को** सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) के **3%** {राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम में निर्धारित} से बढ़ाकर **5% तक** किया जायेगा।
    - **इससे राज्यों को** 4.28 लाख करोड़ रुपये के अतिरिक्त संसाधन प्रदान करने **का अनुमान है।**
    - GSDP के 3.5% तक की वृद्धि बिना शर्त की जाएगी, जिसमें 'एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड' (One Nation, One Ration Card) का सार्वभौमिकरण, व्यावसायिक सुगमता, विद्युत् वितरण और शहरी स्थानीय निकाय राजस्व संबंधित सुधारों से संबद्ध 0.25% की वृद्धि की जाएगी।
    - उपर्युक्त चार सुधारों में से तीन को सफलतापूर्वक प्राप्त करने पर अतिरिक्त 0.50 प्रतिशत की वृद्धि प्रदान की जाएगी।

सशर्त अंतरण हेतु आवश्यकताएँ

- **एक राष्ट्र एक राशन कार्ड:** सभी राशन कार्डों को आधार नंबर के साथ लिंक करना और सभी उचित मूल्य की दुकानों में प्वाइंट-ऑफ-सेल मशीन को संस्थापित करना।
- **व्यावसायिक सुगमता (EoDB): उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT)** के मानदंडों के अनुसार **EoDB** का जिला-स्तरीय मूल्यांकन, व्यवसायों को राज्य औद्योगिक एवं वाणिज्यिक लाइसेंसों का स्वचालित नवीनीकरण और पूर्व सूचना व पूर्ण पारदर्शिता के साथ निरीक्षणों को यादृच्छिक बनाना।
- **विद्युत् क्षेत्रक:** समग्र तकनीकी एवं वाणिज्यिक (ATC) हानि को कम करना, आपूर्ति की औसत लागत (ACS)- औसत राजस्व प्राप्ति (ARR) अंतराल को अल्प करना और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से किसानों को विद्युत् सब्सिडी प्रदान करना।
- **शहरी स्थानीय निकाय:** अंचल (circle) संपत्ति की दरों और जल एवं सीवरेज शुल्कों की अधिसूचना के अनुरूप संपत्ति कर की न्यूनतम दरों (floor rates) को अधिसूचित करना।

तरलता की स्थिति को सुगम बनाने हेतु कराधान के उपायों की घोषणा

- **'स्रोत पर कर कटौती' (TDS) और 'स्रोत पर संग्रहीत कर' (TCS) की दरों में कमी**
    - इस उपाय का उद्देश्य इन-हैंड इनकम (कर आदि कटौती के उपरांत आय इसे टेक होम सैलरी अथवा इनकम भी कहते हैं) में अप्रत्यक्ष रूप से वृद्धि करके तरलता में 50,000 करोड़ रुपये की अनुमानित वृद्धि करना है।
    - **कार्यान्वयन पद्धति:**
        - TDS की दरों (निवासियों को किए गए गैर-वेतनभोगी निर्दिष्ट भुगतानों के लिए) और TCS की दरों (निर्दिष्ट प्राप्तियों के लिए) को विद्यमान दरों से 25 प्रतिशत तक कम किया जाएगा।
        - यह कमी वित्त वर्ष 2020-21 की शेष अवधि अर्थात 31 मार्च, 2021 तक के लिए ही लागू होगी।
- **अन्य प्रत्यक्ष कर उपाय**
    - **धर्मार्थ न्यासों एवं गैर-कॉरपोरेट व्यवसायों और स्वामित्व (प्रोपराइटरशिप), साझेदारी व सीमित देयता भागीदारी (LLP) सहित पेशों तथा सहकारी समितियों को लंबित आयकर रिफंड तुरंत जारी किए जाएंगे।**

VISION IAS

- वित्त वर्ष 2019-20 के लिए सभी आयकर रिटर्न की देय तिथि का भी विस्तार किया गया।
- **'विवाद से विश्वास' योजना** के तहत नियत कर से अत्यधिक अतिरिक्त राशि के बिना ही भुगतान करने की तिथि को 31 दिसंबर, 2020 तक बढ़ा दिया जाएगा।

स्रोत पर कर कटौती (Tax Deducted at Source: TDS) बनाम स्रोत पर संग्रहित कर (Tax Collected at Source: TCS)

- **TDS, भुगतानकर्ता द्वारा कर की कटौती को संदर्भित करता है।** उदाहरण के लिए नियोक्ता वेतन भुगतान करने से पूर्व TDS के रूप में एक निश्चित राशि की कटौती करता है और तत्पश्चात इसे आयकर (IT) विभाग को भुगतान करता है। TDS कटौती वेतन, किराया, ब्रोकेज, पेशेवर शुल्क, दलाली, ब्याज आदि सहित भुगतानों पर की जाती है और यह एक निर्दिष्ट सीमा से अधिक के भुगतान पर लागू होती है।
- दूसरी ओर, **TCS आदाता या प्राप्तकर्ता द्वारा संग्रहित कर को संदर्भित करता है।** उदाहरणार्थ आभूषण की बिक्री करने वाला एक स्वर्णकार TCS का संग्रह करेगा तथा इसका भुगतान वह आयकर (IT) विभाग को करेगा। यह कुछ निश्चित वस्तुओं (विनिर्माण या उत्पादन हेतु उपयोग की जाने वाली वस्तुओं को छोड़कर) की बिक्री पर लागू होता है।

12.7.2. अन्य नीतिगत उपाय (Other Policy Measures)

एक नए, आत्मनिर्भर भारत के लिए सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम नीति	• एक नवीन सुसंगत नीति की आवश्यकता है, जहां सभी क्षेत्रक निजी क्षेत्र के लिए खुले हों, जबकि **सार्वजनिक क्षेत्रक के उद्यम (PSEs)** केवल सीमित एवं निर्दिष्ट क्षेत्रों में ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेंगे। • **तदनुरूप, सरकार एक नई नीति की घोषणा करेगी, जिसके द्वारा:** ○ सार्वजनिक हित में PSEs की अपेक्षा रखने वाले रणनीतिक क्षेत्रों की सूची अधिसूचित की जाएगी। ○ सामरिक क्षेत्रों में, **कम से कम एक उद्यम सार्वजनिक क्षेत्र में रहेगा, परन्तु निजी क्षेत्र** को भी इसकी अनुमति प्रदान की जाएगी। ○ अन्य क्षेत्रों में, PSEs का निजीकरण किया जाएगा (समय का निर्धारण व्यवहार्यता पर आधारित होगा।) ○ अनावश्यक प्रशासनिक व्ययों को कम करने के लिए, सामरिक क्षेत्रों में उद्यमों की संख्या सामान्यतया केवल एक से चार तक ही होगी; इसके **अतिरिक्त अन्य उद्यमों का निजीकरण/विलय कर दिया जाएगा या उन्हें नियंत्रक (होल्डिंग) कंपनियों के अंतर्गत लाया जाएगा।**
त्वरित निवेश के लिए नीतिगत सुधार	• **सचिवों के अधिकार प्राप्त समूह (EGoS)** के माध्यम से परियोजनाओं हेतु **त्वरित (फास्ट ट्रैक) निवेश की अनुमति** प्रदान की जाएगी। ○ प्रधानमंत्री ने कोविड-19 महामारी के प्रकोप से निपटने हेतु **त्वरित अनुक्रिया टीमों के रूप में 11 सशक्त समूहों** का गठन किया है। • निवेश योग्य परियोजनाओं को तैयार करने, निवेशकों और केंद्र / राज्य सरकारों के साथ समन्वय हेतु **प्रत्येक मंत्रालय में परियोजना विकास प्रकोष्ठ (Project Development Cell)** का सृजन किया जाएगा। • **निवेश आकर्षण के आधार पर राज्यों की रैंकिंग प्रदान कर** नवीन निवेशों के लिए बेहतर प्रतिस्पर्धा का सृजन करना। • सौर फोटो वोल्टायिक (PV) विनिर्माण, उन्नत सेल बैटरी भंडारण इत्यादि जैसे क्षेत्रों में **नवीन चैंपियन सेक्टर्स को बढ़ावा देने हेतु प्रोत्साहन योजनाएं (Incentive schemes) प्रारंभ की जाएंगी।**

औद्योगिक अवसंरचना का उन्नयन	• कनेक्टिविटी सहित **सामान्य अवसंरचना सुविधाओं के औद्योगिक क्लस्टर उन्नयन** को लागू करने हेतु **राज्यों में** (चैलेंज मोड के माध्यम से) **एक योजना क्रियान्वयित की जाएगी।**
	• नवीन निवेश को बढ़ावा देने हेतु **औद्योगिक भूमि / लैंड बैंक** (भावी विकास हेतु सार्वजनिक या निजी संगठन के नियंत्रणाधीन भूमि) की उपलब्धता में वृद्धि।
	• सटीक **भौगोलिक सूचना तंत्र (GIS)** आधारित मानचित्रण के साथ **औद्योगिक सूचना प्रणाली (IIS)** पर उपलब्ध उद्योगों के लिए जानकारी को प्रासंगिक बनाना।
	  ○ **औद्योगिक सूचना प्रणाली (IIS)** पर 5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में विस्तृत 3,376 औद्योगिक पार्क / संपदा (estates)/ विशेष आर्थिक क्षेत्रों (SEZs) का मानचित्रण।
	  ○ वर्ष 2020-21 में सभी औद्योगिक पार्कों को रैंकिंग प्रदान की जाएगी।

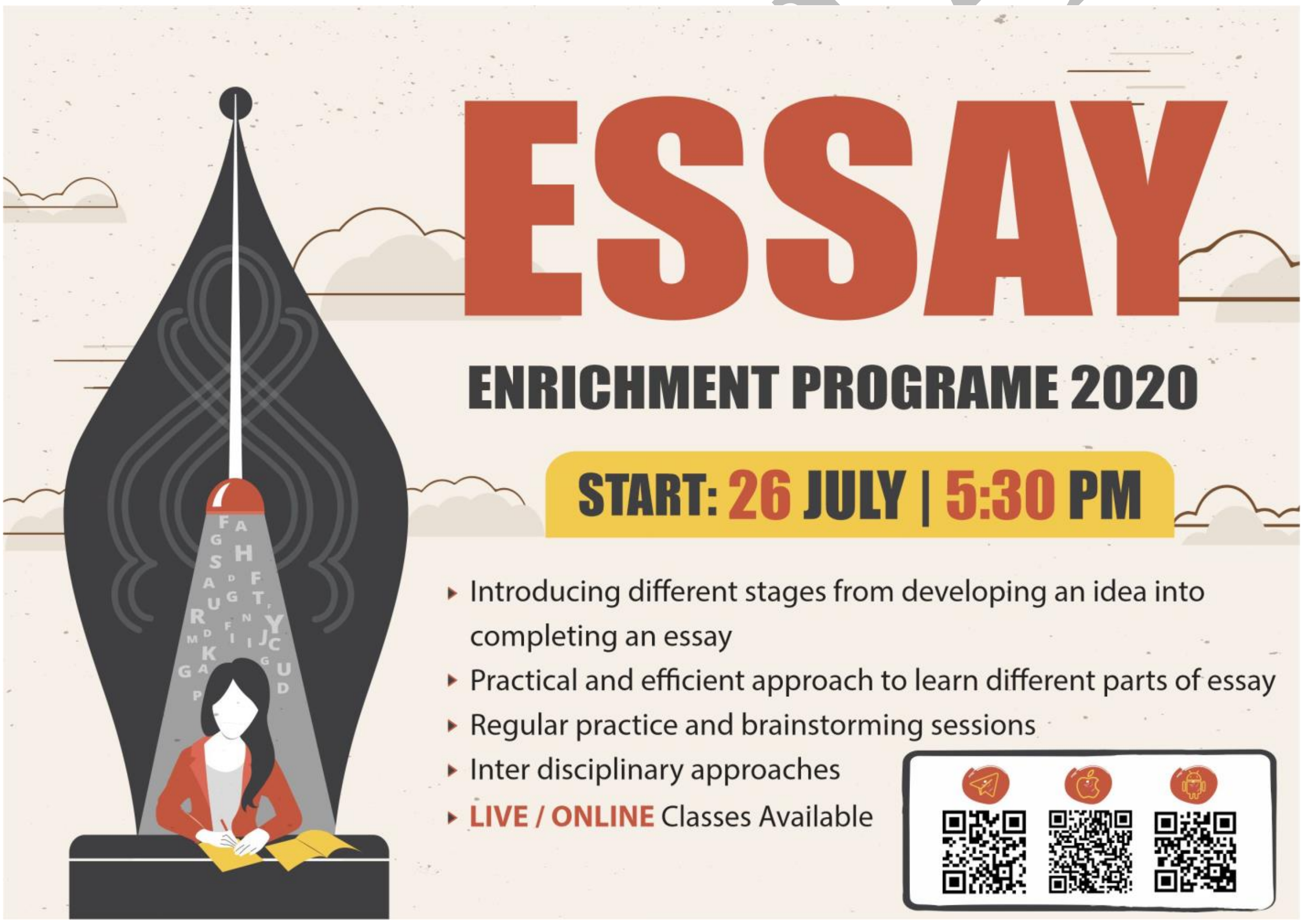

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS